



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 39
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)

**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

**संघ सरकार (वाणिज्यिक)
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 39
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)**

विषय-सूची

अध्याय	विषय	सीपीएसई	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन		v
	कार्यकारी सारांश		vii
ऊर्जा समूह			
अध्याय 1	कोयला मंत्रालय		
1.1	वन विनियमों के उल्लंघन के कारण ₹21.22 करोड़ का परिहार्य व्यय	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1
1.2	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में खनन कार्य	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	4
1.3	एनएलसी तमिलनाडु विद्युत लिमिटेड की कार्यप्रणाली	एनएलसी तमिलनाडु विद्युत लिमिटेड	30
अध्याय II	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
2.1	कोच्चि रिफाइनरी द्वारा पॉलीओल परियोजना को बंद करने के कारण ₹300.15 करोड़ का निष्फल व्यय	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	76
2.2	₹77.36 करोड़ का निष्फल निवेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	81
2.3	₹8.22 करोड़ का अप्रयुक्त निवेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	86
2.4	ओएनजीसी के कॉर्पोरेट मटेरियल मैनेजमेंट द्वारा अधिप्राप्ति गतिविधियां	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	89
अध्याय III	विद्युत मंत्रालय		
3.1	दामोदर घाटी निगम में पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण	दामोदर घाटी निगम	121
3.2	कामेंग जलविद्युत परियोजना का निर्माण और संचालन	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	144

अध्याय	विषय	सीपीएसई	पृष्ठ सं.
उद्योग समूह			
अध्याय IV	भारी उद्योग मंत्रालय		
4.1	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पूर्व अग्रिम राशि की वसूली न होने के कारण ₹6.58 करोड़ की अपूरणीय हानि	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	154
अध्याय V	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
5.1	कच्चा माल सहायता योजना	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	157
अध्याय VI	इस्पात मंत्रालय		
6.1	सेल के चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र का प्रदर्शन	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	168
6.2	कोक ओवन बैटरी की शीत मरम्मत पर निष्फल व्यय	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	193
बुनियादी समूह			
अध्याय VII	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
7.1	गुजरात और महाराष्ट्र में टोल परिचालन	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	197
7.2	सड़क इस्तेमाल करने वालों पर ज़्यादा बोझ और टोल संचालकों को अनुचित लाभ	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	229
7.3	समय से पूर्व कार्य पूर्ण करने पर बोनस का अनियमित भुगतान	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	232

अध्याय	विषय	सीपीएसई	पृष्ठ सं.
अध्याय VII	लेखापरीक्षा के बताए जाने पर सीपीएसईज द्वारा वसूली और सुधार/संशोधन		
8.1	लेखापरीक्षा के बताए जाने पर वसूली		238
8.2	लेखापरीक्षा के बताए जाने पर सुधार/संशोधन		238
अध्याय IX	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई		239
	अनुलग्नक		243

प्राक्कथन

1. यह रिपोर्ट मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु 15 मंत्रालयों और 4 विभागों (अनुलग्नक I) के अधिकार/कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों और वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।
2. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है और कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) के अंतर्गत वे सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं या उन्हें अनुपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये कंपनियाँ, कंपनी अधिनियम की धारा 143(7) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।
3. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार, उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसे पाँच निगमों, अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम, के संबंध में, संबंधित कानून सीएजी को उनका एकमात्र लेखापरीक्षक नियुक्त करते हैं। एक निगम, अर्थात् केंद्रीय भंडारण निगम, के संबंध में, सीएजी की सलाह पर, सरकार द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम की लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु एक लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है। सीएजी को आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19- ए के प्रावधानों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकारी कंपनी या निगम के लेखा से संबंधित प्रतिवेदन सीएजी द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।
5. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण में 12 सीपीएसई से संबंधित नौ व्यक्तिगत लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और सात

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। इन मंत्रालयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में तीन समूहों अर्थात् ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी समूह के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। ऊर्जा समूह के अंतर्गत नौ लेखापरीक्षा टिप्पणियां, उद्योग समूह के अंतर्गत चार और बुनियादी समूह के अंतर्गत तीन हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2023-24 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आए, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके: 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां भी आवश्यक हो, शामिल किए गए हैं।

6. इस प्रतिवेदन में 'कंपनियों/निगमों या सीपीएसई' के सभी संदर्भों को 'केन्द्र सरकार की कंपनियों/निगमों' के संदर्भ में समझा जा सकता है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा संकेत न मिले।

7. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।

8. लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सीपीएसई के प्रबंधन और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सारांश

I. प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) या विशेष निगमों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा किए गए केंद्रीय सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखाओं एवं अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

2. इस प्रतिवेदन में सात मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 12 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित नौ व्यक्तिगत लेखापरीक्षा टिप्पणियां एवं सात अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों शामिल हैं। इन मंत्रालयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में तीन समूहों, ऊर्जा, उद्योग एवं बुनियादी समूहों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। ऊर्जा समूह के अंतर्गत नौ लेखापरीक्षा टिप्पणियां, उद्योग समूह के अंतर्गत चार एवं बुनियादी समूह के अंतर्गत तीन हैं। मसौदा टिप्पणियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को भेज दी गई हैं, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में सीपीएसई काम कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रत्येक मामले में अपने उत्तर/टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके। जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है, इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान भी दो टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

3. इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई से संबंधित हैं:

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग (सम्मिलित सीपीएसई)	पैराग्राफों की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय/ विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
ऊर्जा समूह			
1.	कोयला (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड)	3	1

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग (सम्मिलित सीपीएसई)	पैराग्राफों की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय/ विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
2.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	4	1
3	विद्युत (दामोदर घाटी निगम एवं नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	2	0
उद्योग समूह			
4	भारी उद्योग (इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड)	1	0
5	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड)	1	0
6.	इस्पात (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)	2	0
बुनियादी समूह			
7.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)	3	0
योग		16	2

4. व्यक्तिगत लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹14,772.92 करोड़ है। इस प्रतिवेदन में व्यक्तिगत लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ मुख्य तौर पर निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

- नियमों, निर्देशों, प्रक्रिया, अनुबंध की शर्तों एवं नियमों आदि का अननुपालन, जिसमें सात लेखापरीक्षा पैराग्राफों¹ में ₹559.56 करोड़ शामिल हैं।

¹ पैरा नं. 1.1, 1.2, 2.4, 5.1, 7.1, 7.2 और 7.3

- चार लेखापरीक्षा पैराग्राफों² में ₹491.23 करोड़ से संबंधित संगठनों के वित्तीय हितों की सुरक्षा न करना।
- सात लेखापरीक्षा पैराग्राफों³ में ₹8,195.28 करोड़ की दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण योजना।
- तीन लेखापरीक्षा पैराग्राफों⁴ में ₹5,531.85 करोड़ की अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण निगरानी।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में एक से अधिक श्रेणियों की टिप्पणियां शामिल हैं एवं तदनुसार, टिप्पणियों के अंतर्गत राशि को वर्गीकृत किया गया है।

5. इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सीपीएसई द्वारा "वसूली एवं सुधार/संशोधन" पर एक अध्याय भी शामिल है। इस अध्याय में दो पैराग्राफ हैं: (क) सात सीपीएसई के प्रबंधन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के दौरान लेखापरीक्षा के अनुरोध पर ₹205.49 करोड़ की राशि वसूल की है, एवं (ख) लेखापरीक्षा के अनुरोध पर सात सीपीएसई द्वारा अपनी प्रणालियों/समझौतों/दिशानिर्देशों में किए गए सुधार/संशोधन।

II प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

समूह: ऊर्जा

वन नियमों के उल्लंघन के कारण ₹21.22 करोड़ का परिहार्य व्यय

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने सक्षम प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना वन भूमि को वन उद्देश्यों से इतर (खनन गतिविधियों के लिए) के लिए परिवर्तित कर दिया। इस परिवर्तन से न केवल वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी अनुपालन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, सीसीएल को ₹21.22 करोड़ का परिहार्य व्यय उठाना पड़ा।

(पैरा 1.1)

² पैरा नं. 2.1, 4.1, 6.1 और 7.1

³ पैरा नं. 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 6.1 और 6.2

⁴ पैरा संख्या 1.3, 3.2 और 6.1

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में खनन कार्य

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की स्थापना अप्रैल 1992 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय ओडिशा के संबलपुर जिले में है। एमसीएल ने 23.14 मिलियन टन (एमटी) कोयले के उत्पादन (1992-93) के साथ अपना खनन कार्य शुरू किया, जो 31 मार्च 2024 तक बढ़कर 206.10 मीट्रिक टन हो गया है। वर्तमान में, एमसीएल, सीआईएल की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनी है। लेखापरीक्षा ने खनन गतिविधियों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता की जाँच के लिए 2017-18 से 2021-22 के दौरान एमसीएल द्वारा किए गए खनन कार्यों की समीक्षा की।

समीक्षा से पता चला कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला उत्पादन एवं अधिभार हटाने के लक्ष्यों को सेंटरल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप नहीं बनाया। इसने लक्ष्यों के निर्धारण के लिए विचारणीय कारकों को परिभाषित करने वाला कोई मैनुअल/मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) जो लंबे समय से खराब हैं तथा एचईएमएम से जिनका सर्वेक्षण किया गया है, ऐसी मशीनों की उत्पादकता का आकलन किए बिना, उत्पादन तथा अधिभार हटाने के लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ा। ऑपरेटरों की कमी के कारण न केवल एचईएमएम निष्क्रिय रहे, बल्कि लक्ष्यों की प्राप्ति भी प्रभावित हुई।

ई-निविदाओं में बोलीदाताओं के आईपी एड्रेस का मिलान, एमसीएल के आईपी एड्रेस का बोलीदाताओं के आईपी पत्तों से मिलान, एवं निविदा प्रणाली में सत्यापन नियंत्रणों का अभाव जैसे मामले सामने आए। ये सभी बोली प्रणाली में समझौता होने के जोखिम को दर्शाते हैं एवं बोली प्रणाली में कमज़ोर नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र की ओर इशारा करते हैं।

लेखापरीक्षा ने ईंधन आपूर्ति समझौते के प्रावधानों का पालन न करने एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए मॉडल अनुबंध समझौते की धाराओं में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना संशोधन करने के उदाहरणों को भी उजागर किया। एमसीएल ने समझौतों के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति भी नहीं वसूली, जिसके परिणामस्वरूप ₹19.28 करोड़ का कम शुल्क वसूला गया।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- एमसीएल को क्षमता के आकलन एवं लक्ष्य निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाले कार्यप्रणाली एवं कारकों/मापदंडों को निर्धारित करते हुए मैनुअल/एसओपी तैयार करना चाहिए।
- ई-निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एमसीएल को एक उचित तंत्र लागू करना चाहिए एवं सत्यापन नियंत्रण प्रणाली को बेहतर बनाना चाहिए। बोली प्रणाली में किसी भी तरह के समझौते के जोखिम से बचने के लिए, आगे के चरणों को समयबद्ध तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।

(पैरा 1.2)

एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड की कार्यप्रणाली

एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (एनटीपीएल), तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एनएलसी इंडिया लिमिटेड एवं टीएएनजीईडीसीओ का एक संयुक्त उद्यम है। एनटीपीएल के कोयला-आधारित थर्मल पावर प्लांट (प्रत्येक 500 मेगावाट) की इकाई-I एवं इकाई-II का व्यावसायिक संचालन क्रमशः जून 2015 एवं अगस्त 2015 में ₹7,293.48 करोड़ की कुल लागत से शुरू किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 2015 से 2021 की अवधि हेतु परियोजना के कार्यान्वयन की अर्थव्यवस्था एवं दक्षता एवं कंपनी के संचालन एवं प्रदर्शन का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीआर की अनुपस्थिति एवं अपर्याप्त भूमि (267 एकड़) के कारण अव्यवस्थित योजना, निर्माण गतिविधियों में समन्वय की कमी एवं परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ। भले ही कोयला मंत्रालय ने सितंबर 2009 में प्रारंभिक गतिविधियों के लिए ₹19.95 करोड़ मंजूर किए, लेकिन इन गतिविधियों में 6 से 16 महीने का विलंब हुआ। इकाई I एवं इकाई II के चालू होने में क्रमशः 38 महीने एवं 35 महीने का विलंब हुआ, जिसका मुख्य कारण एनटीपीएल एवं उसके परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा निगरानी की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप निर्माण अवधि के दौरान ब्याज में ₹435.63 करोड़ की वृद्धि सहित कुल लागत ₹2,383.94 करोड़ बढ़ गई।

2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान, एनटीपीएल वार्षिक निश्चित लागतों को पूरी तरह से वसूल नहीं कर सका क्योंकि यह सीईआरसी द्वारा अनिवार्य प्लांट उपलब्धता

कारक को प्राप्त नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹771.88 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। अनियोजित एवं अनिवार्य कटौती के परिणामस्वरूप 8,496.53 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की हानि हुई, जिससे ₹2,515.15 करोड़ का संभावित राजस्व प्रभाव पड़ा। एनटीपीएल वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 85 प्रतिशत का मानक प्लांट लोड फैक्टर बनाए नहीं रख सका। इसी तरह, यह सीईआरसी द्वारा घोषित स्टेशन ताप दर को प्राप्त नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹742.93 करोड़ (जून 2015 से मार्च 2023) के कोयले की अधिक खपत हुई। सीईआरसी द्वारा अधिदेशित स्तरों तक सहायक विद्युत खपत को नियंत्रित न करने के परिणामस्वरूप ₹163.18 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। कूलिंग टावरों की अक्षमता एवं उसके बाद के रखरखाव के परिणामस्वरूप 52.98 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की हानि के अलावा ₹5.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- एनटीपीएल को वार्षिक निश्चित लागतों की पूर्ण वसूली के लिए मानक संयंत्र उपलब्धता कारक को प्राप्त करने के लिए परिचालन योजना को मजबूत करने हेतु नियंत्रणीय कारकों की पहचान एवं निगरानी करनी चाहिए।
- एनटीपीएल को उच्च ताप दर कारकों का विश्लेषण करना चाहिए तथा लक्षित सुधारात्मक उपायों को लागू करना चाहिए।
- एनटीपीएल को कन्वेयर सिस्टम, शोर अनलोडर, विलवणीकरण संयंत्र आदि जैसे विशिष्ट उपकरणों द्वारा ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणाली लागू करनी चाहिए।

(पैरा 1.3)

कोच्चि रिफाइनरी द्वारा पॉलीओल परियोजना बंद करने के कारण ₹300.15 करोड़ का निष्फल व्यय

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने अपनी कोच्चि रिफाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल परियोजना की योजना बनाई थी, जिसे सितंबर 2018 में ₹11,294 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृति मिली थी। बोर्ड ने प्रबंधन को (सितंबर 2018 में) 12 महीनों के भीतर अंतिम परियोजना डिज़ाइन एवं विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था; हालाँकि, इसमें 27 महीने का विलंब हुआ एवं यह जनवरी 2022 में ही प्रस्तुत की

जा सकी। इस विलंब के कारण लागत बढ़कर ₹13,145 करोड़ हो गई, जिससे परियोजना वित्तीय रूप से अव्यावहारिक हो गई। परिणामस्वरूप, बीपीसीएल ने परियोजना को बंद करने एवं इसके स्थान पर एक अलग लघु परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया। तब तक, प्रारंभिक कार्यों एवं सुविधाओं पर ₹455.29 करोड़ खर्च हो चुके थे, जिनमें से केवल ₹155.14 करोड़ ही नई परियोजना के लिए पुनः उपयोग किए जाने की आशा है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावी परियोजना नियोजन के कारण ₹300.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 2.1)

₹77.36 करोड़ का निष्फल निवेश

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने पेट्रोनेट वडिनार कांडला लिमिटेड (पीवीकेएल) में अपनी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी, बावजूद इसके कि पीवीकेएल अपनी वडिनार-कांडला उत्पाद पाइपलाइन के निष्क्रिय रहने के कारण ऋण अदायगी में लगातार चूक कर रही थी। आईओसीएल ने उक्त पाइपलाइन की कार्यक्षमता एवं उसके लिए ठोस उपयोग योजना सुनिश्चित किए बिना पीवीकेएल को ऋण भी दिया, जबकि अन्य भागीदारों ने धनराशि देने से इनकार कर दिया था। बाद में, यह महसूस होने के बावजूद कि पीवीकेएल का संचालन उसके नेटवर्क के लिए फायदेमंद नहीं है, आईओसीएल ने पीवीकेएल को दिए गए ऋण पर अधिस्थगन बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹26.02 करोड़ के इक्विटी निवेश के अलावा संपूर्ण बकाया ऋण की हानि के कारण ₹77.36 करोड़ (उस पर अर्जित ब्याज के अतिरिक्त) का निष्फल निवेश हुआ।

(पैरा 2.2)

₹8.22 करोड़ का निष्क्रिय निवेश

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिटुमेन की मांग के निर्धारण के आधार पर, अपनी डिगबोई रिफाइनरी में ₹7 करोड़ की लागत से 25 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला एक क्रम्ब रबर मॉडिफाइड बिटुमेन (सीआरएमबी +) उत्पादन संयंत्र चालू किया (मार्च 2018)। हालाँकि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीआरएमबी+की मांग का कोई निर्धारण नहीं किया गया, जबकि यह एक हाइब्रिड बिटुमेन है एवं इसकी प्रयोज्यता में कुछ सीमाएँ हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिटुमेन का कोई भी उपयोगकर्ता पथ निर्माण के लिए सीआरएमबी + की अनुशंसा नहीं करता है एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में वैकल्पिक ग्रेड बिटुमेन उपलब्ध है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीआरएमबी+ की मांग का निर्धारण न होने एवं परिणामस्वरूप ग्राहकों की कमी के कारण वर्ष 2020-21 से सीआरएमबी+ संयंत्र में उत्पादन बंद हो गया एवं ₹8.22 करोड़ का निवेश निष्फल हुआ।

(पैरा 2.3)

ओएनजीसी के कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन द्वारा खरीद गतिविधियाँ

ओएनजीसी की कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन (सीएमएम) इकाई को नवंबर 2023 में केंद्रीय खरीद विभाग (सीपीडी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जो विभिन्न कार्य केंद्रों की तत्काल परिचालन गतिविधियों को पूरा करने एवं ओएनजीसी के क्षेत्रीय परिचालन में बिना किसी व्यवधान के सामग्री/सेवाओं की समय पर उपलब्धता का प्रबंधन करने के लिए ओएनजीसी में एक प्रभावी एवं समग्र आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। खरीद ढांचा ओएनजीसी की एकीकृत सामग्री प्रबंधन (आईएमएम) नियमावली द्वारा शासित है जिसके अंतर्गत सीपीडी द्वारा 43 वस्तुओं की खरीद केंद्रीय रूप से की जाती है। अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान, सीपीडी द्वारा ₹8,459.56 करोड़ मूल्य के कुल 439 खरीद आदेश दिए गए। सीएएटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक चयन के आधार पर, ₹6,405.20 करोड़ मूल्य के 106 खरीद आदेश (77 निविदाएं) समीक्षा के लिए चुने गए।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान केंद्रीय रूप से सामग्रियों की पारदर्शी, आर्थिक, कुशल एवं प्रभावी खरीद के लिए योजना एवं खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की। लेखापरीक्षा ने निर्धारित समयसीमा के अभाव के कारण कार्य केंद्रों द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत करने में एवं खरीद एवं मूल्यांकन (पी एंड ई) अनुभाग द्वारा खरीद मांगों के समेकन में विलंब पाया, जिसके परिणामस्वरूप क्रय चक्र बाधित हुआ एवं आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आवश्यकता मूल्यांकन में कमजोरियां मांग (इन्वेंट्री) प्रबंधन के मुद्दों से भी स्पष्ट थीं, जिसमें लंबी धारण अवधि, अचल इन्वेंट्री का संचय, आर्थिक पुनःआदेश मात्रा जांच का अभाव एवं पहले आना पहले जाना के सिद्धांत को न अपनाना सम्मिलित था। लंबी अवधि तक अप्रयुक्त पड़ी सामग्रियों एवं आवश्यकताओं को बार-बार निरस्त किया जाना, दोनों ही उच्च लागत और अक्षमताओं में वृद्धि का कारण बने।

अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान, चयनित 77 निविदाओं (106 पीओ) में अनुमान एवं वास्तविक लागत के बीच अंतर (-) 49.25 प्रतिशत एवं (+) 137.63 प्रतिशत के बीच था। 31 दिसंबर 2024 तक ड्रिल पाइप, आवरण (केसिंग) एवं ट्यूबिंग की ₹266.58 करोड़ की (मांग) इन्वेंट्री थी, जो नौ महीने के मानदंडों से परे थी। रूकी हुई इन्वेंट्री ₹63.04 करोड़ से बढ़कर ₹180.93 करोड़ हो गई थी। स्टॉक महीनों के अनुचित वर्गीकरण एवं खरीद को छोड़ने के कारण, चालू वर्ष से संबंधित खरीद अगले खरीद चक्र/निविदा में करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप ₹14.92 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। समीक्षाधीन कुल 106 पीओ में से, 50 पीओ के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 2 से 114 दिनों के विलंब से जमा की गई, हालाँकि, कंपनी द्वारा पीबीजी जमा करने में विलंब के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपरोक्त के अलावा, लेखापरीक्षा ने अपर्याप्त विक्रेता प्रबंधन प्रणालियों, विक्रेता मूल्यांकन एवं विकास आदेश निष्पादन में कमियों, साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला-स्वामित्व वाले एमएसई के लिए वैधानिक खरीद लक्ष्यों को पूरा करने में अननुपालन को भी देखा, जो कमजोर निगरानी एवं उत्तरदायित्व तंत्र को दर्शाता है।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- कंपनी लागत अनुमान के लिए एक स्पष्ट कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं स्थापना करे। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों, परियोजनाओं एवं सेवाओं को कवर करने वाले क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश विकसित किए जाएं ताकि प्रक्रियाओं में भिन्नताओं, कमियों एवं अपर्याप्त बाज़ार विश्लेषण को दूर किया जा सके।
- कार्य केन्द्रों पर चार वर्ष से अधिक समय से पड़ी निष्क्रिय इन्वेंट्री को अन्य कार्य केन्द्रों पर ले जाना/स्थानांतरित करना सुनिश्चित करना, जहां इसकी आवश्यकता हो, ताकि इन्वेंट्री धारण अवधि एवं अ-स्थानांतरित इन्वेंट्री को कम किया जा सके।
- ओएनजीसी आईएमएम मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार विक्रेता मूल्यांकन के लिए तंत्र विकसित करे एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने के लिए विक्रेता प्रदर्शन मेट्रिक्स का मूल्यांकन करे।

(पैरा 2.4)

दामोदर घाटी निगम में पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण

दामोदर घाटी के विकास के लिए 1948 में स्थापित दामोदर घाटी निगम (निगम) झारखंड के ग्यारह एवं पश्चिम बंगाल के छः जिलों को शामिल करते हुए 24,235 वर्ग किलोमीटर के सिंचाई क्षेत्र (कमांड क्षेत्र) में कार्य करता है। मार्च 2025 तक, निगम के छः स्थानों पर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र थे जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6,540 मेगावाट (एमडब्ल्यू) थी एवं तीन स्थानों पर पनबिजली उत्पादन केंद्र थे जिनकी कुल स्थापित क्षमता 147.2 मेगावाट थी। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान बिजली संयंत्रों/स्टेशनों में पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा की। निगम द्वारा सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन की भी समीक्षा की गई।

निगम, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदूषकों, जैसे कणिका तत्व (पार्टिकुलेट मैटर) एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, के उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए दी गई समय-सीमा का पालन नहीं कर सका। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के दौरान निगम द्वारा लिगेसी राख की निकासी की स्थिति खराब रही। तीन ताप विद्युत संयंत्रों में राख तालाबों (ऐश पॉड) की सीमित क्षमता, तालाब राख (ऐश पॉड) प्रबंधन की कमी एवं छह ताप विद्युत संयंत्रों तथा एक जल विद्युत स्टेशन में अपर्याप्त निपटान व्यवस्था के कारण खतरनाक अपशिष्टों के संचय ने आसपास के पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दिया। निगम के ताप विद्युत संयंत्रों में अनुपचारित अपशिष्ट एवं एसटीपी/ईटीपी की अनुपस्थिति/ स्थापना में विलंब ने पर्यावरणीय समस्याओं को और बढ़ा दिया।

पुरानी जलविद्युत इकाइयों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्य नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में हानि हुई। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, वैधानिक स्वीकृतियों एवं कार्यों के आवंटन में विलंब के कारण सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति धीमी रही। परिणामस्वरूप, निगम वर्ष 2016-25 के दौरान किसी भी वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका एवं उसे ₹1,305.48 करोड़ मूल्य के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र खरीदने पड़े।

(पैरा 3.1)

कामेंग जलविद्युत परियोजना का निर्माण एवं संचालन

देश में बिजलीघरों की योजना, जाँच, रूप-रेखा, निर्माण, उत्पादन, संचालन एवं रखरखाव के लिए 2 अप्रैल 1976 को स्थापित नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) कामेंग जलविद्युत प्रोजेक्ट (परियोजना) चला रही है, जो फरवरी 2021 तक पूरी तरह से चालू हो गई थी। लेखापरीक्षा ने परियोजना की योजना एवं कार्यान्वयन की समीक्षा की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यस्थल मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, परियोजना नियोजन एवं परियोजना निष्पादन में कमियों के कारण:

- परियोजना को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (1982) तैयार होने के चालीस वर्ष बाद चालू किया जा सका, जिससे परियोजना लागत भी ₹2,496.90 करोड़ से बढ़कर ₹8,404.47 करोड़ हो गई।
- कंपनी को सिविल अनुबंधों में प्रदान की गई ₹1.19 करोड़ की राशि के मुकाबले ₹426.01 करोड़ की अतिरिक्त लीड राशि का भुगतान करना पड़ा।
- जल निर्गम मार्ग (पेनस्टॉक्स) में रिसाव (मार्च 2018) के कारण कंपनी को जल निर्गम मार्ग (पेनस्टॉक्स) की मरम्मत पर ₹ 20.16 करोड़ की परिहार्य लागत, तीन वर्षों के विलंब की अवधि के लिए ₹ 124.43 करोड़ का निष्फल पारेषण शुल्क वहन करना पड़ा, इसके अलावा अप्रैल 2018 से जनवरी 2021 के दौरान ₹3,463.03 करोड़ मूल्य की 8,658 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन के अवसर की हानि हुई।

बिचोम बांध पर रोधन कुंड (प्लंज पूल) का निर्माण न होने के कारण बांध के पास नदी के दोनों किनारों पर ढलानों को नुकसान पहुंचा एवं नदी तल का कटाव हुआ।

(पैरा 3.2)

समूह: उद्योग

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पहले अग्रिम राशि की वसूली न होने के कारण ₹6.58 करोड़ की अपूरणीय हानि

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ (आईएलपी) ने अपने 363 कर्मचारियों को वेतन संशोधन लाभों के समक्ष वसूली हेतु अग्रिम राशि के रूप में ₹7.58 करोड़ दिए थे। ₹7.58 करोड़ में से, आईएलपी इन कर्मचारियों से उनकी सेवानिवृत्ति पर केवल ₹1.00 करोड़ की ही

वसूली कर सका। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पहले अग्रिम राशि वसूलने के लिए सक्षम शर्तें शामिल करने में आईएलपी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.58 करोड़ की अपूरणीय हानि हुई।

(पैरा 4.1)

कच्चा माल सहायक योजना

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड की स्थापना (फरवरी 1955) भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता, परामर्श, सहायता, वित्तपोषण, संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से की गई थी। आवश्यक कच्चे माल एवं अन्य इनपुट प्राप्त करने में एमएसएमई की सहायता के लिए, एनएसआईसी ने बैंक गारंटी (बीजी) के समक्ष कच्चा माल सहायता (आरएमए) योजना के अंतर्गत ऋण सहायता प्रदान की। यह योजना कंपनी के राजस्व में 90 प्रतिशत तक का योगदान दे रही थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई की व्याप्ति (कवरेज) उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत कुल एमएसएमई (31 मार्च 2022 तक 80.08 लाख) की मात्र 0.05 प्रतिशत (4,316 एमएसएमई) थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एनएसआईसी केवल उन्हीं एमएसएमई को सहायता प्रदान करता था जो बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में सक्षम थे। इसके अलावा, एमएसएमई/बैंकों के लिए एनएसआईसी द्वारा निर्धारित बैंक गारंटी प्रारूप में ऐसा कोई खंड नहीं था जो लागू बैंक गारंटी के समक्ष भुगतान जारी करने में विलंब की स्थिति में बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक को ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य करता हो, जिसके कारण एनएसआईसी ऐसे विलंब की स्थिति में बैंकों से ब्याज वसूलने में असमर्थ था।

यह भी देखा गया कि एनएसआईसी हेतु कम ब्याज दर (ब्याज) का लाभ एमएसएमई को प्रभावी ढंग से नहीं प्रदान किया गया। एनएसआईसी की उधारी लागत 7.97 प्रतिशत प्रति वर्ष (अप्रैल 2018) से घटकर 4.00 प्रतिशत प्रति वर्ष (मार्च 2022) हो गई, जबकि योजना के अंतर्गत एनएसआईसी की उधार दरें केवल 11 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत रह गईं, जिसके कारण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या में कमी आई।

इस प्रकार, योजना की वर्तमान संरचना एमएसएमई की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करती थी एवं एनएसआईसी को एमएसएमई की आवश्यकताओं के मद्देनजर योजना की समीक्षा एवं पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- 1) एनएसआईसी एमएसएमई की सामर्थ्य बढ़ाने तथा योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए योजना के अंतर्गत ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करे।
- 2) एनएसआईसी को कम व्याप्ति (कवरेज) के कारणों की पहचान करनी होगी एवं योजना की व्याप्ति(कवरेज) बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी। एनएसआईसी एमएसएमई की ज़रूरतों का निर्धारण करने के लिए उनके बीच एक सर्वेक्षण कराने पर भी विचार करे।
- 3) एनएसआईसी एक ऐसी प्रणाली विकसित करे जिससे बैंक गारंटी के अनुरोध की तिथि से लेकर इसकी प्राप्ति की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज वसूल किया जा सके।

(पैरा 5.1)

सेल के चंद्रपुर फ़ैरो अलॉय संयंत्र का प्रदर्शन

चंद्रपुर फ़ैरो अलॉय संयंत्र (सीएफपी) सेल के इस्पात संयंत्रों को सिलिको मैंगनीज एवं फ़ैरो मैंगनीज के उत्पादन एवं आपूर्ति में लगा हुआ है। सीएफपी की उत्पादन क्षमता 1.9 लाख टन प्रति वर्ष फ़ैरो मैंगनीज या 1.3 लाख टन प्रति वर्ष सिलिको मैंगनीज की है।

सिलिको मैंगनीज की आवश्यकता थी, फिर भी प्रबंधन द्वारा इसके उत्पादन का लक्ष्य सीएफपी की उत्पादन क्षमता से कम रखा गया था। इसके अलावा, सिलिको मैंगनीज का उत्पादन वार्षिक व्यावसायिक योजना में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से भी कम सबमजर्ड आर्क फर्नेस-III की निर्धारित क्षमता से 2.33 लाख टन एवं एसएएफ-III के वार्षिक व्यावसायिक योजना लक्ष्य से 1.79 लाख टन सिलिको मैंगनीज के उत्पादन में संभावित कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2017 से मार्च 2024 तक ₹100.97 करोड़ का संभावित योगदान कम हुआ ।

सीएफपी को 2017-24 के दौरान इस्पात संयंत्रों से आवश्यक मात्रा का केवल 56 प्रतिशत से 97 प्रतिशत कोक प्राप्त हुआ। कोक की कमी के कारण 0.39 लाख टन सिलिको मैंगनीज का कम उत्पादन हुआ एवं ₹13.54 करोड़ का संभावित योगदान कम हुआ। सीएफपी ने मुख्य उत्पाद और छोटे उत्पादों के अंतर मूल्य को ध्यान में रखते हुए 2017-24 के दौरान मानदंडों से 0.75 लाख टन अधिक छोटे उत्पाद के उत्पादन के विरुद्ध ₹198.88 करोड़ की संभावित राजस्व राशि अर्जित करने का अवसर खो दिया। 2017-24 (2019-20 को छोड़कर) के दौरान एमओआईएल से खरीदे गए मैंगनीज अयस्क में 0.11 लाख टन कम मैंगनीज सामग्री के कारण सीएफपी को ₹36.10 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

वर्ष 2017-24 के दौरान सबमजर्ड आर्क फर्नेस की व्यवहार्यता प्रतिवेदन में परिकल्पित मानक से ₹230.24 करोड़ मूल्य के 1.03 लाख टन कोक की अधिक खपत हुई।

गैस क्लीनिंग संयंत्र के गाद के जमा होने एवं सबमजर्ड आर्क फर्नेस-1 एवं II में गैस अपसारक/फ्लेयरिंग प्रणाली न लगाने से पर्यावरणीय खतरे पैदा हुए। पाँच साल पहले परिकल्पित ब्रिकेटिंग संयंत्र की परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई थी, जिसके कारण ठोस अपशिष्ट पदार्थ जमा हो गए, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारणों को दूर करने के लिए प्रयास करें, जैसे कि एसएएफ-III की रूप-रेखा संबंधी कमियां, पूंजीगत मरम्मत का समय पर पूरा होना तथा भविष्य में सिलिको मैंगनीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोक की खरीद के विकल्प तलाशना।
- कंपनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान अयस्क में मैंगनीज की मात्रा के आधार पर किया जाए, जो कि उसकी अपनी प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण में प्रमाणित है।
- कंपनी यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में वायु की गुणवत्ता में गिरावट या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उसके सभी सबमजर्ड आर्क फर्नेस से निकलने वाली गैसों को जलाने के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(पैरा 6.1)

कोक ओवन बैटरी की कोल्ड रिपेयर पर निष्फल व्यय

सेल के इस्को इस्पात संयंत्र ने कोक ओवन बैटरी की कोल्ड रिपेयर पर ₹28.95 करोड़ खर्च किए #8 (सीओबी #8)। सीओबी #8 की मरम्मत एवं प्रीहीटिंग का काम पूरा हो गया (अक्टूबर 2013), लेकिन सीमित उपयोग एवं कोक की कम मांग के कारण बैटरी को चालू करने के काम को रोक दिया गया था। सीओबी #8 को केवल इसके उप-उत्पाद संयंत्र के उचित कामकाज के साथ ही संचालित किया जा सकता था। इसके बावजूद, सीओबी #8 के उप-उत्पाद संयंत्र की स्थिति बेहद असंतोषजनक थी एवं यह सेवा में नहीं था। प्रबंधन अपने अन्य कोक ओवन बैटरियों से कोक की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम था। सीओबी #8 को इसके कोल्ड रिपेयर के बाद चालू नहीं किया जा सका एवं बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से (अगस्त 2019) बंद कर दिया गया एवं फरवरी 2021 में इसका निपटान कर दिया गया। इस प्रकार, अपर्याप्त योजना एवं उप-उत्पाद संयंत्र के साथ सीओबी#8 की मरम्मत की आवश्यकता एवं व्यवहार्यता का निर्धारण करने में असमर्थता के कारण बैटरी की कोल्ड रिपेयर के लिए ₹18.58 करोड़ (₹28.95 करोड़ - सीओबी की बिक्री से प्राप्त ₹10.37 करोड़) का निष्फल व्यय हुआ। यह अनुशंसा की गई थी कि प्रबंधन भविष्य में ऐसे निष्फल व्यय की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रमुख मरम्मत या पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को शुरू करने से पहले तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय अनुपालन, परिचालन मांग पूर्वानुमान एवं सभी परस्पर निर्भर प्रणालियों की स्थिति सहित एक व्यापक व्यवहार्यता का निर्धारण करे।

(पैरा 6.2)

समूह: बुनियादी

गुजरात एवं महाराष्ट्र में टोल संचालन

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अधिनियम 1988 के अंतर्गत स्थापित एनएचएआई 1995 से कार्यरत है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। लागत वसूलने हेतु निर्माण के बाद टोल लगाया जाता है—या तो एनएचएआई द्वारा एजेंसियों (सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं) के माध्यम से या बनाओ- संचालित करो-हस्तांतरित करो टोल/टोल वसूलो -अनुरक्षण करो - हस्तांतरित करो मॉडल के अंतर्गत निजी भागीदारों द्वारा एकत्र किया जाता है। लेखापरीक्षा में 13 परियोजना कार्यान्वयन

इकाइयों (पीआईयू) के अंतर्गत गुजरात एवं महाराष्ट्र के 24 टोल प्लाजा को शामिल किया गया, जो टोल संग्रह एवं राजमार्ग सुविधाओं पर केंद्रित थे। अप्रैल 2020 से मार्च 2023 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 24 टोल प्लाजा से कुल टोल संग्रह ₹5,290.78 करोड़ था। टोल संग्रह राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 एवं इसके संशोधनों द्वारा विनियमित होता है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों एवं एनएचएआई के नीति परिपत्रों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप एनएचएआई को ₹9.60 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। कुछ सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा में असामान्य रूप से उच्च मानवीय रियायत दिए जाते हुए पाया गया। एनएचएआई ने दो टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों को अनियमित रियायतें देना जारी रखा था, जिनकी लेखापरीक्षा की गई। एनएचएआई के प्रासंगिक प्रावधानों में टोल को 40 प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता थी, जबकि एनएचएआई ने रियायत अवधि समाप्त होने के बाद टोल संग्रह का कार्यभार संभाला, जिसका अनुपालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क उपयोगकर्ताओं पर ₹180.44 करोड़ का अनुचित वित्तीय बोझ पड़ा। ओवरलोड वाहनों से शुल्क वसूलने से संबंधित प्रावधानों का सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा में अनुपालन नहीं किया गया। रियायतग्राहियों से दोगुना टोल वसूलने एवं उसे केन्द्र सरकार को भेजने में विलंब देखा गया।

एक रियायतग्राही को निपटान भुगतान में विलंब के परिणामस्वरूप एनएचएआई को ₹9.68 करोड़ के टोल राजस्व का नुकसान हुआ। लेखापरीक्षित सभी पाँच बीओटी परियोजनाओं में रियायत अवधि में संशोधन के निर्धारण हेतु यातायात सर्वेक्षण पर बीओटी अनुबंधों के प्रावधानों का पालन करने में विफलता देखी गई।

एनएचएआई को टोल निगरानी एवं नियंत्रण केंद्र (टीएमसीसी) डैशबोर्ड का उपयोग सुनिश्चित करके, रियायतग्राहियों एवं टोल संग्रह एजेंसियों (टीसीए) की टोल संग्रह प्रतिवेदनों की टीएमएस एवं अधिग्रहणकर्ता बैंक में संबंधित जानकारी के साथ क्रॉस-चेकिंग करके टोल संचालन में अपने आंतरिक नियंत्रण में सुधार करने की आवश्यकता है। एनएचएआई को विभिन्न सिस्टम इंटीग्रेटर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) का मानकीकरण करने की आवश्यकता है ताकि आंकड़ा-स्थानांतरण आदि की चुनौतियों से बचा जा सके। सड़क उपयोगकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपर्याप्त सुविधाओं पर चिंता व्यक्त की है।

पैरा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/ एनएचएआई यह सुनिश्चित करे कि परियोजना पूरी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर टोल संग्रह शुरू हो जाए।
- एनएचएआई/ सड़क परिवहन मंत्रालय बाध्यकारी स्थितियों से निपटने के लिए एक ढांचा स्थापित करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दी गई रियायतें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हों।
- एनएचएआई एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि टोल की वसूली केवल एनएच शुल्क नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार लागू दरों के अनुसार ही की जाए।
- एनएचएआई को ओवरलोड वाहनों से टोल वसूली तथा वाहन को एनएच पर आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले अतिरिक्त भार को उतारने से संबंधित एनएच शुल्क नियम 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- एनएचएआई रियायत समझौतों के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता रियायतग्राहियों के विरुद्ध कार्रवाई करे, ताकि दोगुना टोल बकाया वसूला जा सके एवं उसे तुरंत भारत की समेकित निधि में जमा किया जा सके।
- एनएचएआई यह सुनिश्चित करे कि रियायत समझौतों में उल्लिखित यातायात सर्वेक्षण विधियों का पालन करते हुए निर्दिष्ट तिथियों पर यातायात सर्वेक्षण किया जाए।
- एनएचएआई, अपनी सहयोगी कंपनी आईएचएमसीएल के साथ मिलकर, विभिन्न सिस्टम एकीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए टोल प्रबंधन प्रणाली का मानकीकरण करे। इसके अलावा, टोल आंकड़ों की सुरक्षा एवं नियंत्रण भारतीय एनएचएआई के पास होना चाहिए ताकि उसके वित्तीय हितों की रक्षा हो सके एवं आंकड़ों की अखंडता बनी रहे।
- मंत्रालय/ एनएचएआई सड़क उपयोगकर्ताओं से प्रतिपुष्टि एकत्र करने के लिए एक संरचित तंत्र स्थापित करे, प्राप्त इनपुट का व्यवस्थित निर्धारण करे, तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए उचित उपचारात्मक उपाय शुरू करे।

(पैरा 7.1)

सड़क उपयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ एवं टोल संचालकों को अनुचित लाभ

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के अनुसार स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड के उपयोग के लिए सड़क उपयोगकर्ता पर शुल्क लगाता है। नियम 5 एनएचएआई को थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल से प्रभावी दर को संशोधित करने की अनुमति देता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार (ओईए) का कार्यालय थोक मूल्य सूचकांक प्रकाशित करता है। एनएचएआई मार्च 2017 तक उपयोगकर्ता शुल्क संशोधन एवं मूल्य परिवर्तन सूत्र के लिए 2004-05 श्रृंखला के डब्ल्यूपीआई-सभी वस्तुओं का उपयोग कर रहा था। हालांकि एनएचएआई (पीआईयू/हजारीबाग) ने सड़क उपयोगकर्ताओं से टोल संचालकों द्वारा वसूले जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क की गणना के लिए ओईए द्वारा प्रकाशित 1.561 लिंकिंग कारक के बजाय 1.641 के उच्च लिंकिंग फैक्टर का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप 2021-25 के दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा एवं टोल ऑपरेटरों को ₹ 19.66 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि वे ओईए की वेबसाइट पर प्रकाशित 1.561 के लिंकिंग फैक्टर पर विचार कर रहे हैं, जिसे एनएचएआई में उपयोगकर्ता शुल्क संशोधन के साथ-साथ एनएचएआई के सभी अनुबंधों के लिए भी अपनाया जाएगा।

(पैरा 7.2)

समय से पूर्व काम पूर्ण करने पर बोनस का अनियमित भुगतान

एनएचएआई ने इस खंड के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया एवं इसे वाणिज्यिक संचालन के लिए उपयुक्त घोषित किया तथा सुरक्षा सलाहकार द्वारा अपने सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उजागर की गई टिप्पणियों के अनुपालन में कार्य पूरा किए बिना ही टोल लगाना शुरू कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही को ₹8.13 करोड़ के बोनस का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैरा 7.3)

अध्याय I: कोयला मंत्रालय

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

1.1 वन विनियमों के उल्लंघन के कारण ₹21.22 करोड़ का परिहार्य व्यय

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व अनुमति/अनुमोदन प्राप्त किए बिना, वन भूमि का वन से इतर उद्देश्यों (खनन गतिविधियों) के लिए डाईवर्ट कर दिया, जिससे न केवल वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी अनुपालन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, सीसीएल को ₹21.22 करोड़ का परिहार्य व्यय उठाना पड़ा।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) कोयला खनन गतिविधियों में संलग्न है, जिन्हें संबंधित अधिनियमों एवं विधियों के अंतर्गत निर्धारित वन नियमों के अनुरूप किया जाना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुपालन में वन स्वीकृति (एफसी) प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया (दिसंबर 1996) कि किसी भी "वन" के क्षेत्र में किसी भी गैर-वनीय गतिविधि के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है एवं देश भर में किसी भी राज्य में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी जंगल के भीतर चल रही सभी गतिविधियाँ, तुरंत बंद होनी चाहिए। एमओईएफ एवं सीसी ने स्पष्ट किया (दिसंबर 2007) कि जंगल झाड़ीदार भूमि एक प्रकार की वन भूमि है, जिस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं। इस प्रकार, जंगल झाड़ीदार भूमि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए एमओईएफ एवं सीसी से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से आवश्यक था। अधिनियम की धारा 2 (ii) में यह भी कहा गया है कि किसी भी गैर-वनीय उद्देश्य के लिए वन भूमि के डाईवर्जन के सभी प्रस्ताव, चाहे इसका स्वामित्व किसी का भी हो, हेतु, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। ऐसे उल्लंघन को नियमित करने के लिए जुर्माने के भुगतान के साथ पूर्वव्यापी अनुमोदन का भी प्रावधान है।

मगध, झारखंड राज्य में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की एक खनन परियोजना है, जिसके लिए जून 2001 केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी एवं उसके बाद सीसीएल को भूमि पर अधिकार प्रदान किए गए थे। मगध परियोजना की खनन भूमि दो प्रकार की है, वन भूमि (जंगल झाड़ीदार भूमि सम्मिलित है) एवं वन से इतर भूमि। मगध की परियोजना प्रतिवेदन 2008 में स्वीकृत हुई थी एवं फरवरी 2015 में 12 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीवाई) की क्षमता के साथ खनन शुरू हुआ था। परियोजना की क्षमता को बढ़ाकर 20 एमटीवाई करने का प्रस्ताव (जनवरी 2019) किया गया था। तदनुसार, सीसीएल ने खनन प्रयोजनों हेतु 135.07 हेक्टेयर जंगल झाड़ीदार सहित 192.36 हेक्टेयर वन भूमि के डाईवर्जन की मंजूरी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव (मार्च 2021) की शुरुआत की।

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि प्रस्तावित डाईवर्जन की वैधता की जांच हेतु निरीक्षण (2023) करते समय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पाया कि 34.54 हेक्टेयर जंगल झाड़ीदार भूमि सितंबर 2015 से ही सीसीएल द्वारा खनन उद्देश्यों के लिए उपयोग में थी, जो 2021 तक बिना किसी अपेक्षित अनुमोदन के जारी रही। अभिलेखों से यह भी पता चला कि झारखंड के राजस्व विभाग ने मगध परियोजना की भूमि की प्रकृति/प्रकार का विवरण प्रदान करते हुए, भूमि अभिलेखों की प्रतियाँ सीसीएल (2015-16) को भी साझा कीं, जिसमें भूखंड को जंगल झाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, सीसीएल द्वारा इस तरह के डाईवर्जन हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई पहल नहीं की गई।

इसके अनुसार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डाईवर्जन प्रस्ताव को मंजूरी देते समय (मई 2024), 34.54 हेक्टेयर वन भूमि पर, बिना प्राधिकारियों की मंजूरी के, खनन गतिविधियों हेतु कार्योत्तर मंजूरी देने के लिए ₹21.22 करोड़¹ (सामान्य एनपीवी से पाँच गुना ज़्यादा) का जुर्माना लगाया। यह राशि सीसीएल द्वारा दिसंबर 2024 में चुकाई गई।

लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में लाया गया कि बिना पूर्व अनुमति के वन भूमि को गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए डाईवर्जन करने से न केवल वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों

¹ 34.54 हेक्टेयर x ₹12,28,590 प्रति हेक्टेयर x 5 गुना = ₹21.22 करोड़ दंडात्मक एन.पी.वी.

का उल्लंघन हुआ, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी पालन नहीं हुआ। इसके अलावा, सीसीएल को ₹21.22 करोड़ का परिहार्य व्यय भी करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया कि (अगस्त 2025):

- मगध परियोजना हेतु भूमि, जिसमें संबंधित भूखंड अर्थात 34.54 हेक्टेयर झुग्गी-झोपड़ी भूमि सम्मिलित है, जून 2001 एवं फरवरी 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत सीसीएल को हस्तांतरित कर दी गई थी। हालाँकि, सीसीएल ने मुआवज़ा एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ प्रदान करने हेतु भूमि की प्रकृति जानने हेतु भूमि के सत्यापन हेतु राज्य सरकार के प्राधिकारियों से मार्च 2021 में संपर्क किया। राज्य सरकार ने भूखंडों हेतु प्रमाणीकरण प्रदान किया। इस प्रकार, जिन रैयत (अर्थात काश्तकारों) के नाम पर प्रमाणीकरण किया गया था, वे भूमि का उपयोग खेती एवं अन्य आजीविका के उद्देश्य से करते रहे हैं। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त झुग्गी-झोपड़ी भूमि का लंबे समय से गैर-वनीय उपयोग किया जा रहा था।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (दिनांक 07 मई 1985) में कहा गया है कि खनन कार्य शुरू करने की अनुमति देते समय, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 का अनुपालन किया जाना चाहिए, अधिनियम के लागू होने से पहले विच्छेदित या साफ किए गए वन क्षेत्र में खनन कार्य करने के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।
- यद्यपि भूमि पर खनन के कारण दंडात्मक एनपीवी के रूप में ₹21.22 करोड़ का भुगतान किया गया, तथापि, इसने राष्ट्रीय कोयला उत्पादन में 13.31 लाख टन कोयले का योगदान दिया एवं 2015-16 से 2020-21 के दौरान ₹319.62 करोड़ के ब्याज लाभ के साथ ₹1,699.52 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (दिसंबर 1996) में कहा था कि वन क्षेत्र में किसी भी गैर-वनीय गतिविधि हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, किसी भी गैर-

वनीय उद्देश्य के लिए वन भूमि के उपयोग के सभी प्रस्तावों, चाहे उनका स्वामित्व किसी भी क्षेत्र का हो, हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

मगध परियोजना हेतु भूमि कंपनी को वर्ष 2001 में ही सौंपी गई थी एवं उस भूमि पर खनन कार्य सितंबर 2015 में शुरू हुआ था। इसलिए, खनन के उद्देश्य से भूमि का उपयोग शुरू करने से पहले, ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सीसीएल का था।

- यह भी विचारणीय है कि सीसीएल ने कभी भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त न करने के लिए की गई दंडात्मक मांग का विरोध नहीं किया।
- यद्यपि राष्ट्रीय कोयला उत्पादन एवं कंपनी के राजस्व में इस कोयला खदान का योगदान संज्ञान में लिया गया, फिर भी कानून के प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए, कंपनी को इन आवश्यकताओं का समुचित पालन करना चाहिए।

इस प्रकार, पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना 34.54 हेक्टेयर वन भूमि का गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, जिसके लिए सीसीएल को ₹21.22 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

मंत्रालय को यह पैरा सितम्बर 2025 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2025)।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

1.2 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में खनन कार्य

1.2.1 परिचय

प्रचुर तापीय कोयला भंडार एवं सामर्थ्य के कारण कोयला देश में बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के सभी देशों में कोयला उत्पादन में चीन के बाद

भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार² ओडिशा राज्य में स्थित है। मार्च 2024 तक भारत में कुल कोयला भंडार 389.42 बिलियन टन (बीटी) है, जिसमें से ओडिशा में भंडार 99.20 (बीटी) होने का अनुमान है, जो देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 25.47 प्रतिशत है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के ओडिशा में दो कोयला क्षेत्र हैं, तालचेर (55.98 बीटी) एवं आईबी वैली (43.22 बीटी)।

1.2.2 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की रूप-रेखा

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को, जो सीआईएल की सात कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों में सम्मिलित है, अप्रैल 1992 में सम्मिलित किया गया था, जिसका मुख्यालय ओडिशा के संबलपुर जिले में है। एमसीएल को मार्च 2007 में मिनीरत्न (श्रेणी-I) का दर्जा दिया गया था। एमसीएल ने 23.14 मिलियन टन (एमटी) कोयले के उत्पादन (1992-93) के साथ अपना परिचालन शुरू किया, जो 31 मार्च 2024 तक 206.10 मीट्रिक टन हो गया है। वर्तमान में, एमसीएल सीआईएल की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनी है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान, देश के कुल कोयला उत्पादन में एमसीएल का योगदान 19.20 प्रतिशत से 21.64 प्रतिशत तक था। 2017-18 से 2023-24 के दौरान एमसीएल द्वारा कोयले का उत्पादन नीचे विस्तार से बताया गया है:

तालिका 1.1: भारत, सीआईएल एवं एमसीएल का वर्ष-वार कोयला उत्पादन

(आंकड़े मीट्रिक टन में)

वर्ष	भारत में कुल कोयला उत्पादन	सीआईएल द्वारा कुल उत्पादन	एमसीएल में कोयले का उत्पादन	देश के कोयला उत्पादन में एमसीएल की भागीदारी (प्रतिशत में)
2017-18	675.40	567.37	143.01	21.17
2018-19	728.72	606.89	144.15	19.78
2019-20	730.87	602.13	140.36	19.20
2020-21	716.08	596.22	148.01	20.67
2021-22	778.21	622.63	168.17	21.61
2022-23	893.19	703.20	193.26	21.64
2023-24	997.23	773.64	206.10	20.67

² कुल कोयला भंडार में मापे गए /पुष्टि किए हुए भंडार (212.21 बीटी), संभावित भंडार (148.72 बीटी) और अनुमानित भंडार (28.49 बीटी) शामिल हैं

1.2.3 कोयले के प्रेषण की रूपरेखा

एमसीएल द्वारा उत्पादित कोयला मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र (67.26 प्रतिशत से 77.32 प्रतिशत) को आपूर्ति किया जाता था, जबकि इस्पात, सीमेंट, उर्वरक एवं स्पंज आयरन क्षेत्र के उपभोक्ता भी एमसीएल से कोयला लेते हैं। 2017-18 से 2023-24 के दौरान कोयले का वर्ष-वार उत्पादन एवं क्षेत्र-वार प्रेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: एमसीएल द्वारा कोयले का वर्ष-वार उत्पादन एवं प्रेषण

वर्ष	एमसीएल द्वारा कुल कोयला उत्पादन	कुल प्रेषण	क्षेत्रवार प्रेषण					
			विद्युत		सीमेंट		अन्य ³	
			(एमटी)	प्रतिशत	(एमटी)	प्रतिशत	(एमटी)	प्रतिशत
2017-18	143.01	138.27	99.27	71.79	0.19	0.14	38.81	28.07
2018-19	144.15	142.31	102.53	72.05	0.22	0.15	39.56	27.80
2019-20	140.36	134.02	92.68	69.15	0.21	0.16	41.13	30.69
2020-21	148.01	146.01	98.20	67.26	0.17	0.12	47.64	32.62
2021-22	168.17	176.16	127.22	72.22	0.09	0.05	48.85	27.73
2022-23	193.26	192.75	149.03	77.32	0.12	0.06	43.60	22.62
2023-24	206.10	199.02	150.17	75.45	0.12	0.06	48.73	24.49

(स्रोत: एमओसी वेबसाइट एवं एमसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि कोयले का उत्पादन 2017-18 के 143.01 एमटी से बढ़कर 2023-24 में 206.10 एमटी हो गया है। प्रेषण भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़कर 2017-18 के 138.27 एमटी से बढ़कर 2023-24 में 199.02 एमटी हो गया है।

1.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं आच्छादन

लेखापरीक्षा ने एमसीएल द्वारा किए गए खनन कार्यों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच करने के लिए 2017-18 से 2021-22 (मार्च 2024 तक) के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा किए गए खनन कार्यों की समीक्षा की। लेखापरीक्षा के लिए एंटी मीटिंग 21 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था जिसमें प्रबंधन को लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदंड एवं क्षेत्र से अवगत कराया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, एमसीएल

³ इसमें एल्युमीनियम एवं इस्पात क्षेत्रों को बिक्री एवं अन्य बिक्री भी सम्मिलित है

के मुख्यालय एवं क्षेत्र/परियोजना कार्यालयों में अभिलेखों की जाँच की गई। समापन मीटिंग 9 अप्रैल, 2025 को आयोजित किया गया था। प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तरों को, जब और जैसे भी प्राप्त हुए, सम्मिलित करने के बाद, उठाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

1.2.5 लेखापरीक्षा अवलोकन

1.2.5.1 क्षमता मूल्यांकन एवं लक्ष्य निर्धारण

एमसीएल ने ओडिशा राज्य के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में फैली खुली खदानों (ओसी) के साथ-साथ भूमिगत खदानों (यूजी) से भी कोयला उत्पादन किया। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) हर साल कोयला उत्पादन एवं अधिभार (ओबी)⁴ हटाने, दोनों के संदर्भ में सभी खदानों की क्षमता का आकलन करता है। कोयला उत्पादन एवं अधिभार हटाने के लक्ष्य निर्धारित करने का आधार मशीनों की क्षमता/उपलब्धता एवं उनकी कार्य स्थितियों, परिवहन सुविधा की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारक होते हैं।

कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले कोयला उत्पादन की मात्रा तय करता है। मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सभी सहायक कंपनियों को कोयला उत्पादन के साथ-साथ अधिभार हटाने के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य/वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रदान करता है।

एमसीएल विभागीय एवं बाह्यश्रोत (आउटसोर्स) माध्यम से कोयला उत्पादन के लिए खनन गतिविधियाँ संचालित करता है, जिसमें अधिभार निष्कासन भी सम्मिलित है। विभागीय प्रणाली में, कोयला उत्पादन एवं अधिभार निष्कासन विभागीय संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है, जबकि बाह्यश्रोत प्रणाली में, ये गतिविधियाँ बाह्यश्रोत ठेकेदारों की मदद से की जाती हैं। 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान कोयला निष्कर्षण की वर्ष-वार क्षमता एवं लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

⁴ खुली खदानों में मिट्टी, पत्थर आदि की परतें हटाने के बाद ही कोयला निकाला जा सकता है। इस मिट्टी और पत्थर आदि को अधिभार के रूप में जाना जाता है।

तालिका 1.3: कोयला निष्कर्षण की क्षमता का आकलन एवं लक्ष्य

(आंकड़े एमटी में)

वर्ष	सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित क्षमता			वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य			कमी प्रतिशत		
	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत
2017-18	173.15	51.29	121.86	150.00	35.36	114.64	13.37	31.06	5.92
2018-19	163.89	56.89	107.00	151.50	41.52	109.98	7.56	27.02	(2.79)
2019-20	191.79	70.62	121.17	160.00	45.02	114.98	16.58	36.25	5.11
2020-21	187.99	57.58	130.41	160.00	43.23	116.77	14.89	24.92	10.46
2021-22	212.14	74.44	137.70	163.00	49.65	113.35	23.16	33.30	17.68
2022-23	256.70	73.10	183.60	176.00	47.49	128.51	31.44	35.03	30.01
2023-24	317.75	59.85	257.90	204.00	39.57	164.43	35.80	33.88	36.24

(स्रोत: एमसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

2017-18 से 2023-24 के दौरान, कोयला उत्पादन लक्ष्य 150 मीट्रिक टन से 204 मीट्रिक टन के मध्य निर्धारित किए गए, जबकि अनुमानित क्षमता 163.89 मीट्रिक टन से 317.75 मीट्रिक टन के मध्य थी। सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित खदान क्षमता की तुलना में कोयला उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य हमेशा कम रहे। इसके अलावा, कोयला उत्पादन के विभागीय एवं बाह्यस्रोत दोनों तरीकों में लक्ष्य निर्धारण में भी कमी देखी गई।

2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान लक्ष्य के अनुरूप अधिभार (ओबी) हटाने की वर्षवार क्षमता नीचे दी गई है:

तालिका 1.4: अधिभार (ओबी) हटाने की क्षमता का आकलन एवं लक्ष्य

(आंकड़े एमसीयूएम में)

वर्ष	सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित क्षमता			वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य			कमी प्रतिशत		
	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत
2017-18	157.42	65.59	91.83	160.00	56.01	103.99	(1.64)	14.61	(13.24)
2018-19	171.21	65.37	105.84	157.00	60.35	96.65	8.30	7.68	8.68
2019-20	206.94	61.42	145.52	160.00	52.62	107.38	22.68	14.33	26.21
2020-21	210.05	54.85	155.20	203.00	45.38	157.62	3.36	17.27	(1.56)
2021-22	226.79	45.29	181.50	200.00	47.68	152.32	11.81	(5.28)	16.08
2022-23	368.43	61.83	306.60	208.00	55.93	152.07	43.54	9.54	50.40
2023-24	383.63	62.32	321.31	278.80	45.86	232.94	27.33	26.41	27.50

(स्रोत: एमसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

अधिभार हटाने का लक्ष्य 157 मिलियन क्यूबिक मीटर से 278.80 मिलियन क्यूबिक मीटर के मध्य रखा गया। सीएमपीडीआईएल द्वारा आंकी गई खदान क्षमता की तुलना में 2017-18 को छोड़कर, अधिभार हटाने के वार्षिक लक्ष्य हमेशा कम रहे। इसके अलावा, विभागीय (2021-22 को छोड़कर) एवं उत्पादन के बाह्यस्त्रोत प्रणाली (2017-18 एवं 2020-21 को छोड़कर) दोनों ही मामलों में लक्ष्य निर्धारण में कमी देखी गई।

2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन के लिए वर्षवार लक्ष्य बनाम उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.5: एमसीएल के कोयला उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि

(आंकड़े एमटी में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य			उपलब्धि			कमी प्रतिशत		
	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत
2017-18	150.00	35.36	114.64	143.06	30.60	112.46	4.63	13.46	1.90
2018-19	151.50	41.52	109.98	144.15	38.54	105.61	4.85	7.18	3.97
2019-20	160.00	45.02	114.98	140.36	33.74	106.62	12.28	25.06	7.27
2020-21	160.00	43.23	116.77	148.02	37.14	110.88	7.49	14.09	5.04
2021-22	163.00	49.65	113.35	168.17	37.44	130.73	(3.17)	24.59	(15.33)
2022-23	176.00	47.49	128.51	193.26	37.69	155.57	(9.81)	20.64	(21.06)
2023-24	204.00	39.57	164.43	206.1	37.01	169.09	(1.03)	6.47	(2.83)

(स्रोत: एमसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

एमसीएल ने समीक्षाधीन अवधि के अंतिम तीन वर्षों में लक्ष्य प्राप्त किए। 2017-18 से 2020-21 तक, चार वर्षों में लक्ष्य पूरे नहीं हुए। एमसीएल किसी भी वर्ष विभागीय प्रणाली के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। विभागीय प्रणाली में लक्ष्यों में कमी 6.47 प्रतिशत से 25.06 प्रतिशत तक रही।

बाह्यस्त्रोत पद्धति से कोयला उत्पादन 2017-18 में 112.46 एमटी से बढ़कर 2023-24 में 169.09 एमटी हो गया। जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, बाह्यस्त्रोत पद्धति से कोयला उत्पादन का प्रदर्शन/उपलब्धि विभागीय प्रदर्शन से बेहतर है।

2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान अधिभार हटाने के लिए वर्ष-वार लक्ष्य बनाम उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.6: ओबी हटाने का लक्ष्य एवं उपलब्धि

(एमसीयूएम में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य			उपलब्धि			कमी प्रतिशत		
	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत	एमसीएल	विभागीय	बाह्य स्रोत
2017-18	160.00	56.01	103.99	138.18	29.41	108.77	13.64	47.49	(4.60)
2018-19	157.00	60.35	96.65	130.00	23.11	106.90	17.20	61.71	(10.61)
2019-20	160.00	52.62	107.38	124.51	19.49	105.03	22.18	62.96	2.19
2020-21	203.00	45.38	157.62	173.15	20.54	152.61	14.70	54.74	3.18
2021-22	200.00	47.68	152.32	206.17	19.89	186.29	(3.08)	58.28	(22.30)
2022-23	208.00	55.93	152.07	245.97	20.17	225.80	(18.25)	63.95	(48.49)
2023-24	278.80	45.86	232.94	276.48	18.28	258.20	0.83	60.13	(10.85)

(स्रोत: एमसीएल द्वारा उपलब्धि कराए गए आंकड़े)

तालिका के विश्लेषण से पता चला कि एमसीएल ने पिछले सात वर्षों में से केवल 2021-22 एवं 2022-23 में ही ओबी हटाने के अपने लक्ष्य हासिल किए। इसके अलावा, समीक्षाधीन किसी भी वर्ष में विभागीय माध्यम से ओबी हटाने के लक्ष्य हासिल नहीं किए गए। जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, बाह्यस्रोत पद्धति द्वारा ओबी हटाने का निष्पादन/ उपलब्धि विभागीय प्रदर्शन से बेहतर है।

क्षमता के आकलन/लक्ष्य निर्धारण बनाम उपलब्धि से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

क) **लक्ष्य निर्धारण हेतु नियमावली:** एमसीएल ने क्षमता आकलन/लक्ष्य निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली निर्धारित करने हेतु कोई नियमावली/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित नहीं की है। साथ ही, क्षमता आकलन/लक्ष्य निर्धारण के दौरान विचार किए जाने वाले कारकों/मापदंडों को भी परिभाषित नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में यह भी संज्ञान में लाया गया कि कोयला मंत्रालय ने वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कोयला उत्पादन एवं अधिभार (ओबी) निष्कासन की मात्रा निर्धारित की। मंत्रालय द्वारा दिए गए लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सीआईएल अपनी सभी सहायक कंपनियों को ये लक्ष्य प्रदान करती है।

नियमावली/मानक संचालन प्रक्रिया के अभाव में, मूल्यांकित क्षमता के साथ तुल्यकालन में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका। साथ ही, विभागीय एवं बाह्यस्त्रोत प्रणाली के मध्य लक्ष्य के पृथक्करण के लिए कोई परिभाषित कारक/पैरामीटर/पद्धति भी नहीं थी। परिणामस्वरूप, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं हो सका।

ख) हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम)

ब्रेकडाउन एचईएमएम वे मशीन हैं जिनके अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) उपलब्ध नहीं थे एवं ऐसी मशीनों की मरम्मत आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी। एमसीएल द्वारा ऐसे एचईएमएम का सर्वेक्षण किया गया है। जाँच से पता चला है कि 401 एचईएमएम में से 38 एचईएमएम एक वर्ष से 22 वर्ष की अवधि तक ब्रेकडाउन स्थिति में थे। हालाँकि, सीएमपीडीआईएल द्वारा क्षमता का आकलन करते समय इन ब्रेकडाउन एचईएमएम को उनकी 100 प्रतिशत क्षमता पर माना गया था। 2023-24 तक अवधिवार विभाजन अवधि इस प्रकार है:

तालिका 1.7: विघटन के अंतर्गत एचईएमएम का अवधि विश्लेषण

क्रमांक	विघटन की अवधि	एचईएमएम
1	एक से दो वर्ष	6
2	दो से तीन वर्ष	1
3	तीन से चार वर्ष	7
4	चार से पांच वर्ष	3
5	पांच वर्ष से 22 वर्ष तक	21

यह भी संज्ञान में लाया गया कि एचईएमएम के ब्रेकडाउन होने के बावजूद, एमसीएल ने इन एचईएमएम का सर्वेक्षण करने में असामान्य समय लिया एवं एमसीएल के तकनीकी विभाग ने आगामी वर्षों के लिए उनकी उपलब्धता का आकलन करने के लिए ऐसी ब्रेकडाउन मशीनों की कोई समीक्षा नहीं की एवं इन मशीनों को क्षमता मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित न करने के बारे में सीएमपीडीआईएल को कभी सूचित नहीं किया।

इस प्रकार, उनकी उपलब्धता के तकनीकी विश्लेषण के बिना क्षमता मूल्यांकन के लिए ऐसे ब्रेकडाउन एचईएमएम पर विचार करने से त्रुटिपूर्ण क्षमता मूल्यांकन हुआ।

ग) सर्वेक्षण में सम्मिलित एचईएमएम में, वे एचईएमएम सम्मिलित हैं जिनका उपयोगी कार्यकाल वर्षों एवं घंटों के संदर्भ में पूरा हो चुका है। इसमें वे मशीनें भी सम्मिलित हैं जो ब्रेकडाउन हो चुकी थीं एवं जिनके अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) उपलब्ध नहीं थे एवं जिनकी मरम्मत आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी।

लेखापरीक्षा के अंतर्गत आच्छादित की गई अवधि के दौरान सर्वेक्षण किए गए एचईएमएम की उत्पादकता तालिका 1.8 में दी गई है:

तालिका 1.8: वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किए गए एचईएमएम की उत्पादकता

उत्पादकता सीमा (प्रतिशत में)							
वर्ष	शून्य	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	कुल
2017-18	11	11	7	10	1	0	40
2018-19	12	10	10	3	2	0	37
2019-20	4	5	10	7	1	1	28
2020-21	3	11	30	25	10	2	81
2021-22	2	3	2	5	1	0	13
2022-23	1	4	0	0	0	0	5
	33	44	59	50	15	3	204

स्रोत: एमसीएल द्वारा दी गई जानकारी

जाँच से पता चला कि एमसीएल के तकनीकी विभाग ने आगामी वर्षों के लिए सर्वेक्षण किए गए एचईएमएम की उत्पादकता का कोई समीक्षा/मूल्यांकन नहीं किया है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सर्वेक्षण किए गए एचईएमएम की वास्तविक उत्पादकता 50 प्रतिशत से कम थी। सर्वेक्षण किए गए 204 एचईएमएम में से 186 एचईएमएम की वास्तविक उत्पादकता 30 प्रतिशत से कम थी। हालाँकि, सर्वेक्षण किए गए एचईएमएम की क्षमता 50 प्रतिशत मानी गई थी। इस प्रकार, बिना किसी समीक्षा के ऐसे सर्वेक्षण किए गए एचईएमएम पर विचार करने के कारण क्षमता का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन हुआ।

घ) खदानों की विभागीय उत्खनन एवं परिवहन क्षमता में अतुल्यकालन/विसंगति: एमसीएल अपने 90 प्रतिशत कोयले के निष्कर्षण के लिए सतही खनिक का उपयोग करता है, जो निकाले गए कोयले के परिवहन के लिए टिपर गाड़ी का उपयोग करता है। शेष निष्कर्षण शवल-डम्पर के संयोजन से किया जाता है, जिसमें निष्कर्षण शवल से किया जाता है एवं कोयले के परिवहन के लिए डम्पर का उपयोग किया

जाता है। तदनुसार, शवल-डम्पर के उपयोग के मामले में, सुचारु संचालन के लिए निष्कर्षण एवं परिवहन क्षमता का तुल्यकालन पूर्वापेक्षित है।

समीक्षा से पता चला कि खदानों में शवल-डंपर के मामले में उत्खनन एवं परिवहन क्षमता में सदैव विसंगति रहती है। परिणामस्वरूप, जहाँ उत्खनन क्षमता परिवहन क्षमता से अधिक थी, वहाँ शवल निष्क्रिय पड़ा रहता है। इसी प्रकार, जहाँ परिवहन क्षमता उत्खनन क्षमता से अधिक थी, वहाँ डंपर निष्क्रिय पड़े रहते हैं। सुचारु खनन कार्यो के लिए खदान की उत्खनन एवं परिवहन क्षमता का तुल्यकालन आवश्यक है। दोनों क्षमताओं में सामंजस्य न होने के कारण क्षमताएँ निष्क्रिय पड़ी रहीं एवं लक्ष्य की स्थापना में त्रुटि हुई।

इस प्रकार, एमसीएल को संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए खदान की उत्खनन एवं परिवहन क्षमता को समन्वित करना चाहिए था।

- ड) **संचालकों की कमी:** खनन गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए एचईएमएम को प्रशिक्षित संचालकों की आवश्यकता पड़ती है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान तैनात सतह खनिक, शवल एवं डम्पर्स के विभागीय संचालकों की स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत कर्मियों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.9: संचालकों की स्वीकृत एवं पदस्थ संख्या

वर्ष	सतह खनिक			शवल			डम्पर		
	स्वीकृत संख्या (संख्या)	वर्तमान संख्या (संख्या)	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत संख्या (संख्या)	वर्तमान संख्या (संख्या)	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत संख्या (संख्या)	वर्तमान संख्या (संख्या)	कमी (प्रतिशत)
2017-18	145	37	74.48	277	240	13.36	1086	949	12.62
2018-19	147	41	72.11	291	227	21.99	1185	914	22.87
2019-20	154	48	68.83	283	217	23.32	1095	914	16.53
2020-21	161	59	63.35	327	237	27.52	1123	890	20.75
2021-22	166	66	60.24	324	233	28.09	1087	873	19.69
2022-23	184	68	63.04	297	235	20.88	1089	838	23.05
2023-24	166	77	53.61	289	228	21.11	1143	819	28.35

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े

एमसीएल में खनन गतिविधियाँ/कोयला निष्कर्षण मुख्यतः सतही खनिक के माध्यम से किया जाता था, जो 90 प्रतिशत से भी अधिक है। हालाँकि, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, सतही खनिक संचालकों की भारी कमी है। इसके अलावा, शवल एवं डंपर संचालकों की भी कमी है। संचालकों की कमी के कारण एचईएमएम मशीनें निष्क्रिय पड़ी रहीं, जिसके परिणामस्वरूप विभागीय स्तर पर उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में कमी आई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने जो बताया वह निम्नलिखित है (अगस्त 2024/मार्च 2025):

- क्षमता मूल्यांकन एवं लक्ष्य निर्धारण के संबंध में, यह बताया गया कि सीएमपीडीआईएल उपलब्ध मशीनों की उत्खनन एवं परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए खदान क्षमता का आकलन करता है। हालाँकि, खदान उत्पादन भूमि की कमी, खदान की भू-खनन स्थितियाँ, उपलब्ध अवसंरचना, पुनर्वास एवं पुनर्वास संबंधी मुद्दे, निकासी सुविधाएँ एवं खदान की क्षमता सहित सामाजिक-राजनीतिक स्थिति जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। उपरोक्त कारकों के आधार पर खदान की क्षमता का आकलन किया जाता है एवं तदनुसार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- क्षमता मूल्यांकन में एचईएमएम के भंजन पर विचार के संबंध में, यह बताया गया कि इस प्रकार के उपकरणों को क्षमता की गणना से बाह्य रखने का कोई प्रावधान नहीं है।
- अतुल्यकालन उत्खनन और परिवहन क्षमता के मध्य समन्वय न होने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए इसने कहा कि उत्खनन या परिवहन क्षमता की अधिकता एचईएमएम के अविश्वसनीय और लंबे समय तक खराब रहने के कारण थी।
- संचालकों की कमी के संबंध में दिए गए उत्तर में कहा गया कि ओवरमैन, खनन सरदार और सर्वेक्षक जैसी वैधानिक श्रेणियों को छोड़कर सभी प्रकार की खुली भर्ती पर प्रतिबंध है। एमसीएल को भूमि खोने वालों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देनी पड़ी। कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देकर एचईएमएम संचालन का कार्य संभालने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मंत्रालय ने आगे कहा (मार्च 2025) कि एमसीएल वर्तमान परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के

लिए स्थायी कर्मचारियों को एचईएमएम संचालकों के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

- कम उपयोग संबंधी तथ्य को स्वीकार करते हुए, यह उल्लेख किया गया कि शवल, डम्पर, डोजर एवं ड्रिल जैसे एचईएमएम का उपयोग कम हुआ है। एमसीएल ने आगे कहा कि शवल एवं डम्पर का कम उपयोग भूमि अधिग्रहण के गंभीर संकट एवं सभी लाभ प्रदान करने के बाद भी ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण हुआ है। उपयोग में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए:

- क्षमता मूल्यांकन के दौरान विचार किए गए ब्रेकडाउन एचईएमएम के संबंध में, सीएमपीडीआईएल को केवल एचईएमएम की विघटन तिथियों के बारे में ही सूचित किया गया था। हालाँकि, एमसीएल के तकनीकी विभाग ने न तो आगामी वर्षों के लिए ऐसी मशीनों की उपलब्धता के संबंध में कोई समीक्षा की एवं न ही एचईएमएम की वास्तविक स्थिति के आधार पर ऐसी मशीनों को सम्मिलित न करने के बारे में सीएमपीडीआईएल को सूचित किया। इसके अलावा, लक्ष्य निर्धारण के संबंध में कोई मानक संचालन प्रक्रिया /नियमावली भी नहीं थी।

कोयला उत्पादन एवं अधिभार हटाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में मूल्यांकित क्षमता के मध्य का अंतर बढ़ गया।

- संचालकों की कमी के संबंध में, यह एक तथ्य है कि संचालकों की लगातार कमी थी, जिससे विभागीय कोयला उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- विभागीय एचईएमएम के निष्क्रिय रहने के संबंध में, यह एक तथ्य है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभागीय एचईएमएम का निष्क्रिय रहना लगातार जारी रहा।
- कोयला उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करते समय, खदान की विभिन्न बाधाओं एवं संभावनाओं का समुचित विश्लेषण किया जाना चाहिए था, जैसे कि खदान की भू-खनन स्थितियाँ, उपलब्ध अवसंरचना, पुनर्वास एवं पुनर्वास संबंधी मुद्दे, निकासी

सुविधाएँ, जैसा कि प्रबंधन ने अपने उत्तरों में उजागर किया है। ये कारक प्रबंधन को भली-भाँति ज्ञात थे।

अनुशंसा संख्या 1: एमसीएल को क्षमता के आकलन एवं लक्ष्य निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाले कार्यप्रणाली एवं कारकों/मापदंडों को निर्धारित करते हुए नियमावली/मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना चाहिए।

1.2.5.2 अनुबंध प्रबंधन

एमसीएल में कोयला उत्पादन मुख्यतः ओसी खनन के माध्यम से किया जाता है जिसमें अधिभार (ओबी) को हटाने के बाद कोयला निकाला जाता है। एमसीएल तीन तरीकों से कोयला उत्पादन करती है:

- क) पूरी तरह से विभागीय प्रणाली
- ख) आंशिक रूप से विभागीय एवं आंशिक रूप से बाह्य-स्रोत प्रणाली
- ग) पूर्णतः बाह्य स्रोत प्रणाली

एचईएमएम सेवाओं को किराए पर लेने के लिए खनन ठेके दिए गए, जिनमें ओबी हटाने एवं कोयला निकालने वाले ठेकेदारों को हटाए गए ओबी एवं निकाले गए कोयले की मात्रा के आधार पर भुगतान किया गया। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, एमसीएल ने ₹94,330 करोड़ मूल्य के 10,452 ठेके⁵ (खनन एवं खनन से इतर दोनों ठेके) दिए।

लेखापरीक्षा ने अनुबंधों से संबंधित अभिलेखों की जांच की एवं निम्नलिखित पाया गया:

क ई-निविदा प्रणाली

निविदाओं की प्राप्ति एवं प्रसंस्करण में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने एवं खरीद चक्र के समय को कम करने के उद्देश्य से, सीआईएल ने (फरवरी 2013) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को नियुक्त किया, जिसने अपनी सभी सहायक कंपनियों के लिए ई-खरीद पोर्टल की रूप-रेखा तैयार की एवं प्रस्तुत किया। सीआईएल एवं उसकी सहायक कंपनियों को पोर्टल के कंटेंट के स्वामित्व और उसका रखरखाव करना था।

⁵ ये मामले या तो आंशिक रूप से विभागीय और आंशिक रूप से बाह्यस्रोत प्रणाली/ मोड या पूरी तरह से बाह्यस्रोत प्रणाली/ मोड में किए जाते हैं

तदनुसार, एमसीएल ने (अप्रैल 2013) ई-खरीद प्रणाली लागू किया। इस पोर्टल ने निविदाकर्ताओं को निविदा अनुसूची डाउनलोड करने एवं पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने में सक्षम बनाया।

ई-खरीद प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, लेखापरीक्षा ने (दिसंबर 2022) एनआईसी से एमसीएल पोर्टल का डेटा डंप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जो जनवरी 2023 में प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा ने "पीजीएडमिन4" (एसक्यूएल⁶ आधारित एप्लिकेशन) के माध्यम से 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए एमसीएल की ई-खरीद प्रणाली से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया, जो एनआईसी द्वारा प्रदान किया गया था एवं निम्नलिखित पाया:

(i) बोलीदाताओं के मध्य आईपी एड्रेस का मिलान

अनुबंध प्रबंधन नियमावली (सीएमएम) की धारा 5 (बोलीदाताओं के लिए निर्देश) के खंड 4 में "प्रति बोलीदाता एक बोली" का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, खंड 4.1 में कहा गया है कि "प्रत्येक बोलीदाता केवल एक ही बोली प्रस्तुत करेगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, या स्वामी के रूप में हो, या साझेदारी फर्म में भागीदार के रूप में हो, या संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में हो, या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी के रूप में हो। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक बोलियाँ प्रस्तुत करता है या उनमें भाग लेता है (उप-ठेकेदार के रूप में या अनुमति प्राप्त या अनुरोधित विकल्पों के अलावा), तो बोलीदाता की भागीदारी वाले सभी प्रस्ताव अयोग्य घोषित कर दिए जाएँगे।"

एमसीएल ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान 10,452 ठेके दिए, जिनमें 42,318 बोलीदाताओं ने भाग लिया। समीक्षा से पता चला कि:

- 2,745 निविदाओं में, जिनमें 17,503 बोलीदाताओं ने भाग लिया, 3,328 मामलों में दो या अधिक बोलीदाताओं के आईपी एड्रेस⁷ समान थे, जिनमें से 7,803 बोलीदाताओं के आईपी एड्रेस समान थे।

⁶ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज

⁷ आईपी एड्रेस एक विशिष्ट पता होता है जो इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है। आईपी का अर्थ है 'इंटरनेट प्रोटोकॉल', जो इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाने वाले डेटा के प्रारूप को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह है।

- 2,745 निविदाओं में से ₹299.54 करोड़ मूल्य की 1,482 निविदाएं उन बोलीदाताओं को प्रदान की गईं जिनके आईपी एड्रेस समान थे, जिनमें से 3,670 बोलीदाता थे।
- इसके अलावा, एक निविदा में दो या अधिक बोलीदाताओं के 27 आईपी एड्रेस सम्मिलित थे, यानी 130 बोलीदाताओं में से 107 प्रतिभागी सम्मिलित थे। जिस बोलीदाता का आईपी पता मेल खाता था, उसे काम आवंटित कर दिया गया।
- ₹39.79 करोड़ मूल्य की 283 निविदाओं के मामले में, सभी बोलीदाताओं⁸ (890 प्रतिभागियों सहित) के आईपी एड्रेस समान थे।
- इनमें से 25 निविदा मामलों के नमूने की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि (i) 21 निविदाओं में, बोलीदाताओं के फोन नंबर भी समान थे, एवं उनमें से एक को काम भी दिया गया था (ii) 19 निविदाओं में, बोलीदाताओं के डाक एड्रेस जिनके आईपी एड्रेस मेल खाते थे, समान थे, एवं उनमें से एक को काम भी दिया गया था (iii) तीन निविदाओं में, तीन बोलीदाता थे एवं सभी सह-संबंधित थे क्योंकि पैन कार्ड से संकेत मिलता था कि वे परिवार का हिस्सा थे, एवं उन्हें काम दिया गया था (iv) दो बोलीदाता सह-संबंधित प्रतीत हुए, भागीदार होने के नाते एवं उन दोनों ने चार निविदाओं में भाग लिया एवं काम केवल उन्हें (30 बोलीदाताओं में से) दिया गया।

(ii) बोलीदाताओं एवं एमसीएल के साथ आईपी एड्रेस का मिलान

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीईएम पोर्टल के माध्यम से जारी निविदाओं की शर्तों एवं नियमों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया था कि "बोलीदाताओं/विक्रेताओं या क्रेता के साथ मेल खाते/समान आईपी एड्रेस वाली प्राप्त बोलियों को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं आगे के मूल्यांकन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा"। हालाँकि, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के मामले में ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, जिन निविदाओं/मामलों में मेल खाते/समान आईपी एड्रेस वाली बोलियाँ थीं, उन्हें अस्वीकार नहीं किया गया।

आईपी एड्रेस की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि:

- एमसीएल ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से स्टैटिक आईपी एड्रेस⁹ लिया है जिसका उपयोग केवल संबंधित अधिकारी ही कर सकते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस

⁸ न्यूनतम दो से अधिकतम आठ बोलीदाता

किसी अन्य उपयोगकर्ता को आवंटित नहीं किया जा सकता। हालाँकि, यह देखा गया कि 14 निविदाओं में, सात बोलीदाताओं ने निविदा में भाग लेने के लिए एमसीएल को आवंटित स्टैटिक आईपी एड्रेस का उपयोग किया। 14 में से चार मामलों में, निविदा (₹0.61 करोड़ मूल्य की) उस बोलीदाता को प्रदान की गई जिसका पता मेल खाता था।

- लेखापरीक्षा ने समय-चिह्न सहित आँकड़ों का विश्लेषण किया एवं पाया कि 126 निविदाओं में, एमसीएल के आईपी एड्रेस उसी दिन बोलीदाता के आईपी एड्रेस से मेल खा रहे थे। 126 निविदाओं में से, ₹5.22 करोड़ मूल्य की 35 निविदाएँ उन ठेकेदारों को भी प्रदान की गई जिन्होंने एमसीएल अधिकारियों को आवंटित गतिशील आईपी एड्रेस का उपयोग करके उसी दिन निविदा दस्तावेज़ अपलोड किए थे। एक ही दिन के लिए एमसीएल एवं बोलीदाताओं के गतिशील आईपी एड्रेस का एक निश्चित समयावधि में मिलान करने से यह संकेत मिलता है कि बोलीदाता एमसीएल के नेटवर्क का उपयोग कर रहे थे।
- मीडिया एक्सेस कंट्रोल (एमएसी) एक 12 अंकों का हेक्साडेसिमल नंबर है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक उपकरण को दिया जाता है एवं यह नेटवर्क पर किसी उपकरण की पहचान करता है। चूँकि एनईसी के डेटाबेस में कोई एमएसी एड्रेस दर्ज नहीं है, इसलिए लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि अधिकारियों एवं बोलीदाताओं ने एक ही कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था या नहीं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निविदाएँ प्रस्तुत करते समय एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा एक ही नेटवर्क का उपयोग किया गया था (बोलीदाताओं के मध्य आईपी एड्रेस का मिलान)। इसके अलावा, निविदाकर्ता (एमसीएल) एवं बोलीदाताओं के आईपी एड्रेस का मिलान बोली प्रणाली में समझौता होने के जोखिम का संकेत है।

(iii) सत्यापन नियंत्रण का अभाव

एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार, उपयोगकर्ता खाता बनाने एवं एमसीएल के ई-निविदा पोर्टल का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ता को वास्तविक, प्रामाणिक, सच्ची एवं वैध जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

⁹ इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस स्थिर हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ एक जैसा रहता है, या फिर इसका आईपी एड्रेस गतिशील हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह एड्रेस समय के साथ बदल सकता है।

अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- बोलीदाताओं को बोली जमा करते समय स्थायी खाता संख्या (पैन) विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। पैन संबंधी विवरणों की समीक्षा करने पर पाया गया कि 80 निविदाओं में, 93 बोलीदाताओं के पैन विवरण 'TEMPZ9999Z' के रूप में दर्ज किए गए।
- यह भी पाया गया कि 11 निविदाओं में, कई बोलीदाताओं के पैन विवरण 'TEMPZ9999Z' के रूप में दर्ज किए गए।
- चार निविदाओं में, निविदा जमा करते समय कोई पैन विवरण उपलब्ध नहीं था क्योंकि पैन विवरण 'एनयूएलएल' पाए गए।
- 459 मामलों में, यह पाया गया कि ई-निविदा पोर्टल में उपयोग किए गए मोबाइल नंबर 10 अंकों के बजाय सात से 13 अंकों के दर्ज किए गए।

इस प्रकार, बोली प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण का अभाव था जो नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र की कमियों को दर्शाता है।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2024) कि सत्र की शुरुआत में या किसी भी समय विभिन्न समुच्चयों से आईपी उपयोगकर्ताओं को जल्दबाज़ी में आवंटित किए गए। इसलिए, यह पता नहीं लगाया जा सका कि एमसीएल और बोलीदाता बोली लगाने के लिए एक ही पीसी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, बोली प्रणाली की प्रमाणिकता बनाए रखने के लिए, एमसीएल ने एनआईसी से मैक अड्रेस का पता लगाने और एक ही मैक अड्रेस या आईपी रेंज से उत्पन्न कई बोलियों जैसे संदिग्ध पैटर्न/प्रतिरूप का पता लगाने के लिए निगरानी उपकरणों को बढ़ाने का अनुरोध किया। प्रबंधन के विचारों का समर्थन करते हुए, मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2025) कि बोलीदाताओं और एमसीएल अधिकारी के आईपी अड्रेस एक समान होना एक गंभीर चिंता का विषय है जो खरीद प्रक्रिया की प्रमाणिकता को कमजोर करता है इसके अलावा, एमसीएल ने सूचित किया कि उसने आईपी अड्रेस, फोन नंबर और डाक पते के मिलान से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए एक परामर्श जारी किया है (अगस्त 2024), जैसे आईपी अड्रेस के दोहराव की निगरानी, बोली प्रस्तुत करने के दौरान विशिष्ट एवं वैध फोन नंबर प्रदान करना, पैन का प्रति सत्यापन आदि।

मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की कि बोलीदाताओं एवं एमसीएल अधिकारियों के आईपी एड्रेस का एक समान होना एक गंभीर चिंता का विषय है जो खरीद प्रक्रिया की प्रमाणिकता को कमजोर करता है। हालाँकि एमसीएल ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एक परामर्श जारी किया है, मंत्रालय और एमसीएल को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, जैसा कि मंत्रालय ने सुझाव दिया है, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल को मजबूत करने हेतु अतिरिक्त जाँच की जाए। प्रबंधन/मंत्रालय को नियोजित कार्रवाई को पूरा करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

अनुशंसा संख्या 2: ई-निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एमसीएल को एक उचित तंत्र लागू करना चाहिए और सत्यापन नियंत्रण प्रणाली को बेहतर बनाना चाहिए। बोली प्रणाली में किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए आगे की कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से किए जाने की आवश्यकता है।

ख. शर्तों एवं खंडों में संशोधन

खान विकास एवं संचालक माध्यम के तहत—खनन संविदा हेतु मॉडेल संविदा करार (एमसीए) सीआईएल द्वारा स्वीकृत (फरवरी 2020) किया गया। इसके उपरांत, सीआईएल का करार प्रबंधन नियमावली (सीएमएम) -2014/2021 संविदा में मुकीय परिवर्तन के संबंध में निबंधित करता है। सीआईएल के कार्यकारी निदेशक उपर्युक्त कागजातों में परिवर्तन के लिए प्राधिकृत थे। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामले पाए जिसमें सीआईएल के कार्यकारी निदेशक की अनुमति के बिना एमसीएल ने संशोधन किए:

- (i) जुलाई 2020 में सियारमल परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करते समय एमसीएल ने खंडों को परिवर्तित किया जैसे-अनुमति प्राप्त किए बिना उच्च गति डीजल तेल, लुब्रिकेंट्स, आदि के लिए अधिभार कमी सूत्र एवं मूल्य सूचकांक भार।
- (ii) संविदा में मूल्य परिवर्तन के भुगतान के संबंध में सीएमएम ने यह निबंधित किया कि ऐसे मूल्य परिवर्तन के लिए आधार तिथि उस अंतिम तिथि को माना जाए जब बोलियाँ प्राप्त करनी थीं। हालांकि, आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए

बिना एमसीएल ने परिमाण बिल में उल्लिखित तिथि को आधार तिथि मानते हुए एनआईटी में परिवर्तन किया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2024/जनवरी 2025) संशोधन अनुमानों के परिवर्तनीय लागत तत्वों में उनके प्रतिशत हिस्से के आधार पर परियोजना-विशिष्ट प्रावधानों के अनुरूप था।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीआईएल के निर्देशों के अनुसार, केवल सीआईएल के कार्यात्मक निदेशक को ही एमसीए के प्रावधानों में संशोधनों को स्वीकृति देने के लिए अधिकृत किया गया था। हालाँकि, कार्यात्मक निदेशकों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, जो कि सीआईएल के निर्देशों का उल्लंघन है।

1.2.5.3 कोयले की बिक्री के लिए करार

विभिन्न ग्रेडों का कोयला, ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए), ई-नीलामी योजना या समझौता जापन (एमओयू) के माध्यम से, सीआईएल द्वारा निर्धारित अधिसूचित मूल्य के अनुसार उपभोक्ताओं को बेचा गया। एमसीएल कोयले की आपूर्ति के लिए ग्राहकों के साथ एफएसए करता है। ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों तक पहुँच प्रदान करती है, जो कम मात्रा जैसे विभिन्न कारणों से उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपनी कोयला आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। करार जापन अल्पकालिक व्यवस्थाएं हैं जैसे ब्रिज लिंगकिज (एफएसए पर हस्ताक्षर होने तक वैध)।

कोयले की बिक्री के समझौतों से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:

क एसटीसी का कम संग्रह

विक्रेताओं से कोयला उठाने के लिए उपभोक्ताओं से खदानों के खदान स्थल से प्रेषण बिंदु तक परिवहन लागत के रूप में सतही परिवहन लागत (एसटीसी) वसूली जाती थी। एमसीएल द्वारा प्रत्येक छः माह में एसटीसी शुल्क अधिसूचित किए जाते थे। लीड दूरी 20 किलोमीटर से अधिक होने की स्थिति में, एसटीसी शुल्क लीड दूरी के वास्तविक व्यय पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त के आधार पर गणना की जाए।

बसंधरा क्षेत्र की कनिका साइडिंग अपनी दो खदानों, गर्जनबहाल ओसीपी और कुल्दा ओसीपी से 20 किलोमीटर से अधिक दूर थी। तदनुसार, एसटीसी शुल्क वास्तविक परिवहन लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त के आधार पर लागू थे। हालाँकि, अगस्त 2018 से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान, बसंधरा क्षेत्र में ₹6.75 करोड़ की एसटीसी कम वसूली गई।

प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2024) कहा कि एसटीसी का सत्यापन प्रक्रियाधीन है और उपभोक्ताओं से आवश्यक वसूली का आश्वासन दिया। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2025) कि एमसीएल ने संबंधित ग्राहकों से ₹2.47 करोड़ के दावे पहले ही वसूल कर लिए हैं। शेष राशि की वसूली के लिए सत्यापन किया जा रहा है।

ख एफएसए खंडों के अनुसार क्षतिपूर्ति न देना

एमसीएल ने कोयले की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) किए थे। एफएसए में यह प्रावधान था कि उपभोक्ता (उठान न करने पर) या विक्रेता (आपूर्ति न करने पर) से एफएसए में निर्धारित सीमा तक क्षतिपूर्ति लिया/लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी वर्ष वितरण या उठान का स्तर वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू)¹⁰ से कम हो जाता है, तो चूककर्ता पक्ष वितरण या उठान में ऐसी कमी के लिए दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा। एमसीएल कम उठान की घटनाओं के लिए उपभोक्ताओं से क्षतिपूर्ति ले रहा है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। उपभोक्ताओं से लगाए गए और वसूले गए क्षतिपूर्ति से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- एमसीएल ने कोयले की आपूर्ति के लिए तमिलनाडु जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (तीन एफएसए), तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (दो एफएसए) और आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एक एफएसए) के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किए हैं। कोयले के परिवहन के लिए दो प्रकार के रिक (बॉक्स-एन और बीओबीआर-एन) का उपयोग किया जाता है। परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले रिक की क्षमता अलग-अलग होती है। बॉक्स-एन की क्षमता 3894 टन है जबकि

¹⁰ पूर्व-एन.सी.डी.पी. एफ.एस.ए. के अंतर्गत 75 प्रतिशत/90 प्रतिशत

बीओबीआर-एन रेक की क्षमता 3717 टन है। एमसीएल को वर्ष 2020-21 के दौरान बीओबीआर-एन प्रकार के रेक आवंटित किए गए।

- उपरोक्त पांच एफएसए (तमिलनाडु जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दो एफएसए, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दो एफएसए और आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक एफएसए) में, एमसीएल ने उपरोक्त उपभोक्ताओं को बीओबीआर-एन प्रकार के रेक के माध्यम से कोयले की आपूर्ति की। हालांकि, क्षतिपूर्ति की गणना करते समय, एमसीएल ने गलती से बीओबीआर-एन रेक की क्षमता के बजाय बॉक्स-एन रेक की क्षमता पर विचार किया।
- तमिलनाडु जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एफएसए में यह देखा गया कि रेक की अनुचित क्षमता पर विचार करने के कारण एमसीएल ने क्षतिपूर्ति नहीं ली क्योंकि उठाई गई मात्रा की गणना एसीक्यू के 76.72 प्रतिशत (बॉक्स-एन रेक क्षमता के आधार पर) के रूप में की गई, जो कि 73.63 प्रतिशत (वास्तव में उपयोग की गई क्षमता बीओबीआर-एन रेक के आधार पर) होनी चाहिए।

उपरोक्त के कारण ₹12.51 करोड़ की क्षतिपूर्ति की कम वसूली हुई।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2024) बताया कि ₹12.51 करोड़ का क्षतिपूर्ति बिल जारी किया गया है, जिसमें से ग्राहक से ₹12.30 करोड़ वसूल किए गए हैं। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया (जनवरी 2025)।

- माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार (फरवरी 2019), मेसर्स हिंदुजा नेशनल विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएनपीसीएल) को एमसीएल से प्रति माह 100 रेक की दर से कोयला उठाना चाहिए। हालांकि, एचएनपीसीएल ने प्रति माह निर्धारित संख्या में रेक आरक्षित नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप 2018-19 से 2021-22 के दौरान कोयले का कम उठान हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमसीएल ने एफएसए के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति नहीं ली थी।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2024), कहा कि उसने ₹250.53 करोड़ की क्षतिपूर्ति के बिल बनाए हैं (अगस्त 2023)। इसने यह भी कहा (अगस्त 2024) कि

वसूली योग्य राशि में से, जुलाई 2024 तक ₹177.95 करोड़ पहले ही वसूल किए गए थे। मंत्रालय ने (जनवरी 2025) प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया।

अनुशंसा संख्या 3: एमसीएल को करार के प्रावधानों/खंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। विचलन, यदि हो, तो क्षतिपूर्ति समयबद्ध तरीके से आरोपित किया जाए।

ग निकाले गए कोयले का वजन

कोयला मंत्रालय ने निर्देश दिया (12 दिसंबर 2011) कि खदानों से आने वाले कोयले का वजन करने के लिए सभी खदानों के मुख्य द्वारों पर और ग्राहकों को बेचे गए कोयले की मात्रा की जाँच के लिए रेलवे साइडिंग/भंडारयार्ड पर भी वेब्रिज लगाने चाहिए। येलो बुक¹¹ में यह प्रावधान किया गया कि खदान के मुख्य द्वार, भंडारयार्ड, साइडिंग, वाशरी, साइलो जैसे विभिन्न गंतव्यों पर कोयला ले जाने वाले सभी डंपरों/टिपरों का वजन किया जाएगा और उत्पादन की रिपोर्ट तदनुसार दी जानी चाहिए। वेब्रिज के संबंध में एमसीएल की मानक संचालन प्रक्रिया (मानक संचालन प्रक्रिया) (मई 2019) में यह निर्धारित किया गया कि वेब्रिज कोयले के वजन के दोनों छोर (प्रेषण छोर और प्राप्त छोर) पर लगाए जाने चाहिए। अनुबंध प्रबंधन नियमावली (नवंबर 2014/अगस्त 2021) में निर्धारित किया गया है कि कोयले के परिवहन के लिए, टिपिंग ट्रक/डंपर का कोयला लदान और उतारते हुए दोनों छोर पर वजन किया जाएगा, प्रत्येक संविदाकार के संबंध में दोनों छोर पर वजन के आंकड़ों का हर माह मिलान किया जाएगा और यदि उतारने वाले छोर पर प्राप्त कोयले में कोई कमी है, तो कम पाए गए कोयले का मूल्य परिवहन संविदाकार की सुरक्षा जमा राशि से काट लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बसुंधरा क्षेत्र में, परिवहन किए गए कोयले का वजन¹² खनन छोर (प्रेषण छोर) पर किया गया, लेकिन कनिका साइडिंग (प्राप्त छोर) पर एक पंजिका में भौतिक रूप से दर्ज किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि कनिका साइडिंग में वेब्रिज

¹¹ कोयले के भंडार के रखरखाव, नियंत्रण, सत्यापन और माप की एक समान प्रणाली के लिए कोड, कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खदानों में अधिक बोझ हटाने का सत्यापन, जिसे येलो बुक के रूप में जाना जाता है

¹² ओडिशा राज्य सरकार के आई3एमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाले गए खनिज के वजन की निगरानी के लिए

उपलब्ध और कार्यात्मक है। साइडिंग में प्राप्त कोयले के डेटा की विश्वसनीयता के अभाव और उपलब्ध तौल प्रणाली के उपयोग न करने के कारण, लेखापरीक्षा पारगमन में कम हुए कोयले की पुष्टि नहीं कर सकी और परिणामस्वरूप, पारगमन में कम हुए कोयले के दावे के लिए परिवहक से की जाने वाली वसूली की राशि, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2024/मार्च 2025) कि दोनों छोर पर वजन सुनिश्चित करने के लिए नए सड़क वेब्रिज की स्थापना और नई मानक संचालन प्रक्रिया के संचालन (दिसंबर 2023) जैसे सुधारात्मक उपाय किए गए।

घ कोयले का गुणवत्ता मूल्यांकन

कोयला मंत्रालय द्वारा नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) 2007 लागू किए जाने के बाद, विक्रेता और क्रेता दोनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी/उपस्थिति के माध्यम से लदान स्थल पर कोयले के संयुक्त नमूने के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन किया जाता है। कोयला मंत्रालय के निर्देश (नवंबर 2015) के अनुसार, सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) और भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने क्रमशः अगस्त 2016 और अगस्त 2017 से नमूनाकरण शुरू किया। इसके अलावा, सीआईएल ने नमूनाकरण प्रक्रिया के लिए कोयला गुणवत्ता आश्वासन नीति पर एक दिशानिर्देश भी तैयार किया (अगस्त 2020)।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गईं:

- कोयला गुणवत्ता आश्वासन नीति (अगस्त 2020) और एफएसए में प्रावधान है कि नमूनाकरण के लिए, मानवीय हस्तक्षेप से बचने के लिए ऑगर विधि¹³ पर विचार किया जाना था। ऑगर विधि के अंतर्गत, नमूने का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए 25 प्रतिशत वैगनों से नमूना एकत्र किया जाना था। इसके उल्लंघन में, एमसीएल द्वारा नमूनाकरण प्रक्रिया के लिए ऑगर विधि को लागू नहीं किया गया।
- प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2024) कहा कि नमूनाकरण खंड के संबंध में एफएसए/तृतीय पक्ष संस्था करार में संशोधन सीआईएल के

¹³ भौतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए यांत्रिक साधनों के माध्यम से नमूना लेने की प्रक्रिया।

अधिकार क्षेत्र में था। ऑगर विधि द्वारा नमूनाकरण का कार्यान्वयन नव सूचीबद्ध नमूनाकरण संस्थाओं के नमूनाकरण करार में सम्मिलित है। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन किया (जनवरी 2025) और कहा कि अब यांत्रिक ऑगर और उस पर लागत तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी।

- एमसीएल, उपभोक्ता और तृतीय पक्ष एजेंसी के बीच त्रिपक्षीय नमूनाकरण करार के अनुसार, कोयला नमूना परिणाम सीआईएमएफआर (18 कार्य दिवस) और क्यूसीआई (10 कार्य दिवस) द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर घोषित किया जाएगा। इसके अलावा, यदि एमसीएल/उपभोक्ता तीसरे पक्ष के नमूने के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो मामला परीक्षण¹⁴ संस्था को भेजा जा सकता है, जिसे प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर परिणाम प्रस्तुत करना होगा。
 - लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीआईएमएफआर और क्यूसीआई ने 51,056 मामलों में नमूनाकरण परिणाम 1 दिन से लेकर 282 दिनों तक के विलंब से प्रस्तुत किए।
 - इसके अलावा, 25,069 मामलों में एमसीएल ने आगे की जांच के लिए मामलों को परीक्षण संस्था के पास भेजा, परिणाम 5 दिनों से लेकर 873 दिनों तक के विलंब से प्रस्तुत किए गए।

नमूनाकरण के परिणाम प्राप्त करने में विलंब के कारण ग्राहक के दावों के निपटान में विलंब हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2024/जनवरी 2025) कि सभी नव-सूचीबद्ध तृतीय पक्ष नमूनाकरण संस्थाओं के करार में विश्लेषण परिणाम प्रस्तुत करने की समय-सीमा (तृतीय पक्ष और परीक्षण संस्था दोनों) का पालन करने हेतु एक खंड सम्मिलित किया गया है। साथ ही, क्यूसीआई के साथ करार में दंडात्मक खंड भी सम्मिलित किया गया है।

¹⁴ रेफरी एक परीक्षण संस्था है जो कोयला कंपनी और उपभोक्ता के बीच असहमति के मामले में तीसरे पक्ष की एजेंसी के विवादों का निपटारा करती है।

एमसीएल की ओर से निगरानी और प्रयासों में कमी है, जो परीक्षण संस्थाओं से परिणाम प्राप्त करने में इस असामान्य विलंब का प्रमाण है। इसके अलावा, सीआईएमएफ़आर के साथ करार में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है।

- सीआईएल ने (जून 2017) तृतीय पक्ष के विवादित परिणामों की स्थिति में परीक्षण संस्था विश्लेषण हेतु नमूनों के प्रति आपत्ति हेतु एक दिशानिर्देश तैयार किया। तृतीय पक्ष द्वारा परिणाम प्रस्तुत करने के सात दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए। दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ साथ, यह भी प्रावधान है कि नमूना हमेशा परीक्षण संस्था को भेजा जाना चाहिए यदि:
 - जब तृतीय पक्ष द्वारा घोषित ग्रेड कोयला कंपनियों के प्रयोगशाला परीक्षण में पाए गए ग्रेड से कम हो;
 - जब प्रयोगशाला या तृतीय-पक्ष परीक्षण परिणाम का सकल कैलोरी मान अगले उच्च कोयला ग्रेड संक्रमण बिंदु से 70 किलो कैलोरी/किलोग्राम के भीतर था (सीमावर्ती मामले)।

परीक्षण संस्था नमूने के परिणाम एमसीएल और उपभोक्ताओं पर बाध्यकारी और अंतिम होंगे। तदनुसार, अंतिम परिणामों के आधार पर राशि/दावों को समायोजित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से 2023-24 के दौरान 82,898 मामले परीक्षण संस्था को भेजे गए। आपत्ति किए गए तृतीय-पक्ष मामलों में से, 22 प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक के परिणाम एमसीएल के पक्ष में उन्नयन किया गया, जबकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 13 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक अवनमित किए गए परिणाम थे। यह भी देखा गया कि निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बावजूद कुल 31,802 मामले परीक्षण संस्था को भेजे ही नहीं गए। चूँकि इस अवधि के दौरान उन्नयन की प्रवृत्ति अनुकूल थी, इसलिए एमसीएल ने उपयुक्त नमूनों को आगे की समीक्षा के लिए न भेजकर अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2024/जनवरी 2025) कि परीक्षण संस्था विश्लेषण के लिए उपयुक्त नमूनों का समय पर प्रेषण करने की सुविधा के लिए, नमूना संस्थाओं और एमसीएल (ईआरपी-एसएपी) के इंटरफेस के बीच निर्बाध डेटा हस्तांतरण की सुविधा के लिए वेब पोर्टल विकसित करने हेतु एक उपयुक्त खंड सम्मिलित किया गया है।

हालाँकि, वेब पोर्टल का विकास अभी पूरा होना बाकी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सभी पात्र मामलों में आपत्ति के लिए सीआईएल दिशानिर्देशों को पूरी निष्ठा से लागू/पालन किया जा रहा है ताकि योग्य नमूनों को परीक्षण संस्था को प्रेषित न करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान को रोका जा सके।

आगे के परीक्षण के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बावजूद, कुल 31,802 मामलों को एमसीएल द्वारा परीक्षण संस्था को भेजा नहीं गया। परिणामों के रुझान को देखते हुए, जो पक्ष में हैं, एमसीएल ने अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

1.2.6 निष्कर्ष:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला उत्पादन और अधिभार हटाने के लक्ष्य को सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप नहीं बनाया। एमसीएल ने लक्ष्यों के निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को परिभाषित करने वाला कोई नियमावली/मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं की है। लेखापरीक्षा ने पाया कि एचईएमएम जो लंबे समय से खराब हैं और एचईएमएम से सर्वेक्षण किए गए हैं, ऐसी मशीनों की उत्पादकता के आकलन के बिना उत्पादन और अधिभार हटाने के लक्ष्यों की उपलब्धि को प्रभावित किया है। संचालकों की कमी के कारण न केवल एचईएमएम निष्क्रिय रहे बल्कि लक्ष्यों की प्राप्ति भी प्रभावित हुई। एमसीएल को ई-निविदा प्रणाली में मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ई-निविदा में बोलीदाताओं के बीच आईपी अड्रेस का मिलान, बोलीदाताओं के साथ एमसीएल के आईपी अड्रेस का मिलान और निविदा प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण की कमी के उदाहरण थे। लेखापरीक्षा ने ईंधन आपूर्ति करार के प्रावधानों का पालन न करने और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए मॉडल अनुबंध करार की धाराओं में संशोधन के उदाहरणों को भी उजागर किया। एमसीएल ने समझौतों के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति भी नहीं वसूली, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क की कम वसूली हुई।

एनएलसी तमिलनाडु विद्युत लिमिटेड

1.3 एनएलसी तमिलनाडु विद्युत लिमिटेड की कार्यप्रणाली

1.3.1 परिचय

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसी इंडिया) और तमिलनाडु जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ) की संयुक्त उद्यम कंपनी एनएलसी तमिलनाडु विद्युत लिमिटेड (एनटीपीएल) (कंपनी) को 1000 मेगावाट (2 यूनिट x 500 मेगावाट) कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के विकास के लिए प्रवर्तित किया गया (नवंबर 2005)। एनटीपीएल की इक्विटी शेयर पूंजी इन दोनों प्रवर्तकों के पास 89:11 के अनुपात में थी।

भारत सरकार ने ₹4,909.54 करोड़ की पूंजीगत लागत पर इस परियोजना को स्वीकृति दी (मई 2008)। परियोजना लागत का वित्तपोषण आंतरिक संसाधनों (इक्विटी: 30 प्रतिशत) और उधार (ऋण: 70 प्रतिशत) से किया जाना था। इसके बाद, परियोजना लागत को संशोधित¹⁵ कर (अप्रैल 2016) ₹7,293.48 करोड़ कर दिया गया।

परियोजना की इकाई-1 और इकाई-2 को मार्च 2012 और अगस्त 2012 में चालू किया जाना था, अर्थात् भारत सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति की तिथि (मई 2008) से क्रमशः 46 माह और 51 माह बाद। परियोजना की इकाई-1 और इकाई-2 के वाणिज्यिक संचालन की तिथि क्रमशः जून 2015 और अगस्त 2015 में घोषित की गई।

तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और केरल की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के साथ क्रमशः दिसंबर 2006, मई 2007, जून 2007 और फरवरी 2008 में विद्युत खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

¹⁵ यह परियोजना लागत, लागत अनुमानों में दूसरा संशोधन था। कोयला मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2013 में परियोजना लागत अनुमानों के पहले संशोधन (जून 2013 के मूल्य स्तर पर ₹6,602.74 करोड़) और इकाई-1 और इकाई-2 के लिए क्रमशः फरवरी 2014 और मई 2014 तक वाणिज्यिक संचालन तिथि के संशोधन की स्वीकृति दी गई।

1.3.2 संगठनात्मक संरचना

कंपनी का नेतृत्व एक अध्यक्ष¹⁶ द्वारा किया गया था और इसका प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया गया था, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव जैसे अधिकारियों द्वारा उचित सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा, संयंत्र के दैनिक संचालन और कंपनी की गतिविधियों के लिए विभिन्न कार्यात्मक विभागों का प्रबंधन महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया था। कंपनी के कार्यकारी और अ-कार्यकारी अधिकारी एनएलसी इंडिया से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए गए।

1.3.3 वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन

वर्ष 2015 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से लेकर वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन तालिका 1.11 में दिया गया है और वित्तीय स्थिति तालिका 1.12 में दी गई है।

तालिका 1.11: एनटीपीएल का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल आय	1,234.43	2,624.10	2,899.83	2,899.16	2,670.95	2,958.87	2,353.69	3,577.91
मूल्यहास और वित्तीय लागत को छोड़कर कुल व्यय	893.23	1,671.17	1,906.81	1,997.11	1,759.02	1,775.34	1,548.01	2,620.59
सकल मार्जिन	341.20	952.93	993.02	902.05	911.93	1,183.53	805.68	957.31
मूल्यहास	268.62	360.47	361.86	375.04	375.76	379.79	380.59	381.10
वित्तीय लागत	317.31	457.18	412.68	457.28	451.55	367.51	208.93	256.95
कर के बाद लाभ	(160.03)	87.85	146.33	270.74	143.15	363.00	211.28	278.64

स्रोत: एनटीपीएल की वार्षिक रिपोर्टें

¹⁶ एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक दो सहायक कंपनियों अर्थात् एनएलसी इंडिया लिमिटेड की एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के अध्यक्ष थे (मार्च 2023)।

तालिका 1.12: एनटीपीएल की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
शेयर पूँजी	1,962.27	2,188.04	2,188.04	2,188.04	2,188.04	2,188.04	2,188.04	2,188.04
आरक्षित और अधिशेष	(160.07)	(79.83)	21.18	291.93	303.19	597.03	437.11	606.36
दीर्घकालिक उधार ¹⁷	3,884.46	3,495.94	3,330.05	2,862.41	2,395.26	1,908.59	1,438.79	1,053.54
अल्पकालिक उधार ¹⁸	841.65	1,099.15	1,422.73	1,558.53	2,379.95	2,583.17	1,800.13	2,276.12
व्यापार प्राप्य	726.96	1,043.35	1,191.88	1,580.76	1,837.49	1,942.39	642.90	556.02
नकद एवं नकद समतुल्य	2.28	4.46	7.57	4.64	3.97	4.89	15.66	6.07
वर्तमान संपत्तियाँ	1,021.36	1,661.56	1,699.31	1,967.99	2,530.45	2,636.23	1,073.52	1,355.38
वर्तमान देनदारियाँ	1,581.48	2,424.90	2,294.48	2,584.38	3,386.59	3,423.19	2,230.39	2,665.65
ऋण इक्विटी अनुपात ¹⁹	1.98	1.60	1.52	1.31	1.09	0.87	0.66	0.48
वर्तमान अनुपात	0.65	0.69	0.74	0.76	0.75	0.77	0.48	0.51

स्रोत: एनटीपीएल की वार्षिक रिपोर्टें

कंपनी पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऋण-इक्विटी स्थिति को 1.98 (2015-16) से 0.48 (2022-23) तक सुधारने में सक्षम रही है। वर्ष 2021-22 को छोड़कर 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान अल्पकालिक उधारी में वृद्धि हुई, जब कंपनी विद्युत वितरण कंपनियों के विद्युत बकाया की वसूली कर सकी।

2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान उत्पादित और निर्यातित²⁰ विद्युत का विवरण तालिका 1.13 में दिया गया है:

¹⁷ परियोजना के लिए ऋण।

¹⁸ कार्यशील पूँजी के लिए ऋण और नकद ऋण।

¹⁹ अनुपात के लिए दीर्घकालिक उधार और शेयरधारकों की इक्विटी ली गई।

तालिका 1.13: विद्युत उत्पादन और निर्यात का विवरण

(लाख इकाईयों में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
उत्पादन	3,655.41	6,252.74	5,412.99	5,486.62	4,844.40	5,290.58	4,182.46	5,929.99
निर्यात	3,313.30	5,806.85	5,026.36	5,113.27	4,496.98	4,900.15	3,853.10	5,523.90

स्रोत: एनटीपीएल की वार्षिक रिपोर्टें

वर्ष 2019-20 और 2021-22 के दौरान विद्युत उत्पादन में कमी मुख्य रूप से जनवरी 2019 के मध्य से जुलाई 2019 तक यूनिट-॥ जनरेटर के अनियोजित बंद होने और कोयले की कमी के कारण हुई।

1.3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का आँकलन निम्न के लिए किया गया:

- परियोजना के कार्यान्वयन में दक्षता और मितव्ययिता।
- सर्वोत्तम स्तर पर और न्यूनतम संभव लागत पर विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने में संयंत्र की परिचालन दक्षता।

1.3.5 लेखापरीक्षा का दायरा एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में एनटीपीएल के तूतीकोरिन स्थित विद्युत संयंत्र में 2015 से 2022 की अवधि के लिए परियोजना कार्यान्वयन और कंपनी के परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा की गई।

17 नवंबर 2021 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन के दौरान प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, दायरे, मापदंडों, नमूने और समय सीमा पर चर्चा की गई। फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी के रूप में प्रारंभिक टिप्पणियाँ जारी की गईं। प्रबंधन और कोयला मंत्रालय को क्रमशः जुलाई 2022 और नवंबर 2022 में मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई। चिन्हित मुद्दों पर चर्चा के लिए नवंबर 2022 को प्रबंधन के साथ और 11 जुलाई 2023 को कोयला मंत्रालय के साथ निकास सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रबंधन/मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं और निकास सम्मेलन में व्यक्त विचारों को प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है। प्रतिवेदन को मार्च 2023 तक अद्यतन किया गया।

²⁰ निर्यात से तात्पर्य विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत की आपूर्ति से है। शेष इकाईयों का उपयोग सहायक विद्युत खपत के रूप में किया जाता था।

1.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने (मई 2002) तूतीकोरिन में 500 मेगावाट क्षमता का पिसा हुआ कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जिसे तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में या स्वयं स्थापित किया जाना था। बाद में, भारत सरकार की मेगा विद्युत नीति²¹ का लाभ उठाने के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने इस प्रस्ताव को संशोधित कर (मार्च 2003) 1000 मेगावाट क्षमता का विद्युत केंद्र स्थापित किया। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मार्च 2003 में संशोधित परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति दी। कोयला मंत्रालय ने प्रारंभिक गतिविधियों जैसे व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, मृदा जांच अध्ययन आदि के लिए व्यय वहन करने हेतु अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव के अंतर्गत ₹2.50 करोड़ स्वीकृत किए (जुलाई 2003)।

एक परामर्शदाता²² द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई (मई 2006) और परियोजना के लिए भारत सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेकॉन लिमिटेड, रांची को परियोजना परामर्श अनुबंध प्रदान किया गया (मार्च 2007)। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को अनुमोदन के लिए परियोजना की अनुशंसा की (जुलाई 2007)। भारत सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की सूचना प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा (मई 2008) दी गई।

भाप जेनरेटर (बॉयलर) और टर्बाइन जेनरेटर और बचे हुए संयंत्र²³ के साथ 'मुख्य संयंत्र' सहित थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना को उप-घटकों में विभाजित किया गया और मई 2007 और फरवरी 2015 के बीच निविदा दी गई। इस प्रकार, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 36 अनुबंध दिए गए थे।

भाप जेनरेटर (बॉयलर) और टर्बाइन जेनरेटर को 70:30 के अनुपात में स्वदेशी कम सकल कैलोरी मान वाले कोयले और आयातित उच्च सकल कैलोरी मान वाले कोयले के

²¹ मेगा विद्युत नीति में परियोजना आयात पर सीमा शुल्क की पूर्ण छूट, 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता और घरेलू बोलीदाताओं के लिए मानित निर्यात लाभ जैसे लाभों पर विचार किया गया है।

²² मेसर्स डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई

²³ कोयला प्रबंधन संयंत्र, राख प्रबंधन संयंत्र, परिसंचारी जल प्रणाली, बाइ-फ्लू चिमनी, शीतलन टावर्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली आदि।

उपयोग के लिए बनाया गया। कम सकल कैलोरी मान वाला कोयला महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड से खरीदा जाना था।

एनटीपीएल थर्मल विद्युत संयंत्र की यूनिट-1 और यूनिट-11 (प्रत्येक 500 मेगावाट) का कुल लागत ₹7,293.48 करोड़ (मूल लागत अनुमान ₹4,909.54 करोड़ की तुलना में ₹2,383.94 करोड़ की लागत वृद्धि के साथ)के साथ वाणिज्यिक रूप से परिचालन किया गया और इन्हें क्रमशः जून 2015 और अगस्त 2015 में (38 माह और 35 माह की विलंब से, क्योंकि वाणिज्यिक संचालन शुरू में मार्च 2012 और अगस्त 2012 में निर्धारित किया गया) चालू किया गया।

लेखापरीक्षा ने परियोजना के कार्यान्वयन में दक्षता और मितव्ययता के लिए आँकलन किया। इस संबंध में उल्लिखित कमियों पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

1.3.6.1 परियोजना कार्यान्वयन

क परियोजना नियोजन में कमियाँ

i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार न करना

एनएलसी इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन ने अपने निदेशक मंडल को यह अनुमान दिया (अक्टूबर 2006) कि परियोजना को निर्धारित समय के भीतर क्रियान्वित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी है और एक परामर्शदाता फर्म को नियुक्त किया जाना है। इसके बाद, परियोजना परामर्श सेवाओं का संविदा मेकॉन लिमिटेड, रांची को प्रदान किया गया (मार्च 2007)। संविदा के दायरे में बुनियादी इंजीनियरिंग, विस्तृत इंजीनियरिंग, खरीद सेवाएँ, निरीक्षण सेवाएँ और चालू करने के दौरान सहायता सहित साइट सेवाएँ, परियोजना प्रबंधन और त्वरित सेवाएँ सम्मिलित थीं, लेकिन इसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना सम्मिलित नहीं था।

कंपनी द्वारा परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियाँ व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर पूरी की गईं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न परियोजना निर्माण गतिविधियों की योजना बनाने और समन्वय में अंतराल आ गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया। कुशल कार्य बल के न जुटने और पैकेज संविदाकारों द्वारा

संसाधनों की अपर्याप्त लामबंदी के कारण परियोजना में विलंब हुआ। निकास बैठक (जुलाई 2023) के दौरान, यह भी बताया गया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बिना डीपीआर के ही परियोजना को स्वीकृति दे दी।

प्रबंधन के उत्तर का समर्थन करते हुए मंत्रालय ने यह भी जोड़ा (मार्च 2023) कि एनएलसी इंडिया ने पहली बार कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना में कदम रखा है। परियोजना परामर्शदाता द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट से सीधे विनिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया एनएलसी इंडिया की अन्य परियोजनाओं में भी प्रचलित है और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के लिए भी जारी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एनटीपीसी जैसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम भी इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के स्थान पर, सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रारंभिक परियोजना अनुमानों के साथ परियोजनाओं की पहचान करने के उद्देश्य से कार्य करती है। साथ ही, अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की अन्य विद्युत परियोजनाओं का कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया, जिन्हें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए बिना निर्धारित समय और लागत में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने एनएलसी इंडिया को परियोजना की स्वीकृति के बारे में सूचित (मई 2008 में) करते हुए, यह शर्त रखी कि यदि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में बुनियादी मापदंडों के अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आता है, तो उसे विचार के लिए सरकार को भेजा जाना चाहिए। इसने संकेत दिया कि परियोजना कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना एक महत्वपूर्ण परियोजना नियोजन आवश्यकता थी। इस प्रकार, एनटीपीएल द्वारा परियोजना नियोजन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के महत्व पर विचार नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने परियोजना समय की अधिकता के कारणों का आगे विश्लेषण किया और परियोजना कार्यान्वयन कार्य के विभिन्न चरणों में विलंब देखा, जैसा कि बाद के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

ii) पर्याप्त भूमि उपलब्धता का अभाव

परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट में विचारित उपलब्ध भूमि (267 एकड़) 500 मेगावाट

की दो इकाइयों की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं थी। मेकॉन लिमिटेड, परियोजना परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत (मई 2018) 'परियोजना समापन रिपोर्ट' में भी परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के एक महत्वपूर्ण सामान्य कारण के रूप में अपर्याप्त भूमि उपलब्धता के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया, जैसा कि पैरा 1.3.6.1(घ) में विस्तार से चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि परियोजना क्षेत्र केवल एक 500 मेगावाट इकाई स्थापित करने के लिए पर्याप्त था, हालांकि वाणिज्यिक स्थिरता, उपरिव्यय और अन्य स्थापना प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 500 मेगावाट की एक और इकाई जोड़ी गई। प्रबंधन ने आगे कहा कि परियोजना निर्माण के दौरान भंडारण और निर्माण कार्य और कार्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य संयंत्र संरचनाओं के निर्माण के लिए वी.ओ. चिदंबरम पोर्ट ट्रस्ट और तमिलनाडु विद्युत जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से भूमि (32 एकड़) की व्यवस्था की गई। मंत्रालय ने प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर से सहमति व्यक्त की (मार्च 2023)।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि परियोजना अनुबंधों के निष्पादन की योजना, आवश्यक आकार की भूमि की अनुपलब्धता के कारण, अनुबंध कार्य शुरू होने से पहले भूमि संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक विलंब हुआ।

ख प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा होने में विलंब

कोयला मंत्रालय ने प्रारंभिक गतिविधियों के लिए जुलाई 2003 में ₹2.50 करोड़ और मार्च 2007 में ₹17.45 करोड़²⁴ स्वीकृत किए, जैसे तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट को भूमि के लिए भुगतान (₹5 करोड़), साइट क्लीयरेंस/पुनर्निर्देशन अवसंरचना सुविधाओं (₹5 करोड़), परियोजना परामर्श (₹4 करोड़), विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, संपर्क मार्ग आदि का निर्माण (₹3.45 करोड़)। अग्रिम कार्रवाई गतिविधियाँ धनराशि की स्वीकृति की तिथि से 30 माह (सितंबर 2009) के भीतर पूरी की जानी थीं। हालाँकि, इन प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा

²⁴ इसमें जुलाई 2003 में स्वीकृत ₹2.5 करोड़ में से ₹1.93 करोड़ की बचत शामिल है

होने में निर्धारित समय अर्थात सितंबर 2009 से, 6 से 16 माह²⁵ तक का विलंब हुआ। भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृति दिए जाने के बाद एनटीपीएल को इन गतिविधियों को पूरा करने में 23 से 33 माह लगे। प्रारंभिक कार्यों के पूरा होने में विलंब का परियोजना निर्माण कार्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए विलंब के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- भाप जनरेटर और टर्बाइन जनरेटर, कोयला प्रबंधन प्रणाली, राख प्रबंधन प्रणाली, शीतलन टावरों आदि के लिए प्रमुख संविदाकारों को अनुबंध पत्र जारी करने से पहले भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया।
- समय पर निर्माण विद्युत और पानी की आपूर्ति उपलब्ध न होने से संविदाकारों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।
- संपर्क मार्ग के निर्माण में विलंब के कारण बाई-फ्लू आरसीसी चिमनी अनुबंध के सिविल कार्यों के निष्पादन में दस माह का विलंब हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि परियोजना भूमि क्षेत्र तूतीकोरिन थर्मल विद्युत स्टेशन और वीओ चिदंबरनार पोर्ट के परिचालन क्षेत्र के करीब था, जिसके कारण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल और नेफ्था पाइपलाइन, एसपीआईसी लिमिटेड की अमोनिया पाइपलाइन, तमिलनाडु विद्युत जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओवरहेड उच्च-वोल्टेज विद्युत लाइनें और तमिलनाडु जल और जल निकासी बोर्ड की भूमिगत पानी की पाइपलाइनें आदि एनटीपीएल परियोजना क्षेत्र में चल रही थीं। उपरोक्त विभिन्न सेवा लाइनों का पुनर्निर्देशन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाना था। प्रबंधन ने आगे उत्तर दिया कि उन्होंने मुख्य संयंत्र पैकेज की निविदा के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए थे, यह अनुमान लगाते हुए कि इन सभी बाधाओं को समय रहते बाहरी फर्मों द्वारा हटा दिया जाएगा/पुनर्निर्देशित किया जाएगा। हालांकि, भारतीय तेल निगम, एसपीआईसी, तमिलनाडु जल और जल निकासी बोर्ड, और तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन आदि जैसी बाहरी फर्मों द्वारा निष्पादन में देरी ने प्रारम्भिक गतिविधियों में देरी में योगदान दिया। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर के साथ सहमति व्यक्त की (मार्च 2023)।

²⁵ अमोनिया और नाफ्था पाइपलाइनों का पुनर्निर्धारण (अप्रैल 2010), जल आपूर्ति का निर्माण (जून 2010), विद्युत आपूर्ति (जुलाई 2010), संपर्क सड़क (नवंबर 2010), जल लाइनों का पुनर्निर्धारण (फरवरी 2011)

निकास बैठक (जुलाई 2023) के दौरान, मंत्रालय ने यह भी कहा कि वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण से पट्टे पर ली गई भूमि पर पहले से ही अन्य संस्थाओं का कब्जा था और इन संस्थाओं की ओर से मुकदमेबाजी के कारण विलंब हुआ जो उसके नियंत्रण से बाहर था।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रारंभिक गतिविधियों के लिए धनराशि मंत्रालय द्वारा जुलाई 2003 और मार्च 2007 में ही स्वीकृत कर दी गई, अर्थात् परियोजना की स्वीकृति (मई 2008) से पहले ही, और इसलिए, विभिन्न अवसंरचना/उपयोगिता लाइनों के मार्ग परिवर्तन हेतु कार्य करने के लिए समय उपलब्ध था। हालाँकि, ये प्रारंभिक कार्य भाप जनरेटर और टर्बाइन जनरेटर, कोयला प्रबंधन प्रणाली और राख प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे प्रमुख निर्माण अनुबंधों के लिए संविदा पत्र जारी होने (जनवरी 2009 से जुलाई 2010) से पहले पूरे नहीं हुए। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कार्य शुरू होने से पहले सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अन्य विभागों के साथ योजना और समन्वय की कमी थी।

ग परियोजना निर्माण अनुबंधों के लिए अनुबंध पत्र जारी करने में विलंब

परियोजना परामर्श सेवाओं का अनुबंध (मार्च 2007) मेकॉन लिमिटेड, रांची को प्रदान किया गया था। अनुबंध के दायरे में बुनियादी इंजीनियरिंग, विस्तृत इंजीनियरिंग, खरीद सेवाएँ, निरीक्षण सेवाएँ और साइट सेवाएँ सम्मिलित थीं, जिनमें संचालन के दौरान सहायता, परियोजना प्रबंधन और त्वरित सेवाएँ सम्मिलित थीं। भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति (मई 2008) प्राप्त करने से पहले ही परामर्शदाता को अनुबंध प्रदान कर दिया गया। भाप जनरेटर अनुबंध के लिए विक्रेता चयन की निर्धारित समय सीमा परियोजना परामर्श सेवाओं के अनुबंध पत्र की तिथि से 12 माह और अन्य अनुबंधों के लिए 18 माह थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रारंभ में कुल परियोजना कार्य को 24 पैकेजों (अनुबंधों) में निष्पादित करने की योजना थी। हालाँकि, बाद में 15 नए अनुबंध (शोर अनलोडर के अनुबंध सहित) परियोजना कार्य में सम्मिलित किए गए, जबकि कुछ प्रारंभिक अनुबंधों को विभाजित कर दिया गया, अन्य अनुबंधों के साथ मिला दिया गया और जनवरी 2009 और सितंबर 2016 के बीच परियोजना निष्पादन के दौरान हटा दिया गया। अंततः परियोजना कार्य को 36 अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित किया गया। प्रारंभिक

परिभाषित अनुबंधों में किए गए संशोधनों का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है। भाप जनरेटर, टर्बाइन जनरेटर, कोयला प्रबंधन प्रणाली, शोर अनलोडर, शीतलन टावर्स, चिमनी आदि जैसे प्रमुख कार्यों में इन परिवर्तनों ने परियोजना की निर्धारित पूर्णता तिथि और मूल अनुमानित परियोजना लागत को प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जबकि भाप और टर्बाइन जनरेटर अनुबंध के लिए एक माह और अन्य अनुबंधों के लिए दो माह का समय था पर बदलती परियोजना आवश्यकताओं²⁶, लगातार और दोहराए गए संशोधनों के आधार पर अवधारणा नोटों को अंतिम रूप देने में 64 माह तक का समय लगा, और जबकि भाप जनरेटर और टर्बाइन जनरेटर अनुबंध के लिए 12 माह और अन्य अनुबंधों के लिए 18 माह का समय था पर तकनीकी विनिर्देशों, रुचि की अभिव्यक्ति/निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने और तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन जैसी विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने में 49 माह तक का समय लगा (विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है)।

परिणामस्वरूप, विभिन्न अनुबंधों में अनुबंध पत्र (एलओए) जारी करने की प्रक्रिया में भी विलंब हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक IV** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि पैकेज टीए 1- भाप और टर्बाइन जेनरेटर के लिए अनुबंध जारी करने का लक्षित समय मार्च 2008 था, जबकि एलओए 9 माह की विलंब से जनवरी 2009 में जारी किया गया। इसी तरह, सितंबर 2008 तक जारी किए जाने वाले अन्य प्रमुख कार्यों के संबंध में एलओए 9 माह से 89 माह के मध्य विलंब से जारी किए गए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि 500 मेगावाट यूनिट क्षमता वाले कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्र में एनएलसी इंडिया का पहला उद्यम होने के नाते; विनिर्देशों को एनटीपीसी निविदाओं के विनिर्देशों के अनुरूप और परियोजना परामर्शदाता सहित बोलीदाताओं के साथ इस बारे गहन चर्चा की गई। आवश्यकता/प्राथमिकता,

²⁶ राख निपटान क्षेत्र (राख तालाब) टीए 3 (राख प्रबंधन प्रणाली) को अंतिम रूप न देने के कारण विलंब हुआ, शोर अनलोडर्स को कोयला प्रबंधन प्रणाली से हटा दिया गया और अलग से निविदा दी गई, जिसके कारण टीए 2 (कोयला प्रबंधन संयंत्र) में विलंब हुआ, प्रारंभिक गतिविधियों और सांविधिक स्वीकृति के मिलने में विलंब हुआ, नींव के प्रकार में बदलाव ने टीए 1 (स्टीम जनरेटर और टर्बाइन जनरेटर) में विलंब किया।

निष्पादन की सुविधा आदि के आधार पर पैकेजों को अंतिम रूप दिया गया। जगह की कमी, परियोजना स्थल के अनुपातहीन आकार और टर्मिनल बिंदुओं²⁷ को अंतिम रूप देने के कारण लेआउट को अंतिम रूप देना चुनौतीपूर्ण था। पैकेज-वार कान्सेप्ट नोट स्वतंत्र रूप से तैयार किए गए, जिनमें प्रत्येक पैकेज निविदा के लिए साझा गतिविधियों, टर्मिनल बिंदुओं और कार्यक्षेत्र के सीमांकन का ध्यान रखा गया।

इसके अलावा, प्रबंधन ने बताया कि पैकेजों की घोषणा रुचि की अभिव्यक्ति के साथ की गई, बोली-पूर्व चर्चाएँ हुईं, बोलीदाताओं की आवश्यक पुष्टि प्राप्त करने के बाद अर्हता आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी किया गया। तकनीकी-व्यावसायिक बैठक और संबंधित पत्राचार में भी समय लगा। इन सबके कारण विलंब हुआ। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की (मार्च 2023)।

प्रबंधन और मंत्रालय ने विलंब को स्वीकार किया। यह उत्तर उचित नहीं है कि यह एनएलसीआईएल की पहली कोयला आधारित परियोजना थी। चूँकि एनएलसीआईएल का लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं में महत्वपूर्ण अनुभव था, इसलिए उसे बेहतर परियोजना नियोजन में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहिए था। मजबूत परियोजना नियोजन और तैयारी से इस विलंब को कम करने में सहायता मिलती।

घ. परियोजना कार्यान्वयन अनुबंधों के पूरा होने में विलंब

परियोजना की इकाई-1 और इकाई-2 को मार्च 2012 और अगस्त 2012 में चालू किया जाना था, अर्थात् भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि (मई 2008) से क्रमशः 46 माह और 51 माह बाद। हालाँकि, परियोजना की इकाई-1 और इकाई-2 के वाणिज्यिक संचालन की तिथि क्रमशः 38 माह और 35 माह की विलंब से क्रमशः जून 2015 और अगस्त 2015 में घोषित की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी 36 परियोजना कार्यान्वयन अनुबंधों के पूरा होने (मार्च 2023) में एक माह से लेकर 110 माह तक की विलंब हुआ। 14 अनुबंध ऐसे थे जो वास्तविक वाणिज्यिक संचालन तिथि (अगस्त 2015) के प्रारंभ होने के बाद पूरे हुए। अनुबंधों के निष्पादन में विलंब एनटीपीएल और परियोजना परामर्शदाता द्वारा अपर्याप्त

²⁷ प्रक्रिया/गतिविधि/प्रणाली/उपकरण के अंतिम बिंदु।

निगरानी का संकेत देता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने में विलंब हुआ।

प्रमुख परियोजना कार्यान्वयन अनुबंधों के पूरा होने में विलंब का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका 1.14: प्रमुख परियोजना कार्यान्वयन अनुबंधों के पूरा होने में विलंब का विवरण

इकाई	निर्धारित समापन तिथि	वास्तविक समापन तिथि	माह में विलंब	विलंब का प्रमुख कारण
भाप जनरेटर और टर्बाइन जनरेटर पैकेज (टीए 1) बीएचईएल				
इकाई-I	28.04.2012	18.06.2015	38	<ul style="list-style-type: none"> उप-अनुबंध कार्यों को अंतिम रूप देना सामग्री की आपूर्ति कुशल कार्य बल की कमी टरबाइन और संघनित्र निर्माण का कार्य प्रारंभ टीजी फाउंडेशन का निर्माण पूरा करना यूनिट-1 में टीजी स्टेशन भवन के लिए डिज़ाइन इंजीनियरिंग और रेखा-चित्र जारी करना दोनों यूनिटों में बॉयलर कॉलम निर्माण के लिए आरसीसी फाउंडेशन का निर्माण पूरा करना उप-संविदाकार के अंतिम रूप देने में विलंब के कारण सिविल कार्यों का प्रारंभ
इकाई-II	28.10.2012	29.08.2015	34	
कोयला प्रबंधन प्रणाली (एल एवं टी)				
इकाई-I	31-12-2011	09-03-2015	39	<ul style="list-style-type: none"> उत्तरी कार्गो बर्थ, जंक्शन टावर और बंकर बे सीओसीपीटी/बीएचईएल आदि जैसे कार्य मोर्चों की अनुपलब्धता। ओवरहेड विद्युत लाइन को मोड़ने में विलंब
इकाई-II	30-04-2012	20-07-2015	39	
राख प्रबंधन प्रणाली (टीए3) - मेसर्स एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड²⁸				
इकाई-I	07.08.2012	18.06.2015	35	<ul style="list-style-type: none"> अपर्याप्त कार्य बल की तैनाती, आपूर्ति और कार्य में धीमी प्रगति
इकाई-II	07.01.2013	29.08.2015	31	
परिसंचारी जल प्रणाली (टीए4) - केबीएल				
इकाई-I	18.08.2012	31.03.2017	56	<ul style="list-style-type: none"> संसाधनों का अपर्याप्त जुटाव कार्य क्षेत्र की अनुपलब्धता - बीएचईएल
इकाई-II	30.08.2012	12.12.2016	52	

²⁸ मुख्य संयंत्र की इकाई-I और II के सीओडी को पूरा होने की तारीख के रूप में अपनाया गया क्योंकि संविदाकार द्वारा काम पूरा नहीं किया गया।

इकाई	निर्धारित समापन तिथि	वास्तविक समापन तिथि	माह में विलंब	विलंब का प्रमुख कारण
				के संयंत्र और उपकरण पैकेज टीए4 के लिए निर्धारित क्षेत्र में संग्रहित थे। बीएचईएल ने अक्टूबर 2010 में इस क्षेत्र को खाली करवा लिया था। <ul style="list-style-type: none"> • आपूर्ति में विलंब
विलवणीकरण और विखनिजीकरण संयंत्र (टीए5) - टीईसीटीओएन				
इकाई-I एवं II	परीक्षण संचालन 22.02.2012	10.04.2016	50	<ul style="list-style-type: none"> • आपूर्ति में विलंब • संसाधनों का अपर्याप्त जुटाव • सिविल कार्यों की धीमी प्रगति • कुशल कार्य बल की अनुपलब्धता
चिमनी (टीए6) - जीआईएल				
इकाई-I एवं II	28.03.2012	29.06.2015	39	<ul style="list-style-type: none"> • भूमिगत जल लाइन को मोड़ने में, कार्य-क्षेत्र की उपलब्धता में और डिजाइन के अनुमोदन में, संपर्क मार्ग का निर्माण पूरा करना। • संसाधनों का अपर्याप्त जुटाव • सिविल कार्यों की धीमी प्रगति
कूलिंग टॉवर (टीए7)- जीआईएल				
इकाई-I एवं II	18.09.2012	27.07.2016	47	<ul style="list-style-type: none"> • संसाधनों का अपर्याप्त जुटाव • सिविल कार्यों का प्रारंभ • सिविल कार्यों की धीमी प्रगति • कार्य-क्षेत्र की अनुपलब्धता
220 और 400 केवीजीआईएस स्विच यार्ड (टीए8) - एल एवं टी				
इकाई-I	28.1.2012	20.11.2013	22	<ul style="list-style-type: none"> • बीएचईएल द्वारा जल निकासी के कारण साइट ग्रेडिंग कार्य, क्षतिग्रस्त उपकरणों के प्रतिस्थापन और इसके परिणामस्वरूप आरंभिक विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता में विलंब, साइट पर स्थापना अभियंता की तैनाती
इकाई-II	28.01.2012	05.11.2013	22	
विद्युत ट्रांसफॉर्मर (टीए9) - एबीबी				
इकाई-I एवं II	25.07.2012	15.04.2015	33	<ul style="list-style-type: none"> • सिविल कार्यों को अंतिम रूप देना और प्रारंभ करना
शोर अनलोडर - टीआरएफ				
इकाई-I एवं II	18.11.2013	09.09.2015	22	<ul style="list-style-type: none"> • यद्यपि कोयला प्रबंधन प्रणाली से शोर अनलोडर्स को हटाने का अनुबंध सितम्बर 2007 में ही ले लिया था, लेकिन निविदा प्रक्रिया में विलंब हुआ और एलओए मई

इकाई	निर्धारित समापन तिथि	वास्तविक समापन तिथि	माह में विलंब	विलंब का प्रमुख कारण
				2012 में ही जारी किया गया।

स्रोत: परियोजना पूर्णता रिपोर्ट

प्रबंधन ने अनुबंध निष्पादन में विलंब के विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए उत्तर दिया (सितंबर 2022) और ऊपर बताए अनुसार विलंब को स्वीकार किया।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की (मार्च 2023)।

प्रबंधन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि न केवल उपकरणों की स्थापना के लिए बल्कि सामग्रियों के भंडारण के लिए भी पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी (जैसा कि पैरा 1.3.6.1(क) में टिप्पणी की गई है)। एक अधिक मजबूत परियोजना नियोजन (जैसा कि पैरा 1.3.6.1(ख) और 1.3.6.1(ग) में टिप्पणी की गई है) विलंब को काफी हद तक कम करने में मदद करता। इसके अलावा, यूनिट-1 और यूनिट-11 के चालू होने में विलंब के परिणामस्वरूप निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत में वृद्धि (आईडीसी) और परियोजना निर्माण लागत में वृद्धि के कारण वित्तीय बोझ पड़ा, जैसा कि बाद के पैरा संख्या 1.3.6.1(च) और 1.3.6.1(छ) में चर्चा की गई है।

ड. परियोजना लागत में वृद्धि

अपर्याप्त योजना और अकुशल परियोजना क्रियान्वयन के कारण परियोजना में समय की अधिकता हुई, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है। मूल अनुमानित परियोजना लागत (मई 2008) ₹4,909.54 करोड़ थी, जिसे दिसंबर 2013 में संशोधित कर ₹6,602.74 करोड़ कर दिया गया और फिर अप्रैल 2016 में संशोधित कर ₹7,293.48 करोड़ कर दिया गया क्योंकि परियोजना में समय अधिक लगा। इस प्रकार, कुल लागत में ₹2,383.94 करोड़ की वृद्धि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022)/निकास बैठक (जुलाई 2023) कि परियोजना लागत अप्रैल 2016 में संशोधित कर ₹7,293.48 करोड़ कर दी गई, जिसका मुख्य कारण मूल्य वृद्धि (₹802 करोड़), बाजार की स्थिति (₹697 करोड़), समय की अधिकता (₹1,190 करोड़), संसाधन जुटाने में विलंब और आईडीसी (₹419 करोड़) के प्रभाव को समायोजित करना था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन का उत्तर नहीं दिया (मार्च

2023)। प्रबंधन/मंत्रालय ने निकास बैठक (जुलाई 2023) में बताया कि परियोजना निष्पादन में विलंब संविदाकारों द्वारा संसाधन जुटाने में विलंब के कारण हुआ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में संशोधित लागत अनुमान (आरसीई-II) में दिए गए औचित्य को दोहराया, जिसके आधार पर भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। संविदाओं के आवंटन में मूल्य वृद्धि पर लागत अनुमानों के पहले संशोधन (दिसंबर 2013 में आरसीई-I) में पहले ही विचार किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि लागत वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित संविदाओं के कारण था:

- मुख्य संयंत्र (भाप और टर्बो जनरेटर) का संविदा (जनवरी 2009) ₹3,196 करोड़ की लागत पर दिया गया, जो कि मई 2008 में स्वीकृत अनुमान (₹1,649.81 करोड़) का 193 प्रतिशत था।
- कोयला प्रबंधन प्रणाली, जिसका प्रारंभिक अनुमान (मई 2008) ₹327.93 करोड़ था, का संविदा (जुलाई 2009/मई 2012) ₹574.35 करोड़²⁹ की लागत पर दिया गया, जो अनुमान का 175 प्रतिशत था और वास्तविक लागत (जुलाई/सितंबर 2015) ₹608.74 करोड़³⁰ तक पहुँच गई।
- निर्माण के दौरान ब्याज का अनुमान (मई 2008) ₹597.33 करोड़ था, लेकिन अंततः यह ₹1379.15 करोड़ हो गया, जो मई 2008 में स्वीकृत अनुमान से 230 प्रतिशत अधिक था।

लेखापरीक्षा उपरोक्त मामलों में परियोजना लागत में वृद्धि से बचने में प्रबंधन की प्रभावशीलता पर आश्वासन नहीं प्राप्त कर सकी, क्योंकि परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेख एनटीपीएल में उपलब्ध नहीं थे और समय बीत जाने के कारण वे एनएलसी इंडिया में भी उपलब्ध नहीं थे।

च परियोजना का वित्तीय समापन और निर्माण के दौरान ब्याज में वृद्धि

²⁹ कोयला प्रबंधन प्रणाली- ₹453.54 करोड़ + यूएसडी 7,361,035 (1 यूएसडी = लगभग ₹47) और शोर अनलोडर- ₹86.22

³⁰ कोयला प्रबंधन प्रणाली- ₹525.69 करोड़ और शोर अनलोडर- ₹83.05 करोड़

एनटीपीएल ताप विद्युत परियोजना को भारत सरकार द्वारा ₹4,909.54 करोड़ की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया (मई 2008), जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज भी सम्मिलित है, जिसका वित्तपोषण इक्विटी और 70:30 ऋण इक्विटी आधार पर उधारों से किया जाना था अर्थात् क्रमशः ₹3,436.68 करोड़ और ₹1,472.86 करोड़। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनटीपीएल ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) से 11.10 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹3,437 करोड़ सावधि ऋण (आरटीएल) लिया (जुलाई 2008)। नवंबर 2009 तक, एनटीपीएल ने केवल ₹271 करोड़ निकाले थे और बैंक ऑफ बड़ौदा कंसोर्टियम (बीओबी) से 9.70 प्रतिशत की ब्याज दर पर नया ऋण लेकर ऋण को बदलने का प्रस्ताव रखा। आरईसी ऋण ब्याज और पूर्वभुगतान ब्याज सहित ₹282.97 करोड़ पर चुकाया गया (मई 2010)। इसके बाद, एनटीपीएल ने बैंक ऑफ बड़ौदा कंसोर्टियम से ₹2,500 करोड़ (अप्रैल 2010) और शेष ₹937 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया कंसोर्टियम (बीओआई) से 10.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर (नवंबर 2012) प्राप्त किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण के दौरान मूल परियोजना लागत (मई 2008), पहली संशोधित परियोजना लागत (दिसंबर 2013) और दूसरी संशोधित परियोजना लागत (अप्रैल 2016) में ब्याज क्रमशः ₹597.33 करोड़, ₹855.39 करोड़ और ₹1,379.15 करोड़ अनुमानित किया गया, जो मूल परियोजना लागत अनुमानों की तुलना में ₹781.82 करोड़ अधिक था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

क) परियोजना लागत अनुमानों में (जून 2013) ₹1,693 करोड़³¹ की वृद्धि के कारण, एनटीपीएल ने नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) से 10.86 प्रतिशत की दर से 12 माह के लिए ₹1,184 करोड़ का रुपया सावधि ऋण लिया, जो ₹1,693 करोड़ का 70 प्रतिशत था। इसके स्थान पर विद्युत वित्त निगम से ₹0.70 करोड़ की अग्रिम शुल्क और कानूनी शुल्क लेकर ₹1,184 करोड़ का रुपया सावधि ऋण 10.41 प्रतिशत पर लिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएलसी ऋण में ऋण स्थगन की सुविधा नहीं थी और ऋण राशि 364 दिनों के भीतर निकाली जानी थी, जिससे एनटीपीएल को बिना किसी विशिष्ट आवश्यकता के ₹492 करोड़ निकालने पड़े। इस निधि में से, ₹204.40 करोड़ का उपयोग जनवरी 2015 से मार्च 2015 की अवधि के लिए उसी एनएलसी ऋण में देय

³¹ ₹6,602.74 करोड़ - ₹4,909.54 करोड़: वास्तविक अनुमानित लागत ₹4,909.54 करोड़ थी जिसे संशोधित करके ₹6,602.74 करोड़ (जून 2013) और फिर ₹7,293.48 करोड़ (जून 2015) कर दिया गया।

राशि के पुनर्भुगतान के लिए किया गया और शेष राशि को अल्पकालिक जमा में निवेश किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि एनएलसी से प्राप्त ऋण स्थायी ऋण सुविधा नहीं थी और इसमें कोई स्थगन अवधि नहीं थी। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की (मार्च 2023)।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि अल्पकालिक ऋण की शर्तें एनटीपीएल के वित्तीय हितों के विरुद्ध थीं। एनटीपीएल अपनी मूल कंपनी से अनुकूल शर्तें प्राप्त करने में विफल रही।

ख) परियोजना के चालू होने में विलंब के कारण, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऋण की स्थगन अवधि 30 नवंबर 2013 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2015 कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप निर्माण अवधि के दौरान ₹435.63 करोड़³² का अतिरिक्त ब्याज लगा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि पुनर्भुगतान की प्रारंभ तिथि से बैंक ऑफ बड़ौदा ऋण के लिए भुगतान किया गया ब्याज थर्मल विद्युत संयंत्र यूनिट 1 और 2 के प्रारंभ में विलंब के कारण बढ़ा दिया गया और तदनुसार कंपनी ने निर्माण अवधि के दौरान अतिरिक्त ब्याज दिया जिसे कंपनी ने पैकेज संविदाकारों से परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के माध्यम से वसूल किया।

प्रबंधन ने इस तथ्य का समर्थन करने के लिए दस्तावेज प्रदान नहीं किए कि एनटीपीएल ने निर्माण के दौरान संविदाकारों से परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के माध्यम से अतिरिक्त ब्याज वसूल किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2024 तक नौ अनुबंधों के अंतर्गत केवल ₹24.98 करोड़ की परिसमाप्त क्षतिपूर्ति वसूल की गई।

1.3.6.2 संयंत्र संचालन एवं प्रबंधन

क संयंत्र संचालन हेतु एक नियामक एवं निगरानी तंत्र

³² नवंबर 2013 से दिसंबर 2014 तक 11.00 प्रतिशत की वार्षिक दर, जनवरी 2015 से जून 2015 तक 10.45 प्रतिशत की वार्षिक दर, जुलाई 2015 के दौरान 10.20 प्रतिशत की वार्षिक दर और अगस्त 2015 के दौरान 10.05 प्रतिशत की वार्षिक दर।

विद्युत अधिनियम, 2003, विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करता है। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियामक आयोगों के गठन, अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अनुसार, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, उत्पादन कंपनियों के शुल्क को विनियमित करेगा, विद्युत के अंतर-राज्यीय संचरण को विनियमित करेगा और विद्युत के अंतर-राज्यीय संचरण के लिए शुल्क निर्धारित करेगा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) को वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करके, लागतों की वसूली करके और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करके शुल्क निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है (विद्युत अधिनियम की धारा 61)।

शुल्क/मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

- विद्युत उत्पादक कंपनियों द्वारा दायर आवेदनों के आधार पर सीईआरसी द्वारा पाँच वर्षों की अवधि, जैसे कि 2014-19, 2019-24, आदि के लिए अनंतिम शुल्क आदेश जारी किया जाता है।
- शुल्क अवधि पूरी होने पर, सीईआरसी विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा वास्तविक व्यय के अनुसार दायर याचिका के आधार पर ड्रइंग-अप प्रक्रिया करता है। यह ड्रइंग-अप स्टेशन ताप दर, द्वितीयक ईंधन तेल की खपत, सहायक विद्युत खपत और ऋण पुनर्वित्त जैसे विभिन्न नियंत्रणीय मापदंडों पर आधारित होता है। शुल्क का ड्रइंग-अप करते समय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनियंत्रित मापदंडों, अप्रत्याशित परिस्थितियों, कानून में परिवर्तन और प्राथमिक ईंधन लागत पर भी विचार किया जाता है।
- ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों (कोयला, लिग्नाइट और गैस आधारित) के लिए, सीईआरसी ने दो-भागीय शुल्क अपनाया है, अर्थात् क्षमता प्रभार (वार्षिक स्थिर लागत की वसूली के लिए) और ऊर्जा प्रभार (प्राथमिक ईंधन लागत की वसूली के लिए)।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (शुल्क की नियम व शर्तों) विनियमों में भी विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक, वार्षिक संयंत्र भार कारक, सकल स्टेशन ताप दर, द्वितीयक ईंधन तेल खपत और सहायक ऊर्जा खपत। एनटीपीएल का संचालन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। तदनुसार, एनटीपीएल का विद्युत शुल्क समय-समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों/ विनियमों पर आधारित है।

लेखापरीक्षा ने एनटीपीएल के संचालन की मितव्ययिता और दक्षता का आकलन किया और परिचालन मापदंडों की प्राप्ति न होने, विद्युत उत्पादन में रुकावटों के कारण उत्पादन हानि, परिहार्य व्यय और विभिन्न अनुबंध संबंधी मुद्दों आदि को देखा जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

ख संयंत्र उपलब्धता कारक की प्राप्ति न होना

सीईआरसी के नियम किसी भी अवधि के लिए किसी उत्पादन केंद्र के संबंध में 'संयंत्र उपलब्धता कारक' (पीएएफ) को उस अवधि के दौरान सभी दिनों के लिए दैनिक घोषित क्षमताओं के औसत के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसे मेगावाट में स्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसमें से मानक सहायक विद्युत खपत को घटाया जाता है।

क्षमता शुल्क की वसूली के लिए सीईआरसी शुल्क नियमों के अनुसार, उत्पादन कंपनी वार्षिक स्थिर लागतों की पूरी वसूली तभी कर सकती है जब वर्ष के दौरान मानक वार्षिक पीएएफ³³ प्राप्त कर लिया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनटीपीएल केवल वर्ष 2020-21 में ही मानक पीएएफ प्राप्त कर सका। परिणामस्वरूप, यह शेष वर्षों के लिए ₹771.88 करोड़ की वार्षिक स्थिर लागत (क्षमता शुल्क) वसूल नहीं कर पाया। एनटीपीएल पर लागू मापदंडों के विरुद्ध वर्ष-वार प्राप्त पीएएफ और अप्राप्य स्थिर लागत का विवरण तालिका 1.15 में दिया गया है।

³³ एक उत्पादन स्टेशन के संबंध में नियामक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक का अर्थ है ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन के लिए शुल्क के नियम और शर्तों पर सीईआरसी विनियमों में निर्दिष्ट उपलब्धता कारक। 2014-19 और 2019-24 की अवधि के लिए विनियमों में स्थापित क्षमता के 85 प्रतिशत के रूप में नियामक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक निर्धारित किया गया है।

तालिका 1.15: एनटीपीएल द्वारा संयंत्र उपलब्धता कारक और अप्राप्य स्थिर लागत

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
एनटीपीएल के लिए स्थिर लागत की वसूली हेतु मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (प्रतिशत में)	83	83	85	85	85	85	85	85
प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (प्रतिशत में)	36.61 (इकाई I) 59.77 (इकाई II)	81.20	80.08	79.41	78.16	91.16	64.08	84.75
सीईआरसी द्वारा अनुमत वार्षिक स्थिर लागत (₹ करोड़ में)	761.93	1,107.98	1,099.68	1,090.16	1,090.17	1,090.17	1,090.17	1,090.17
लाभार्थियों से वसूल की गई वार्षिक स्थिर लागतें (करोड़ में)	519.28	1,083.95	1,036.04	1,018.43	1,002.40	1,090.17	841.70	1,056.57
कम संयंत्र उपलब्धता कारक के कारण वसूल न हुई निश्चित लागत (करोड़ में)	242.65	24.03	63.64	71.73	87.76	-	248.47	33.60

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त 2022) और निकास बैठक (जुलाई 2023) में भी कहा कि 2015-16 के लिए कम पीएएफ आरंभिक समस्याओं और अनियोजित कटौती (अनियोजित बाधाओं) के कारण था और वर्ष 2017-18, 2021-22 और 2022-23 के लिए यह कोयले की कमी के कारण था। प्रबंधन ने यह भी कहा कि क्षतिग्रस्त जनरेटर स्टेटर और रोटर के सुधार के कारण दीर्घ अवधि तक उत्पादन रुकने के कारण संयंत्र उपलब्धता कारक कम हो गया और वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए लागत की कम वसूली हुई। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर से सहमति व्यक्त की (मार्च 2023)।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आरंभिक समस्याएं, अनियोजित कटौती और कोयले की कमी के कारण संयंत्र उपलब्धता कारक कम हो गया और निश्चित लागत की कम वसूली, मुख्य रूप से नियंत्रणीय कारक थे जैसा कि नीचे दिए गए पैराग्राफ में बताया गया है।

अनुशंसा संख्या 4: एनटीपीएल को वार्षिक निश्चित लागतों की पूर्ण वसूली के लिए मानक संयंत्र उपलब्धता कारक को प्राप्त करने हेतु परिचालन योजना को मजबूत करने के लिए नियंत्रणीय कारकों की पहचान और निगरानी करनी चाहिए।

ग अनियोजित विद्युत कटौती और आंशिक भार संचालन के कारण विद्युत उत्पादन में हानि और उसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि

विभिन्न कारणों से संयंत्र की विद्युत उत्पादन के लिए अनुपलब्धता को 'आउटेज' कहा जाता है। एक विद्युत संयंत्र में नियमित 'निवारक अनुरक्षण' के लिए नियोजित कटौती होती है। अनियोजित या जबरन कटौती, कोयले की अनुपलब्धता, भाप जनरेटर-टर्बाइन जनरेटर/संयंत्र उपकरणों में खराबी और दुर्घटनाओं आदि जैसे कारणों से हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने उन कटौतियों के निपटने की समीक्षा की, जिनके कारण एनटीपीएल आवश्यक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त नहीं कर पाया और संचालन में हानि हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान एनटीपीएल ताप विद्युत संयंत्र में विभिन्न परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण 258 अनियोजित कटौती हुईं। अनियोजित कटौती के कारण उत्पादन हानि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका 1.16: विद्युत संयंत्र में अनियोजित कटौती के कारण हानि

वर्ष	अनियोजित कटौती (आवृत्तियों की संख्या)	कटौती (घंटों में)	विद्युत उत्पादन हानि (एमयू में)
2015-16	83	3,749.18	1,874.59
2016-17	61	1,682.71	841.36
2017-18	31	1,412.83	706.42
2018-19	21	2,369.45	1,184.75
2019-20	12	3,183.37	1,591.68
2020-21	19	647.97	323.98
2021-22	19	2,822.08	1,411.04
2022-23	12	1,125.42	562.71
कुल	258	16,993.01	8,496.53

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

यह भी देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों में अनियोजित कटौती की स्थिति में सुधार का रुझान देखा गया। हालाँकि, वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के बाद से, कुल

16,993.01 घंटे की कटौती हुई और इसके परिणामस्वरूप 8,496.53 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की हानि हुई, जिससे ₹2,515.15 करोड़ का संभावित राजस्व नुकसान हुआ।

इसके अलावा, 258 अनियोजित कटौती के विश्लेषण से पता चला कि विद्युत उत्पादन हानि के कारणों में 225 भाप जनरेटर और टर्बाइन जनरेटर विफलताएँ (6,581.31 मिलियन यूनिट: 77 प्रतिशत), कोयले की कमी के नौ मामले (1,806.34 मिलियन यूनिट: 22 प्रतिशत) और 24 अन्य संयंत्र संबंधी विफलताएँ (108.88 मिलियन यूनिट: एक प्रतिशत) सम्मिलित थीं।

प्रत्येक कटौती पर, संयंत्र बंद हो जाता था और संयंत्र बंद होने के लिए भाप जेनरेटर टर्बाइन जेनरेटर को 'स्टार्ट-अप'³⁴ करना पड़ता था। इसलिए, उत्पादन की हानि के अलावा, परिणामी 'स्टार्ट-अप' के लिए प्रत्येक कटौती पर अतिरिक्त व्यय³⁵ की आवश्यकता होती थी जो कि वसूली योग्य नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टार्ट-अप विवरण यानी 'स्टार्ट-अप' का प्रकार और 2015-16 से 2017-18 की अवधि के बीच 175 अनियोजित कटौती से संबंधित स्टार्ट-अप के लिए किए गए व्यय का अनुरक्षण नहीं किया गया। प्रत्येक कटौती संयंत्र के कार्यकाल को प्रभावित करता है और हालांकि सीईए ने इसके लिए नियम (2010) निर्धारित किए थे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेख संयंत्र संचालन के प्रारंभिक वर्षों में उसका पालन करने के लिए की गई किसी कार्रवाई का संकेत नहीं देते। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान हुए 83 अनियोजित कटौती के लिए ₹30.76 करोड़ का आरंभिक व्यय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि 2018-19 से आरंभिक विश्लेषण किया जा रहा था और विश्लेषण रिपोर्ट सभी पहलुओं से पूर्ण थी। इसने यह भी बताया कि बॉयलर ट्यूब रिसाव का प्रमुख कारण समुद्री जल के कारण क्षरण था। एनटीपीएल ने संयंत्र का कार्यकाल बढ़ाने और उसे स्वीकृत उद्योग मानकों के भीतर रखने के लिए संयंत्र में होने वाली विद्युत की कटौती को कम करने हेतु अपनी निगरानी प्रणाली में सुधार करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर की पुष्टि की (मार्च 2023)।

इसके अलावा, अक्टूबर 2016 में, ओईएम (भेल) ने अतिरिक्त रोटर्स के लिए अनुशंसा की थी। हालांकि, एनएलसी इंडिया ने खरीद में विलंब किया। इसके बाद, जनवरी 2019 में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यूनिट-11 के जेनरेटर में आग लगने से रोटर को गंभीर नुकसान हुआ और उसे भेल हरिद्वार में मरम्मत करनी पड़ी। अतिरिक्त रोटर की अनुपस्थिति के कारण, एनटीपीएल ने एनटीपीसी/दामोदर घाटी निगम से विकल्प तलाशे,

³⁴ प्लांट बंद होने के बाद शुरू होना।

³⁵ एक बार के बाद प्लांट को चालू करने के लिए ज़रूरी तेल, बिजली, पानी वगैरह पर खर्च।

जो एनटीपीसी और दामोदर घाटी निगम द्वारा रखी गई कठोर शर्तों के कारण पूरे नहीं हो सके। हरिद्वार में रोटर की मरम्मत में लगने वाले समय के कारण छह माह की अनियोजित कटौती हुई और ₹633.82³⁶ करोड़ का अनुमानित संभावित राजस्व नुकसान हुआ। अतिरिक्त रोटर की आवश्यकता की पूर्व जानकारी के बावजूद, एनटीपीएल ने महत्वपूर्ण पुर्जों को सुनिश्चित नहीं किया और जून 2022 तक खरीद आदेश देने में विलंब किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि इस प्रकार की खराबी पहले कभी नहीं हुई थी और इसलिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023/जुलाई 2023) कि रोटर न खरीदकर, जिसकी कीमत लगभग ₹40 करोड़ से ₹60 करोड़ थी, सोचा-समझा जोखिम उठाया गया। 2019 में रोटर का खराब होना दुर्भाग्यपूर्ण था।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर उद्योग की कार्यप्रणाली के विपरीत था क्योंकि एनटीपीएल के बोर्ड ने फरवरी 2016 में आपातकालीन पुर्जों की खरीद को स्वीकृति दी थी। हालाँकि, एनएलसी इंडिया द्वारा जनरेटर रोटर के लिए खरीद आदेश जून 2022 में दिया था और इसे मार्च 2023 तक संयंत्र-स्थल पर भेजना था।

कोयले की कमी के कारण अनियोजित विद्युत कटौती पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे पैरा संख्या (i) और (ii) में दी गई हैं।

(i) अपर्याप्त कोयला आपूर्ति और निर्धारित कोयले के भंडार का अनुरक्षण न होना तथा संयंत्र संचालन पर इसका प्रभाव

लेखापरीक्षा में एनटीपीएल संयंत्र में कोयला आपूर्ति व्यवस्था, कोयला खरीद और कोयले के भंडार की उपलब्धता की समीक्षा की गई तथा कोयले की कमी के कारण होने वाली अनिवार्य कटौती का विश्लेषण किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है :

क) सांविधिक पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के कारण ईंधन आपूर्ति करार की मात्रा घट गई

ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं जैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार का वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आदि से विभिन्न स्वीकृति लेना आवश्यक है।

³⁶ $1,939.47 \text{ एमयू} \times \text{एवरेज ईसीआर } ₹3.27 = ₹633.82 \text{ करोड़}$

कोयला मंत्रालय की स्थायी आपूर्ति समिति³⁷ के आदेश (जुलाई 2006) के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा 4.624 एमएमटीपीए³⁸ की आपूर्ति के लिए आश्वासन पत्र (एलओए) जारी किया था (अगस्त 2006)। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वन्यजीव स्वीकृति, वन स्वीकृति और तटीय क्षेत्र स्वीकृति में क्रमशः 33 माह, 32 माह और 20 माह का विलंब³⁹ हुआ, जिसके कारण एलओए की अवधि समाप्त हो गई। कोयले की कम मात्रा यानी 3.0 एमएमटीपीए के लिए एक नया एलओए जारी किया गया (सितंबर 2010) जिससे कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई।

प्रबंधन ने एलओए की समाप्ति के लिए भूमि के अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी जैसी विभिन्न प्रकार की गैर-उपलब्धि का हवाला दिया (सितंबर 2022)। मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि कोल इंडिया लिमिटेड में ऋणात्मक कोयला संतुलन को देखते हुए, स्थायी आपूर्ति समिति द्वारा यह अनुबंध लिया गया (नवंबर 2008) कि तटीय परियोजनाएँ आयात के माध्यम से 30 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं और इसलिए एलओए को अनुशंसित क्षमता के 70 प्रतिशत तक संशोधित किया गया।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि देश में प्रचलित कोयले की कमी के मद्देनजर सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के परिणामस्वरूप स्थायी आपूर्ति समिति द्वारा एनटीपीएल को कम कोयले का आवंटन किया गया।

ख) कोयला आपूर्ति व्यवस्था और विभिन्न स्रोतों से कोयला खरीद

एनटीपीएल के पास भारत में विभिन्न स्रोतों से कोयला आपूर्ति व्यवस्था और भारत के बाहर से कोयला आयात की व्यवस्था थी। अनुमानित वार्षिक कोयला आवश्यकता 4.48 एमएमटीपीए थी। घरेलू कोयला महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) और तालाबीरा कोल ब्लॉक से प्राप्त किया गया जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में बताया गया है।

³⁷ थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की सप्लाई की योजना के लिए जनवरी 1973 में स्थायी आपूर्ति समिति बनाई गई।

³⁸ मिलियन मीट्रिक टन हर साल

³⁹ विलंब की गणना मूल निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि (अगस्त 2012) से की गई

तालिका 1.17: एनटीपीएल के लिए भारत से कोयला आपूर्ति के स्रोत

आपूर्तिकर्ता का नाम	ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) की तिथि	कोयले का ग्रेड	कोयले का ग्रेड
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	24 सितंबर 2013	3.00 एमएमटीपीए ⁴⁰	निम्न सकल कैलोरी मान वाला कोयला (ग्रेड 8 से ग्रेड 13)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	14 सितंबर 2016	0.30 एमएमटीपीए ⁴¹	उच्च सकल कैलोरी मान वाला कोयला (ग्रेड 4)
		1.00 एमएमटीपीए	
तालाबीरा कोल ब्लॉक	एनएलसी इंडिया को एनटीपीएल की कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा यह ब्लॉक (2 मई 2016) आवंटित किया गया। 26 अप्रैल 2020 से उत्पादन चालू हो गया।		निम्न सकल कैलोरी मान वाला कोयला (ग्रेड 14)

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान, यह देखा गया कि सभी स्रोतों (घरेलू और आयातित) से 22.56 लाख मीट्रिक टन कोयले⁴² की अनुमानित कमी थी जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई।

तालाबीरा कोयला ब्लॉक के चालू होने के कारण एमसीएल और ईसीएल ने सितंबर 2021 से आपूर्ति बंद कर दी। वर्ष 2022-23 के लिए, एमसीएल ने तालाबीरा II और III खदानों (एनएलसी इंडिया के स्वामित्व वाली) से उत्पादित कोयले और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ एनटीपीसी की समेकित वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) से प्राप्त कोयले के बीच कोयला-विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत दो वर्षों के लिए कोयले की आपूर्ति की। इस विनिमय व्यवस्था का उद्देश्य एनटीपीएल और एनटीपीसी के लिए लॉजिस्टिक्स लाभ प्राप्त करना था। विभिन्न स्रोतों से एनटीपीएल द्वारा प्राप्त घरेलू कोयले की कुल मात्रा तालिका 1.18 में दी गई है।

⁴⁰ ईसीएल के साथ एफएसए (एफएसए में 16 नवंबर 2016 को हुआ संशोधन) के बाद एमसीएल द्वारा की जाने वाली आपूर्ति 3.00 एमएमटीपीए की मात्रा को घटाकर 2.56 एमएमटीपीए कर दी गई।

⁴¹ (एमसीएल से 3.0 एमएमटीपीए में से)

⁴² मासिक आवश्यकता = 3,30,000 एमटी, वार्षिक ज़रूरत = 39,60,000 एमटी, 2017-18 से 2022-23 तक 6 सालों के लिए कुल ज़रूरत = 2,37,60,000 एमटी। इस दौरान कुल खरीद = 2,15,04,366 एमटी। कमी 22,55,634 एमटी।

तालिका 1.18: एनटीपीएल द्वारा 2017-18 से 2022-23 तक खरीदा गया कोयला

(मीट्रिक टन में)

एमसीएल	ईसीएल	एचजीसीवी का आयातित कोयला	तालाबीरा ⁴³	कुल	एमसीएल से कोयले का प्रतिशत
1,20,97,653	31,56,785	27,87,666	34,62,262	2,15,04,366	56.26

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

तालिका 1.18 से यह देखा जा सकता है कि एनटीपीएल ने 2022-23 तक एमसीएल से लगभग 56.26 प्रतिशत कोयला खरीदा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2017 से सितंबर 2021 तक 54 माह के दौरान, एमसीएल द्वारा आवंटन 54 माह में से केवल दस माह में मासिक आरक्षित मात्रा (एमएसक्यू) के 90 प्रतिशत से कम था। हालांकि, एमसीएल द्वारा आवंटन के मुकाबले, एनटीपीएल 54 माह में से 40 माह में आवंटित मात्रा का 100 प्रतिशत नहीं उठा पाया। इससे एनटीपीएल संयंत्र में कोयले के भंडार की उपलब्धता में कमी आई। एनटीपीएल द्वारा मासिक कोयला आवंटन और वास्तविक उठान अनुलग्नक V में दिया गया है।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2022) कि मासिक रेक आवंटन रेलवे द्वारा किया गया। जब भी एमसीएल या ईसीएल में कोयला उपलब्ध होगा, एनटीपीएल कोयले के भंडार में सीईआरसी मापदंडों के अनुसार पर्याप्त कोयले के भंडार बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कोयला खरीदा जाएगा। मानसून के दौरान, कोयले का उत्पादन और आपूर्ति कम होगी और कोयले का उत्पादन न्यूनतम होगा। कोयला खरीद विभाग, विद्युत संयंत्र की मासिक आवश्यकता के अनुसार कोयला खरीद रहा है। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि 54 माह में से 29 माह में उठाई गई मात्रा मासिक निर्धारित मात्रा से भी कम थी। एनटीपीएल ने मासिक निर्धारित मात्रा के परिवहन के लिए एक लॉजिस्टिक्स संविदाकार नियुक्त किया। एनटीपीएल और उसके लॉजिस्टिक्स संविदाकार, कोयला आपूर्ति और मासिक रेक आवंटन के प्रबंधन के लिए क्रमशः कोयला आपूर्तिकर्ताओं और रेलवे के साथ समन्वय स्थापित करने में विफल रहे। हालांकि, आवंटित मात्रा का उठान सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं

⁴³ अक्टूबर 2021 से तालाबीरा कोयला।

के साथ समन्वय करने हेतु कंपनी/लॉजिस्टिक्स संविदाकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

ग) कोयले के भंडार की स्थिति और उसका प्रभाव

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के (2 x 500 मेगावाट या उससे अधिक) थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संयंत्र के संतुलन के लिए मानक डिजाइन मानदंड/दिशानिर्देश (सितंबर 2010) के अनुसार, एनटीपीएल को बिजली संयंत्र तटीय क्षेत्र में होने के कारण अपनी बिजली संयंत्र इकाइयों के लिए 30 दिनों (3,30,000 मीट्रिक टन) तक के लिए कोयले का भंडार स्तर बनाए रखने की आवश्यकता थी। यह देखा गया कि 2016-17 में दो माह के दौरान, 2017-18 में छह माह के दौरान (कोयला आयात बंद होने के कारण), 2018-19 में दो माह के दौरान, 2019-20 में ग्यारह माह के दौरान (एमसीएल द्वारा कम आपूर्ति), 2020-21 में तीन माह के दौरान, 2021-22 के सभी माह के दौरान (ईसीएल/एमसीएल कोयले को अलग करने के कारण), और 2022-23 के पांच माह के दौरान (एमसीएल, तालाबीरा ब्लॉक और आयात से आपूर्ति में मामूली कमी) कोयले का भंडार स्तर 3,30,000 मीट्रिक टन तीस दिनों की आवश्यकता से कम⁴⁴ था।

इसके अलावा, सीईए⁴⁵ ने (नवंबर 2017) कोयला खदानों से दूर स्टेशनों के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा को सात दिनों से कम के कोयले के भंडार के रूप में और चार दिनों से कम के कोयले के भंडार को अति आवश्यक न्यूनतम मात्रा स्तर के रूप में वर्गीकृत किया है। एनटीपीएल की कोयले के भंडार स्थिति 2019-20, 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 5 दिनों, 153 दिनों और 12 दिनों के लिए अति आवश्यक न्यूनतम मात्रा के स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा, 2019-20, 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 11 दिनों, 116 दिनों और 25 दिनों के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा स्तर को बनाए नहीं रखा गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त अवधि के दौरान, विद्युत संयंत्र इकाइयों को या तो अनियोजित विद्युत कटौती का सामना करना पड़ा (जैसा कि पैरा 1.3.6.2सी(ii) में चर्चा

⁴⁴ 2016-17: मई और अक्टूबर; 2017-18: अगस्त से जनवरी; 2018-19: जून और जुलाई; 2019-20: अप्रैल से फरवरी; 2020-21: जुलाई, फरवरी और मार्च; 2021-22: अप्रैल से मार्च; 2022-23: अप्रैल, मई, जून, नवंबर और फरवरी

⁴⁵ दैनिक कोयला रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश

की गई है) या कोयले की कमी के कारण संयंत्र आंशिक भार पर संचालित हुआ। लेखापरीक्षा ने कोयले की कमी के कारण उत्पन्न हुई अनियोजित कटौती की स्थिति का विश्लेषण किया, जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(ii) कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में कमी के कारण विद्युत कटौती की बाध्यता

लेखापरीक्षा ने संयंत्र संचालन की शुरुआत से लेकर 2022-23 तक विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता की समीक्षा की और पाया कि आयातित कोयले की आपूर्ति बंद होने के कारण अपर्याप्त कोयला आपूर्ति, वर्ष 2017-18 में ईसीएल से उच्च जीसीवी कोयले की कमी और 2021-22 और 2022-23 के दौरान तालाबीरा खदानों से कोयले की आपूर्ति के लिए लॉजिस्टिक्स संविदाकार को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण कोयले की कमी के परिणामस्वरूप अनियोजित विद्युत कटौती हुई जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और नीचे उप-पैरा (ए) और (बी) में आगे चर्चा की गई है।

तालिका 1.19: कोयले की कमी के कारण अनियोजित विद्युत कटौती

वर्ष	कटौती की संख्या	कटौती की अवधि	कटौती घंटे	उत्पादन हानि (एमयू)	संभावित राजस्व हानि (₹ करोड़ में)	कारण
2017-18	2	08.09.17 से 01.10.17 एवं 20.10.17 से 26.10.17 (II)	705.93	352.97	110.30	आयात अनुबंधों को कम करने का अनुबंध और लॉजिस्टिक्स अनुबंध की अनुपलब्धता के कारण ईसीएल से वैकल्पिक कोयले की व्यवस्था में विलंब।
2021-22	6	08.09.21 से 29.09.21 (इकाई-I)	2,618.13	1,309.07	420.47	तालाबीरा कोयला ब्लॉक एनएलसी इंडिया को आवंटित होने के कारण एमसीएल और ईसीएल ने एनटीपीएल को आपूर्ति बंद कर दी। हालाँकि, रेलवे बुनियादी ढाँचे और
		28.09.21 से 06.10.21 एवं 11.11.21 से 17.12.21 (इकाई-II)				
		28.12.21 से				

वर्ष	कटौती की संख्या	कटौती की अवधि	कटौती घंटे	उत्पादन हानि (एमयू)	संभावित राजस्व हानि (₹ करोड़ में)	कारण
		13.01.22 (इकाई-I)				लॉजिस्टिक्स अनुबंध की अनुपलब्धता के कारण एनटीपीएल तालाबीरा से कोयला प्राप्त नहीं कर सका।
		23.02.22 से 28.02.22 एवं 10.03.22 से 31.03.22 (इकाई-II)				
2022-23	1	01.04.22 से 13.04.22 (इकाई-II)	288.58	144.29	60.18	
कुल	9		3,612.64	1,806.33	590.95	

स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

(क) उच्च जीसीवी कोयले की कमी के कारण अनियोजित कटौती

एनटीपीएल ने दो अलग-अलग संविदाकारों से 1.44 एमएमटी और 0.96 एमएमटी उच्च जीसीवी आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए अनुबंध पत्र (एलओए) जारी किया (जुलाई 2016)। एलओए में शर्त थी कि आपूर्ति एलओए की तारीख से 12 माह के भीतर, यानी जुलाई 2017 तक पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि, एनएलसी इंडिया के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने एनटीपीएल को निर्देश दिया (अक्टूबर 2016) कि कोयला आयात से संबंधित मामले की कोयला मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है और दिशानिर्देशों के अनुसार, आयात को हतोत्साहित किया जाना है। तदनुसार, आयात प्रतिस्थापन के लिए, एमसीएल से घरेलू कोयले के अलावा, ईसीएल से कोयले की आपूर्ति तय की गई (सितंबर 2016)। इसके लिए लॉजिस्टिक्स/परिवहन व्यवस्था को 31 दिसंबर 2016 तक शीघ्रता से मजबूत किया जाना था और 31 मार्च 2017 तक कोयला आयात बंद करना था। आयात बंद होने के बाद, लॉजिस्टिक्स अनुबंध (जून 2017) को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण एनटीपीएल ईसीएल से तुरंत कोयले की व्यवस्था नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप संयंत्र के लिए उपलब्ध कोयले के भंडार में कमी आई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयातित कोयले की आपूर्ति (अप्रैल 2017) बंद होने और ईसीएल से उच्च जीसीवी कोयले की व्यवस्था में विलंब के कारण कोयले के भंडार की

कमी की स्थिति पैदा हो गई। इसके परिणामस्वरूप सितंबर और अक्टूबर 2017 के दौरान यूनिट ॥ में अनियोजित कटौती हुई, जिससे विद्युत उत्पादन में 352.97 मिलियन यूनिट की कमी आई और ₹110.30 करोड़ का संभावित राजस्व नुकसान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि मानसून, रेल रैकों की कम उपलब्धता आदि के कारण एमसीएल के पास कोयले की पूरी एफएसए मात्रा उपलब्ध नहीं थी। यह भी कहा गया कि आयातित कोयला भारतीय कोयले (ईसीएल कोयला) से सस्ता था। भारत सरकार के नीतिगत अनुबंध के अनुसार, एनटीपीएल ने अप्रैल 2017 से कोयले का आयात बंद कर दिया और आयात के स्थान पर ईसीएल कोयला प्रयोग करने लगा। तदनुसार, ईसीएल से उच्च जीसीवी कोयला खरीदा गया। यह भी उत्तर दिया गया कि कोयले के भंडार की स्थिति और विद्युत की मांग के आधार पर, उपलब्ध कोयले के प्रकार (स्वदेशी कोयला या आयातित कोयला) की परवाह किए बिना, कोयले के भंडार के उपलब्ध स्रोत का उपयोग किया जाना था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि 2017-18 के दौरान आयातित कोयला ईसीएल कोयले से काफी सस्ता था। हालाँकि, राष्ट्रीय हित और विदेशी मुद्रा को सीमित करने के कारण, एनटीपीएल ने आयातित कोयला खरीदना बंद कर दिया। आयातित कोयला बंद करके, एनटीपीएल ने विदेशी मुद्रा की बचत की। सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते भारत सरकार के आदेश से विचलन को उल्लंघन माना जाएगा।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आयात बंद होने तथा ईसीएल से उच्च श्रेणी के कोयले की आपूर्ति के लिए लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अंतिम रूप देने में विलंब के परिणामस्वरूप आपूर्ति बाधित हुई, जिससे ₹110.30 करोड़ की संभावित राजस्व हानि हुई।

(ख) तालाबीरा खदानों से कोयला प्राप्त करने में लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं के कारण कोयले की कमी के कारण अनियोजित कटौती

कोयला मंत्रालय ने एनएलसी इंडिया⁴⁶ को तालाबीरा ॥ और ॥॥ खुले कोयला ब्लॉक आवंटित किए (मई 2016)। एनएलसी इंडिया द्वारा तालाबीरा खदानों के खदान विकास और संचालन अनुबंध (फरवरी 2018) के अनुसार, तालाबीरा खदानों से कोयले का पहला उत्पादन और बाद में पूर्ण उत्पादन क्रमशः अप्रैल 2019 और अगले सात वर्षों में होने की

⁴⁶ एनटीपीएल परियोजना और तालाबीरा पिट हेड परियोजना के लिए

उम्मीद थी। तालाबीरा खदानों से कोयले के परिवहन के प्रस्ताव को एनटीपीएल बोर्ड ने जनवरी 2019 में स्वीकृति दी गई। जनवरी 2019 से जून 2021 के दौरान तीन बार निविदाओं को रद्द करने के बाद, पूर्व-आहर्ता मापदंडों में बदलाव के कारण, जुलाई 2021 में एक संविदाकार को लॉजिस्टिक्स अनुबंध प्रदान⁴⁷ किया गया।

सितंबर 2021 में, कोयला मंत्रालय ने निर्देश दिया कि एनटीपीएल के लिए कोयले की आवश्यकता को अपने स्वयं के कोयला ब्लॉक (तालाबीरा कोल ब्लॉक) से पूरा किया जाना है, और इस प्रकार एमसीएल और ईसीएल को कोयले की आपूर्ति तुरंत बंद कर दी गई। जुलाई 2021 में लॉजिस्टिक्स अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, तालाबीरा खदानों से कोयले की पहली खेप अक्टूबर 2021 में एनटीपीएल पहुँची। तालाबीरा खदानों से आपूर्ति पर्याप्त नहीं थी और अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान कुल 13.36 लाख मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनटीपीएल 2021-22 में 30 दिनों (3,30,000 मीट्रिक टन) का कोयले के भंडार का स्तर बनाए नहीं रख सका। इसके अलावा, 2021-22 में 153 दिनों में स्तर आवश्यक न्यूनतम मात्रा (चार दिनों से कम कोयले के भंडार) तक पहुँच गया।

इस प्रकार, एनटीपीएल को सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान कोयले की कमी के कारण बीच-बीच में⁴⁸ संयंत्रों को बंद करना पड़ा, जिसे टाला जा सकता था यदि तालाबीरा खानों से कोयले को उठाने के लिए संभार संविदा को पहले से ही अंतिम रूप दे दिया गया होता। इससे सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान 1,453.36 मेगा यूनिट का विद्युत उत्पादन⁴⁹ और ₹480.65 करोड़ की संभावित राजस्व हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि कोयला मंत्रालय ने कोयले की पूरी आपूर्ति को तालाबीरा कोयला ब्लॉक से लेने का निर्देश दिया था। इसलिए, ईसीएल और एमसीएल कोयले की आपूर्ति 1 सितंबर 2021 से बंद कर दी गई थी। तालाबीरा खदानों से कोयले की ढुलाई 10 सितंबर 2021 से शुरू हुई थी। इस प्रकार, एनटीपीएल को कोयले की कमी का सामना करना पड़ा। एमसीएल कोयले की उतराई लागत की तुलना में तालाबीरा

⁴⁷ जनवरी 2019 से जून 2021 के दौरान तीन बार निविदा जारी करने के बाद

⁴⁸ 8 सितंबर 2021 से 29 सितंबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021, 11 नवंबर 2021 से 17 दिसंबर 2021, 28 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022, 23 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022, और 10 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022

⁴⁹ 2021-22 - 1309.07 एमयू; 2022-23 - 144.29 एमयू (₹420.47 करोड़ + ₹60.18 करोड़)

कोयले की उतराई लागत अधिक थी; इसलिए एनटीपीएल ने कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कोयला स्वैपिंग व्यवस्था के माध्यम से एमसीएल कोयले का विकल्प चुना। प्रबंधन के उत्तर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि तालाबीरा में निकटतम बंदरगाह पर रेलवे साइडिंग की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप कोयले के परिवहन में विलंब हुआ। मंत्रालय ने निकास सम्मेलन (जुलाई 2023) में यह भी कहा कि कोयले की कमी के मुख्य कारण लॉजिस्टिक्स और संसाधन सीमाएं थीं।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में विचार करने की आवश्यकता है हालांकि कोयला ब्लॉक को मई 2016 की शुरुआत में आवंटित किया गया था, लेकिन एनटीपीएल ने तालाबीरा खदानों से कोयले की खरीद के लिए कदम नहीं उठाए थे। एनटीपीएल को पता था (फरवरी 2018) कि उत्पादन फरवरी 2019 से शुरू होगा। इस प्रकार, भले ही तालाबीरा खदानों से उत्पादन अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था, लेकिन लॉजिस्टिक्स की अनुपलब्धता में एनटीपीएल कोयला प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था।

इस प्रकार, तालाबीरा खानों से कोयले की खरीद के लिए लॉजिस्टिक्स के मुद्दे के परिणामस्वरूप अपर्याप्त कोयला आपूर्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप, विद्युत संयंत्र के बंद होने के कारण सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान ₹480.65 करोड़ का संभावित राजस्व नुकसान हुआ था।

अनुशंसा संख्या 5: एनटीपीएल को कोयला आपूर्तिकर्ताओं और रेलवे के साथ उचित समन्वय करके मानकों के अनुसार कोयला परिवहन और कोयला स्टॉक के रखरखाव के लिए लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

(iii) आंशिक भार प्रचालन के परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि

संयंत्र भार कारक, संयंत्र द्वारा उत्पन्न वास्तविक ऊर्जा और उस अधिकतम संभावित ऊर्जा का अनुपात है जो संयंत्र द्वारा एक निश्चित समयावधि में अपनी निर्धारित शक्ति पर कार्य करते हुए उत्पन्न की जा सकती है। यह दर्शाता है कि उपलब्ध संयंत्र क्षमता का कितना भाग विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया गया। उच्च संयंत्र भार कारक क्षमता के बेहतर उपयोग, उच्च प्रचालन दक्षता और इस प्रकार ताप विद्युत संयंत्र के बेहतर निष्पादन को दर्शाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों ने मानक संयंत्र भार कारक निर्धारित किया है। हालांकि, एनटीपीएल, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बाद से 85 प्रतिशत के मानक संयंत्र भार कारक को प्राप्त नहीं कर सका था। 2016-17 से 2022-23 की अवधि के लिए एनटीपीएल द्वारा प्राप्त संयंत्र भार कारक नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: 2016-17 से 2022-23 की अवधि के लिए एनटीपीएल का संयंत्र भार कारक (प्रतिशत में)

2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
71.38	61.79	62.63	55.15	60.39	47.74	67.69

स्रोत: एनटीपीएल का वार्षिक प्रतिवेदन

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संयंत्र भार कारक सभी वर्षों में सीईआरसी मानकों से नीचे था जिसने संकेत दिया था कि संयंत्र आंशिक भार पर संचालित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसके विभिन्न कारण थे अर्थात्, दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एसआरएलडीसी)⁵⁰ द्वारा भार प्रतिबंध, उपकरण समस्याएं और स्टार्ट-अप जिसके परिणामस्वरूप आंशिक भार प्रचालन के कारण विद्युत उत्पादन में नुकसान हुआ जैसा कि तालिका 1.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.21: आंशिक भार प्रचालन के कारण विद्युत उत्पादन हानि

कारण	उत्पादन हानि (मेगा यूनिट)						
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भार प्रतिबंध	-	1,510.62	1,419.48	1,720.94	2,335.49	1,347.85	1,472
उपकरण समस्याएँ/ अन्य	223.88	186.89	73.65	21.32	3.95	4.07	102.80
स्टार्ट अप	-	22.39	13.94	15.27	10.33	9.14	10.50
कुल	223.88	1,719.90	1,507.17	1,757.53	2,349.77	1,361.06	1,585.30

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रदान किया गया आंकड़ा

तालिका 1.21 से यह देखा जा सकता है कि आंशिक भार प्रचालन का प्रमुख कारण 2016-17 से 2022-23 के दौरान दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और उपकरण विफलताओं द्वारा भार प्रतिबंध के कारण था। आंशिक भार प्रचालन के कारण होने वाली हानि का

⁵⁰ ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र संचालित करता है।

आगे विश्लेषण पैरा संख्या 1.3.6.2 (सी)(iii)(ए) और 1.3.6.2 (सी)(iii)(बी) में दिया गया है।

(क) भार प्रतिबंधों के कारण आंशिक भार प्रचालन

दक्षिणी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र, अर्हता अनुक्रम के अनुसार विभिन्न उत्पादन कंपनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति को अनुसूचित एवं सेवा में लगाता है। अर्हता अनुक्रम का अर्थ उस अनुक्रम से है जिसमें विद्युत आपूर्ति को आर्थिक रूप से अनुकूलित करने के उद्देश्य से विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता होती है। विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए सीमांत लागत का वहन करते हैं। अर्हता अनुक्रम विद्युत उत्पादन के लिए खर्च की गई सीमांत लागत पर आधारित है। जो विद्युत संयंत्र बहुत कम कीमत पर विद्युत की आपूर्ति करते हैं, उन्हें सबसे पहले विद्युत की आपूर्ति के लिए चयनित किया जाता है तथा उच्च सीमांत लागत वाले संयंत्रों का चयन विद्युत की आपूर्ति के लिए तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि विद्युत की मांग पूरी हो रही होती है। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान एनटीपीएल की अर्हता अनुक्रम रैंकिंग 18 वें (जुलाई 2020) और 39वें स्थान (दिसंबर 2022) के बीच की सीमा में थी। इसने एनटीपीएल संयंत्र की उच्च विद्युत उत्पादन लागत का संकेत दिया। इस अवधि के दौरान परिवर्ती लागत⁵¹ ₹2.70 प्रति यूनिट और ₹6.94 प्रति यूनिट के बीच थी। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि बोर्ड ने प्रबंधन को अर्हता अनुक्रम डिस्पैच (एमओडी) में अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए परिवर्ती लागत को कम करने हेतु सभी प्रयास करने का निर्देश दिया था (अक्टूबर 2019)। बारंबार भार प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप 2017-18 से 2022-23 के दौरान लगभग 9,806.38 मेगा यूनिट⁵² का आंशिक भार नुकसान हुआ था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि एसआरएलडीसी द्वारा जनित्र उपस्थानों पर लगाए गए भार प्रतिबंध, ग्रिड में विद्युत की मांग पर निर्भर करते हैं। राज्य आम तौर पर अर्हता अनुक्रम डिस्पैच पर विचार करते हुए उत्पादन स्टेशनों से विद्युत का अनुरोध करते हैं। यह भी कहा गया कि एनटीपीएल के एक नॉन-पिट हेड पावर प्लांट होने के

⁵¹ कोयला, फर्नेस तेल आदि की लागत, उत्पादन के आधार पर परिवर्ती हैं।

⁵² 2017-18 से 2022-23 के लिए भार प्रतिबंधों के कारण कुल उत्पादन हानि, जैसा कि तालिका 1.21 में दिया गया है

नाते, संभार लागत के साथ ईंधन की लागत अधिक थी। हालांकि, एनटीपीएल कोयले के आईएनआर/ केसीएएल को कम करने के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगाएगा जो अन्य प्राचल के रूप में ऊर्जा शुल्क दर को कम करने के लिए जनरेटर द्वारा एकमात्र नियंत्रणीय प्राचल है, अर्थात् स्टेशन ताप दर, सहायक विद्युत की खपत और विनिर्दिष्ट तेल की खपत केवल टैरिफ आदेश में सीईआरसी द्वारा अनुमोदित मानक प्राचल हैं। मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों से सहमति व्यक्त की (मार्च 2023)।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि उत्पादन की उच्च लागत विभिन्न परस्पर संबंधित कारक जैसे जबरन कटौती (पैरा 1.3.6.2 ग (ii)), आंशिक भार हानि (पैरा 1.3.6.2 ग (iii)), अतिरिक्त स्टेशन ताप दर (पैरा 1.3.6.2 ग(iv)(क)), अतिरिक्त सहायक विद्युत की खपत (पैरा 1.3.6.2 ग(iv)(ख)), और शीतलन टारों के उप-इष्टतम निष्पादन (पैरा 1.3.6.2 ग(v)) के कारण थी। उच्च परिवर्ती लागत के परिणामस्वरूप भार प्रतिबंध और आंशिक भार हानि होगी जिसके परिणामस्वरूप परिवर्ती लागत में वृद्धि होगी जिससे एक कुचक्र का निर्माण होगा।

(ख) अतिरिक्त फोर्स ड्राफ्ट फैन मोटर की अनुपलब्धता के कारण परिहार्य आंशिक भार उत्पादन हानि

फोर्स ड्राफ्ट (एफडी) फैन, स्टीम जनरेटर (बॉयलर) को दहन वायु की आपूर्ति करने के लिए प्राइमरी एअर फैन के पूरक होते हैं। इकाई II का एक एफडी फैन 11 जून 2016 को अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के कारण खराब हो गया। चूंकि कोई अतिरिक्त एफडी फैन मोटर नहीं था इसलिए कंपनी ने खराब मोटर की मरम्मत और उसे फिर से चालू करने का निर्णय लिया (जून 2016)। 5 अगस्त 2016 को 55 दिनों के बाद मोटर की मरम्मत की गई थी। इस अवधि के दौरान इकाई II को आंशिक भार पर प्रचालित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹15.88 करोड़⁵³ की 69.06 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि हुई थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि एनटीपीएल की दोनों इकाइयों के लिए बीएचईएल द्वारा एफडी फैन मोटरों की आपूर्ति और निर्माण किया गया था। 50 प्रतिशत से अधिक भार वाली इकाई को बनाए रखने के लिए, दो एफडी फैन को निरंतर काम

⁵³ जून 2016 के महीने के लिए ₹2.30/यूनिट की दर से ऊर्जा शुल्क (₹15.88 करोड़: 69.056*1000000*2.30)/10000000

करते रहना चाहिए। स्पेयर एफडी फैन मोटर्स बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए अनिवार्य पुर्जों की सूची में नहीं था। इसलिए, घटना से पहले एनटीपीएल ने स्पेयर एफडी फैन मोटर खरीदने के लिए अग्रिम कार्रवाई की थी। तदनुसार, चार महीने की डिलीवरी शेड्यूल के साथ 6 मई 2016 को ओईएम (बीएचईएल) को एक एफडी फैन मोटर के अधिप्राप्ति के लिए क्रय आदेश जारी किया गया था। हालांकि, एफडी फैन 2ए मोटर ट्रिप हो गया और इसलिए आंशिक भार प्रचालन का सहारा लिया गया था। कंपनी ने आगे कहा कि 16 नवंबर 2016 को बीएचईएल से स्पेयर मोटर प्राप्त हुई थी। मंत्रालय ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की (मार्च 2023)।

कंपनी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि इस बात से अवगत होने के बावजूद कि 50 प्रतिशत से अधिक भार बनाए रखने के लिए दो एफडी फैन की आवश्यकता थी, एनटीपीएल ने अगस्त 2015 में संयंत्र का काम शुरू होने के बाद भी समय पर स्पेयर फैन मोटर की खरीद नहीं की थी। पंखे के मोटर की विफलता के परिणामस्वरूप उपरोक्त आंशिक भार हानि के बाद भी, एनटीपीएल ने दोनों इकाइयों के लिए दो मोटरों के बजाय केवल एक मोटर खरीदा था।

अनुशंसा संख्या 6: एनटीपीएल संबंधित उत्पादन हानि से बचने के लिए आउटेज के दौरान उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पुर्जों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करे।

(iv) सकल स्टेशन ताप दर और सहायक विद्युत खपत प्राचलों/मानकों की प्राप्ति नहीं होना।


ताप विद्युत संयंत्र की प्रचालन दक्षता का मूल्यांकन सीईआरसी द्वारा निर्धारित मानक प्राचलों द्वारा किया जाता है। पिछले पैरा संख्या 1.3.6.2 बी और 1.3.6.2 सी (iii), में पहले ही की गयी चर्चा के अनुसार संयंत्र उपलब्धता कारक और संयंत्र भार कारक की प्राप्ति न होने के अलावा, लेखापरीक्षा ने अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों के सापेक्ष एनटीपीएल के निष्पादन का निर्धारण किया और पैरा 1.3.6.2 सी (iv) (ए) और 1.3.6.2 सी (iv) (बी) द्वारा सामने लाए गए सकल स्टेशन ताप दर और सहायक विद्युत खपत प्राचलों/मानकों की प्राप्ति नहीं होने पर विचार किया था।

(क) मानकों से अधिक उच्च सकल स्टेशन ताप दर

किलो कैलोरी प्रति किलोवाट घंटा में व्यक्त ताप दर ताप विद्युत संयंत्र के निष्पादन का एक माप है। यह विद्युत की एक इकाई के उत्पादन के लिए खपत की गई ताप ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। कम ताप दर एक ताप संयंत्र के बेहतर निष्पादन को इंगित करती है। सीईआरसी द्वारा एनटीपीएल संयंत्र के लिए क्रमशः जून 2015 से मार्च 2019 और अप्रैल 2019 से मार्च 2023 की अवधि के लिए 2,351.25 किलो कैलोरी और 2,358.84 किलो कैलोरी की मानक ताप दर घोषित की गई थी।

कंपनी जून 2015 से मार्च 2023 के दौरान केवल दस महीने के लिए मानक ताप दर प्राप्त करने में सक्षम थी। जून 2015 से मार्च 2023 (93 महीने) के दौरान जारी रखे गए ताप दर स्तर को चित्र 1.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.1: एनटीपीएल संयंत्र के लिए मानक और वास्तविक स्टेशन ताप दर



सीईआरसी मानकों से अधिक के उच्च ताप दर के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने ₹742.93 करोड़ (जून 2015 से मार्च 2023) की राशि के 15,55,956.19 मीट्रिक टन कोयले की अतिरिक्त खपत का अनुमान लगाया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि 2015-16 के दौरान 82 बार जबरन कटौती और लाइट अप्स हुई थी, जिसके कारण विभिन्न महत्वपूर्ण प्राचलों को बनाए रखना मुश्किल था, और बाद में 2016-17 में स्टेशन ताप दर को कम किया गया था। 2017-18 में, कोयले की कमी के कारण संयंत्र आंशिक भार में चल रहे थे। शेष वर्षों में, उच्च

परिचालित जल तापमान, कंडेंसर स्केलिंग, कोयला गुणवत्ता में गिरावट और स्टॉकयार्ड में मात्रा, आंशिक लोडिंग और इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन (आईपीटी) सिलेंडर की अक्षमता के कारण ताप दर अधिक थी। उच्च ऊर्जा प्रभार दर पावर सरेंडर का मुख्य कारण थी, जिसके परिणामस्वरूप आंशिक भार प्रचालन हुआ और परिणामस्वरूप स्टेशन ताप दर भी अधिक हो गया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर के साथ सहमति व्यक्त की थी (मार्च 2023)।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि एनटीपीएल ने विद्युत कटौती के कारणों का विश्लेषण नहीं किया और 2015-16 और 2017-18 के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई की थी। इसके अलावा, कोयले की कमी, आंशिक भार प्रचालन, उच्च परिचालित जल तापमान में वृद्धि और कंडेनसर स्केलिंग के लिए कंपनी द्वारा बताए गए कारणों में नियंत्रण के महत्वपूर्ण पहलू थे जैसा कि पैरा 1.3.6.2 ग (ii), 1.3.6.2 ग (iii) और 1.3.6.2 ग (v) में बताया गया था।

अनुशंसा संख्या 7: एनटीपीएल को उच्च ताप दर कारकों का विश्लेषण करना चाहिए और लक्षित सुधारात्मक उपायों को लागू करना चाहिए।

(ख) मानकों से अधिक सहायक विद्युत की खपत के कारण अतिरिक्त व्यय


पूरक विद्युत खपत (एपीसी), किसी विद्युत संयंत्र के सामान्य प्रचालन के लिए संयंत्र के भीतर खपत की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा है। किसी विद्युत संयंत्र का एपीसी विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि उपलब्ध कराए गए उपकरणों का प्रकार, ईंधन की गुणवत्ता, स्थल-विशिष्ट परिस्थितियाँ और प्रचालन पद्धतियाँ/प्रचालन दक्षता। किसी संयंत्र द्वारा निर्यात की जाने वाली निवल ऊर्जा, एपीसी को छोड़कर उपलब्ध ऊर्जा होती है। कम एपीसी, विद्युत संयंत्र के बेहतर निष्पादन का संकेत देती है।

एनटीपीएल ने 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान मानक सहायक खपत प्रतिमान प्राप्त नहीं किया। सीईआरसी द्वारा निर्धारित 6.25 प्रतिशत⁵⁴ (2014-19) और 5.75 प्रतिशत⁵⁵ (2019-24) की मानक सहायक खपत की तुलना में, वास्तविक खपत 6.34 प्रतिशत से 20.87 प्रतिशत तक थी, जैसा कि नीचे चित्र 1.2 में दर्शाया गया है:

⁵⁴ अतिरिक्त एक प्रतिशत के बाद परिशोधित दर।

⁵⁵ पिछली अवधि में अनुमत अतिरिक्त वृद्धि पर विचार किए बिना।

चित्र 1.2: एनटीपीएल संयंत्र के लिए मानदंडीय एवं वास्तविक पूरक खपत



जून 2015 से मार्च 2023 की अवधि के लिए कुल अतिरिक्त सहायक खपत 543.01 मिलियन यूनिट थी, जो ₹163.18 करोड़ के राशि की थी। एनटीपीएल ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) और इसे निकास सम्मेलन (जुलाई 2023) में भी कहा कि सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, मानक एपीसी 5.25 प्रतिशत था, जबकि सीईआरसी ने, एनटीपीएल की विशेष सुविधाओं जैसे क्रॉस कंट्री कन्वेयर सिस्टम, शोर अनलोडर और विलवणीकरण संयंत्र को ध्यान में रखते हुए 11 जुलाई 2017 के टैरिफ आदेश के माध्यम से एनटीपीएल के लिए 6.25 प्रतिशत के एपीसी की अनुमति दी थी। इसी तरह, एक्सटर्नल कोल हैंडलिंग प्लांट (जेटी और संबद्ध बुनियादी ढांचे) और विलवणीकरण संयंत्र को ध्यान में रखते हुए मानक एपीसी को 5.75 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत तक के अतिरिक्त परिशोधन करने के लिए, टैरिफ अवधि 2019-24 हेतु, सीईआरसी से एक प्रतिशत अतिरिक्त एपीसी का दावा किया गया है। हालांकि, एनटीपीएल ने आश्वासन दिया (सितंबर 2022) कि यह स्टेशन ताप दर, एपीसी और तेल की खपत को सीईआरसी मानकों से कम करने के उपाय करेगा। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर कोई उत्तर नहीं दिया था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एनटीपीएल के लिए वास्तविक एपीसी 6.34 प्रतिशत से 20.87 प्रतिशत के बीच था, जो एपीसी की बढ़ी हुई दर (2014-19 के लिए 6.25 प्रतिशत) से अधिक था। एपीसी को अनुमत सीमा के भीतर रखने के लिए, एनटीपीएल को कन्वेयर सिस्टम, शोर अनलोडर, विलवणीकरण संयंत्र

आदि जैसे विशिष्ट उपकरणों द्वारा विद्युत की खपत के अनुवीक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा संख्या 8: एनटीपीएल को कन्वेयर सिस्टम, शोर अनलोडर, विलवणीकरण संयंत्र आदि जैसे विशिष्ट उपकरणों द्वारा ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणाली लागू करनी चाहिए।

(v) शीतलन टावरों के निम्न निष्पादन के कारण विद्युत उत्पादन में हानि और अतिरिक्त व्यय

शीतलन टावरों का उद्देश्य कंडेन्सर से निकलने वाले गर्म पानी को ठंडा करना होता है। विद्युत संयंत्र में कंडेन्सर, टर्बाइन से निकलने वाली भाप को चक्र में पुनः उपयोग के लिए संघनित करता है और उचित पश्च दबाव (वैक्यूम) बनाए रखकर टर्बाइन की दक्षता को अधिकतम करता है। एनटीपीएल में, समुद्र के जल को सीधे परिचालित जल के रूप में उपयोग किया जाता है जिसे पुनः उपयोग और संचलन के लिए शीतलन टॉवर के माध्यम से चलाया जाता है।

मार्च 2010 में ₹127.05 करोड़ की लागत से दो शीतलन टावरों के निर्माण कार्य का अनुबंध पत्र गैमन इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया था। अनुबंध पत्र के अनुसार, जुलाई 2012 और दिसंबर 2012 में इसके निष्पादन गारंटी परीक्षण⁵⁶ का पूरा होना निर्धारित किया गया था। हालांकि, शीतलन टावरों के यांत्रिक कार्य क्रमशः 44 और 47 महीने⁵⁷ के विलंब के बाद अक्टूबर 2015 (इकाई I) और जुलाई 2016 (इकाई II) में ही पूरे किए गए थे।

शीतलन टावरों की कमियों का अध्ययन करने के लिए कंपनी द्वारा एक सलाहकार नियुक्त किया गया (अप्रैल 2018) था। सलाहकार ने बताया (जून 2018) कि चूंकि दोनों शीतलन टावरों की क्षमता न्यूनतम आवश्यक क्षमता से कम थी, इसलिए दोनों टावर अपनी डिजाइन क्षमता की तुलना में बहुत कम क्षमता पर निष्पादन कर रहे थे। रिपोर्ट में जल वितरण प्रणालियों को पूरी तरह से फिर से डिजाइन करने और पुनःनवीनीकरण

⁵⁶ मानक कार्य स्थिति में उपकरणों के निष्पादन को दर्शाने और वांछित आउटपुट का निर्धारण करने के लिए अनुबंध पत्र में निष्पादन गारंटी परीक्षण उपलब्ध कराया जाता है। निष्पादन गारंटी परीक्षण वास्तविक निष्पादन की तुलना में अभिकल्प निष्पादन का आश्वासन देता है।

⁵⁷ यांत्रिक पूर्णता सूची अनुबंध पत्र की तिथि से 23 और 28 महीने की थी।

करने की परामर्श दिया गया था। हालांकि, कंपनी ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की और निष्पादन गारंटी परीक्षण भी अधूरा रह (मार्च 2023) गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शीतलन टावरों के खराब निष्पादन और कंडेनसर/शीतलन टॉवर पर अत्यधिक स्केलिंग⁵⁸ के परिणामस्वरूप उच्च परिचालित जल तापमान ने कंडेनसर प्रतिरोधक दबाव को प्रभावित किया था। इस प्रकार कंडेनसर का प्रतिरोधक दबाव इकाई I के लिए 95.60 मिमी एचजी से 114 मिमी एचजी और इकाई II⁵⁹ के लिए 77.30 मिमी एचजी से 114 मिमी एचजी के बीच बनाए रखा गया था, जबकि डिजाइन वैल्यू 77 मिमी एचजी था।

इस प्रकार, डिजाइन किए गए स्तर पर कंडेनसर प्रतिरोधक दबाव को सही प्रकार से नहीं बनाए रखे जाने के कारण, कंपनी को आंशिक भार पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 52.98 मिलियन यूनिट⁶⁰ की उत्पादन हानि का सामना करना पड़ा। प्रबंधन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों के कारण, इस मामले को 2020-21 से 2022-23 के दौरान सुलझा लिया गया था। शीतलन टावरों में डिजाइन की कमी के कारण, कंपनी ने कंडेनसर ट्यूबों के अंदर स्केलिंग को रोकने के लिए रसायनों के प्रयोग हेतु 2019-20 से 2022-23 के दौरान ₹5.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि शीतलन टॉवरों को पूरा करने में हुए विलंब के लिए ₹9.37 करोड़ की राशि की परिनिर्धारित हानि का दावा किया गया था (अगस्त 2018) और संविदाकार (मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड) से वसूल किया गया (जुलाई 2019) था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि उसने जल वितरण प्रणाली की नैचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर रेट्रोफिटिंग स्थापित करके शीतलन टॉवर क्षमता में सुधार करने की योजना बनाई जिसके लिए घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्ताव की तैयारी चल रही थी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर कोई उत्तर नहीं दिया।

⁵⁸ स्केल मुख्य रूप से अकार्बनिक सामग्री की एक घनी परत होती है जो जल में घुलनशील घटकों का अवक्षेपण होती है। कुछ सामान्य स्केल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, सिलिका हैं

⁵⁹ जैसा कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान यादृच्छिक रूप से जांचा गया था।

⁶⁰ 2017-18: 45.88 61 एमयू @ ₹3.13 प्रति यूनिट; 2018-19: 3.49 61 एमयू @ ₹3.17 प्रति यूनिट; और 2019-20: 3.61 एमयू @ ₹2.97 प्रति यूनिट।

इस प्रकार, शीतलन टावरों के निष्पादन ने कंडेसर प्रतिरोधी दबाव और समग्र विद्युत उत्पादन दक्षता को प्रभावित किया। डिजाइन की कमियों को दूर करने में अधिक विलंब से आवर्ती आधार पर प्रचालन और वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(vi) आग लगने की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रचालन सुरक्षा अनुवीक्षण तंत्र का नहीं होना

कारखाना अधिनियम 1948 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि “प्रत्येक अधिभोगी, जहाँ तक संभव हो, कारखाने में काम करते समय सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करेगा” (धारा 7ए)। इसके अलावा, यह “आग लगने की स्थिति में सावधानियों” के लिए यह भी निर्धारित करता है कि “प्रत्येक कारखाने में, आग लगने और उसके आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर फैलने से रोकने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किए जाएँगे” (धारा 38)।

एनटीपीएल को सुरक्षा सेवा और अग्निशमन सेवा प्रदान करने के लिए एनटीपीएल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ दो सहमति ज्ञापनों (जुलाई 2014 और जुलाई 2016) पर हस्ताक्षर किया था। जब एनटीपीएल परिसर में आग की घटना होती, तो संबंधित स्थान/लोकेशन से फायर कॉल प्राप्त होने पर, आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल (सीआईएसएफ अधिकारियों) को तैनात किया जाता था और घटनाओं के संक्षिप्त विवरण, आग के संभावित कारण, सुझाव, आदि की एक रिपोर्ट सीआईएसएफ द्वारा एनटीपीएल को प्रस्तुत कर दी जाती थी।

2017-18 से 2022-23 के दौरान हुई आग की घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है।

तालिका 1.22: एनटीपीएल में आग लगने की घटनाएँ

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
घटनाओं की संख्या	आंकड़ा उपलब्ध नहीं		12	20	14	20	5	5	76

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई आग लगने की रिपोर्ट से निकाला गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आग लगने के प्रमुख कारण तेल फैलना/रिसाव, कोयले का ढेर, कोयले के कण का संचय, कोयले कण का स्वतःदहन और विद्युत में खराबी/ स्पार्क थे। इसके अलावा, एक ही कारण से एक ही स्थान पर आग लगने के कई उदाहरण थे।

लेखापरीक्षा में आगे की समीक्षा से पता चला कि एनटीपीएल ने मिल अपशिष्ट⁶¹ को हटाया नहीं बल्कि संयंत्र परिसर में विभिन्न स्थानों पर इसे संग्रहीत किया। परिसर में सितंबर 2019 और जुलाई 2021 के बीच 11 आग की घटनाएं⁶² हुईं, जिसमें मिल अपशिष्ट से आग लगी थी, इस संबंध में, सीआईएसएफ ने यह भी सुझाव दिया (14 जुलाई 2020) था कि एनटीपीएल को, शीतलन टॉवर क्षेत्र में मिल अपशिष्ट को फेंकना बंद करना चाहिये। हालांकि, एनटीपीएल ने परामर्श का पालन नहीं किया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि तेल फैलना/ रिसाव और असुरक्षित विद्युत स्थितियों का अनुवीक्षण किया गया और निवारक अनुरक्षण के दौरान इनको ठीक किया गया था। इसके अलावा, कोयले के कण की सफाई का दैनिक अनुवीक्षण किया जाता था और कहीं भी पाये जाने पर तुरंत सफाई की जाती थी। यह आगे कहा गया कि सीआईएसएफ अग्निशमन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और आग लगने के कारण को देखते हुए, उसपर कार्रवाई की गयी थी और उस क्षेत्र में आग लगने की पुनरावृत्ति को समाप्त कर दिया गया था। प्रबंधन ने आगे कहा (फरवरी 2023) कि मिल अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया था क्योंकि अन्य पक्ष ने इसे एकत्र करने में रुचि नहीं दिखाई थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि (मार्च 2023), अब सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रणाली में सुधार, बेहतर हाउसकीपिंग, स्टॉक यार्ड में जल छिड़काव प्रणाली की शुरुआत, सूखी वनस्पति की सफाई और कंपनी के लिए एचएसई नीति तैयार करना सम्मिलित है। विकास सम्मेलन (जुलाई 2023) के दौरान इसने यह भी कहा कि दुर्घटनाओं के आंकड़ों में कंपनी के फायर स्टेशन को किए गए सभी कॉल सम्मिलित हैं, जिनमें से आस-पास के अन्य उद्योग से भी किए गए कॉल के आंकड़े थे।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि एनटीपीएल ने मिल अपशिष्ट को निपटाने के लिए कदम नहीं उठाए थे। लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2023) कि कार्य शुरू होने के बाद से एनटीपीएल में लगभग 1.2 लाख टन

⁶¹ कोयला मिल द्वारा निकाला गया अपशिष्ट।

⁶² शीतलन टॉवर क्षेत्र के पास (25 मई 2020, 23 जून 2020, 11 जुलाई 2020, 12 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, 26 सितंबर 2020); क्रशर हाउस क्षेत्र के पास (7 सितंबर 2020, 16 सितंबर 2020 और 26 सितंबर 2020); इकाई-1 मिल (11 सितंबर 2019); और स्टोर क्षेत्र (12 जुलाई 2021)

मिल अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। इसमें से 60,000 टन का उपयोग संयंत्र परिसर में पानी के ठहराव को रोकने के लिए निचले क्षेत्र को भरने हेतु किया गया था और शेष मात्रा को परिसर में विभिन्न बिंदुओं पर संग्रहीत किया गया था। इसलिए, मिल अपशिष्ट के कारण आग के खतरे को पूरी तरह से कम नहीं किया गया था।

अनुशंसा संख्या 9: एनटीपीएल को आग के खतरों को समाप्त करने, हाउसकीपिंग प्रक्रियाओं में सुधार करने और आग की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सीआईएसएफ द्वारा अनुशंसित अग्नि सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने के लिए मिल अपशिष्टों के निपटान की एक योजना लागू करनी चाहिए।

1.3.7 निष्कर्ष

एनटीपीएल ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा समीक्षा ने परियोजना की योजना और निष्पादन में कई महत्वपूर्ण कमियों पर प्रकाश डाला। परियोजना में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अभाव था जिससे गतिविधियों की योजना और समकालन में अंतराल हो गया। प्रारंभिक गतिविधियों में काफी विलंब हुआ जिससे परियोजना कार्यान्वयन में भी अधिक विलंब हुआ। भूमि समस्याओं को कम करने के लिए पर्याप्त योजना की कमी ने संविदाओं को समय पर पूरा करने में काफी बाधा डाली थी। भूमिस्थान से संबंधित मुद्दों, जनशक्ति की कमी और संविदाकारों द्वारा विलंब जैसे विभिन्न कारकों को संविदा कार्यान्वयन में विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। सांविधिक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना के प्रचालन को प्रभावित करते हुए ईंधन आपूर्ति करार को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ और कोयले की कम मात्रा का आवंटन हुआ था।

परियोजना लागत अनुमानों में वृद्धि के कारण निर्माण अवधि के दौरान परियोजना को ₹781.82 करोड़ का उच्च ब्याज व्यय हुआ था। एनटीपीएल ताप विद्युत संयंत्र की इकाई I और इकाई II (500 मेगा वाट प्रत्येक) को ₹7.29 करोड़ प्रति मेगा वाट⁶³ की अंतिम परियोजना लागत पर वाणिज्यिक रूप से प्रचालित किया गया था। कुल परियोजना लागत ₹2,383.94 करोड़ थी। मार्च 2012 और अगस्त 2012 में निर्धारित वाणिज्यिक प्रचालन के विपरीत, संयंत्र की इकाई I और इकाई II ने जून 2015 और

⁶³ ₹7,293.48 करोड़ (जून 2015 मूल्य स्तर) 1000 (मेगा वाट) से विभाजित

अगस्त 2015 में क्रमशः 38 महीने और 35 महीने विलंब के साथ वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया था।

संयंत्र के प्रचालन के दौरान, प्रचालन मुद्दों के परिणामस्वरूप जबरन आउटेज के कारण एनटीपीएल, मानक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त नहीं कर सका था। खानों से कोयला उठाने में कमी, आयातित कोयले को रोकने और तालाबीरा खानों से कोयले की आपूर्ति के लिए लॉजिस्टिक्स मुद्दों को अंतिम रूप देने में विलंब आदि के कारण कोयले की कमी के परिणामस्वरूप, संयंत्र का बंद होना (जबरन आउटेज) और संयंत्र के आंशिक भार प्रचालन एवं परिणामी विद्युत उत्पादन हानि एवं ₹3,106.10 करोड़ के संभावित राजस्व हानि हुई थी। उपकरण विफलताओं और स्टार्ट-अप मुद्दों जैसे विभिन्न कारकों के कारण प्रचालन अक्षमताओं ने भी संयंत्र भार कारक को प्रभावित किया और इससे महत्वपूर्ण उत्पादन हानि हुई थी।

एनटीपीएल, सीईआरसी द्वारा निर्धारित कई प्रचालन मानकों को भी प्राप्त नहीं कर सका, जिसमें सकल स्टेशन ताप दर और सहायक विद्युत खपत प्राचल सम्मिलित हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोयले एवं विद्युत की अत्यधिक खपत एवं परिणामस्वरूप ₹906.11 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ था। इसके शीतलन टावरों के निम्न निष्पादन एवं इसके परिणामस्वरूप कंडेनसर प्रतिरोधी दबाव में वृद्धि के कारण एनटीपीएल को प्रचालन सीमाओं का सामना करना पड़ा और ₹5.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

अध्याय II: पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्रालय

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.1 कोच्चि रिफाइनरी द्वारा पॉलीओल परियोजना को बंद करने के कारण ₹300.15 करोड़ का निष्फल व्यय

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोर्ड ने सितंबर 2019 तक ₹11,294 करोड़ की अनुमानित लागत से कोच्चि रिफाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल परियोजना स्थापित करने का अनुमोदन दिया था। हालांकि, विलंब के कारण, बाद में परिशोधित अनुमानों के अनुसार परियोजना लागत बढ़कर ₹13,145 करोड़ हो गई, जिसने परियोजना के कार्यान्वयन को अव्यवहार्य बना दिया और अंततः बंद कर दिया गया था। इस अवधि के दौरान, विभिन्न सुविधाओं और अन्य व्यय के लिए ₹455.29 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जिसमें से ₹300.15 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया था।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने बीपीसीएल की रिफाइनरियों में विभिन्न पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं को लागू करके पेट्रोकेमिकल पेटिका को 0.80 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की परिकल्पना की थी। इसे ध्यान में रखते हुए, बीपीसीएल ने कोच्चि रिफाइनरी में उपलब्ध प्रोपिलीन और एथिलीन फीडस्टॉक का उपयोग करके कोच्चि में मूल्य वर्धित पेट्रोकेमिकल्स (पॉलीओल, प्रोपलीन ग्लाइकोल और मोनो एथिलीन ग्लाइकोल) का उत्पादन करने का प्रस्ताव रखा। कोच्चि रिफाइनरी में एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना (आईआरईपी) शुरू करने के बाद, पॉलीमर ग्रेड प्रोपाइलीन की 500 किलो टन प्रति वर्ष (केटीपीए) पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध थी, जिसमें से 250 केटीपीए प्रोपलीन का उपयोग प्रोपलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट (पीडीपीपी) द्वारा आला/विशेष पेट्रोकेमिकल्स¹ के निर्माण के लिए किया जा रहा था। प्रोपलीन और एथिलीन फीडस्टॉक के शेष 250 केटीपीए का उपयोग कोच्चि में मूल्य वर्धित पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन के लिए किया जाना था।

¹ अर्थात्, एक्रिलिक एसिड, ऑक्सो अल्कोहल और एक्रिलेट्स

मेसर्स आईएचएस केमिकल कंसल्टिंग का चयन अक्टूबर 2017 में कोच्चि में प्रोपलीन ऑक्साइड, प्रोपलीन ग्लाइकोल और पॉलीओल पेट्रोकेमिकल के लिए एक विस्तृत बाजार अध्ययन करने के लिए किया गया था। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जटिलताओं और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, बीपीसीएल ने एक सलाहकार, अर्थात् मेसर्स फ्लोर डैनियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स फ्लोर डैनियल) को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के काम के लिए चुना था। मेसर्स फ्लोर डैनियल ने नवंबर 2017 में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी का शुद्ध) के निवल ₹11,294 करोड़ की अनुमानित पूंजीगत व्यय राशि को +/- 30 प्रतिशत के साथ डीपीआर को प्रस्तुत किया था जो कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीओल परियोजना के कार्यान्वयन पर खर्च किया जाएगा।

मेसर्स फ्लोर डैनियल से डीपीआर प्राप्त होने के बाद, बीपीसीएल ने प्रस्तावित सुविधाओं के लिए पूंजी लागत अनुमान और वित्तीय विश्लेषण की आंतरिक रूप से समीक्षा की, और 16.41 प्रतिशत के आईआरआर और लागत अनुमान की परिशुद्धता +/- 30 प्रतिशत के साथ परियोजना की समग्र पूंजी लागत को ₹7,806 करोड़ (आईटीसी का निवल) तक किया गया था।

जुलाई 2018 में, मेसर्स फ्लोर डैनियल ने प्रबंधन की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद परिशोधित परियोजना अनुमान प्रस्तुत किया, जिसमें +/- 20 प्रतिशत की परिशुद्धता स्तर पर और 15.24 प्रतिशत के आईआरआर पर पूंजीगत लागत ₹9,688 करोड़ (आईटीसी का शुद्ध) अनुमानित की गयी थी। बीपीसीएल के बोर्ड (इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित) को सूचित किया गया था कि हालांकि, प्रोपलीन के लिए आयात समता मूल्य² के आधार पर बेस केस परिदृश्य हेतु आईआरआर की गणना 15.24 प्रतिशत के रूप में की जाती है, लेकिन वास्तव में, आईआरआईपी परियोजना से आंतरिक रूप से उपलब्ध फीडस्टॉक के लाभ को देखते हुए, यह अनुमान लगाया गया था कि आईआरआर 18.01 प्रतिशत तक काम करता है। बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि निवेश अनुमोदन की तिथि से 50 महीने के भीतर परियोजना के पूरे होने का अनुमान था। सितंबर 2018 में प्रस्ताव को अनुमोदन³ देते समय, बोर्ड ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि परियोजना के डिजाइन

² यह उस मूल्य को दर्शाता है जो आयातक वास्तविक आयात के मामले में भुगतान करेंगे और इसमें एफओबी मूल्य, महासागर मालभाड़ा, बीमा, कस्टम ड्यूटी आदि के अंश सम्मिलित हैं।

³ इनपुट टैक्स क्रेडिट (+-20 प्रतिशत) के शुद्ध ₹9,688 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर

और विवरण को 12 महीने के भीतर तैयार करने और विस्तृत निर्धारित कार्यक्रम के साथ +/-10 प्रतिशत की परिशुद्धता पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

जून 2021 में (यानी, 33 महीने के बाद) मेसर्स फ्लोर डेनियल ने परिशोधित अनुमान (डिजाइन और बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरिंग पैकेज विकसित करते समय अधिक विस्तृत उपकरण विनिर्देश के साथ), जिसमें बोर्ड द्वारा सितंबर 2018 में पूर्व अनुमोदित लागत की तुलना में 35.68 प्रतिशत की वृद्धि पर विचार किया गया था और जो बोर्ड द्वारा निर्देशित +/- 10 प्रतिशत के परिशुद्धता स्तर को ध्यान में रखते बनाया गया था को प्रस्तुत किया था। बढ़ी हुई लागत ₹13,145 करोड़ पर अनुमानित की गयी थी। परिशोधित अनुमान ₹11,294 करोड़ (नवंबर 2017) के प्रारंभिक अनुमान से 16.39 प्रतिशत अधिक था और पीएमसी के अंतिम अनुमान पर बीपीसीएल (₹7,806 करोड़) द्वारा किए गए डाउनवर्ड इन-हाउस परिशोधन से 68.40 प्रतिशत अधिक था।

कंपनी ने अक्टूबर 2018 से परियोजना गतिविधियों को आगे बढ़ाया और प्रबंधन परामर्श, लाइसेंसर शुल्क⁴, साइट ग्रेडिंग और रोड वर्क्स, विभिन्न सुविधाओं और अन्य व्यय/ओवरहेड्स के निर्माण जैसी विभिन्न सुविधाओं के लिए ₹455.29 करोड़ व्यय किए थे। (अनुलग्नक VI)। परियोजना का अंतिम विवरण लगभग 27 महीने के विलंब के बाद जनवरी 2022 में प्रस्तुत किया गया था। जनवरी 2022 में बोर्ड को प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में, परियोजना अव्यवहार्य पाई गई।

जनवरी 2022 के दौरान, प्रबंधन ने बोर्ड को प्रस्तुत किया कि परियोजना सलाहकार द्वारा पुष्टि की गई ₹13,145 करोड़ (आईटीसी का शुद्ध) की परिशोधित अनुमानित परियोजना लागत, कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य नहीं है क्योंकि परिशोधित अनुमान के अनुसार आईआरआर 70 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर 6 प्रतिशत और 90 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर 9 प्रतिशत तक गिर गया। प्रबंधन बंद की गई पॉलिओल परियोजना पर व्यय को बढ़े खाते डालने पर विचार कर रहा है जिसे अभी तक बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना है।

⁴ बीपीसीएल के पास आला रसायनों (पॉलिओल) के निर्माण और विपणन में विशेषज्ञता नहीं है। आला रसायन/पॉलिओल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को साझा करने के उद्देश्य से, कोच्चि रिफाइनरी ने लाइसेंसकर्ता की सेवा ली और शुल्क का भुगतान किया।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (i) बोर्ड (सितंबर 2018) के निर्देशों के अनुसार, जून 2021 में फ्लोर डैनियल द्वारा +/- 10 प्रतिशत की परिशुद्धता पर ₹13,145 करोड़ का परिशोधित अनुमान प्रस्तुत किया गया था और इसे निर्धारित तिथि से 27 महीने के बाद जनवरी 2022 में बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार, परियोजना के अनुमोदन की तिथि से 12 महीने के भीतर परिशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत करने के संबंध में बोर्ड के निर्देश का पालन नहीं किया गया था।
- (ii) पॉलिओल परियोजना के लिए विभिन्न सुविधाओं और अन्य व्यय के लिए ₹455.29⁵ करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जिसमें से केवल ₹155.14 करोड़ का उपयोग भविष्य की परियोजना के लिए किया जा सकता है और परियोजना को बंद करने के कारण ₹300.15 करोड़ की राशि का व्यय निष्फल हो रहा है।
- (iii) इसके अलावा, बीपीसीएल की पेट्रोकेमिकल रणनीति पर दृष्टिकोण पत्र में यह परिकल्पना की गई थी कि आईआरईपी के पूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए, मूल्य वर्धित व्युत्पन्न के अत्यावश्यक उत्पादन हेतु प्रोपिलीन की 250 किलो टन प्रति वर्ष की अधिशेष मात्रा का उपयोग करना आवश्यक है। चूंकि पॉलिओल परियोजना को बंद कर दिया गया है, इसलिए 250 किलो टन प्रति वर्ष प्रोपिलीन के अन्य निम्न मूल्य धारा की ओर उपयोजन के कारण आईआरईपी का पूरा लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका था।

प्रबंधन ने अपनी प्रतिक्रिया में (फरवरी 2024) कहा कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार के लिए संविदा सौंपने में विलंब, दिसंबर 2019 से कोविड-19 की गंभीर समस्या से संबंधित बंदी के कारणों से +/-10 प्रतिशत अनुमान तैयार करने में विलंब हुआ था। साइट ग्रेडिंग, ओवरहेड पावर लाइनों को भूमिगत में बदलने, एडब्ल्यूएसएस सुविधा के लिए भूमि की खरीद आदि के लिए किया गया व्यय, कोच्चि रिफाइनरी में भविष्य की परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। बीपीसीएल पेट्रोकेमिकल्स में कदम रख रहा है और विविधीकरण के भाग के रूप में, प्रस्तावित पॉली प्रोपलीन परियोजना से उत्पाद के आधार पर डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना की कार्यक्षमता का भी अध्ययन किया जाएगा और

⁵ बीपीसीएल ने अक्टूबर 2018 से परियोजना गतिविधियां शुरू कीं और 31 मई 2024 तक ₹455.29 करोड़ व्यय किया।

परिणाम के आधार पर, शेष भूमि के उपयोग का समन्वेषण किया जाएगा। कोच्चि रिफाइनरी (केआर) में पीडीपीपी परियोजना के अनुभव और अधिगम के आधार पर, बीपीसीएल ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए अपनी पेट्रोकेमिकल्स रणनीति की समीक्षा की है। आला पेट्रोकेमिकल्स स्पेस में सीधे प्रवेश प्रौद्योगिकी प्रदाताओं/सक्षमकर्ताओं या लाइसेंसकर्ताओं के साथ सक्रिय साझेदारी के बिना उचित नहीं था।

मंत्रालय ने प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तर (नवंबर 2024) को दोहराते हुए आगे कहा कि पॉलीओल परियोजना के लिए वहन किए गए ₹419.77 करोड़ में से ₹141.33 करोड़ का उपयोग पॉलीप्रोपाइलीन और भविष्य की परियोजनाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा। पॉलीओल परियोजना के लिए बीडीईपी⁶ और डीएफआर⁷ बनाने के लिए लाइसेंस शुल्क पर उपगत ₹278.44 करोड़ की शेष राशि परियोजना की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए सामान्य व्यय है जो उद्योग के प्रतिमानक के अनुसार है। इसलिए, ₹278.44 करोड़ की लागत को भी निष्फल व्यय नहीं माना जा सकता है।

मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर इंगित करता है कि पीडीपीपी के शुरू होने और स्थिरीकरण में अनुभव प्राप्त करने से पहले ही कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीओल/आला रसायन परियोजना को लागू करने के लिए 2018 में लिया गया निर्णय सही नहीं था। जबकि उद्योग अभ्यास में व्यवहार्यता व्यय आम बात है, वर्तमान मामले में, परियोजना को 2018 में 12 महीने के भीतर बोर्ड को अंतिम डिजाइन और विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ कार्यान्वयन का अनुमोदन दे दिया गया था, जिसे कंपनी पूरा नहीं कर सकी थी। इसलिए, निम्न स्तर की तैयारी और बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण ₹278.44 करोड़ का लाइसेंस शुल्क निष्फल हो गया था।

इसके अलावा, संयंत्र पर कम निर्भरता और कम आईआरआर के साथ युग्मित, खंड में अनुभव की कमी और यथेष्ट जोखिम की अनुपलब्धता ने परियोजना को अव्यवहार्य बना दिया है। सितंबर 2018 में परियोजना के लिए अनुमोदन लेते समय, परियोजना 50 महीने के भीतर पूरी होने का अनुमान था, लेकिन कोच्चि रिफाइनरी ने जनवरी 2022 तक अंतिम परियोजना लागत भी प्रस्तुत नहीं की, इसलिए 27 महीने का अनुचित विलंब हुआ था। इसके अलावा, कोविड-19 के संदर्भ में विलंब का कारण सही नहीं है, क्योंकि

⁶ बेसिक डिजाइन और इंजीनियरिंग पैकेज

⁷ विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट

मार्च 2020 के बाद कोविड का प्रभाव अत्यधिक रूप से देखने को मिला था, जो बोर्ड के अनुमोदन से 18 महीने बाद था, जबकि बोर्ड ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि परियोजना का डिजाइन और विवरण 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए (यानी, सितंबर 2019 तक)। इस प्रकार, उपरोक्त से यह समझा जा सकता है कि कोविड को छोड़कर परियोजना में विलंब के अन्य सभी कारण कोच्चि रिफाइनरी के कारण थे।

कोच्चि रिफाइनरी ने अब पॉलीओल परियोजना को छोड़ने का फैसला किया है और अब पॉलीप्रोपाइलीन का उत्पादन करने के लिए एक कम मूल्य की मिनी पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना कर रही है, जो पॉलीओल, प्रोपलीन ग्लाइकोल और मोनो एथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च मूल्य वाले पेट्रोकेमिकल्स बनाने के उद्देश्य से मूल योजना से पूरी तरह से अलग है।

इस प्रकार, तैयारियों की कमी और अनुमानों को अंतिम रूप देने में विलंब ने परियोजना को अव्यवहार्य बना दिया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को बंद कर दिया गया और पॉलीओल परियोजना के लिए सृजित की गई पूंजीगत परिसंपत्तियों/सुविधाओं पर ₹300.15 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था।


इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

2.2 ₹77.36 करोड़ का निष्फल निवेश

आईओसीएल ने वाडिनार-कांडला उत्पाद पाइपलाइन के निष्क्रिय होने और ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा संपत्ति की कुर्की के कारण ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के बावजूद पेट्रोनेट वाडिनार कांडला लिमिटेड (पीवीकेएल) में अपना स्वामित्व बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अलावा, उक्त पाइपलाइन की कार्यक्षमता और उसके उपयोग की किसी ठोस योजना को सुनिश्चित किए बिना, आईओसीएल ने ऋण भी दिया जबकि अन्य साझेदारों ने धनराशि देने से इनकार कर दिया था। हाल ही में, आईओसीएल ने महसूस किया कि पीवीकेएल का प्रचालन इसके नेटवर्क के लिए फायदेमंद नहीं था और इसका परिसमापन शुरू किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण बकाया ऋण की हानि होने के कारण ₹77.36 करोड़ (उस पर उपार्जित ब्याज के अतिरिक्त) का निष्फल निवेश हुआ।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने 117 किमी लंबी वाडिनार-कांडला उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए एक परियोजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी (अप्रैल 1998), जो वाडिनार में एस्सार ऑयल लिमिटेड (ईओएल) और सिक्का में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की प्रस्तावित रिफाइनरियों को, उप-समुद्र को लूनी से पार करते हुए, और आगे भूमि पर लूनी से कांडला तक, जोड़ेगी जहां यह आईओसीएल की मौजूदा कांडला-भटिंडा उत्पाद पाइपलाइन (केबीपीएल) से जुड़ेगी। वाडिनार-कांडला उत्पाद पाइपलाइन, जिसकी क्षमता 11.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है, को केबीपीएल के माध्यम से वाडिनार से कांडला तक विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों⁸ के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया था। तदनुसार, उक्त वाडिनार-कांडला उत्पाद पाइपलाइन परियोजना को लागू करने के लिए पेट्रोनेट वाडिनार कांडला लिमिटेड (पीवीकेएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को (1998-99) बनाया गया था। पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (पीआईएल) और आईओसीएल, प्रत्येक के ₹26 करोड़ (यानी, प्रत्येक की 26 प्रतिशत शेयरधारिता) के निवेश के साथ उक्त संयुक्त उद्यम के मुख्य प्रवर्तक थे। 100 किमी की प्रचालन लंबाई⁹ वाली वाडिनार-कांडला पाइपलाइन 30 मई 2000 को शुरू की गई थी।

चित्र 2.1: वाडिनार-कांडला पाइपलाइन



(मानचित्र पैमाने पर नहीं है। केवल उदाहरण के लिए)

⁸ हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और सुपीरियर केरोसिन तेल।

⁹ 117 किमी की कुल लंबाई में, प्रस्तावित ईओएल वाडिनार रिफाइनरी से सिक्का तक 17 किमी का, वाडिनार में ईओएल की रिफाइनरी के निर्माण में विलंब के कारण, निर्माण नहीं किया गया था।

आईओसीएल ने अपने पानीपत रिफाइनरी के व्यापार विस्तार के लिए समवर्ती (अगस्त 1999) योजना बनाई और इस तरह के प्रस्तावित व्यापार विस्तार के कारण 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से 12 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक की अपनी बढ़ती कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने कांडला-भटिंडा उत्पाद पाइपलाइन को कच्चे¹⁰ तेल वाहक में बदलने का अनुमोदन दिया (जनवरी 2002) जिसने पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के इच्छित उद्देश्य के लिए वाडिनार-कांडला उत्पाद पाइपलाइन को अनुपयोगी¹¹ बना दिया। इसलिए, आईओसीएल ने पीवीकेएल में ₹26 करोड़ के अपने इक्विटी निवेश पर एक प्रावधान (2004-05) बनाया। उक्त कांडला-भटिंडा उत्पाद पाइपलाइन को अंततः (अगस्त 2006) कच्चे तेल की पाइपलाइन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- क) पीवीकेएल ने उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए दो बैंकों¹² से धन उधार लिया था और इसके निष्क्रिय होने के कारण राजस्व¹³ का कोई स्रोत नहीं था। नतीजतन, इसने बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की और आखिरकार, ऋणदाता बैंकों में से एक ने अपने ऋण की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) से संपर्क किया (2007)। डीआरटी ने पीवीकेएल की परिसंपत्तियों की कुर्की के लिए एक आदेश (सितंबर 2015) जारी किया और वसूली तक ब्याज के साथ ₹51.05 करोड़ का वसूली प्रमाण पत्र (अक्टूबर 2015) भी जारी किया।
- ख) हालांकि आईओसीएल ने पहले ही पीवीकेएल में निवेश की गई इक्विटी के संबंध में एक प्रावधान किया था, इसकी बहु-अनुशासनात्मक समिति ने इंटेलिजेंट पिगिंग

¹⁰ कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए अलग-अलग पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है ताकि गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जा सके और संदूषण को रोका जा सके।

¹¹ आरआईएल द्वारा लगभग ₹2.25 करोड़ के वार्षिक किराए पर उपयोग किए जाने वाले प्रारंभिक खंड को छोड़कर।

¹² 31.3.2016 तक, पीवीकेएल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ₹120.31 करोड़ और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ₹106.77 करोड़ का ब्याज सहित ऋण बकाया था।

¹³ उक्त पाइपलाइन के प्रारंभिक भाग पर लगभग ₹2.25 करोड़ की वार्षिक किराये की आय को छोड़कर, जिसे आरआईएल द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

सर्वे/इनलाइन इन्सपेक्शन (आईपीएस/आईएलआई)¹⁴ द्वारा पाइपलाइन की स्थिति का निर्धारण करने की अनुशंसा की थी कि क्या इसके पुनः प्रचालन की कोई संभावना थी। तदनुसार, पीवीकेएल ने पाइपलाइन के आईएलआई को पूरा करने की अनुमति के लिए डीआरटी (अप्रैल और मई 2016) से संपर्क किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया (जून 2016)। आईओसीएल ने माल ढुलाई और डेमेरेज में बचत एवं कांडला में तटीय इनपुट का विकल्प बनाने जैसे रणनीतिक कारणों का हवाला देते हुए पाइपलाइन के पुनः प्रचालन का निर्णय लिया (अगस्त 2016) और उचित बाजार मूल्य शून्य होने के बावजूद ₹2.40 लाख के प्रतिफल पर पीवीकेएल में अतिरिक्त 24 प्रतिशत शेयरधारिता का अधिग्रहण (अगस्त- दिसंबर 2016) किया था।

ग) इस संकेत के बावजूद कि उपरोक्त पाइपलाइन अप्रयोज्य होने के लिए अतिसंवेदनशील थी और 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी पाइपलाइन का अपेक्षित समय पर रखरखाव नहीं हुआ है, आईओसीएल ने ऋण देने वाले बैंकों के साथ एकमुश्त निपटान हेतु पीवीकेएल को ₹77.36 करोड़ का अल्पकालिक ऋण दिया, जिसके बाद बैंकों ने डीआरटी से अपने मामले वापस ले लिए। कंपनी ने पाइपलाइन में विभिन्न पाइपलाइन इन्सपेक्शन गेज (पीआईजी) का प्रवर्तन (मार्च 2021) करके पाइपलाइन की स्थिति के निर्धारण हेतु इनलाइन इन्सपेक्शन (आईएलआई) किया। हालांकि, विभिन्न पीआईजी संयोजन, दबाव की स्थिति आदि के प्रयास के बावजूद, इनमें से कोई भी पीआईजी बरामद नहीं किया जा सका, जिससे अभ्यास असफल हुआ।

घ) उपर्युक्त स्थिति निर्धारण अभ्यास की विफलता के बावजूद, कंपनी ने पीवीकेएल को दिए गए अल्पकालिक ऋण को तीन वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालिक ऋण में परिवर्तित कर दिया, हालांकि दिसंबर 2021 में इस ऋण की देयता आने पर, तीन वर्ष की अधिस्थगन अवधि (यानी, दिसंबर 2024 तक) पीवीकेएल को प्रदान की गई थी।

¹⁴ तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित, पाइपलाइन की स्थिति का पता लगाने के लिए पाइपलाइन निरीक्षण गेज (पीआईजी) के साथ इनलाइन पाइपलाइन निरीक्षण करने की एक तकनीक। ओआईएसडी मानक 141 में क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के लिए 10 साल में कम से कम एक बार और अपतटीय पाइपलाइनों के लिए पांच साल में एक बार इंटेलिजेंट पिगिंग सर्वे के आवधिक संचालन का प्रावधान किया गया है।

ड) चूंकि पाइपलाइन के पुनरुद्धार के अभाव में पीवीकेएल पुनर्भुगतान करने में सक्षम नहीं था, आईओसीएल ने पूरे बकाया ऋण के सापेक्ष ₹110.90 करोड़ का प्रावधान किया जिसमें उस पर उपार्जित ब्याज भी सम्मिलित था। इसके अलावा, आईओसीएल ने ₹145.07 करोड़ के संचयी ऋण मूल्य (₹67.71 करोड़ के ब्याज सहित)¹⁵ के लिए अधिस्थगन अवधि को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि ऋण लेने से पहले आईपीएस/आईएलआई नहीं किया जा सकता था क्योंकि डीआरटी ने इसे अस्वीकार कर दिया था (अप्रैल/मई 2016)। हालांकि, कच्चे तेल की आपूर्ति के जोखिम को कम करने के लिए, कच्चे तेल की पाइपलाइनों के साथ पाइपलाइन के आंतरिक उपयोग का पता लगाने के लिए एक समिति को नामित किया गया था। तदनुसार, आईओसीएल के रणनीतिक उपयोग के लिए पीवीकेएल पाइपलाइन के उपयोग का निर्धारण करने के लिए इसके स्थिति की जांच और इसके प्रचालन की बहाली की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2024) कि ऋण देने से पहले अनुमोदन के विभिन्न चरणों में, इसके प्रबंधन को पता था कि पाइपलाइन की स्थिति के अनुसार उसका तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता था और यदि आवश्यक हुआ तो अपतटीय पाइपलाइन को पुनः बिछाने के लिए और अधिक निवेश पर विचार किया गया था। इसने यह भी उल्लेख किया कि आईओसीएल ने अपनी पाइपलाइन के पुनःप्रचालन और कांडला में अपनी दीर्घकालिक उत्पाद स्थानन आवश्यकताओं को पूरा करने में इसके उपयोग करने के इरादे से पीवीकेएल को ऋण दिया था। हालांकि, मांग-आपूर्ति परिदृश्य और अन्य घटनाक्रमों में बदलाव के कारण, लंबी अवधि में जामनगर से कांडला तक पीवीकेएल के माध्यम से किसी उत्पाद के परिवहन की संभावना नहीं है। इसके अलावा, सलाया मथुरा पाइपलाइन (एसएमपीएल) और मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन (एमपीपीएल) को आपस में जोड़कर कच्चे तेल की आपूर्ति में पीवीकेएल के उपयोग की कोई उचित आवश्यकता नहीं थी।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पाइपलाइन के 10 वर्षों से अधिक समय से बेकार होने के बावजूद, आईओसीएल ने पीवीकेएल में अतिरिक्त 24 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था (अगस्त 2016) और बाद में (दिसंबर 2016

¹⁵ दिसंबर 2024 तक

और मार्च 2018) अल्पकालिक ऋण के रूप में धन का निवेश किया था जबकि इसके अन्य साझेदारों ने पीवीकेएल में धन का निवेश नहीं करने का निर्णय लिया था। आईओसीएल ने दिनांक 31.03.2017 की ₹164 करोड़ की उसकी नकारात्मक निवल संपत्ति भी अनदेखी की।

इसके अलावा, कच्चे तेल की आपूर्ति में जोखिम से बचाव के लिए पाइपलाइन के संभावित पुनःप्रचालन हेतु आईओसीएल का तर्क इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि इस उद्देश्य के लिए वाडिनार या मुंद्रा में कोई अपेक्षित अतिरिक्त कार्यक्षमता नहीं थी।

अंत में, केवल दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक अधिस्थगन अवधि बढ़ाने के लिए बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करते समय, कंपनी ने स्वीकार किया (नवंबर 2024) कि पीवीकेएल का प्रचालन इसके नेटवर्क के लिए फायदेमंद नहीं है और यह संभावना नहीं है कि इसे निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा। तदनुसार, पीवीकेएल को परिसमापन गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए अधिस्थगन दिया गया था।

इस प्रकार, पाइपलाइन में आगे निवेश करने या अधिस्थगन प्रदान करने/बढ़ाने से पहले पाइपलाइन के पुनःप्रचालन करने की व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए कंपनी द्वारा सक्रिय कदमों की कमी के परिणामस्वरूप अनुपयोगी पाइपलाइन पर निधियाँ अवरुद्ध हुईं और ₹26.02 करोड़ के इक्विटी निवेश के अलावा ₹77.36 करोड़ (₹67.71 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त) का निष्फल निवेश हुआ।

2.3 ₹8.22 करोड़ का अप्रयुक्त निवेश

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाइब्रिड बिटुमेन की मांग का निर्धारण न करने और इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों की कमी के कारण ₹8.22 करोड़ का अप्रयुक्त निवेश हुआ था।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की डिगबोई रिफाइनरी (रिफाइनरी), 6.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) कच्चे तेल प्रसंस्करण क्षमता के साथ संस्थापित है जो, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वैक्स और फर्नेस ऑयल आदि का उत्पादन करती है। रिफाइनरी असम के स्वदेशी कच्चे तेल के प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (कंपनी) ने निर्धारण किया (मई 2016) कि हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिटुमेन {100 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष (टीएमटीपीए) तक} की मांग थी, लेकिन फिर भी असम कच्चे तेल की प्रकृति बिटुमिनस न होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी रिफाइनरी द्वारा किसी बिटुमेन का उत्पादन नहीं किया जा रहा था। कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिटुमेन आवश्यकताओं की प्रमुख आपूर्तिकर्ता (मई

2016) होने के नाते, हल्दिया (पश्चिम बंगाल), कोयली (गुजरात) और मथुरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित अपनी रिफाइनरियों से आवश्यकताओं को पूरा करती थी, जिससे इस पर अतिरिक्त परिवहन लागत लगती थी। रिफाइनरी की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, कंपनी ने अनुसंधान और विकास/पायलट अध्ययन के माध्यम से असम कच्चे तेल में इसके विकास की संभावना तलाशने के बाद, ₹10.40 करोड़ की लागत से 25 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाले क्रम्ब रबर आशोधित बिट्टुमेन (सीआरएमबी+) उत्पादन संयंत्र की स्थापना करके हाइब्रिड बिट्टुमेन के उत्पादन को स्वीकृति दी (जून 2016) थी। सीआरएमबी+ संयंत्र को मार्च 2018 में ₹7 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था।

संयंत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीआरएमबी+ की अनिश्चित मांग, गतिशील बाजार परिदृश्य और मूल्य निर्धारण पर अनिश्चितता के कारण वर्ष 2019-20 में उत्पादन शुरू कर सका। इसने 185.91 मीट्रिक टन सीआरएमबी+ का उत्पादन किया और उसके बाद, सीआरएमबी+ के मांग की कमी के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान संयंत्र में उत्पादन बंद हो गया था। उत्पादित बिट्टुमेन में से, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹6.57 लाख के लाभ पर निजी पार्टियों को 151.35 मीट्रिक टन सीआरएमबी+ बेचा गया था, रिफाइनरी द्वारा सड़क के निर्माण के लिए आंतरिक रूप से 25 मीट्रिक टन का उपयोग किया गया था, जबकि ₹2 लाख के बिक्री की लागत मूल्य के साथ, शेष 9.56 मीट्रिक टन सीआरएमबी+ अब तक (सितंबर 2025) डिगबोई रिफाइनरी में अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। इसके अलावा, सीआरएमबी+ के और अधिक उत्पादन के लिए ₹1.20 करोड़ के मूल्य के खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया था, जिसमें से ₹0.69 करोड़ मूल्य के निविष्टि की भंडारण क्षमता जून 2020 में ही समाप्त हो गयी थी।

सितंबर 2025 तक, कंपनी के पास सीआरएमबी + संयंत्र से फिर से उत्पादन शुरू करने या अप्रयुक्त सीआरएमबी + एवं उसके कच्चे माल के विपणन/भंडारण की कोई योजना नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- i. कंपनी ने सीआरएमबी+, जो एक हाइब्रिड बिट्टुमेन था और जिसकी निम्नलिखित सीमाओं¹⁶ के कारण इसका विपणन करना मुश्किल हो गया था, के लिए बाजार विश्लेषण करने के बजाय पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिट्टुमेन की मांग के निर्धारण के आधार पर रिफाइनरी में सीआरएमबी + संयंत्र संस्थापित करने का निर्णय लिया:
 - मिश्रण को सुसंगत रखने के लिए विलोइन व्यवस्था के साथ भंडारण टैंक की आवश्यकता थी;

¹⁶ जैसा कि प्रबंधन ने स्वयं विश्लेषण किया था, ग्राहक की प्रतिक्रिया भी इसका एक स्रोत है।

- गर्म मिश्रण के समय उचित तापमान विनियमन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिससे संविदाकारों के लिए कार्य स्थल पर तापमान को विनियमित करना मुश्किल होता है;
 - इसके लिए अन्य बिटुमेन ग्रेडों की तुलना में अधिक सेटिंग समय की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप निर्माणाधीन सड़कों को लंबे समय तक बंद करना पड़ता है जिससे लंबी अवधि के लिए यातायात की आवाजाही प्रभावित होती है।
 - रखरखाव/मरम्मत कार्य के लिए केवल कोल्ड मिक्स बिटुमेन की आवश्यकता थी।
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीआरएमबी+ के परिवहन में अवसंरचनात्मक सीमाएँ थीं।
- ii. सीआरएमबी+ के लिए किसी भी बाजार विश्लेषण के अभाव में, कंपनी ने इस तथ्य पर विचार और विश्लेषण नहीं किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना एवं सड़क विकास निगम लिमिटेड (क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार) और राज्य लोक निर्माण विभाग सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिटुमेन के किसी भी उपयोगकर्ता ने सीआरएमबी+ संयंत्र संस्थापित करने का निर्णय लेने से पहले, उत्पाद का उपयोग पथ निर्माण के लिए करने की अनुशंसा नहीं की थी।
- iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीजी-40 जैसे वैकल्पिक ग्रेड की बिटुमेन की उपलब्धता का विश्लेषण नहीं किया गया था

उपरोक्त का संचयी प्रभाव, जैसा कि सीआरएमबी+ संयंत्र की संस्थापना के बाद प्रबंधन द्वारा स्वयं का विश्लेषण किया गया (मई 2021 और जून 2022), कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीआरएमबी+ की कोई मांग नहीं थी।

इस प्रकार, सीआरएमबी+ की मांग का निर्धारण नहीं करना और जिसके बाद ग्राहकों की कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 से सीआरएमबी+ संयंत्र में उत्पादन बंद हो गया और ₹8.22 करोड़¹⁷ के निवेश निष्फल हुआ था।

¹⁷ संयंत्र की लागत अर्थात ₹7 करोड़ + सीआरएमबी+ के लिए अप्रयुक्त कच्चे माल की लागत अर्थात ₹1.20 करोड़ + अप्रयुक्त सीआरएमबी+ की बिक्री की लागत अर्थात ₹0.02 करोड़।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2024) में कहा कि रिफाइनरी में सीआरएमबी+ संयंत्र की संस्थापना एक रणनीतिक पहल थी, जो कंपनी द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिटुमेन की कमी को पूरा करने के लिए आर्थिक और व्यवहार्यता अध्ययन के बाद ली गई थी। प्रबंधन ने हालांकि इस तथ्य को स्वीकार किया कि अवसंरचनात्मक सीमा और ग्राहक की ओर से अनुप्रयोग में कठिनाइयों के कारण, सीआरएमबी+ का उत्थान बाधित हुआ था। प्रबंधन ने आगे कहा कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीआरएमबी+ बाजार के विकास पर काम कर रहा था और वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन के लिए सुविधा का उपयोग करने के विकल्पों का भी पता लगाया जा रहा था जो नवंबर 2024 तक परिणाम दे सकते थे।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीआरएमबी+ की संस्थापना के लिए पायलट अध्ययन, सीआरएमबी+ के लिए बाजार विश्लेषण से रहित था, जिसमें इसके उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ अनुप्रयोग कठिनाइयाँ हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीआरएमबी+ के लिए बाजार विकसित करने के लिए संयंत्र संस्थापित करने से पहले सीआरएमबी+ के संभावित ग्राहकों के साथ कोई सहमति ज्ञापन या प्रतिबद्धताएं दर्ज नहीं की गई थीं। इसके अलावा, सीआरएमबी+ संयंत्र 2020-21 से उत्पादन अधीन नहीं था और कंपनी के पास सितंबर 2025 तक फिर से उत्पादन शुरू करने या सीआरएमबी+ के निर्माण की स्वदेशी तकनीक वाली उत्पादन सुविधा का कोई वैकल्पिक उपयोग करने की योजना नहीं थी।

इस प्रकार, सीआरएमबी+ की मांग का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप ₹8.22 करोड़ का निष्फल निवेश हुआ था।

जनवरी 2025 में मंत्रालय को पैरा जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2025)।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

2.4 ओएनजीसी के कॉर्पोरेट मटेरियल मैनेजमेंट द्वारा अधिप्राप्ति गतिविधियां

2.4.1 परिचय


तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एवं पी) कंपनी है और इसके पास पूंजी-गहन प्रचालन का एक उच्च स्तर है

जो अन्वेषण एवं उत्पादन प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सही समय और सही लागत पर, सही सामग्री और सेवा उपलब्ध कराने के लिए सामग्री और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की अत्यधिक कुशल प्रणाली की मांग करता है। अधिप्राप्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए, केंद्रीकृत आधार पर एकीकृत सामग्री प्रबंधन नियम-पुस्तिका (आईएमएमएम) में सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए वर्ष 2002 में *कॉर्पोरेट मटेरियल मैनेजमेंट* (सीएमएम) की स्थापना की गई थी। सीएमएम की गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सीधे तौर पर ओएनजीसी के क्षेत्र प्रचालन से संबंधित हैं। सीएमएम का उद्देश्य ओएनजीसी के क्षेत्र प्रचालन में व्यवधान के बिना, विभिन्न कार्य केंद्रों की तत्काल प्रचालन गतिविधियों को पूरा करने और सामग्री/सेवाओं की समय पर उपलब्धता का प्रबंधन करने के लिए ओएनजीसी में एक प्रभावी और समग्र आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना है। जुलाई 2022 तक अद्यतित आईएमएमएम के अनुसार, ओएनजीसी के सीएमएम द्वारा केंद्रीय रूप से 43 वस्तुओं (अनुलग्नक VII) की खरीद की जाती है।

2.4.1.1 संगठन ढांचा

सीएमएम को नवंबर 2023 में केंद्रीय खरीद विभाग (सीपीडी) के रूप में पुनर्गठित किया गया था, जिसमें एकमुश्त टर्नकी परियोजनाओं को संभालने की दिशा में अतिरिक्त गुंजाइश का प्रावधान था जो सीएमएम के पहले के कार्य-क्षेत्र में नहीं था। सीपीडी की वर्तमान संगठन संरचना इस प्रकार है:

चित्र 2.2: केंद्रीय खरीद विभाग की संगठनात्मक संरचना



जैसा कि उपरोक्त चार्ट में दर्शाया गया है, सीपीडी का प्रबंधन सीपीओ में निहित है जिसे विभिन्न समूहों के प्रमुखों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.4.1.2 अधिप्राप्ति हेतु निविदा

सीपीडी में सभी कार्य-केंद्रों से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के अधिप्राप्ति के लिए खरीद मांग (पीआर)/आवश्यकता प्राप्त होती है। पीआर के समेकन और अनुमानों की संवीक्षा, अंतिम खरीद दरों, तकनीकी बोली मूल्यांकन मानदंड (बीईसी) के निर्माण, तकनीकी विनिर्देश, कार्य का दायरा, संविदा की विशेष शर्तें आदि के बाद; सीपीडी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (एनसीबी), अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) और सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) निविदाओं को आमंत्रित करता है। लेखापरीक्षा अवधि के समावेशन के दौरान, अर्थात् अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक, कुल 219 निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया था, जिसके लिए ₹8,459.56 करोड़ के मूल्य के 439 क्रय आदेश जारी किए गए थे। 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान सीपीडी द्वारा अंतिम रूप दी गई श्रेणीवार निविदा का विवरण निम्नानुसार था:

तालिका 2.1: श्रेणीवार सौंपी गयी निविदाएँ

वर्ष	सौंपी गयी निविदाओं की संख्या	सौंपी गयी निविदाएँ			
		एनसीबी	आईसीबी	जीईएम	अन्य ¹⁸
2018-19	47	0	45	0	2
2019-20	26	1	24	0	1
2020-21	34	4	4	22	4
2021-22	57	1	9	47	0
2022-23	55	2	8	39	6
कुल	219	8	90	108	13
निविदाओं का मूल्य (₹ करोड़ में)	8,459.56	554.49	3,599.48	3,614.92	690.67

निम्नलिखित पद्धतियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की निविदाएं आमंत्रित की गईं:

- ओएनजीसी के एकीकृत सामग्री प्रबंधन नियम-पुस्तिका की धारा 8 के अनुसार, वस्तुओं/सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए, जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं/सेवाओं की

¹⁸ अन्य निविदाएं: विकास आदेश, आपातकालीन आदेश, दर अनुबंध, नामांकन आधार, एकल निविदाएं।

खरीद केवल जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यदि वस्तु जीईएम में उपलब्ध नहीं है, तो आईएमएमएम में विनिर्दिष्ट अन्य अधिप्राप्ति विधियों के माध्यम से खरीद का सहारा लिया जा सकता है, बशर्ते विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख किया जाए।

- ii) भारत सरकार के दिनांक 15 मई 2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ₹200 करोड़ से अधिक मूल्य की निविदाएं विश्व स्तर पर आमंत्रित की जाएंगी और ₹200 करोड़ मूल्य तक की निविदाएं स्थानीय स्तर पर आमंत्रित की जा सकती हैं।

2.2.1.3 लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान सीपीडी द्वारा प्रस्तुत की गई संविदाओं का समावेश किया गया था। लेखापरीक्षा में कार्य केंद्रों की गतिविधियों और अभिलेखों को भी सम्मिलित किया गया जिसके लिए सामग्री की खरीद की गई थी। यह सीपीडी द्वारा किए गए अधिप्राप्ति के संबंध में जहां भी आवश्यक हो, इन्वेंट्री प्रबंधन से भी जोड़ा गया था।

2.2.1.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली मानदंड को समझाने के लिए ओएनजीसी के साथ प्रवेश सम्मेलन, आवश्यकताओं और प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी का संग्रह, दस्तावेजों एवं संबंधित फाइलों की समीक्षा करने के लिए सीपीडी और कार्य केंद्रों का दौरा, प्रबंधन के साथ चर्चा, विश्लेषण एवं आंकड़ों की तुलना और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर की गयी उनकी प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए प्रबंधन के साथ निकास सम्मेलन सम्मिलित थे।

2.2.1.5 क्रय आदेशों का नमूनाकरण

लेखापरीक्षा अवधि अर्थात् अप्रैल 2018 से मार्च 2023 के समावेशन के दौरान, सीपीडी द्वारा ₹8,459.56 करोड़ के कुल 439 क्रय आदेश जारी किए गए थे। सीएएटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन 439 क्रय आदेशों का यादृच्छिक रूप से नमूना लिया गया था और ₹6,405.20 करोड़ मूल्य के 106 क्रय आदेशों (77 निविदाओं) को समीक्षा के लिए चुना

गया था। समीक्षा के लिए चयनित क्रय आदेशों के अलावा, सामग्री की आपूर्ति, उसके उपयोग, सामग्री की विलंब/कम आपूर्ति के कारण वैकल्पिक व्यवस्था, संविदाकार को किए गए भुगतान आदि की स्थिति को सत्यापित करने के लिए क्षेत्र दौरों हेतु 13 क्रय आदेशों (₹1332.84 करोड़ का मूल्य) का चयन किया गया था।

2.4.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण नीचे पैराग्राफ में दिया गया है:

2.4.2.1 अधिप्राप्ति योजना और आवश्यकता निर्धारण

अधिप्राप्ति योजना यह सुनिश्चित करती है कि संगठन वस्तुओं, सेवाओं या कार्यों के लिए अपनी आवश्यकताओं को समय पर और उचित लागत पर पूरा करने के लिए समन्वित और एकीकृत कार्रवाई करता है। इसमें अधिप्राप्ति के लिए आवश्यकताओं और निर्धारित समय सीमा का समय पर निर्धारण सम्मिलित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पूरी प्रक्रिया तुरंत पूरी हो जाए। इस संदर्भ में, सामग्री प्रबंधन (एमएम) नियम-पुस्तिका, अधिप्राप्ति योजना में ओएनजीसी के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यह नियम-पुस्तिका संगठन के प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में सम्मिलित चरण-दर-चरण प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करता है। आवश्यकताओं के निर्धारण, लागत अनुमान, निविदा प्रतिमानक, विक्रेता चयन, बजट, जोखिम प्रबंधन और संविदा के संबंध में बातचीत, एमएम मैनुअल अधिप्राप्ति गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।

अधिप्राप्ति नियम-पुस्तिका

पुराने एमएम नियम-पुस्तिका को वर्ष 1998 में जारी किया गया था। एक एकीकृत सामग्री प्रबंधन (आईएमएम) नियम-पुस्तिका तैयार करने के उद्देश्य से, कंपनी ने मौजूदा एमएम मैनुअल, वर्क्स मैनुअल, समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और परिपत्रों/संशोधनों और गोदाम प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, स्टॉक सत्यापन एवं निपटान प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार (2014 में) नियुक्त किया था। सलाहकार की अनुशंसाओं के आधार पर, कंपनी बोर्ड ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया परिवर्तन परियोजना के संबंध में नीतिगत परिवर्तनों के लिए अनुमोदन (13 अगस्त 2014) दिया था। कार्यकारी अधिप्राप्ति समिति ने 1 जनवरी 2015 से प्रभावी नए आईएमएम मैनुअल को अनुमोदन दिया था।

(क) सीपीडी के योजना और मूल्यांकन अनुभाग में मांगपत्रों के समेकन के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा

सीपीडी ने सभी कार्य केंद्रों को निर्देश दिया (मई 2002) कि, "सभी कार्य केंद्रों को वित्तीय वर्ष से पहले प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक अपनी आवश्यकताएं सीपीडी को अवश्य भेजना चाहिए।" हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्य केंद्रों द्वारा आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा का पालन नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि हालांकि आईएमएमएम के खंड 34.10 ने विभिन्न निविदा गतिविधियों हेतु एमएम अनुभाग के लिए आवश्यक दिन प्रदान किए हैं, लेकिन कंपनी के आईएमएम मैनुअल में पी एंड ई अनुभाग द्वारा समेकित पीआर प्रस्तुत करने की समय सीमा प्रदान नहीं की गई है।

77 निविदाओं में से 61 के मामले में संबंधित कार्य केंद्रों से योजना और मूल्यांकन (पी एंड ई) अनुभाग में आवश्यकताओं की विलंबित प्राप्ति के अलावा, पी एंड ई अनुभाग द्वारा भी इसे संसाधित करने और निविदा प्रक्रिया के लिए एमएम अनुभाग को प्रस्तुत करने में काफी समय लिया गया था।

61 निविदाओं की जांच के दौरान, यह पाया गया कि पी एंड ई अनुभाग को संबंधित कार्य केंद्र से अंतिम मांगपत्र प्राप्त होने बाद एमएम अनुभाग को समेकित पीआर प्रस्तुत करने में 7 से 737 दिन का समय लगा। निम्न तालिका में लगने वाले समय का सारांश दिया गया है।

तालिका 2.2: मांगपत्र प्रस्तुत करने में लिया गया समय

समीक्षा के लिए चयनित निविदाओं की संख्या	समीक्षा की गई निविदाओं की संख्या ¹⁹	निविदाओं की संख्या जिनमें विलंब हुआ	लगने वाला समय (दिनों में)	लिया गया औसत समय (दिन)
77	61	51	7 to 737	92

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि कार्य केंद्रों द्वारा पी एंड ई को मांगपत्र प्रस्तुत करने के लिए विच्छेदक तिथि (अर्थात प्रत्येक वर्ष का 30 जून) निर्दिष्ट की गयी थी, लेकिन पी एंड ई द्वारा एमएम को समेकित मांगपत्र प्रस्तुत करने की विच्छेदक तिथि का कोई

¹⁹ 77 में से, छः (6) निविदाएं दर संविदा /नामांकन के लिए थीं। 10 निविदाओं के संबंध में प्रबंधन अपेक्षित आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर सका था।

उल्लेख नहीं था। इसके अलावा, परिपत्र (नवंबर 2023) के अनुसार, केंद्रक तकनीकी अभिकरण (एनटीए) प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक सीपीडी को पूर्ण मांगपत्र प्रस्तुत करेगी। मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2024) कि कॉर्पोरेट एमएम के पूर्ववर्ती पी एंड ई अनुभाग की भूमिका एनटीए द्वारा निभाई जा रही है और आईसीई एमएम की सहायता से एनटीए ने "एनटीए डैशबोर्ड" विकसित किया था। एनटीए डैशबोर्ड की पहल ने मांग एकत्रीकरण के समय को काफी कम कर दिया है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि एमएम अनुभाग को समेकित पीआर प्रस्तुत करने में पी एंड ई अनुभाग में 7 दिनों से 737 दिनों के महत्वपूर्ण विलंब के विशिष्ट कारणों को उत्तर में साझा नहीं किया गया था। इसके अलावा, हालांकि कंपनी ने पूरी प्रणाली में सुधार किया जिसके द्वारा एनटीए को 31 जुलाई तक समेकित मांगपत्र प्रस्तुत करना था, हालांकि, वर्ष 2024-25 के लिए इसे 67 दिनों से 260 दिनों के विलंब के साथ सीपीडी को 31 जुलाई के बाद प्रस्तुत किया गया था।

अनुशंसा संख्या 10: ओएनजीसी, संबंधित वर्ष की 31 जुलाई तक सीपीडी को समेकित मांगपत्र प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट समयसीमा का पालन करे।

(ख) लागत का अनुमान

आईएमएम मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, यथार्थवादी, तार्किक और बाजार-प्रतिबिंबित अनुमानों को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित कार्यप्रणालियों जैसे शुड कॉस्टिंग एवं कार्य भंजन तथा लागत कार्यप्रणाली का उपयोग करके निविदाओं के लिए लागत अनुमान लगाया जाना है। आईएमएम मैनुअल का प्रावधान 4.2, निविदा के लागत अनुमान की कार्यप्रणाली प्रदान करता है जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि "अनुमानित लागत यथार्थवादी, तार्किक और वैज्ञानिक होनी चाहिए और जहां तक संभव हो बाजार की सही स्थिति को प्रतिबिंबित करना चाहिए।" आईएमएम मैनुअल लागत अनुमान का आधार भी प्रदान करता है, अर्थात् शुड कॉस्टिंग (xx), कार्य भंजन लागत कार्यप्रणाली (xx), बजटीय उद्धरण (बीक्यू) और अंतिम खरीद दर (एलपीआर), जिसका उपयोग अधिप्राप्ति के प्रकार के लिए लागू/उपयुक्त लागत अनुमान में किया जा सकता है।

यह पाया गया कि कंपनी ने परिशोधित आईएमएम मैनुअल को 1 जनवरी 2015 से लागू करते समय, निर्णय लिया था कि विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने के बाद लागत अनुमान

से संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाएगा। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अब तक (दिसंबर 2024) लागत अनुमान कार्यप्रणालियों के कार्यान्वयन को प्रचालित या मानकीकृत करने के लिए प्रबंधन द्वारा कोई औपचारिक दिशानिर्देश या परिपत्र जारी नहीं किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने 77 निविदाओं की समीक्षा की और पाया कि लागत अनुमान वास्तविक लागत से व्यापक रूप से भिन्न थे, जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका 2.3: निविदा मूल्य वैभिन्यता अनुमानित बनाम वास्तविक

समीक्षा के लिए चयनित निविदाओं की संख्या	ऐसे मामले जहां अनुमान निविदा के वास्तविक मूल्य के 20% से अधिक था		ऐसे मामले जहां निविदा का वास्तविक मूल्य अनुमानित मूल्य के 20% से अधिक था	
	निविदाओं की संख्या	वैभिन्यता की सीमा	निविदाओं की संख्या	वैभिन्यता की सीमा
77	10	20.30-78.87%	26	20.32-137.63%

उपरोक्त तालिका से, यह पाया गया कि समीक्षा की गयी 77 निविदाओं में से 36 निविदाओं में 20 प्रतिशत या उससे अधिक की महत्वपूर्ण वैभिन्यता थी। सभी 77 निविदाओं (106 पीओ) में अनुमानों और वास्तविक लागत के बीच वैभिन्यता (-)49.25 प्रतिशत और (+) 137.63 प्रतिशत के मध्य थी, जबकि केवल 26 निविदाएं थीं जिनमें अनुमानों और वास्तविक लागत के बीच वैभिन्यता 10 प्रतिशत से कम थी। लेखापरीक्षा में बजट कोटेशन में समस्या, निविदा के कुल लागत मूल्य का अनुचित मूल्यांकन, बाजार के रुझानों पर उचित विचार की कमी, कच्चे माल की ऊर्ध्वमुखी मूल्य प्रवृत्ति, कार्य केंद्रों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों में वैभिन्यता, दर तर्कसंगतता सुनिश्चित नहीं करना और इन अनुमानों को तैयार करने में आईएमएम मैनुअल प्रावधानों का पालन न करने से संबंधित मुद्दे पाये गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएमएम मैनुअल में उल्लिखित कार्यप्रणाली के आधार पर निविदाओं के लिए अनुमान तैयार किए जा रहे थे। हालांकि, आईएमएम मैनुअल में शुड कॉस्टिंग, कार्य भंजन लागत कार्यप्रणाली और अंतिम खरीद दर जैसे लागत अनुमान कार्यप्रणालियों के लिए उपयुक्त दिशानिर्देशों के अभाव में समीक्षा की गई 77 निविदाओं के लिए अनुमान, उपलब्ध आंतरिक प्रक्रियाओं के आधार पर तैयार किए गए थे। विशेष रूप से विभाग, (i) अंतिम खरीद दरों (ii) तकनीकी टीमों से अभियांत्रिकी आगत और

(iii) विक्रेताओं के साथ बातचीत के माध्यम से एकत्रित बाजार आसूचना, तथा समान वस्तुओं के हालिया निविदा आंकड़े पर निर्भर था। जबकि ये पद्धतियाँ अनुभव और पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं, लेकिन संहिताबद्ध, समान प्रक्रियाओं के अभाव में अनुमानित और वास्तविक लागतों के बीच असंगत अनुप्रयोग और महत्वपूर्ण वैभिन्न्यता हुई थीं।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि निविदा पर परिणाम मूल्य आईएमएमएम के वर्तमान प्रावधानों के आधार पर अनुमानों के अनुरूप हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए यह सहमति है कि वर्तमान बाजार की गतिशीलता से मेल खाने के लिए नीति परिवर्तन/ अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। आईएमएमएम के अनुसार एनटीए को लागत अनुमान के आधार का पालन करना अनिवार्य है और लागत अनुमानों को वर्तमान बाजार स्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए नीति परिवर्तन पहले से ही हो रहे हैं। लागत अनुमान कार्यप्रणाली के लिए जारी न किए गए दिशानिर्देश के संबंध में, प्रबंधन ने कहा कि सलाहकार बीसीजी द्वारा प्रस्तुत लागत अनुमान कार्यप्रणाली पर अनुशंसा उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करने के लिए विचार-विमर्श के अधीन है।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2024) कि लागत अनुमान, अंतिम खरीद दरों (एलपीआर) के आधार पर तैयार किए गए थे। जहां कहीं भी एलपीआर उपलब्ध नहीं हैं, लागत अनुमान बजटीय उद्धरण (बीक्यू) के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, उद्धृत मूल्य मांग-आपूर्ति, कच्चे माल की कीमतों, बाजार प्रतिस्पर्धा, श्रम लागत आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मांग और अंतर परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थिति, तेल मूल्य निर्धारण और लागत के अन्य प्रेरकों पर विचार करने के लिए एमआईएनडी ग्रुप से कुछ उच्च मूल्य श्रेणियों के लिए रणनीतिक आगत भी लिए जाते हैं। लागत अनुमान कार्यप्रणाली के लिए दिशानिर्देश के विषय में मंत्रालय ने आगे कहा कि शुरुआत में, कुछ उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में अभ्यास शुरू किया गया है। यह उल्लेख करने योग्य होगा कि ई एंड पी क्षेत्र बाजार की गतिशीलता के लिए अत्यधिक अतिसंवेदनशील है और संभवतः सामान्य उद्योग पद्धतियों का पालन न भी करे।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि अनुमोदित आईएमएमएम मैनुअल जो जनवरी 2015 से प्रभावी के लागू होने के बावजूद, एक दशक के बाद भी लागत अनुमान पर कोई औपचारिक दिशानिर्देश जारी नहीं किए

गए हैं। लागत अनुमान के लिए दिशानिर्देशों के अभाव में, अनुमान पद्धति और बाजार विश्लेषण में अंतराल के साथ अनुमान कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण वैभिन्नतायें पायी गई थीं। ई एंड पी क्षेत्र में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा का विचार है कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों/परियोजनाओं/सेवाओं के लिए लागत अनुमान कार्यप्रणालियों के संकेतकों की खोज से इस महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए आवश्यक विश्लेषण और सम्यक उद्यम को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

अनुशंसा संख्या 11: कंपनी लागत अनुमान के लिए एक स्पष्ट कार्यप्रणाली की समीक्षा और स्थापना कर सकती है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों, परियोजनाओं और सेवाओं को सम्मिलित करने वाले क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश विकसित किए जा सकते हैं ताकि प्रक्रियाओं में भिन्नताओं, कमियों और अपर्याप्त बाजार विश्लेषण को दूर किया जा सके।

2.4.2.3 सीपीडी द्वारा आवश्यकता का पूर्वानुमान

(क) इन्वेंट्री और इन्वेंट्री प्रबंधन की होल्डिंग अवधि

सभी कार्य केंद्र मासिक आधार पर कॉर्पोरेट इन्वेंट्री प्रबंधन को सभी इन्वेंट्री प्रबंधन कार्य की प्रगति के बारे में सूचित करते हैं। इसके अलावा, इन्वेंट्री अनुवीक्षण आंकड़ा और फाइलें (साइट पर सामग्री, पारगमन में सामग्री, पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक (सीआईओएस), धीमी गति से चल रही परिसमापन स्थिति, केंद्रीय स्तर पर खरीदे गए स्टोर वस्तुओं के स्टॉक माह, ट्यूबलर की स्टॉक स्थिति और अन्य उच्च मूल्य के वस्तुओं की सूची, आदि) कॉर्पोरेट इन्वेंट्री प्रबंधन अनुभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिन्हें आगे एमएम पोर्टल (mmportal.ongc.co.in) के माध्यम से सभी कार्य-केंद्रों के साथ साझा किया जाता है ताकि वे इस सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकें।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, कॉर्पोरेट एमएम ने ₹8,459.56 करोड़ के मूल्य के 439 पीओएस/अनुबंधों के प्रदान करने के सापेक्ष केंद्रीकृत अधिप्राप्ति किया था। लेखापरीक्षा ने ₹4,343.36 करोड़ की राशि की उच्च मूल्य वाली सामग्रियों के सापेक्ष अर्थात्, अप्रैल 2018 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹258.58 करोड़, ₹3,137.60 करोड़ और ₹947.18 करोड़ की लागत वाले ड्रिल पाइप (सामग्री समूह 01), केसिंग पाइप (सामग्री समूह 02) और ट्यूबिंग (सामग्री समूह 15) इन्वेंट्री प्रबंधन की समीक्षा की थी।


लेखापरीक्षा ने पाया कि इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि मानकों से अधिक थी। इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि, नॉन-मूविंग इन्वेंट्री आदि में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, ईकनॉमिक् रिऑर्डर जैसे जांच के अभाव में सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण उचित नहीं था जैसा कि आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

क.1 उच्च इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि

कंपनी के आईएमएम मैनुअल ने निर्धारित किया कि “सभी कार्य केंद्रों में इन्वेंट्री से संबंधित मुद्दों/समस्याओं की पहचान करने और उन्हें सुलझाने के लिए त्रैमासिक समीक्षा होगी। कार्य केंद्र में इन्वेंट्री प्रबंधन टीम प्रत्येक कार्य केंद्र पर नौ माह से अधिक के स्टॉक माह वाले स्टोर पर प्रतिवेदन तैयार करेगी और जारी करेगी। संबंधित प्रमुख कार्यकारी अतिरिक्त इन्वेंट्री के परिसमापन के लिए इस रिपोर्ट का उपयोग करेगा। स्टॉक माह की गणना पिछले एक वर्ष की औसत मासिक खपत और निर्धारण के समय आयोजित इन्वेंट्री के आधार पर की जाएगी।”

लेखापरीक्षा ने पिछले पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) के ड्रिल पाइप, केसिंग पाइप और ट्यूबिंग की इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि की समीक्षा की और इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि की प्रवृत्ति का विश्लेषण नीचे दिए गए ग्राफ के माध्यम से किया गया है:

चित्र 2.3: (इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि का वर्ष-वार रुझान)



उपर्युक्त से यह पाया गया कि अप्रैल 2018 से दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान ड्रिल पाइप, केसिंग पाइप और ट्यूबिंग के संबंध में इन्वेंट्री होल्डिंग माह क्रमशः 8 से 28

महीने, 13 से 25 महीने और 12 से 25 महीने थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि अपने मानकों के विपरीत, कंपनी 2021-22 (आठ महीने) में ड्रिल पाइप को छोड़कर, उपर्युक्त तीन सामग्री समूहों (ड्रिल पाइप, केसिंग और ट्यूबिंग) को नौ महीने के निर्धारित मानकों के भीतर इन्वेंट्री नहीं रख सकी थी। इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि के लिए मानकों का पालन न करने के कारण, ₹266.58 करोड़ के ड्रिल पाइप, केसिंग और ट्यूबिंग की इन्वेंट्री, 31 दिसंबर 2024 तक एक वर्ष से अधिक पुरानी थी और बेहतर योजना के साथ पूंजी के इस अवरोध से बचा जा सकता था।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि स्लो मूविंग/ नॉन-मूविंग इन्वेंट्री की आगे की औचित्य रहित वृद्धि को रोकने के लिए, संबंधित प्रमुख अधिकारियों को ऐसी वस्तुओं की स्थिति के बारे में विधिवत सूचित किया गया है और ट्यूबलर सहित स्लो मूविंग/ नॉन-मूविंग वस्तुओं को परिनिर्धारित करने और उनके परिसमापन के लिए जल्द से जल्द एक कार्य योजना प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा (दिसंबर 2024) कि विभिन्न ओएनजीसी कार्य-केंद्र /केन्द्रों में उनके उचित अनुपालन के लिए और भविष्य में ऐसी अभ्युक्तियों को कम करने के लिए उच्च मूल्य की इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि की जांच की गई है। स्लो मूविंग/ नॉन-मूविंग इन्वेंट्री की आगे की औचित्य रहित वृद्धि को रोकने के लिए, ओएनजीसी द्वारा ऐसी वस्तुओं की स्थिति के विषय में संबंधित प्रमुख अधिकारियों को विधिवत सूचित किया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा (दिसंबर 2024) कि उन्होंने ओएनजीसी को उच्च मूल्य की इन्वेंट्री के संबंध में उच्च इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी परामर्श दिया है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि हालांकि प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पहल की, लेकिन अगले दो वर्षों (2023-24 और 2024-25) में परिलक्षित इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि ने नौ महीने के मानकों के सापेक्ष बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई थी, अर्थात्, ड्रिल पाइप की इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि 2023-24 में 13 महीने से बढ़कर 2024-25 में 16 महीने हो गई, केसिंग 2022-23 में 16 महीने से बढ़कर 2024-25 में 25 महीने हो गई और ट्यूबिंग 2022-23 में 12 महीने से बढ़कर 2023-24 में 22 महीने हो गई थी।

क.2 नॉन-मूविंग इन्वेंटरी में वृद्धि

कंपनी की नीति के अनुसार, इन्वेंट्री (स्टोर, स्पेयर और पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक) जिनकी खपत रिपोर्टिंग तिथि के चार वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए लोकेशन स्तर पर नहीं हुई है, को 'नॉन-मूविंग' इन्वेंट्री के रूप में माना जाएगा। पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष के अंत में) के दौरान निम्नलिखित सामग्रियों की नॉन-मूविंग इन्वेंटरी का मूल्य निम्नानुसार था:

तालिका 2.4: नॉन-मूविंग इन्वेंटरी का विवरण

सामग्री और सामग्री समूह का विवरण	सामग्री का मूल्य (₹ करोड़ में)				
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ड्रिल पाइप (01)	7.14	5.09	14.12	3.32	2.96
केसिंग पाइप (02)	27.31	52.58	55.97	100.65	111.26
ट्यूबिंग (15)	28.59	29.90	42.93	57.41	66.71
कुल	63.04	87.57	113.02	161.38	180.93

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान, कुल नॉन-मूविंग इन्वेंट्री ₹63.04 करोड़ से बढ़कर ₹180.93 करोड़ हो गई थी। केवल ड्रिल पाइप की नॉन-मूविंग इन्वेंट्री 2020-21 में ₹14.12 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹2.96 करोड़ हुई थी, लेकिन कुछ वर्षों से केसिंग पाइप और ट्यूबिंग की नॉन-मूविंग इन्वेंट्री में वृद्धि हुई है। नॉन-मूविंग इन्वेंट्री की वृद्धि से पता चला कि सामग्री की अधिक खरीद की गई थी लेकिन इसकी तुलना में सामग्री की खपत बहुत कम थी।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि ओएनजीसी के विभिन्न कार्य-केंद्रों में अभ्युक्तियों के उचित अनुपालन और भविष्य में ऐसी अभ्युक्तियों को कम करने के लिए लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों की जांच की गई है। प्रबंधन ने क्रमशः ₹92.32 करोड़ और ₹84.31 करोड़ के मूल्य वाले केसिंग पाइप और ट्यूबिंग सहित, 31 मार्च 2024 तक के नॉन-मूविंग इन्वेंट्री का विवरण भी प्रदान किया है। मंत्रालय ने आगे कहा (दिसंबर 2024) कि उन्होंने ओएनजीसी को उच्च इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का परामर्श दिया है।

यह पाया गया कि 2023-24 में केसिंग पाइप की नॉन-मूविंग इन्वेंट्री घटकर ₹92.32 करोड़ हो गई थी, लेकिन ट्यूबिंग की नॉन-मूविंग इन्वेंट्री का मूल्य ₹66.71 करोड़

(2022-23) से बढ़कर ₹84.31 करोड़ (2023-24) हो गया था, जो नॉन-मूविंग इन्वेंट्री के संचय को रोकने के लिए अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता को दर्शाता था।

उपर्युक्त के अलावा, चयनित 106 पीओ/संविदाओं की समीक्षा पर, निम्नलिखित विवरण के अनुसार सामग्री की शून्य/कम खपत पायी गयी थी:

- काकीनाडा एसेट में, अक्टूबर, 2019 से अप्रैल, 2020 की अवधि के दौरान पीओ के माध्यम से ₹16.45 करोड़ मूल्य के 4,988.6 मीटर और अक्टूबर 2020 में बेसिन एवं सैटेलाइट एसेट, मुंबई से इंटर यूनिट ट्रांसफर के माध्यम से ₹8.36 करोड़ मूल्य के 2,800 मीटर केसिंग पाइप प्राप्त हुए थे। हालांकि, 'शून्य' खपत के कारण, काकीनाडा एसेट को 7,789 मीटर केसिंग पाइप मुंबई को वापस स्थानांतरित करना पड़ा था।
- ईओए काकीनाडा में, 2018 के दौरान एसेट द्वारा 25,549 मीटर ट्यूबिंग की खरीद की गई थी। हालांकि, सितंबर 2023 तक इसकी खपत केवल 22 प्रतिशत थी, जिसके परिणामस्वरूप 19,999 मीटर ट्यूबिंग के अप्रयुक्त स्टॉक के कारण ₹18.19 करोड़ का अवरोध हुआ था।
- त्रिपुरा एसेट (अगरतला) में, दिसंबर 2022 में खरीदे गए 29,994 मीटर ईयू ट्यूबिंग तथा और 72 नंबर पीयूपी जॉइंट्स के सापेक्ष सितंबर, 2023 तक केवल 4,622 मीटर ईयू ट्यूबिंग की खपत की गयी थी जबकि एक भी पीयूपी जॉइंट की खपत नहीं की गयी थी।
- असम और असम फोल्ड बेल्ट (एएएफबी), सिलचर ने 20 मीट्रिक टन पॉलीमाइन की अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की जबकि एएएफबी के पास स्टॉक में 30 मीट्रिक टन पॉलीमाइन था। हालांकि यह देखा गया कि कुल 50 मीट्रिक टन में से, एएएफबी सितंबर 2023 तक केवल 13 मीट्रिक टन पॉलीमाइन की खपत कर सका था और 6 मीट्रिक टन पॉलीमाइन को जोरहाट के अन्य कार्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- निविदा ज़ेडएनसीएलसी18001 के सापेक्ष, 13 सीआर प्रीमियम थ्रेड केसिंग पाइप (सामग्री कोड-020000294) जिसका मूल्य ₹2.60 करोड़ था, अक्टूबर 2019 से

नवंबर 2022 के दौरान बी एंड एस, मुंबई में खरीदा गया था। हालांकि, सामग्री का तीन साल तक उपयोग नहीं किया गया था।

- कार्य केंद्रों ने बाद के वर्ष के लिए नियोजित प्रचालन गतिविधियों के आधार पर अपनी सामग्री की आवश्यकताएं प्रस्तुत की थीं। इन आवश्यकताओं को अधिप्राप्ति कार्रवाई शुरू करने के लिए कॉर्पोरेट एमएम को अग्रेषित किया गया था। अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान, संबंधित कार्य केंद्रों में उपलब्ध स्टॉक और स्टॉक माह सहित स्टॉक उपलब्धता की आम तौर पर समीक्षा और निर्धारण, पूर्ववर्ती अधिप्राप्ति और मूल्यांकन (पी एंड ई) अनुभाग द्वारा किया जाता था। हालांकि, पांच मामलों में, शून्य या कुछ सामग्रियों की सीमित खपत के प्राथमिक कारण प्रचालन योजनाओं में अचानक परिवर्तन, निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब और सामग्री के सुपुर्दगी में विलंब था। इन कारकों के कारण अक्सर परिचालन प्राथमिकताओं में बदलाव होता था, जिसके तहत अन्य कार्य केंद्रों से सामग्री हस्तांतरण के माध्यम से तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता था। नतीजतन, मूल रूप से खरीदी गई सामग्री का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता था। यह स्थिति विशेष रूप से क्षेत्र की आवश्यकता में परिवर्तन की आशंका और समय पर अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने में, प्रचालन और सामग्री योजना में कमियों पर प्रकाश डालती है। यह इन्वेंट्री जमा होने से रोकने और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजना, अधिप्राप्ति और क्षेत्र प्रचालन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि वार्षिक आवश्यकता को तैयार करते समय, अधिप्राप्ति चक्र, उपलब्ध स्टॉक, पिछली खपत और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सामग्री योजना पर कार्य केंद्र द्वारा विचार किया गया था। हालांकि, उस अवधि के दौरान केसिंग की वास्तविक खपत, क्षेत्र विकास योजनाओं में परिवर्तन, ड्रिलिंग के लिए आवश्यक अन्य संसाधनों की उपलब्धता, सांविधिक अनुमोदन, कूपों की समस्या आदि जैसे कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (दिसंबर 2024) प्रबंधन के उत्तर को फिर से दोहराया। ईओए काकीनाडा के संबंध में यह कहा गया था कि कूप के डिजाइन में परिवर्तन के कारण, कूपों के योजनबद्ध कार्य में अपूर्णता के कारण ट्यूबिंग की मात्रा का उपयोग नहीं किया

गया है और भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, त्रिपुरा के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया था कि ट्यूबिंग का स्टॉक शून्य है और विभिन्न आकारों के पीएपी जोइंट्स की शेष मात्रा को डबल्यूओ\ड्रिलिंग रिग्स के साथ कूप के कार्य के पूरा होने के दौरान उपयोग किया जाएगा।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि उत्तर में निर्दिष्ट विभिन्न आवश्यक पहलुओं पर विचार करते हुए वार्षिक आवश्यकता तैयार करने के बावजूद, खरीदी गई सामग्री उपर्युक्त मामलों में तीन साल से अधिक समय तक अप्रयुक्त रही थी। इसके अलावा, प्रबंधन ने काकीनाडा, मुंबई और सिलचर के पास पड़ी अप्रयुक्त सामग्री पर टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी। आईएमएम मैनुअल के खंड 2.2.4 में विशेष रूप से कहा गया है कि माल की आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय योजना अवधि से पहले इन्वेंट्री की उपलब्धता, यथाक्रम और योजनाबद्ध खपत पर विचार किया जाना चाहिए।

क.3 ईआरपी में इन्वेंट्री स्तर की जांच की अनुपलब्धता

कंपनी के एमएम मैनुअल के अनुसार, इन्वेंट्री प्रबंधन टीम को कार्य केंद्र में वस्तुओं की पहचान करनी चाहिए और इन्वेंट्री के इष्टतम स्तर के लिए सुरक्षा स्टॉक, पुनः आदेश बिन्दु और आर्थिक आदेश मात्रा जैसे इन्वेंट्री स्तर स्थापित करना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि इन्वेंट्री स्तर को ईआरपी प्रणाली यानी एसएपी के साथ कैप्चर/जोड़ा नहीं किया गया था। कार्य केंद्रों ने कॉर्पोरेट एमएम को आवश्यकता अग्रेषित की जिसमें आवश्यकता का निर्धारण केवल स्टॉक माह के साथ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप आईएमएम मैनुअल के प्रावधान के सापेक्ष ड्रिल पाइप, केसिंग और ट्यूबिंग की उच्च मूल्य वाली इन्वेंट्री की होल्डिंग अवधि नौ महीने (31 दिसंबर 2024 तक) से अधिक हो गई है। कार्य केंद्रों की आवश्यकता को विभिन्न इन्वेंट्री स्तरों के आधार पर एसएपी के साथ जोड़ा जाना चाहिए था।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि ओएनजीसी जैसी ई एंड पी कंपनियों में, सामान्य प्रकृति की वस्तुओं के लिए भी, खपत पैटर्न पूर्वानुमानित नहीं है और विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए, अधिकतम/न्यूनतम/री-ऑर्डर स्तर/ईओक्यू के आधार पर अधिप्राप्ति ओएनजीसी के लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए इसके लिए आंकड़े एसएपी में कैप्चर नहीं किए जा रहे हैं। आईएमएम मैनुअल के इस प्रावधान की समीक्षा के लिए प्रस्ताव

लाया जाएगा। मंत्रालय ने हालांकि कहा (दिसंबर 2024) कि ओएनजीसी ने सूचित किया था कि इस मामले की उनके स्तर पर समीक्षा की जा रही है कि अपनाई जा रही कार्य पद्धति वास्तविकता के अनुरूप और यथार्थवादी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईएमएम मैनुअल के संबंधित प्रावधानों और इसके वास्तविक कार्यान्वयन में कोई अंतर नहीं है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि किरायाती आदेश की मात्रा का निर्धारण करने, उचित भंडारण सुविधाओं, कालातीत होने से बचाने के लिए संगठन हेतु इन्वेंट्री स्तर आवश्यक हैं और इसलिए गतिशील स्तर को भी कैप्चर करने और इसको ईआरपी प्रणाली में एकीकृत करने की आवश्यकता है।

क.4 एफआईएफओ कार्यप्रणाली को न अपनाना

आईएमएम मैनुअल के प्रावधान 38.1 में कहा गया है कि "स्टॉकहोल्डर की जिम्मेदारी प्राप्ति अनुभागों से सामग्री प्राप्त करना या उपयोगकर्ता द्वारा वापस भेजी गई सामग्री प्राप्त करना, शेल्फ लाइफ को अधिकतम करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार सामग्री को संग्रहीत करना, "पहले आना पहले पाना (एफआईएफओ)" का पालन करना और मांगपत्र के सापेक्ष उपयोगकर्ता को सामग्री जारी करना है।" हालांकि, यह पाया गया कि एसएपी प्रणाली में कैप्चर की गई उच्च मूल्य की सामग्री (ड्रिल पाइप, केसिंग पाइप और ट्यूबिंग) के संबंध में एफआईएफओ की कोई प्रणाली नहीं थी जिससे विनिर्दिष्ट खरीद आदेश के सापेक्ष की सामग्री की स्थिति को ट्रैक किया जा सके। नई खेप सामग्री की मात्रा को उसी सामग्री की पिछली मात्रा के साथ जोड़ा गया था जिसने सामग्री का संयुक्त स्टॉक प्रस्तुत किया था और इसलिए इस परिदृश्य में, यह सत्यापित नहीं किया जा सकता था कि जो सामग्री स्टॉक से जारी की गई थी, उसमें किसकी सुपुर्दगी पहले²⁰ प्राप्त हुई थी।

²⁰ नई सामग्री की अधिप्राप्ति के बाद, इस मात्रा को पुरानी मात्रा के साथ मिला दिया जाता है और उसके बाद प्रणाली पहले की अधिप्राप्ति और नवीनतम अधिप्राप्ति को पृथक करने में सक्षम नहीं हो सकता है ताकि एफआईएफओ पद्धति का पालन किया जा सके। इस परिदृश्य में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि पहले अधिप्राप्ति की गयी सामग्री का उपयोग पहले और बाद में अधिप्राप्ति की गयी सामग्री का उपयोग बाद में किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि ओएनजीसी के सभी प्रमुख अधिकारियों से आईएमएम मैनुअल के प्रासंगिक प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2024) ओएनजीसी ने एसएपी प्रणाली में सभी डब्ल्यूएम भंडारण प्रकारों के लिए एफआईएफओ के रूप में स्टॉक हटाने की रणनीति बनाए रखी है। मंत्रालय ने आगे कहा कि ओएनजीसी ने आगे कहा है कि दिशानिर्देशों को ओएनजीसी के सभी प्रमुख अधिकारियों को आईएमएम मैनुअल के अनुसार एफआईएफओ कार्यप्रणाली के उचित कार्यान्वयन और एसएपी के जैसी एफआईएफओ रणनीति को बनाए रखने के अनुरोध के साथ फिर से दोहराया गया है।

सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पहल के संबंध में प्रबंधन/मंत्रालय की प्रतिक्रिया नोट की गई थी। यह भी ध्यान दिया गया कि एफआईएफओ के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के लिए कोई मौजूदा प्रणाली नहीं थी, जिसके बिना यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि पहले खरीदी गई सामग्री की खपत भी पहले होती है।

ख कार्य केंद्रों की आवश्यकताओं में कमी करना जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि

सीपीडी के पी एंड ई अनुभाग ने कुछ कार्य केंद्रों की आवश्यकता को कम कर दिया/स्थगित कर दिया, जिसके कारण बाद के अधिप्राप्ति चक्र में लागत में वृद्धि हुई थी, जैसा कि नीचे पैराग्राफ में दर्शाया गया है:

- i) विभिन्न कार्य केंद्रों से वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त केसिंग पाइप की आवश्यकता के सापेक्ष, पी एंड ई अनुभाग ने केसिंग पाइप के 10 अलग-अलग विशिष्टताओं की आवश्यकता को दूसरे चरण के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया (अनुलग्नक VIII)। लेखापरीक्षा ने पाया कि चरण-I के अंतर्गत केसिंग पाइप का अधिप्राप्ति जुलाई 2022 में हुआ था, लेकिन चरण-II के अंतर्गत अधिप्राप्ति चक्र 2022-23 में शुरू नहीं किया गया था। 2023-24 के लिए मांगपत्र प्राप्त करने के बाद, चरण-II (2022-23) की मात्रा को वर्ष 2023-24 की आवश्यकता के साथ मिला दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टॉक माह के आधार पर अनुचित वर्गीकरण के कारण, कार्य केंद्रों को वर्तमान चक्र में पूर्ण आवश्यक सामग्री नहीं मिल सकी और इसलिए, शेष आवश्यकता को अगले अधिप्राप्ति चक्र में उच्च दरों पर खरीदा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.34 करोड़ (अनुलग्नक-IX) का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि विनिर्माण और आपूर्ति की लंबी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए चरण-1 में 14 से कम स्टॉक माह वाली इन्वेंट्री की खरीद की गई थी और उपलब्ध स्टॉक और मासिक खपत के आधार पर, स्टॉक महीने की समीक्षा के बाद चार महीने के अंतराल पर दूसरे चरण में 14 से अधिक स्टॉक की खरीद का प्रस्ताव किया गया था। बेसिन कार्य केंद्रों के लिए स्टॉक महीने सही संकेतक नहीं हो सकते हैं क्योंकि कूपों की संख्या वार्षिक आधार पर भिन्न हो सकती है। मंत्रालय ने आगे कहा (दिसंबर 2024) कि केसिंग पाइपों के अधिप्राप्ति के चरण II की शुरुआत के समय, कार्य केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समस्त ओएनजीसी आधार पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध था। इसलिए चरण-II का अधिप्राप्ति 2022-23 में नहीं किया गया था और इसे 2024-25 के अधिप्राप्ति चक्र के साथ समायोजित किया गया था।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एक ओर यह दावा करता है कि स्टॉक महीने बेसिन कार्य केंद्र की जरूरतों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं और दूसरी ओर यह स्टॉक माह के आधार पर कार्य केंद्र की आवश्यकताओं को दो चरणों में अलग करता है। मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में भी देखने की आवश्यकता है कि केसिंग पाइप की तत्काल आवश्यकता को दोनों कार्य केंद्रों (डब्ल्यूओबी मुंबई और कैम्बे एसेट) द्वारा फिर से सूचित किया गया था जो उन्हें आंशिक रूप से अधिप्राप्ति चक्र वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, इन आवश्यकताओं की योजना और खरीद 2022-23 में एक ही चक्र के भीतर नहीं की जा सकी थी, जिसके परिणामस्वरूप बाद के चक्र में समान वस्तुओं की खरीद उच्च दरों पर की गयी थी।

- ii) जुलाई 2022 में नियमित केसिंग पाइप के लिए सीपीडी ने ऑर्डर (जीईएम/2022/बी/2103657) दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 7", पी-110, 29 पीपीएफ विशिष्टता के केसिंग पाइप (एफबी, अहमदाबाद 14,200 मीटर के लिए) की आवश्यकता को चरण-1 अधिप्राप्ति चक्र के अंतर्गत रखा गया था क्योंकि फ़रवरी 2022 तक स्टॉक माह को रिक्त दिखाया गया था। हालांकि, एफबी, अहमदाबाद की आवश्यकता को छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, ₹7,046 प्रति मीटर की दर से 43,214 मीटर के उसी केसिंग आकार को जीईएम निविदा जीईएम/2023/बी2944474 (मार्च 2023) के माध्यम से

खरीदा गया था, जिसमें से 23,200 मीटर एफबी, अहमदाबाद के लिए खरीदे गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवश्यकताओं का उचित विश्लेषण किए बिना कार्य-केंद्रों के लिए अधिप्राप्ति कम करने के कारण अगली निविदा में ₹2.58 करोड़ की उच्च कीमतों पर समान मात्रा की खरीद हुई थी।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि कार्य केंद्रों के पास कोई पिछला खपत आंकड़ा उपलब्ध नहीं था इसलिए उनकी आवश्यकता पर पहले चरण में विचार किया गया था। एफबी अहमदाबाद की आवश्यकता के संबंध में, चूंकि बीई 2022-23 में वांछित कूप जिनके लिए 7", पी-110 केसिंग की आवश्यकता सीपीडी के सामने प्रस्तुत की गई थी वो ड्रिल नहीं हुए थे, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी और अन्य परिसंपत्तियों/बेसिनों से इस सामग्री के परिवहन के लिए कोई विकल्प नहीं था। मंत्रालय ने आगे कहा (दिसंबर 2024) कि एफबी अहमदाबाद से, ओएनजीसी द्वारा तीन कूपों (ओएलएपी के अंतर्गत) के लिए उक्त केसिंग की आवश्यकता का विस्तृत कार्य प्राप्त किया गया था, जिसके आधार पर, केसिंग मात्रा को चरण-1 में सम्मिलित किया गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रबंधन ने एक ओर कहा कि कार्य केंद्रों के पास कोई पिछला उपभोग डेटा उपलब्ध नहीं था, जबकि दूसरी ओर, एफबी, अहमदाबाद की आवश्यकता को बीई योजना 2022-23 के खिलाफ आवश्यक आवरण की गैर-खपत के आधार पर छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, सीपीडी द्वारा एफबी, अहमदाबाद की आवश्यकता को उनकी पुष्टि के बिना ही हटा दिया गया।

अनुशंसा संख्या 12: कार्य केंद्रों पर चार वर्ष से अधिक समय से पड़ी निष्क्रिय इन्वेंट्री को अन्य कार्य केंद्रों पर ले जाना/स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें, जहां इसकी आवश्यकता हो, ताकि अ-स्थानांतरित माल को कम किया जा सके।

अनुशंसा संख्या 13: ओएनजीसी को इन्वेंट्री के संचलन पर बेहतर इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए ईआरपी प्रणाली में इन्वेंट्री स्तर को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा संख्या 14: आईएमएम मैनुअल में दी गई सामग्री जारी करने के लिए एफआईएफओ पद्धति का पालन सुनिश्चित करें।

2.4.2.4 खरीद प्रक्रिया का निष्पादन

विभिन्न कार्य केंद्रों से मांगपत्रों के रूप में प्राप्त पी एंड ई अनुभाग में आवश्यकताओं के समेकन के बाद, समेकित पी.आर. को आगे की प्रक्रिया के लिए एमएम अनुभाग को भेजा जाता है, जैसे बोली मूल्यांकन मानदंड (बीईसी) का अनुमोदन, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) का प्रकाशन, बोलियों को खोलना, तुलनात्मक विवरण तैयार करना और कार्य आबंटन की अधिसूचना (एनओए)/आबंटन पत्र (एलओए) प्रदान करना। आईएमएमएम निविदाओं के प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण के लिए विस्तृत मानदंड प्रदान करता है।

क रिवर्स नीलामी की नीति में विसंगति²¹

रिवर्स नीलामी एक ऐसी पद्धति है जिसमें निविदा में भाग लेने वाले सभी योग्य बोलीदाताओं को अवसर देकर पारदर्शी तरीके से अधिकतम मूल्य में कमी लाने का प्रयास किया जाता है। आईएमएम मैनुअल के पैरा 8.3 में कहा गया है कि "तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन के बाद, यदि किसी भी आइटम (जहां मूल्यांकन अलग से किया जाता है) के लिए तकनीकी और व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य प्रस्तावों की संख्या चार (4) से कम है, तो ऐसी वस्तुओं के लिए कोई रिवर्स नीलामी आयोजित नहीं की जा सकती है।"

ईआरडब्ल्यू लाइन पाइप की खरीद के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) निविदा (जेडएनएलएसी18001) में, प्रबंधन नीति और आईएमएम मैनुअल में प्रावधान के अनुसार ग्रुप बी²² के लिए रिवर्स नीलामी आयोजित की गई थी। ग्रुप बी के लिए रिवर्स नीलामी आयोजित करके प्रबंधन ने ₹7.69 करोड़ की राशि बचाई थी। हालाँकि, ग्रुप ए के लिए न्यूनतम चार बोलीदाताओं की अनुपलब्धता के कारण रिवर्स नीलामी आयोजित नहीं की जा सकी। इस प्रकार, प्रबंधन की अनुचित रिवर्स नीलामी नीति के कारण, प्रबंधन को केवल उन मामलों में लाभ मिल सकता था जहां न्यूनतम चार बोलीदाता उपलब्ध थे, अन्यथा उन्हें उच्च मूल्य पर निविदा प्रदान करनी पड़ती थी।

²¹ इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी एक ऑनलाइन वास्तविक समय खरीद तकनीक है जिसका उपयोग खरीद करने वाली संस्था द्वारा सफल प्रस्तुति का चयन करने के लिए किया जाता है, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान क्रमिक रूप से कम बोलियों की प्रस्तुति और बोलियों का स्वचालित मूल्यांकन शामिल होता है।

²² ईआरडब्ल्यू (इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड) लाइन पाइपों की आवश्यकता को विनिर्देश के आधार पर दो समूहों अर्थात् समूह ए और समूह बी में वर्गीकृत किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (मई 2024) कि ओएनजीसी निविदाओं को जीईएम जीटीसी के प्रावधानों का पालन करते हुए जीईएम पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। जीईएम पर मौजूदा नीति के अनुसार, रिवर्स नीलामी का विकल्प उन मामलों के लिए उपयोग किया जाना है, जहां कम से कम दो या अधिक विभिन्न निर्माता/सेवा प्रदाता उपलब्ध हों। मंत्रालय ने आगे बताया (दिसंबर 2024) कि रिवर्स नीलामी ओएनजीसी ई-पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जा रही थी, जिसमें यह सुविधा विकसित की गई थी। जहां भी नीति के अनुसार रिवर्स नीलामी नहीं की गई थी, वहां एल-1 बोलीदाता के साथ बातचीत करने का प्रावधान मौजूद था, इसलिए जहां भी कीमतें अधिक मानी गईं, वहां दरों का उचित होना सुनिश्चित करने और बातचीत करने के बाद ही अनुबंध प्रदान किए गए।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि जीईएम दिशानिर्देश आरए की व्यापक प्रयोज्यता को बढ़ावा देते हैं और इसके लिए कंपनी की आंतरिक नीति में संशोधन की आवश्यकता की पहचान करने के लिए मूल्यांकन किया जा सकता है।

ख निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता

आईएमएम मैनुअल का खंड 20 क्रय आदेश ट्रेकिंग प्रक्रिया की प्रक्रिया निर्धारित करता है। खण्ड 20.2.1 में कहा गया है कि क्रय आदेश जारी होने के बाद, एमएम विभाग आदेश का अनुसरण करेगा ताकि अंतिम प्राप्तकर्ता को समय पर आपूर्ति प्राप्त हो सके। अनुबंध के बाद के मुद्दों सहित विभिन्न निविदा गतिविधियों की निगरानी भी सीपीडी द्वारा समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में की जाती है, ताकि किसी भी मामले में, यदि आवश्यक हो, तो सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, निविदाओं के प्रसंस्करण और अनुबंध के बाद के मुद्दों से संबंधित तत्काल/गंभीर मुद्दों पर भी आवश्यक कार्रवाई के लिए दैनिक आधार पर सीपीडी में निगरानी की जाती है। आपूर्ति में देरी के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को पी एंड ई और कार्य केंद्रों के परामर्श से आपूर्तिकर्ता के साथ उठाया जाता है।

ख.1 आपूर्ति आदेश के निष्पादन में विलंब

निविदा प्रदान करने के बाद आपूर्तिकर्ता को जारी किए गए क्रय आदेश (पीओ) में निर्धारित डिलीवरी तिथि/अवधि और वह स्थान सम्मिलित होता है जहां सामग्री वितरित

और/या प्रेषित की जानी है। हालांकि, चरणबद्ध डिलीवरी के लिए, अलग-अलग मर्दे बनाई जानी चाहिए जिनमें सामग्री की मात्रा और डिलीवरी की तारीख दर्शाई गई हो। संबंधित क्रय आदेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को नीचे दी गई निर्धारित डिलीवरी तिथि/अवधि के भीतर निर्धारित गंतव्य पर अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति करनी चाहिए:

लॉट संख्या	प्रारंभ	समापन
1	एनओए की तिथि से	एनओए की तारीख से 23 सप्ताह के भीतर
2	एनओए की तिथि से 29 सप्ताह बाद	एनओए की तारीख से 42 सप्ताह के भीतर

439 पीओ में से 106 पीओ की जांच के दौरान, 76 पीओ में डिलीवरी में विलंब पाया गया, जिसका सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2.5: (विलंबित डिलीवरी का विवरण: पी.ओ.वार)²³

विलंब सीमा (दिनों में)	पीओ की संख्या	मध्यमान विलंब (दिनों में)
विलंब 1 से 100 दिन	35	41
विलंब 101 से 200 दिन	25	142
विलंब 201 से 300 दिन	9	248
विलंब 301 से 400 दिन	3	358
विलंब 401 से 500 दिन	2	447
विलंब 501 से 600 दिन	2	554
कुल	76	

प्रबंधन की ओर से डिलीवरी में देरी के कारणों में आवश्यक प्रमाण पत्र (ईसी) का देरी से उपलब्ध कराना, गोदाम में स्थान की कमी, टीपीआई एजेंसी के नामांकन में विलंब, ऋण पत्र (एलसी) की विलंब से प्राप्ति और निर्धारित डिलीवरी के विस्तार के लिए आपूर्तिकर्ता से अनुरोध सम्मिलित थे।

प्रबंधन ने बताया (मई 2024) कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सिस्टम के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों में से 97.28 प्रतिशत ई.सी. पांच दिनों से भी कम समय में जारी कर दिए गए हैं। प्रबंधन ने आगे बताया कि ओएनजीसी कार्य-केन्द्रों में मौजूदा गोदाम प्रबंधन प्रणाली पहले से ही गोदाम प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से ईआरपी प्रणाली के

²³ निर्धारित डिलीवरी तिथि की वास्तविक डिलीवरी तिथि से तुलना करते समय, अंतिम निर्धारित डिलीवरी तिथि की तुलना अंतिम वास्तविक डिलीवरी तिथि से की गई है, क्योंकि एकल पीओ में अलग-अलग डिलीवरी तिथियाँ वाली अनेक वस्तुएं हो सकती हैं।

साथ एकीकरण के अधीन है। प्रस्तावित डब्ल्यूएमएस परियोजना से इसके उपयोगकर्ताओं के लिए सामग्री की पता लगाने की क्षमता और उपलब्धता में और सुधार होगा, यहां तक कि प्रतिष्ठानों तक भी (अपतटीय और तटीय दोनों) ।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2024) कि ओएनजीसी ने 1 जुलाई 2024 से एलसी की स्वचालित प्रोसेसिंग को साझा वित्त सेवाओं (एसएफएस) के माध्यम से लागू किया है, ताकि एलसी की त्वरित मंजूरी के लिए एसएपी का उपयोग करते हुए साझा सेवा केंद्र भागीदार (एसएससीपी) नोएडा के सहयोग से प्रसंस्करण को केंद्रीकृत किया जा सके। इससे एलसी के प्रसंस्करण में होने वाला विलंब कम हो जाएगा। यह भी बताया गया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2023 के दौरान कोविड-19 के कारण आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आई, जिससे कई आपूर्तियों के मामले में निर्धारित डिलीवरी अवधि प्रभावित हुई। आपूर्तिकर्ताओं के खराब आपूर्ति आधार के मुद्दे को ओएनजीसी के आईएनडीईजी समूह द्वारा डीओ के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नए विक्रेताओं के विकास के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाना है।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर, जांचे गए 106 क्रय आदेशों में से 76 में देखी गई महत्वपूर्ण विलंब से मेल नहीं खाता है, जिसमें औसत विलंब 111 दिन था। स्थान की कमी, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बार-बार विस्तार के अनुरोध, तथा विलंबित एल.सी. जैसे कारण बेहतर अनुबंध प्रवर्तन और नियोजन की आवश्यकता को दर्शाते हैं। कोविड-19 का प्रभाव सामान्य है और इससे रिकवरी चरण के बाद भी जारी विलंब की व्याख्या नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया में व्यक्त की गई पहलों को लेखापरीक्षा में उचित रूप से नोट किया गया।

अनुशंसा संख्या 15: ओएनजीसी सीमा शुल्क निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू करे और स्थान संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक तंत्र स्थापित करे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर तृतीय पक्ष एजेंसी नामांकन जैसी प्रक्रियाओं में तेजी लाए।

ग विक्रेता प्रबंधन

किसी भी संगठन में वस्तुओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धता, उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, परिचालन की लागत को कम करने और परिणामस्वरूप संगठन के

लिए दक्षता और लाभप्रदता को बढ़ाने के मद्देनजर विक्रेता प्रबंधन को एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

ग.1 पीबीजी का विलंबित/अ-प्रस्तुतीकरण

आईएमएम मैनुअल के खंड 16.6 में प्रावधान है कि सुरक्षा जमा अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। अनुबंध के अंतर्गत, सुरक्षा जमा के लिए सुरक्षा जमा (एसडी)/ निष्पादन सुरक्षा (पीएस) जमा करने की तारीख एनओए में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी और ठेकेदार को निर्दिष्ट तिथि के भीतर अनुबंध सुरक्षा जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए।

जीईएम बोली के अंतर्गत निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान है कि सफल बोलीदाता अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/इंटरनेट बैंकिंग के रूप में निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुबंध मिलने के 15 दिनों के भीतर खरीदार को हार्ड कॉपी या ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण उपलब्ध करा दिया जाएगा।

समीक्षाधीन कुल 106 पीओ में से, 50 पीओ के विरुद्ध पीबीजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 2 से 114 दिनों की विलंब से प्रस्तुत किया गया। तथापि, यह पाया गया कि आईएमएम मैनुअल के खंड 16.6.1 के अंतर्गत निविदा में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, उपरोक्त 50 पीओ के लिए पीबीजी जमा करने में विलंब के लिए कंपनी द्वारा ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सुरक्षा जमा या निष्पादन सुरक्षा जमा न करने से अनुबंध प्रवर्तन में विलंब होता है और चूक की स्थिति में क्रेता को वित्तीय और निष्पादन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। यह संविदात्मक सुरक्षा तंत्र को कमजोर करता है और हानि वसूली संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसके अतिरिक्त, यह खरीद मानदंडों का उल्लंघन और जवाबदेही में चूक का भी संकेत देता है।

एक जीईएम निविदा में, अनुबंध (पीओ 4075009716) के विरुद्ध देय भुगतान से रोकी गई ₹24.69 लाख की राशि पर विचार करने के लिए ठेकेदार के अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा (15 दिसंबर 2022) अनुबंध की अनुमति अवधि के बाद 107 दिनों की विलंब से आवश्यक एसडी के विरुद्ध स्वीकार कर लिया गया, अर्थात् अनुबंध की तारीख से 15 दिनों के भीतर। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा किसी अन्य अनुबंध

के विरुद्ध ₹24.69 लाख की राशि समायोजित करने के अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जबकि इस संबंध में जीईएम अनुबंध की नियम व शर्तों तथा ओएनजीसी के आईएमएमएम में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि आपूर्तिकर्ता को देय राशि से निष्पादन सुरक्षा स्वीकार करना एक वाणिज्यिक निर्णय था। इसे आईएमएमएम पैरा 16.6.4 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "लेवल-1 अधिकारी के पास प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर और निविदा आमंत्रित करने से पहले निविदा दस्तावेज में सम्मिलित न होने की स्थिति में ईएमडी/सुरक्षा जमा से संबंधित शर्त में छूट देने/माफ करने की पूरी शक्तियां होंगी।" मंत्रालय ने आगे आश्वासन दिया कि भविष्य में अनुपालन के लिए ओएनजीसी द्वारा लेखापरीक्षा के सुझाव पर ध्यान दिया गया है तथा प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रबंधन ने उन दोषी ठेकेदारों पर कंपनी द्वारा की जाने वाली सुधारात्मक/दंडात्मक कार्रवाई का जवाब नहीं दिया, जिन्होंने 2 से 114 दिनों की देरी से बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी, अर्थात् समीक्षाधीन लगभग आधे क्रय आदेशों में। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कंपनी के हितों की रक्षा के लिए बैंक गारंटी जमा करने की प्रथा प्रचलित हो जाती है। इसके अलावा, किसी भी उपयुक्त दंडात्मक प्रावधान के अभाव में, ठेकेदार समय पर अनुबंध सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य नहीं थे।

अनुशंसा संख्या 16: प्रबंधन अनुबंधों में विक्रेताओं को पीबीजी प्रस्तुत न करने के परिणामों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करे और अनुपालन में सुधार के लिए समय पर प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक को स्वचालित करे।

ग.2 विक्रेता मूल्यांकन में कमियाँ

कंपनी के आईएमएम मैनुअल के खंड 17.4 में प्रावधान है कि सभी विक्रेताओं का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा, अर्थात् निविदा और अनुबंध निष्पादन, जिसका उपयोग बाद के चरणों के लिए विक्रेता चयन के उद्देश्य से किया जाएगा और यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि क्या सूचीबद्ध विक्रेता को पैनल से बाहर करने की आवश्यकता है। इन विक्रेता रेटिंग को उसी श्रेणी/वस्तु/सेवा में अगली निविदा में बोली

के मूल्यांकन के लिए तकनीकी मानदंड के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, खंड 17.4.15 में विक्रेता फीडबैक और सह-विकास के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यह सम्मिलित है कि विक्रेता फीडबैक प्रक्रिया को बिना किसी विलंब के निष्पादन/वितरण की सुविधा के लिए किया जाएगा और परियोजना/वस्तु/सेवा में और सुधार करने के लिए गुणवत्ता वाले विक्रेताओं के साथ सक्रिय रूप से काम किया जाएगा। यह पाया गया कि मेसर्स बीसीजी को 2014 में मूल्यांकन प्रणाली के लिए नियुक्त किया गया था और इसने इस उद्देश्य के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। हालाँकि, कंपनी दिसंबर 2024 तक विक्रेता रेटिंग/मूल्यांकन का ऐसा कोई तंत्र तैयार नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने कहा (मई 2024) कि ई एंड पी उद्योगों की निविदाओं/अनुबंधों में सम्मिलित जटिलताओं को देखते हुए, मानक विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली को लागू करना बहुत कठिन है। इसलिए, अन्य समान जटिल उद्योगों में निष्पादित/निष्पादन के अंतर्गत विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली की खोज और अध्ययन किया जा रहा है। मंत्रालय ने कंपनी के उत्तर का समर्थन किया (दिसंबर 2024) और प्रस्तुत किया कि ओएनजीसी में कार्यान्वयन के लिए कुछ क्षेत्रों (जैसे सूचीबद्ध विक्रेताओं) के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और कानूनी रूप से स्वीकार्य विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के प्रयास प्रगति पर हैं। निविदाओं में सम्मिलित करने के लिए 'सामग्री की खरीद' के लिए विक्रेता रेटिंग प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, साथ ही पारदर्शिता के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और डेटा प्रविष्टि में मैनुअल त्रुटियों से बचने के लिए भी एक कार्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आईएमएम मैनुअल खंड 17.4 में पहले से ही विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली की बुनियादी संरचना प्रदान की गई थी। इसके अलावा, मेसर्स बीसीजी को 2014 में मूल्यांकन प्रणाली के लिए नियुक्त किया गया था और इसने इस उद्देश्य के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। हालाँकि, प्रबंधन 10 वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी ऐसी व्यवस्था बनाने में विफल रहा। ईपीसी ने (फरवरी 2015) बीसीजी की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया कि निविदाओं में विक्रेता रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने से पहले, इस बारे में पूर्ण विवरण तैयार किए जाने की आवश्यकता है कि किसी विक्रेता को उसके प्रदर्शन के

आधार पर किस प्रकार रेटिंग दी जाएगी। हालाँकि, अभी तक ऐसा तंत्र स्थापित नहीं किया गया है (दिसंबर 2024)।

अनुशंसा संख्या 17: ओएनजीसी आईएमएम मैनुअल में निर्दिष्ट अनुसार विक्रेता मूल्यांकन के लिए तंत्र विकसित करे और बेहतर प्रदर्शन करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने के लिए विक्रेता प्रदर्शन मेट्रिक्स का मूल्यांकन करे।

ग.3 अपर्याप्त विक्रेता विकास

कंपनी नियमित निविदा प्रक्रिया के साथ-साथ विकास आदेशों²⁴ को भी संसाधित करती थी, जिसे दिसंबर, 2020 में इसकी अनुमोदित विकास आदेश नीति (डीओपी) के माध्यम से अलग कर दिया गया था। विकास आदेश नीति (डीओपी), 2020 में प्रावधान है कि विकास आदेश दिए जाने के बाद, विक्रेता द्वारा निरीक्षण और फील्ड ट्रायल टेस्टिंग (एफटीटी) को शामिल करते हुए गुणवत्ता आश्वासन योजना प्रदान की जाएगी, जिसे आईएनडीईजी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और संतोषजनक निरीक्षण के बाद, उपयोगकर्ता द्वारा फील्ड ट्रायल परीक्षण किया जाएगा। क्षेत्र परीक्षण की अवधि ओएनजीसी द्वारा तय की जाएगी।

यह देखा गया कि मार्च 2023 तक दिए गए कुल 33 विकास आदेशों में से 55 प्रतिशत विकास आदेश (डीओ) अभी भी लंबित हैं, जिनके लिए या तो उपयोगकर्ता द्वारा फील्ड ट्रायल परीक्षण (एफटीटी) पूरा किया जाना बाकी है या आपूर्तिकर्ता द्वारा डिलीवरी की जानी बाकी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नीति में इतनी कमियां थीं कि एफटीटी को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा प्रदान नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रमाण-पत्र जारी करने में विलंब हुआ। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि किसी भी आपूर्तिकर्ता को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डिलीवरी पूर्ण करने की समय-सीमा का पालन भी ध्यान में नहीं रखा गया। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मार्च 2023 तक कुल 33 विकास आदेश दिए गए थे और 55 प्रतिशत विकास आदेश पूरे होने के लिए लंबित हैं।

²⁴ विकास आदेश एक विशेष, गैर-निविदा आधारित खरीद है जिसे ओएनजीसी द्वारा नए, स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर उन आपूर्तिकर्ताओं को जिन्हें ओएनजीसी अनुबंधों का पूर्व अनुभव नहीं है। यह इन विक्रेताओं को छोटे पायलट ऑर्डर के माध्यम से अपनी क्षमताएँ प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है।

इनमें से 22 प्रतिशत मामले 2021 से लंबित हैं और 50 प्रतिशत मामले 2022 से लंबित हैं, जिनके लिए अक्टूबर 2023 तक विकास आदेश प्रक्रियाधीन हैं।

प्रबंधन ने बताया (मई 2024) कि ओएनजीसी का इरादा है कि निविदा में भागीदारी के लिए अधिक से अधिक स्वदेशी विक्रेताओं को विकसित किया जाए। इसके अलावा, नए उत्पाद के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, क्षेत्र परीक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब भी उपयुक्त कूप/ इन्स्टालेशन उपलब्ध होता है तो ऐसे उत्पाद का फील्ड परीक्षण किया जाता है। इसलिए, प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता। मंत्रालय ने आगे कहा (दिसंबर 2024) कि प्रत्येक डीओ में डिलीवरी अवधि का उल्लेख किया गया है, जो बोलीदाता द्वारा उद्धृत डिलीवरी अवधि और ओएनजीसी और बोलीदाता के बीच आपसी समझौते के आधार पर तय की जाती है। इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि विकसित उत्पाद पहली बार में ही सफल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक अनुसंधान एवं विकास तथा ई एंड पी उद्योग की प्रकृति सम्मिलित है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि मार्च 2023 तक, आधे डीओ या तो माल की डिलीवरी या एफटीटी के अभाव में लंबित थे। किसी नई वस्तु के विकास में आवश्यक सभी पहलुओं पर दोनों पक्षों द्वारा पहले ही विचार कर लिया जाता है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास भी सम्मिलित है। इसके अलावा, विक्रेताओं द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत डिलीवरी कार्यक्रम का पालन न करने और किसी भी समय-सीमा की अनुपलब्धता/विकसित वस्तुओं का शीघ्र फील्ड ट्रायल सुनिश्चित न करने के कारण विकास आदेशों का पूरा होना लंबित था, जिसके परिणामस्वरूप विकास आदेश लंबित थे।

ग.4 सार्वजनिक खरीद नीति (एमएसएमई) का पालन:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के 13 नवंबर 2018 के आदेश में यह अनिवार्य किया गया था कि प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू का उद्देश्य एमएसई द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई उत्पादों या सेवाओं से कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत समग्र खरीद लक्ष्य प्राप्त करना होगा। वार्षिक खरीद के 25 प्रतिशत लक्ष्य (9 नवंबर 2018 से) में से, चार प्रतिशत

विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए और तीन प्रतिशत महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए आरक्षित है।

ओएनजीसी द्वारा एमएसई से की गई वर्षवार खरीद (एमएसएमई पोर्टल पर उपलब्ध) का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.6: एमएसएमई विक्रेताओं से खरीद का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	कुल खरीद में से एमएसई से खरीद का प्रतिशत	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से खरीद का प्रतिशत	महिलाओं से खरीद का प्रतिशत
1.	2018-19	29.39	0.43	0.00
2.	2019-20	30.40	0.34	0.03
3.	2020-21	44.90	0.23	0.62
4.	2021-22	36.79	0.46	1.54
5.	2022-23	47.26	0.73	1.29

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि ओएनजीसी ने 2018 के पीपीपी (एमएसएमई) आदेश के अनुपालन में एमएसई से वार्षिक खरीद का 25 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया, फिर भी एससी/एसटी और महिला स्वामित्व वाले एमएसई के लिए उक्त आदेश द्वारा परिकल्पित खरीद लक्ष्यों का पृथक्करण वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान हासिल नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2024) कि एमएसई और महिला उद्यमियों के लिए केंद्रित विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए परिपत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके अलावा, कार्य केंद्रों को एमएसएमई के मुद्दों के समाधान के लिए समय-समय पर विक्रेता बैठकें आयोजित करने और उन्हें ओएनजीसी के विक्रेता पंजीकरण और निविदा प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रालय ने आगे कहा (दिसंबर 2024) कि ओएनजीसी द्वारा अखिल भारतीय एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ के सहयोग से वर्ष 2020 और 2023 के दौरान मुंबई में एससी/एसटी और महिलाओं पर विशेष जोर देते हुए एमएसएमई के लिए विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला स्वामित्व वाले एमएसई के लिए अनिवार्य उप-लक्ष्यों को पूरा करने में लगातार कमी का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि विक्रेता बैठकों जैसी पहलों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस उपाय या समय-सीमा प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और क्षेत्र परीक्षण सीधे तौर पर खरीद लक्ष्यों से संबंधित नहीं हैं। 2018 से इस नीति के बारे में जानकारी होने के बावजूद, कंपनी ने इन वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई प्रभावी, मापनीय या समयबद्ध व्यवस्था लागू नहीं की है।

अनुशंसा संख्या 18: सीपीडी को विकास आदेशों में प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि प्रक्रिया समयबद्ध हो।

अनुशंसा संख्या 19: ओएनजीसी एससी/एसटी विक्रेताओं और महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के संबंध में एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

2.4.3 निष्कर्ष

ओएनजीसी की कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन (सीएमएम) इकाई की स्थापना 2002 में एकीकृत सामग्री प्रबंधन मैनुअल (आईएमएमएम) में सूचीबद्ध विशिष्ट वस्तुओं की खरीद के उद्देश्य से की गई थी। नवंबर 2023 में सीएमएम को कॉर्पोरेट खरीद विभाग (सीपीडी) के रूप में पुनर्गठित किया गया। खरीद प्रक्रिया मुख्य रूप से ओएनजीसी आईएमएम मैनुअल द्वारा निर्देशित होती है, जिसे परामर्शदाता रिपोर्ट के आधार पर 2015 में संशोधित किया गया था। हालांकि, अनुमानित और वास्तविक लागतों के बीच अंतर को न्यूनतम करने के लिए लागत आकलन दिशानिर्देशों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी तक क्रियान्वित नहीं किए गए हैं।

नियोजन चरण के दौरान, यह देखा गया कि कार्य केन्द्रों ने आवश्यकताएँ देरी से प्रस्तुत कीं। इसके अतिरिक्त, बिना किसी निश्चित समय-सीमा के, सीपीडी के पी एंड ई अनुभाग ने कार्य केंद्रों से प्राप्त मांगों के आधार पर समेकित खरीद मांग तैयार करने में अनुचित समय लिया। आवश्यकता प्रस्तुत करने में इस विलंब के कारण खरीद और आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों में व्यवधान और अक्षमताएं उत्पन्न हुईं।

आवश्यकता मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी, जो इन्वेंट्री प्रबंधन के विभिन्न मुद्दों में परिलक्षित होता है। इसके परिणामों में लंबी अवधि तक इन्वेंट्री को रखना, प्रसुप्त इन्वेंट्री की पर्याप्त मात्रा, तथा सिस्टम में आर्थिक पुनःआदेश मात्रा जैसे जांचों का अभाव सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, पहले आना, पहले जाना (एफआईएफओ) पद्धति को न अपनाने, पारगमन और साइट पर सामग्रियों के लंबे समय तक लंबित रहने जैसे मुद्दे भी देखे गए। सामग्री की खरीद तो कर ली गई, लेकिन लंबे समय तक उसका उपभोग नहीं किया गया तथा आवश्यकताओं में कमी के कारण लागत में वृद्धि हुई।

आईएमएम मैनुअल और संबंधित प्रक्रियाओं के मौजूद होने के बावजूद, कार्य केंद्र की आवश्यकताओं को छोड़ने से परिहार्य लागतें, मूल्य निर्धारण में बाधा डालने वाले प्रतिबंधात्मक रिवर्स नीलामी मानदंड, खराब समन्वय और दस्तावेज़ प्रबंधन के कारण आपूर्ति आदेश निष्पादन में विलंब और अपर्याप्त विक्रेता प्रबंधन तंत्र जैसी महत्वपूर्ण खामियां देखी गईं। इसके अलावा, विक्रेता मूल्यांकन, विकास आदेश निष्पादन में कमियां तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला स्वामित्व वाले एमएसई के लिए वैधानिक खरीद लक्ष्य हासिल करने में विफलता, संरचित निगरानी और जवाबदेही की कमी को दर्शाती है।

आगे बढ़ते हुए, ओएनजीसी को आंतरिक नीतियों को व्यापक सरकारी दिशानिर्देशों (जैसे, जीईएम और एमएसएमई) के साथ संरेखित करके, महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं (पीबीजी प्रस्तुति, दस्तावेज़ प्रबंधन, स्टॉक मूवमेंट) को डिजिटल और स्वचालित करके, और विकास आदेशों और विक्रेता मूल्यांकन के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करके अपने खरीद पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। जवाबदेही और दक्षता बनाने के लिए खरीद समयसीमा की मजबूत निगरानी, पारदर्शी विक्रेता रेटिंग, देरी के लिए दंडात्मक प्रावधानों का प्रवर्तन और एमएसएमई उप-श्रेणियों के लिए लक्षित उपाय आवश्यक हैं।

अध्याय III: विद्युत मंत्रालय

दामोदर घाटी निगम

3.1 दामोदर घाटी निगम में पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण

3.1.1 परिचय

दामोदर घाटी निगम (निगम) की स्थापना 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा झारखंड (तत्कालीन बिहार) और पश्चिम बंगाल में स्थित दामोदर घाटी के विकास के लिए की गई थी। यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। निगम का स्वामित्व केन्द्र सरकार तथा झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के पास संयुक्त रूप से है। निगम 24,235 वर्ग किलोमीटर के कमांड क्षेत्र में कार्य करता है, जिसमें झारखंड के ग्यारह जिले और पश्चिम बंगाल के छह जिले सम्मिलित हैं। मार्च 2025 तक, निगम के पास छह स्थानों पर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र थे जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6,540 मेगावाट (एमडब्ल्यू) थी और तीन स्थानों पर जल विद्युत उत्पादन स्टेशन थे जिनकी कुल स्थापित क्षमता 147.2 मेगावाट थी। निगम के ताप/जल विद्युत संयंत्रों का विवरण नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: डीवीसी पावर स्टेशनों पर एक नज़र

परियोजना	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य	वाणिज्यिक संचालन तिथि
दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन (डीएसटीपीएस)	1,000	पश्चिम बंगाल	इसकी दो इकाइयाँ हैं जिन्होंने मई 2012 से मार्च 2013 के बीच परिचालन शुरू किया
मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस)	2,340	पश्चिम बंगाल	इसकी आठ इकाइयाँ हैं जिन्होंने दिसंबर 1997 से अगस्त 2012 के बीच परिचालन शुरू किया
रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन (आरटीपीएस)	1,200	पश्चिम बंगाल	इसकी दो इकाइयाँ हैं जिन्होंने मार्च 2016 में परिचालन शुरू किया
बोकारो थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस)	500	झारखंड	इसकी एक इकाई ने फरवरी 2017 में परिचालन शुरू किया था

परियोजना	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य	वाणिज्यिक संचालन तिथि
चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन (सीटीपीएस)	500	झारखंड	इसकी दो इकाइयाँ हैं जिन्होंने जुलाई 2011 से नवंबर 2011 के बीच परिचालन शुरू किया
कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस)	1,000	झारखंड	इसकी दो इकाइयाँ हैं जिन्होंने जुलाई 2013 से जून 2014 के बीच परिचालन शुरू किया
मैथन पनबिजली स्टेशन	63.2	पश्चिम बंगाल	इसकी तीन इकाइयाँ हैं जिन्होंने अक्टूबर 1957 से दिसंबर 1958 के बीच परिचालन शुरू किया
पंचेत पनबिजली स्टेशन	80	झारखंड	इसकी दो इकाइयाँ हैं जिन्होंने दिसंबर 1959 से मार्च 1991 के बीच परिचालन शुरू किया
तिलैया पनबिजली स्टेशन	4	झारखंड	इसकी दो इकाइयाँ हैं जिन्होंने फरवरी 1953 से जुलाई 1953 के बीच परिचालन शुरू किया

(स्रोत: निगम की वेबसाइट से)

3.1.2 लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा के दायरे में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के दौरान निगम के छह ताप विद्युत और तीन जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों में पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा सम्मिलित थी (आंकड़े वर्ष 2024-25 तक अद्यतन किए गए हैं)। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निगम द्वारा सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन की भी समीक्षा की गई।

3.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.3.1 उत्सर्जन मानदंड और उनका अनुपालन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन किया (दिसंबर 2015) और ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) के लिए निम्नलिखित उत्सर्जन मानदंड/मानक पेश किए, जैसा कि नीचे तालिका 3.2 में दिखाया गया है:

तालिका 3.2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंड

ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की अवधि	मानक मिलीग्राम प्रति घन एनएम में ¹			
	कणिका तत्व ²	सल्फर डाइऑक्साइड	नाइट्रोजन के ऑक्साइड	पारा
31 दिसंबर 2003 से पहले	100	500 मेगावाट से कम क्षमता वाली इकाइयों के लिए 600	600	500 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाली इकाइयों के लिए 0.03
1 जनवरी 2004 को या उसके बाद और 31 दिसंबर 2016 तक	50	500 मेगावाट और अधिक क्षमता वाली इकाइयों के लिए 200	300 को बाद में संशोधित कर 450 कर दिया गया ³	सभी टीपीपी के लिए 0.03
1 जनवरी 2017 को या उसके बाद	30	सभी टीपीपी के लिए 100	100	सभी टीपीपी के लिए 0.03

(स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7 दिसंबर 2015)

सभी मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों को अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर (अर्थात् दिसंबर 2017 तक) उत्सर्जन मानकों को पूरा करना था, जबकि 1 जनवरी 2017 के बाद चालू किए गए ताप विद्युत संयंत्रों को अपने परिचालन के प्रारंभ से ही निर्धारित मानदंडों का पालन करना था।

इसके बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना (मार्च 2021) के अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया और ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए समयसीमा बढ़ा दी, जैसा कि नीचे तालिका 3.3 में दिखाया गया है:

¹ किसी गैस के सामान्य घन मीटर प्रति पदार्थ का मिलीग्राम

² यह हवा में पाए जाने वाले सूक्ष्म ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है और विशेष रूप से फ्लाई ऐश, कालिख और बिना जले ईंधन से बना होता है जो दहन के दौरान वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है।

³ एमओईएफ और सीसी अधिसूचना दिनांक 19.10.2020 के तहत नाइट्रोजन ऑक्साइड के मानदंडों को संशोधित कर 450 मिलीग्राम / एनएम 3 कर दिया गया।

तालिका 3.3: ताप विद्युत संयंत्रों का वर्गीकरण और उत्सर्जन के लिए संशोधित समयसीमा

श्रेणी	स्थान/क्षेत्र	अनुपालन के लिए समयसीमा	
		नॉन रिटायरिंग इकाइयाँ ⁴	रिटायरिंग इकाइयाँ
ए	एनसीआर या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में	दिसंबर 2022 तक	
बी	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों ⁵ के 10 किलोमीटर के दायरे में	दिसंबर 2023 तक	दिसंबर 2025 तक
सी	अन्य	दिसंबर 2024 तक	दिसंबर 2025 तक

(स्रोत: मार्च 2021 की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना)

सितंबर 2022 की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की समयसीमा को श्रेणी 'बी' और श्रेणी 'सी' इकाइयों के लिए क्रमशः 31 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे (जुलाई 2025) और शिथिल कर दिया गया था। नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, श्रेणी 'बी' ताप विद्युत संयंत्रों के लिए, केंद्र सरकार को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर सल्फर डाइऑक्साइड मानदंडों की प्रयोज्यता तय करने का विवेकाधिकार दिया गया है, जबकि श्रेणी 'सी' ताप विद्युत संयंत्रों को 31 दिसंबर 2029 तक स्टैक ऊंचाई के संबंध में शर्तों को पूरा करने पर सल्फर डाइऑक्साइड मानदंडों से छूट दी गई है।

निगम के छह ताप विद्युत संयंत्रों की 17 इकाइयों में से दो⁶ को (जून 2022 तक) 'बी' श्रेणी में और शेष 15 इकाइयों⁷ को 'सी' श्रेणी में रखा गया है। इन 17 इकाइयों में से तीन इकाइयाँ⁸ दिसंबर 2003 से पहले, 13 इकाइयाँ⁹ जनवरी 2004 और दिसंबर 2016

⁴ भूमि, जल और कोयला जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, विद्युत मंत्रालय की सलाह पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नियमित रूप से विद्युत उपयोगिताओं के परामर्श से नई सुपरक्रिटिकल उपयोगिताएं स्थापित करके पुराने और अकुशल कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को बंद करने/प्रतिस्थापित करने की संभावना तलाशता है।

⁵ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित

⁶ डीएसटीपीएस की इकाई 1 और 2

⁷ बीटीपीएस की इकाई बीटीपीएस ए, सीटीपीएस की इकाई 7 और 8, केटीपीएस की इकाई 1 और 2, एमटीपीएस की इकाई 1 से 8 और आरटीपीएस की इकाई 1 और 2

⁸ एमटीपीएस की इकाई 1 से 3

⁹ सीटीपीएस की इकाई 7 और 8, डीएसटीपीएस की इकाई 1 और 2, केटीपीएस की इकाई 1 और 2, आरटीपीएस की इकाई 1 और 2 और एमटीपीएस की इकाई 4 से 8

के बीच और एक इकाई¹⁰ जनवरी 2017 के बाद चालू हुई थीं। ये सभी इकाइयाँ नॉन रिटायरिंग इकाइयाँ थीं।

लेखापरीक्षा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से पारे के उत्सर्जन मानदंडों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं दिखाई दिया, जबकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपनी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के मानदंडों में ढील/छूट दी गई है। जनवरी 2018 (दिसंबर 2015 की अधिसूचना की प्रयोज्यता की तिथि) से जुलाई 2025 तक निगम की श्रेणी 'बी' इकाइयों द्वारा पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन नीचे तालिका 3.4 में विस्तृत रूप से दिया गया है:

तालिका 3.4 मानक से परे श्रेणी 'बी' इकाइयों द्वारा कणिकीय पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन

वर्ष	इकाई महीनों की संख्या ¹¹	कणिका तत्व			इकाई महीनों की संख्या	नाइट्रोजन के ऑक्साइड		
		मानदंडों से < 25 प्रतिशत अधिक	मानदंडों से 25 से 50 प्रतिशत अधिक	> 50 प्रतिशत से अधिक मानदंड		मानदंडों से < 25 प्रतिशत अधिक	मानदंडों से 25 से 50 प्रतिशत अधिक	> 50 प्रतिशत से अधिक मानदंड
2018	20	0	0	0	20	5	2	9
2019	22	0	0	0	22	11	3	8
2020	10	0	0	0	8	7	1	0
2021	23	1	0	0	21	8	1	6
2022	24	3	0	0	24	0	0	4
2023	24	2	0	0	24	0	0	0
2024	20	0	0	0	16	0	0	0
2025 (जनवरी- जुलाई के लिए)	14	0	0	0	14	0	0	0

(स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

¹⁰ बीटीपीएस की इकाई बीटीपीएस ए

¹¹ श्रेणी "बी" इकाइयों की संख्या अर्थात 2 * महीनों की संख्या जिसके लिए प्रबंधन द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि निगम की श्रेणी "बी" इकाइयों के लिए कणिकीय पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों के उत्सर्जन में समय के साथ सुधार हुआ है, विशेष रूप से 31 दिसंबर 2023 की समय सीमा के बाद।

जनवरी 2018 (दिसंबर 2015 की अधिसूचना की प्रयोज्यता की तिथि) से जुलाई 2025 तक निगम की श्रेणी 'सी' इकाइयों द्वारा कणिकीय पदार्थ और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन का विवरण नीचे तालिका 3.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5: मानक से परे श्रेणी 'सी' इकाइयों द्वारा कणिकीय पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन

वर्ष	इकाई महीनों की संख्या ¹²	कणिका तत्व			इकाई महीनों का प्रतिशत जहाँ उत्सर्जन मानदंडों से अधिक था	इकाई महीनों की संख्या	नाइट्रोजन के ऑक्साइड			इकाई महीनों का प्रतिशत जहाँ उत्सर्जन मानदंडों से अधिक था
		मानदंडों से <25 प्रतिशत अधिक	मानदंडों से 25 से 50 प्रतिशत अधिक	मानदंडों से 50 प्रतिशत अधिक			मानदंडों से <25 प्रतिशत अधिक	मानदंडों से 25 से 50 प्रतिशत अधिक	मानदंडों से 50 प्रतिशत अधिक	
2018	130	16	13	28	43.85	148	5	7	15	18.24
2019	135	18	6	21	33.33	141	10	9	40	41.84
2020	153	14	11	22	30.72	155	16	13	36	41.94
2021	165	15	11	11	22.42	158	27	10	24	38.61
2022	175	13	10	12	20.00	175	33	11	23	38.29
2023	156	27	12	14	33.97	171	22	8	25	32.16
2024	161	23	14	27	39.75	160	7	8	10	15.63
2025 (जनवरी-जुलाई के लिए)	85	15	11	1	31.76	79	3	0	5	10.13

(स्रोत: प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

¹² श्रेणी "सी" इकाइयों की संख्या अर्थात 15 * महीनों की संख्या जिसके लिए प्रबंधन द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि श्रेणी "सी" इकाइयों द्वारा कणिकीय पदार्थ का उत्सर्जन छह वर्षों की पूरी अवधि यानी वर्ष 2018-24 के दौरान मानदंडों से काफी अधिक था। हालाँकि वर्ष 2019-22 के दौरान इकाइयों में गिरावट देखी गई, लेकिन बाद के वर्षों में इसमें फिर से वृद्धि हुई। 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा के बाद भी, 85 इकाई महीनों में से 27 में कणिकीय पदार्थ का उत्सर्जन मानदंडों से अधिक रहा।

इसी प्रकार, श्रेणी "सी" इकाइयों द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन मानदंडों से अधिक था और पांच वर्षों की अवधि यानी वर्ष 2018-23 के दौरान इकाई महीनों के 18.24 से 41.94 प्रतिशत के बीच था। 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा के बाद भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 10.13 प्रतिशत इकाई महीनों के दौरान मानदंडों से अधिक था, जिसमें 6.33 प्रतिशत इकाई महीने (79 महीनों में से 5) ऐसे थे, जिनमें उत्सर्जन मानदंडों के 50 प्रतिशत से अधिक था।

निगम ने (अगस्त 2023) मानकों से अधिक कणिकीय पदार्थ के उत्सर्जन को उचित ठहराते हुए कहा कि यह कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता पर निर्भर है, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कणिकीय पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन मानकों को बनाए रखने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2023) कि निगम ने कणिकीय पदार्थ और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अनुमेय सीमा के भीतर रखने के लिए पहल की है और खराब गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति का मुद्दा भी सीआईएल के साथ उठाया गया है।

निकास मीटिंग (नवंबर 2024) में, निगम ने कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान उत्सर्जन के स्तर में कमी आई है, मंत्रालय ने निगम को इसके लिए लेखापरीक्षा को डेटा प्रस्तुत करने की सलाह दी।

मंत्रालय/निगम के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बाद भी, निगम की श्रेणी "सी" इकाइयां अभी भी मानक से अधिक मात्रा में कणिकीय पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित कर रही थीं। इसके अलावा, बेहतर समन्वित प्रयासों से सीआईएल

द्वारा आपूर्ति किये जा रहे कोयले की खराब गुणवत्ता का मामला सुलझाया जा सकता था।

अनुशंसा संख्या 20: निगम को अपने ताप विद्युत संयंत्रों से कणीय पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

3.1.3.2 फलाई ऐश प्रबंधन

ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से कोयला दहन अवशेष उत्पन्न होते हैं, जो फलाई ऐश, बॉटम ऐश आदि को संदर्भित करने वाला एक सामूहिक शब्द है। उच्च तापमान पर प्रज्वलन के बाद कोयला विभिन्न ठोस अंशों में विलीन हो जाता है। बॉयलर से निकलने वाली फ्लू गैसों द्वारा अवशोषित सूक्ष्म धूल को फैब्रिक फिल्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में एकत्र किया जाता है और इसे अवक्षेपित फलाई ऐश के रूप में जाना जाता है, जो आम तौर पर कुल कोयला दहन का 80 प्रतिशत होता है और शेष 20 प्रतिशत कण, जिसमें बिना जला हुआ कार्बन भी सम्मिलित होता है, बॉयलर के तल पर बैठ जाता है, जिसे बॉटम ऐश कहा जाता है। निगम के ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फलाई ऐश के प्रबंधन में विसंगतियों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है:

क. फलाई ऐश का उत्पादन और उपयोग

राख तालाब (ऐश पॉण्ड) में फलाई ऐश के निपटान के लिए भूमि की आवश्यकता को कम करने और फलाई ऐश से होने वाले प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फलाई ऐश उपयोग पर अधिसूचना (सितंबर 1999) जारी की, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया। 25 जनवरी 2016 की अधिसूचना के अनुसार, सभी ताप विद्युत संयंत्रों को 31 दिसंबर 2017 तक फलाई ऐश का 100 प्रतिशत उपयोग करना था।

दिसंबर 2021 की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना (1 अप्रैल 2022 से प्रभावी) में अन्य बातों के साथ-साथ कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को उस वर्ष के दौरान उत्पन्न 100 प्रतिशत राख का उपयोग करने की अनुशंसा की गई है। किसी भी स्थिति में, किसी भी वर्ष में उपयोग 80 प्रतिशत से कम

नहीं होना था और ताप विद्युत संयंत्रों को तीन साल के चक्र में 100 प्रतिशत का औसत राख उपयोग प्राप्त करना था (वर्ष 2021-22 के दौरान 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत राख का उपयोग करने वाले संयंत्रों के लिए चार साल का चक्र और वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पन्न राख के 60 प्रतिशत से कम का उपयोग करने वाले संयंत्रों के लिए पांच साल का चक्र)। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक अप्रयुक्त पुरानी राख को अधिसूचना की तारीख से 10 वर्षों के भीतर ताप विद्युत संयंत्र द्वारा उत्तरोत्तर उपयोग किया जाना था, जो कि विशेष वर्ष के वर्तमान संचालन के माध्यम से राख उत्पादन के लिए निर्धारित उपयोग लक्ष्यों से अलग था, जैसा कि नीचे तालिका 3.6 में दिए गए सूत्रों के अनुसार है:

तालिका 3.6: पुरानी राख के इस्तेमाल के लिए फॉर्मूले

प्रकाशन की तिथि से वर्ष	1 st	2 nd	3 rd -10 th
पुरानी राख का इस्तेमाल (सालाना राख के प्रतिशत में)	कम से कम 20 प्रतिशत	कम से कम 35 प्रतिशत	कम से कम 50 प्रतिशत

(स्रोत: एमओईएफ और सीसी दिशानिर्देश दिनांक 31 दिसंबर 2021)

निगम के छह ताप विद्युत संयंत्र द्वारा 1 अप्रैल 2018 (जनवरी 2016 की अधिसूचना लागू होने की तारीख के बाद) से 31 मार्च 2022 (दिसंबर 2021 की अधिसूचना लागू होने की तारीख से पहले) के समय के दौरान फ्लाइंश एश का इस्तेमाल नीचे तालिका 3.7 में दिखाया गया है:

तालिका 3.7: 2018-19 से वर्ष 2021-22 के समय में बनी और इस्तेमाल हुई राख

ताप विद्युत संयंत्र	उत्पन्न राख	उपयोग की गई राख	राख उपयोग का प्रतिशत (आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)
बीटीपीएस	30.48	30.46	99.92
सीटीपीएस	38.59	42.17	109.28
एमटीपीएस	165.14	122.57	74.22
डीएसटीपीएस	69.89	58.90	84.28
केटीपीएस	73.57	74.63	101.44
आरटीपीएस	53.89	5.71	10.59
कुल	431.56	334.44	77.50

(स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत डेटा)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के समय के दौरान, निगम के छह ताप विद्युत संयंत्र में से चार, पैदा हुई फ्लाइंश एश के 100 प्रतिशत

इस्तेमाल के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, जबकि दो ताप विद्युत संयंत्र अपने यहां पैदा हुई पुरानी ऐश के कुछ हिस्से के साथ इसका पूरा इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। उस समय के दौरान फ्लाई ऐश का कुल इस्तेमाल 77.50 प्रतिशत था, और टारगेट पूरा करने में कुल 22.50 प्रतिशत की कमी रही।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2022 (दिसंबर 2021 की अधिसूचना के लागू होने की तारीख) से मार्च 2025 तक की अवधि के दौरान, यह देखा गया कि एमटीपीएस 2022-25 की अवधि के दौरान फ्लाई ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, जबकि आरटीपीएस (पांच साल के चक्र के अंतर्गत आने वाला) तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान केवल 46.44 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग प्राप्त कर बाकी सभी चार ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2024-25 तक तीन साल के अवधि के दौरान मौजूदा फ्लाई ऐश इस्तेमाल के अपने लक्ष्य हासिल कर पाए।

कुल जमा हुई 379.49 एलएमटी राख के मुकाबले, निगम वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 की तीन साल की अवधि के दौरान कुल मिलाकर केवल 60.51 एलएमटी (15.95 प्रतिशत) का ही इस्तेमाल कर सका। निगम के छह ताप विद्युत संयंत्र द्वारा 1 अप्रैल 2022 (दिसंबर 2021 की अधिसूचना लागू होने की तारीख) से मार्च 2025 तक के समय के दौरान पुराने फ्लाई ऐश का इस्तेमाल नीचे टेबल 3.8 में दिखाया गया है:

तालिका 3.8: वर्ष 2022-25 के दौरान पुरानी राख का उपयोग

(आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)

इकाइयाँ	2022-23			2023-24			2024-25		
	साल के दौरान पैदा हुई राख का 20% हासिल करने का लक्ष्य	हासिल किया गया	वर्ष के दौरान राख उत्पादन की तुलना में उपलब्धि (प्रतिशत में)	साल के दौरान पैदा हुई राख का 35% हासिल करने का लक्ष्य	हासिल किया गया	वर्ष के दौरान राख उत्पादन की तुलना में उपलब्धि (प्रतिशत में)	साल के दौरान पैदा हुई राख का 50% हासिल करने का लक्ष्य	हासिल किया गया	वर्ष के दौरान राख उत्पादन की तुलना में उपलब्धि (प्रतिशत में)
बीटीपीएस	1.92	2.02	21.04	3.49	2.52	25.30	4.60	2.67	29.02
सीटीपीएस	1.83	2.7	29.51	4.17	1.07	8.98	5.89	3.5	29.74
एमटीपीएस	10.97	0	0.00	17.63	0.95	1.88	24.74	2.9	5.86
डीएसटीपीएस	3.68	11.09	60.30	6.07	16.09	92.74	8.90	1.91	10.74
केटीपीएस	3.82	5.47	28.62	6.53	4.19	22.45	11.27	3.43	15.22
आरटीपीएस	3.57	0	0.00	7.54	0.00	0.00	10.84	0	0.00
कुल		21.28			24.82			14.41	

(स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत डेटा)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, निगम का कोई भी ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2022 से वर्ष 2025 के समय में पुराने फ्लाई ऐश के इस्तेमाल का अपना टारगेट पूरा नहीं कर सका। जबकि एमटीपीएस और आरटीपीएस तीनों वर्षों में से किसी में भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, सभी छह ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2024-25 के दौरान लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। डीएसटीपीएस वर्ष के अनुसार लक्ष्य हासिल नहीं कर सका, इसने तीन साल यानी वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक पूरा लक्ष्य (नंबर में) हासिल किए।

यह देखा गया कि निगम ने अपनी ऐश पॉलिसी (2018) के अंतर्गत टीपीपी से निकलने वाली 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश को धारणीय तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पॉलिसी के मुताबिक, उद्देश्य पूरा करने के लिए कई तरीके तय किए गए थे, जैसे जागरूकता के लिए ज़ोरदार विज्ञापन अभियान, हर स्टेशन पर मार्केटिंग टीम बनाना ताकि अलग-अलग ऐश बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का पता लगाया जा सके और फ्लाई ऐश की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके इत्यादि।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- (i) निगम द्वारा किए गए विज्ञापन प्रयास अपर्याप्त थे क्योंकि यह आठ वर्षों में यानी वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक केवल चार विज्ञापन अभियान आयोजित कर सका।
- (ii) निगम ने छह में से पांच ताप विद्युत संयंत्र में मार्केटिंग टीम का गठन किया, जिसने फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए संबंधित राख-आधारित उद्योगों का पता लगाने के लिए आठ वर्षों, यानी वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक 13 दौरे किए।

इसलिए, उपरोक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट था कि निगम अपनी पॉलिसी को असरदार तरीके से लागू नहीं कर सका, जिसकी वजह से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तय किए गए फ्लाई ऐश लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए।

प्रबंधन ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश (अगस्त 2023) के अनुसार फ्लाई ऐश के उपयोग न होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए दावा किया कि उसके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में फ्लाई ऐश के उपयोग में काफी सुधार हुआ है। मंत्रालय ने प्रबंधन के जवाब (नवंबर 2023) का समर्थन किया।

एक्जिट मीटिंग (नवंबर 2024) में मंत्रालय ने निगम को फ्लाइंग ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा।

अनुशंसा नंबर 21: निगम को पुरानी राख को हटाने को प्राथमिकता देनी चाहिए और लगातार 100% इस्तेमाल के लिए उपायों को मज़बूत करना चाहिए।

ख. राख तालाब का प्रबंधन

राख के तालाब इंजीनियर संरचनाएं हैं जिनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र पर उत्पन्न नीचे की राख और अप्रयुक्त सूखी फ्लाइंग ऐश के भंडारण के लिए किया जाता है। निगम के छह ताप विद्युत संयंत्रों में 15 राख तालाब थे जिनका क्षेत्रफल 1,432.54 एकड़ था और जिनकी कुल क्षमता 455.35 लाख घन मीटर थी।

इन ताप विद्युत संयंत्रों के लेखापरीक्षा के दौरान 15 में से सात राख तालाबों के प्रबंधन में कमियां देखी गईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

मेजिया थर्मल पावर प्लांट: संयंत्र की 630 मेगावाट क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, निगम ने 220 लाख घन मीटर की धारण क्षमता वाले 244 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ दो राख तालाबों का निर्माण किया। इसके अलावा, वर्ष 2005-2012 के दौरान ताप विद्युत संयंत्र पर पाँच और इकाइयाँ (क्षमता 1,710 मेगावाट) जोड़ी गईं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि संयंत्र की क्षमता में लगभग चार गुना वृद्धि हुई, लेकिन तालाबों की संख्या समान रही। राख के तालाबों की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने के अलावा, मौजूदा राख के तालाबों से खराब राख निकासी¹³ हुई, जिससे राख के तालाबों में नीचे की राख जमा हो गई और इसकी धारण क्षमता सीमित हो गई, जिसके कारण दो दशकों में रिसाव की घटनाएं देखी गईं, जिससे दो जलाशय प्रदूषित हो गए; जामगरी और नित्यानंदपुर। दिसंबर 2022 तक, कॉर्पोरेशन ने सिर्फ जामगरी डैम की सिंचाई नहरों से जमा हुई फ्लाइंग ऐश हटाई थी, और प्रभावित जलाशयों में जमा हुई राख पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी।

बोकारो थर्मल पावर स्टेशन: बीटीपीएस (630 मेगावाट) की जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम ने वर्ष 1986 से वर्ष 1993 के दौरान 65 हेक्टेयर क्षेत्र में दो राख तालाबों का

¹³ राख तालाब से जमी हुई राख को निकालने की प्रक्रिया, जिसमें उत्खनन मशीनरी का उपयोग किया जाता है, ताकि तालाब को पुनः उपयोग के लिए तैयार किया जा सके।

निर्माण किया। इसके बाद, निगम ने फरवरी 2017 में एक और इकाई (500 मेगावाट) जोड़ी और जुलाई 2017 में दो पुरानी इकाइयों (210 मेगावाट प्रत्येक) को बंद कर दिया। राख तालाबों की अपर्याप्त क्षमता के साथ-साथ राख तालाब प्रबंधन की कमी के कारण, सितंबर 2019 में राख डाइक¹⁴ में दरार आ गई थी जिसके परिणामस्वरूप पास के निचले क्षेत्र में तरल राख का अतिप्रवाह हो गया था। नतीजतन, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने (मई 2020) निगम पर ₹2.89 करोड़ का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान अगस्त 2020 तक किया गया। ऐश पॉन्ड डाइक के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत और मजबूती का काम साल 2021 में पूरा हुआ।

कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन: केटीपीएस की दो इकाइयाँ (प्रत्येक 500 मेगावाट) जुलाई 2013 और जून 2014 में चालू की गईं। राख तालाब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण निगम ने फरवरी 2016 में 70 एकड़ के अस्थायी राख तालाब का निर्माण किया। इस बीच (जुलाई 2013 से फरवरी 2016) उत्पन्न राख को उसके परिसर के अंदर निचले भूमि क्षेत्र में फेंक दिया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थायी राख तालाबों का केवल 75 प्रतिशत संरचनात्मक कार्य मई 2024 तक पूरा किया गया था।

मंत्रालय/प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2023/अगस्त 2023) कि मेजिया ताप विद्युत संयंत्रडाइक की ऊंचाई और ताकत बढ़ाई जा रही है और तीसरे राख तालाब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की संभावना का पता लगाया जा रहा है। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र और कोडरमा ताप विद्युत संयंत्र के मामले में, उन्होंने कहा कि निगम द्वारा किए गए प्रयासों के कारण हाल के वर्षों के दौरान राख निकालने के काम में काफी वृद्धि हुई है। एकजिट बैठक (नवंबर 2024) में प्रबंधन ने कहा कि ऐश डाइक को मजबूत करने के लिए अनुबंध दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि मेजिया ताप विद्युत संयंत्र में तीसरे राख तालाब के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना बाकी था, जबकि कोडरमा ताप विद्युत केंद्र में स्थायी राख तालाब का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था (जुलाई 2025)।

¹⁴ राख के घोल और जमी हुई राख को रोकने के लिए रिटेनिंग स्ट्रक्चर। डिस्पोज़ल एरिया में, चारों ओर राख के बांध बनाकर स्टोरेज की जगह बनाई जाती है, जिसके अंदर राख के कणों को जमने दिया जाता है और निकाले गए पानी को आउटलेट स्ट्रक्चर से बाहर निकलने दिया जाता है।

अनुशंसा संख्या 22: राख तालाबों की मौजूदा क्षमता की समीक्षा की जानी चाहिए और प्रभावी राख तालाब निकासी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि पर्यावरणीय खतरे को कम किया जा सके।

3.1.3.3 अपशिष्ट प्रबंधन

घरेलू उपयोग और वृक्षारोपण के साथ-साथ शीतलन प्रणाली, बॉयलर फ़ीड और राख के निपटान के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में पानी प्रमुख निवेश आवश्यकताओं में से एक है। पर्यावरण मंजूरी/संचालन के लिए सहमति के अनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अपशिष्ट जल को नालियों के माध्यम से नदियों/प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ने से पहले पुनर्चक्रण के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण करना अनिवार्य है।

क. बिना उपचार के अपशिष्टों का निर्वहन

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, यह देखा गया कि कॉर्पोरेट स्तर पर समयबद्ध तरीके से ईटीपी/एसटीपी की स्थापना के लिए कोई योजना नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप निगम के सभी ताप विद्युत संयंत्रों में ईटीपी और एसटीपी का निर्माण और संचालन नहीं किया जा रहा था (31 मार्च 2025 तक) जैसा कि नीचे दी गई तालिका 3.9 में दिखाया गया है:

तालिका 3.9: एसटीपी/ईटीपी के निर्माण की स्थिति

टीपीपी का नाम	ईटीपी	एसटीपी
एमटीपीएस	यूनिट 7 और 8 के लिए अलग से नहीं बनाया गया	हाँ
सीटीपीएस	हाँ	नहीं
बीटीपीएस	नहीं	नहीं
डीएसटीपीएस	हाँ	नहीं
केटीपीएस	हाँ	हाँ
आरटीपीएस	नहीं	नहीं

(स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, जहां 31 मार्च 2025 तक बीटीपीएस और आरटीपीएस में ईटीपी का निर्माण नहीं किया गया था, वहीं एमटीपीएस की दो इकाइयां भी बिना किसी समर्पित ईटीपी के संचालित की जा रही थीं। इसी तरह, 31 मार्च 2025 तक सीटीपीएस, बीटीपीएस, डीएसटीपीएस और आरटीपीएस का कोई एसटीपी नहीं था।

यह भी देखा गया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुपचारित/प्रदूषित पानी के निर्वहन के लिए बीटीपीएस (नवंबर 2015) और सीटीपीएस (जनवरी 2020) को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, निगम ने देर से क्रमशः फरवरी और मार्च 2022 में सीटीपीएस और बीटीपीएस कॉलोनी में एसटीपी के निर्माण का काम शुरू किया, जो अभी तक (मार्च 2025) पूरा नहीं हुआ था।

मंत्रालय/प्रबंधन ने कहा (नवंबर 2023/अगस्त 2023) कि आवश्यक ईटीपी/एसटीपी के निर्माण का काम प्रगति पर है। एकजिट बैठक (नवंबर 2024) में, मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों में एक मजबूत अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता के लिए लेखापरीक्षा की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया ताकि निर्वहन से पहले अपशिष्टों का उपचार किया जा सके।

पर्यावरण मंजूरी/संचालन के लिए सहमति का पालन न करने पर निगम के ताप विद्युत संयंत्रों में ईटीपी और एसटीपी के निर्माण में विलंब हुआ।

अनुशंसा संख्या 23: अनुपचारित निर्वहन को रोकने के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना और प्रभावी संचालन में तेजी लाई जानी चाहिए।

ख. खतरनाक अपशिष्ट का भंडारण

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 के अनुसार, सुविधा का प्रत्येक अधिभोगी (इस मामले में निगम) जो खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन, उत्पादन, संग्रह, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपयोग, उपचार, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, वसूली, बिक्री और निपटान आदि में लगा हुआ है। उपरोक्त नियमों की अधिसूचना (04 अप्रैल 2016) के 60 दिनों के भीतर राज्य प्रदूषण



चित्र 3.1: निगम परिधि पर पड़ा खतरनाक अपशिष्ट

नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। नियमों में आगे कहा गया है कि अधिभोक्ता खतरनाक अपशिष्ट को 90 दिनों तक संग्रहीत कर सकता है और

ऐसे खतरनाक और अन्य अपशिष्ट के उत्पादन, भंडारण और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखेगा। ताप विद्युत संयंत्र/पनबिजली विद्युत स्टेशन आम तौर पर इस्तेमाल किया हुआ सर्वो तक-40, ल्यूब ऑयल, वेस्ट रेज़िन और ट्रांसफॉर्मर ऑयल वगैरह जैसे खतरनाक अपशिष्ट छोड़ते हैं, जिनका उनके बनने के 90 दिनों के अंदर निपटान करना होता है।

ताप विद्युत संयंत्र/हाइडल पावर जनरेटिंग स्टेशन¹⁵ द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के बनने और निपटान का वर्ष-वार ब्योरा नीचे तालिका 3.10 में दिया गया है:

तालिका 3.10: खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन और निपटान

(आंकड़े किलोलीटर में)

वर्ष	प्रारंभिक जमा	उत्पादन	निपटान	जमा शेष
2016-17	606.88	135.32	347.24	394.96
2017-18	394.96	77.50	83.15	389.31
2018-19	389.31	95.09	37.30	447.10
2019-20	447.10	226.90	70.06	603.94
2020-21	603.94	89.75	30.25	663.44
2021-22	663.44	60.86	111.40	612.90
2022-23	612.90	192.92	75.13	730.69
2023-24	730.69	366.81	400.72	696.78
2024-25	696.78	437.87	420.66	713.99
कुल		1,683.02	1,575.91	

(स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख)

तालिका के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2016-17 की शुरुआत में खतरनाक अपशिष्ट का बड़ा संचय हुआ था, जो वर्ष 2024-25 के अंत तक 107.11 किलोलीटर बढ़ गया था। इसके अलावा, निगम वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान तीन साल की निरंतर अवधि के लिए खतरनाक अपशिष्ट के वार्षिक नए उत्पादन का निपटान नहीं कर सका। इस प्रकार, मौजूदा नियमों का उल्लंघन करते हुए निगम के ताप विद्युत संयंत्रों/पनबिजली विद्युत स्टेशन में 90 दिनों से अधिक समय तक खतरनाक अपशिष्ट को संग्रहीत किया गया, जिससे पर्यावरण संभावित जोखिमों के संपर्क में होता है।

¹⁵ विसंगति केवल मैथन हाइडल स्टेशन में देखी गई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मैथन पनबिजली स्टेशन को 18 सितंबर 2024 तक खतरनाक अपशिष्ट को संभालने, उत्पन्न करने, इकट्ठा करने, संग्रहीत करने और निपटाने के लिए एसपीसीबी से कोई प्राधिकार नहीं था, हालांकि इसमें मार्च 2023 में 51.87 किलोलीटर का खतरनाक अपशिष्ट जमा हो रहा था जो मार्च 2024 तक घटकर 6.72 किलोलीटर रह गया था। इन खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण स्थान के पास मैथन पनबिजली स्टेशन के स्विचयार्ड में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 के दौरान आग लगने की पांच घटनाएं हुईं, लेकिन खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 का पालन न करने पर एसपीसीबी को इसकी सूचना नहीं दी गई।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, निगम के पास समयबद्ध तरीके से और मौजूदा नियमों में स्थापित मानदंडों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट के संचय का निपटान करने की कोई ठोस योजना नहीं थी।

मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर (नवंबर 2023/अगस्त 2023) निगम के ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के गैर-निपटान के संबंध में मौन था, जबकि मैथन पनबिजली स्टेशन के लिए उन्होंने कहा कि खतरनाक अपशिष्ट सामग्री के निपटान और एसपीसीबी से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2025 तक निगम के ताप विद्युत संयंत्रों/ पनबिजली विद्युत स्टेशन में मौजूदा नियमों का उल्लंघन करते हुए कुल 713.99 किलोलीटर का खतरनाक अपशिष्ट पड़ा हुआ था।

अनुशंसा संख्या 24: निगम द्वारा मौजूदा नियमों के अनुपालन में सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर प्रभावी खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

3.1.3.4 अक्षय ऊर्जा के स्रोत

क पनबिजली इकाइयों का उन्नयन

पनबिजली सुविधाओं का संचालन और रखरखाव महत्वपूर्ण है इसीलिए, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने अधिसूचना (मार्च 2019) के माध्यम से निर्धारित किया है कि 35 साल (शुल्क विनियमन वर्ष 2019-24 में इसे 40 वर्षों तक बढ़ाया गया) के उपयोगी

जीवन वाले पनबिजली उत्पादन स्टेशनों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन (आरएम एंड यू) के लिए समय पर और कुशल योजना होना आवश्यक है।

निगम द्वारा अपनी पनबिजली सुविधाओं के लिए शुरू की गई आरएम एंड यू गतिविधियों का विवरण, जिन्होंने 40 वर्षों का उपयोगी जीवन पूरा कर लिया है, नीचे तालिका 3.11 में दिया गया है:

तालिका 3.11: निगम की पनबिजली इकाइयों में आरएम एंड यू गतिविधियों का विवरण

पनबिजली विद्युत स्टेशन	इकाई सं	के दौरान कमीशन किया गया	40 वर्षों का उपयोगी जीवन पूरा हुआ	आरएम एंड यू	अगस्त 2025 तक आरएम एंड यू कार्य की स्थिति
मैथन	इकाई -1	अक्टूबर 1957	सितम्बर 1997	शुरुआत से अब तक नहीं किया गया	सितंबर 2022 में केंद्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा डीपीआर को मंजूरी दी गई लेकिन अगस्त 2025 तक कोई आर एम एंड यू कार्य नहीं किया गया।
	इकाई -2	मार्च 1958	फरवरी 1998	2002-06	-
	इकाई -3	दिसंबर 1958	नवंबर 1998	शुरुआत से अब तक नहीं किया गया	सितंबर 2022 में केंद्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा डीपीआर को मंजूरी दी गई लेकिन अगस्त 2025 तक कोई आर एम एंड यू कार्य नहीं किया गया।
पंचेत	इकाई -1	दिसंबर 1959	नवंबर 1999	शुरुआत से अब तक नहीं किया गया	सीईए द्वारा डी. पी. आर. की मंजूरी (फरवरी 2021) के बाद, आरएम एंड यू कार्य जनवरी 2022 में प्रदान किया गया था, जिसके खिलाफ मार्च 2025 तक केवल 45 प्रतिशत की भौतिक प्रगति हासिल की गई है।

(स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम ने चार में से तीन पनबिजली विद्युत इकाइयों में कोई आरएम एंड यू काम नहीं किया, इस तथ्य के बावजूद कि मैथन पनबिजली स्टेशन (जनवरी 2021) पर किए गए अध्ययन में रनर ब्लेड में दरार, पानी के रिसाव, गवर्नर और स्नेहन प्रणाली में समस्याएं, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर में गिरावट आदि जैसे गंभीर मुद्दों का पता चला। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जिन तीन शेष

इकाइयों में कोई काम नहीं किया गया था, वे 65 वर्ष से अधिक पुरानी थीं और पहले ही अपना उपयोगी जीवन व्यतीत कर चुकी हैं। इसलिए, उचित आरएम एंड यू कार्य के अभाव में संयंत्र और खराब हो जाएंगे। 2016-17 से 2024-25¹⁶ के समय के उत्पादन डेटा की जांच से पता चला कि मैथन की यूनिट 1 और 3 और पंचेत की यूनिट-1 में 2013 से कम क्षमता पर चलने के कारण और बार-बार बिजली जाने से इन यूनिट्स में 165.561 मिलियन यूनिट (एमयू) की उत्पादन हानि हुई है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि समय पर आरएम एंड यू के कारण पनबिजली इकाइयों की दक्षता और उत्पादन में वृद्धि न केवल उपलब्ध पानी का उपयोग करके दुर्लभ जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में योगदान देगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी इसके संभावित लाभ होंगे।

मंत्रालय/प्रबंधन ने जवाब (नवंबर 2023/अगस्त 2023) में आरएम एंड यू कार्यों में विलंब की घटनाओं का कालक्रम दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि आरएम एंड यू कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रक्रियात्मक विलंब के कारण ऐसा नहीं हो सका। एकजिट मीटिंग (नवंबर 2024) में मंत्रालय ने निगम को आरएम एंड यू का काम निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की सलाह दी।

इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2025/अगस्त 2025 तक, प्रक्रियात्मक विलंब को न संभालने के कारण, जिसे बेहतर समन्वय से टाला जा सकता था, तीनों पनबिजली इकाइयों को 65 साल से अधिक समय पहले चालू होने के बावजूद आवश्यक नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन नहीं मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि उनका प्रदर्शन खराब रहा और उत्पादन हानि हुई।

अनुशंसा संख्या 25: निगम को पुरानी पनबिजली इकाइयों का आर. एम. एंड यू. कार्य समयबद्ध तरीके से करना चाहिए ताकि और गिरावट और ऊर्जा की हानि को रोका जा सके।

ख सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना की स्थापना

भारत सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने और पारिस्थितिक रूप से सतत

¹⁶ उत्पादन हानि की गणना मानसून सीजन के डेटा पर की गई है, यानी हर साल जून से अक्टूबर तक, अक्टूबर-2016, 2017, 2018 और 2019 महीनों को छोड़कर।

विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) की शुरुआत (जनवरी 2010) की। भारत सरकार ने एनएसएम के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) या व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) प्रदान करके देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाजनक कार्यक्रम और योजनाएं भी शुरू कीं।

एनएसएम को आगे बढ़ाते हुए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने देश में सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक योजना (दिसंबर 2014) शुरू की। इसके जवाब में, निगम ने (अप्रैल 2019) भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) को निगम के सभी चार जलाशयों¹⁷ में ग्रिड से जुड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना (एफएसपीवी) की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार करने के लिए नियुक्त किया। एसईसीआई ने (जुलाई 2019) डीपीआर प्रस्तुत की, जिसमें 1,180 मेगावाट और 1,776 मेगावाट की कुल क्षमता वाले अपने सभी चार जलाशयों में क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत औसत जल निकाय के उपयोग पर एफएसपीवी स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। निगम ने (दिसंबर 2019) एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमआरईपीपी) योजना के अंतर्गत तीन चरणों में 2,000 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ एफएसपीवी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, यानी 200 मेगावाट 2020-22, 900 मेगावाट वर्ष 2021-23 और 900 मेगावाट वर्ष 2022-24 में। इस उद्देश्य के लिए, ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन (अगस्त 2022) निगम और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की इक्विटी भागीदारी के साथ 49:51 के अनुपात में किया गया था।

एमएनआरई ने निगम के अनुरोध पर (फरवरी/मार्च 2022) यूएमआरईपीपी के अंतर्गत पहले चरण में 755 मेगावाट और दूसरे चरण में केवल 234 मेगावाट की क्षमता वाले एफएसपीवी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी, इन चरणों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सितंबर 2025 तक, एफएसपीवी के केवल 310 मेगावाट के निर्माण का अनुबंध (जनवरी 2024) दिया गया है, जिसके मुकाबले केवल 21 प्रतिशत की भौतिक प्रगति हासिल की गई है, जबकि चरण-1 के लिए एफएसपीवी के शेष 445 मेगावाट के विकास का काम अभी भी निविदा चरण में है।

¹⁷ मैथन, पंचेत, तिलैया और कोनार

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- निगम द्वारा सौर परियोजना को लागू करने में विलंब नीचे दिए गए चरणों को पूरा करने में प्रक्रियात्मक विलंब के संयुक्त प्रभाव के कारण हुई थी, जिसे बेहतर योजना और समन्वय से टाला जा सकता था:
 - डीपीआर तैयार करने के लिए एसईसीआई की भागीदारी;
 - संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन;
 - एमएनआरई की मंजूरी प्राप्त करना; और
 - कार्य आदेश
- निगम ने अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर खो दिया, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल था, बल्कि निगम को अपने अक्षय खरीद दायित्वों को पूरा करने और उस पर निष्फल खर्च से बचने में भी मदद कर सकता था (पैरा 3.1.3.4 (सी) में विस्तार से चर्चा की गई)।

मंत्रालय/प्रबंधन (नवंबर 2023/अगस्त 2023) ने खराब वित्तीय स्थिति के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने में विलंब को उचित ठहराया है।

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि सितंबर 2025 तक निगम 310 मेगावाट एफएसपीवी के निर्माण में केवल 21 प्रतिशत की भौतिक प्रगति हासिल कर सका, जबकि चरण-1 के शेष 445 मेगावाट के लिए निविदा प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा, निगम का वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान लाभ रुझान लगातार बढ़ रहा था, जो वर्ष 2019-20 में ₹185.32 करोड़ से लेकर वर्ष 2024-25 में ₹1,239.48 करोड़ तक था, लेकिन फिर भी सौर ऊर्जा परियोजना के विकास में हुई प्रगति अनुरूप नहीं थी।

ग नवीकरणीय खरीद दायित्व

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) (ई) और राष्ट्रीय शुल्क नीति 2006 के अंतर्गत, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) अक्षय ऊर्जा स्रोतों (सौर और गैर-

सौर) से बिजली के कुछ प्रतिशत को पूरा करने के लिए वितरण कंपनियों पर अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ)¹⁸ लक्ष्य निर्धारित करता है। प्रत्येक वितरण कंपनी अपने आरपीओ लक्ष्यों को अपने अक्षय स्रोतों से या अन्य अक्षय ऊर्जा उत्पादकों से खरीद कर पूरा करने का प्रयास करती है। आरपीओ लक्ष्यों को पूरा न करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है।

निगम को एक वितरण कंपनी होने के कारण, जो दो राज्यों में बिजली की आपूर्ति करती है पश्चिम बंगाल और झारखंड, दो राज्यों के एसईआरसी द्वारा निर्धारित अपने आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करना है। 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले नौ वर्षों के लिए एसईआरसी द्वारा निर्धारित आरपीओ लक्ष्य और इसके अनुपालन नीचे दी गई तालिका 3.12 में दिखाए गए हैं:

तालिका 3.12: नवीकरणीय खरीद दायित्व का अनुपालन

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

वर्ष	आरपीओ लक्ष्य	आरपीओ पूर्ति		कुल पूर्ण किए गए आरपीओ	आरपीओ की कमी	आरईसी की खरीद लागत (₹ करोड़ में)
		उत्पन्न या खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा	खरीदे गए अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र			
2016-17	599.21	76.68	493.27	569.95	29.26	78.97
2017-18	768.58	75.28	581.04	656.32	112.26	87.83
2018-19	961.97	72.54	596.19	668.73	293.24	87.91
2019-20	1,247.62	70.84	998.78	1,069.62	178	202.50
2020-21	1,640.36	179.80	0.00	179.80	1,460.56	0.00
2021-22	2,927.39	111.22	630.13	741.35	2,186.04	109.42
2022-23	4,119.28	410.13	3,656.01	4,066.14	53.14	463.26
2023-24	4,415.34	214.22	4,202.13	4,416.35	(1.01)	181.56
2024-25	4,153.38	308.09	3,878.39	4,186.48	(33.10)	94.03
कुल	20,833.13	1,518.80	15,035.94	16,554.74	4,278.39	1,305.48

(स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी)

¹⁸ प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी को अक्षय ऊर्जा के स्वयं द्वारा उत्पन्न और/या अक्षय ऊर्जा की खरीद और/या अक्षय ऊर्जा उत्पादक से अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद द्वारा अपने आरपीओ लक्ष्यों को पूरा करना होता है।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-25 के दौरान, निगम अक्षय ऊर्जा उत्पादन/खरीद के माध्यम से किसी भी एक वर्ष के दौरान अपने आरपीओ लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका और ₹1,305.48 करोड़ के मूल्य के लिए निष्फल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) खरीदने का सहारा लेना पड़ा। आरईसी खरीदने के बावजूद, निगम अभी भी वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान अपने वर्षवार आरपीओ लक्ष्यों से कम था, जो 29.26 एमयू और 2186.04 एमयू के बीच था।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना स्थापित करके अपनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की निगम की योजना में भी विलंब हो रहा था जैसा कि पैरा 3.1.3.4 (ख) में चर्चा की गई है।

मंत्रालय/प्रबंधन ने कहा (नवंबर 2023/अगस्त 2023) कि निगम वर्ष 2022-23 के दौरान अपने आरपीओ लक्ष्यों का 99 प्रतिशत प्राप्त करने में सक्षम था।

इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए देखा जा सकता है कि सिर्फ वर्ष 2022-23 के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, निगम को 3,656.01 एमयू के आरईसी की खरीद पर ₹463.26 करोड़ का निष्फल भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा, उसने बाद के सालों में 8,080.52 एमयू में आरईसी की खरीद पर ₹275.59 करोड़ का निष्फल भुगतान किया।

अनुशंसा संख्या 26: निगम को अपने अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृत सौर परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लानी चाहिए।

3.1.4 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निगम में पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण में उल्लेखनीय कमियों को देखा। स्पष्ट नियामक समय-सीमा के बावजूद, निगम की कई थर्मल इकाइयाँ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तय नियमों से ज़्यादा कणिकीय पदार्थ और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषक उत्सर्जित करती रही। निगम अपनी खुद की राख नीति, 2018 को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप राख उपयोग के लक्ष्य लगातार चूक गए, जिसमें वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के दौरान पुरानी राख निकासी खराब रही। राख तालाबों की सीमित क्षमता के साथ-साथ तीन ताप विद्युत संयंत्रों में अप्रभावी तालाब राख प्रबंधन और छह ताप विद्युत संयंत्रों और एक पनबिजली केंद्र में अपर्याप्त निपटान तंत्र के कारण खतरनाक अपशिष्ट के संचय ने

आसपास के पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दिया। निगम के ताप विद्युत संयंत्रों में एसटीपी/ईटीपी की स्थापना में अनुपस्थिति/देरी और अनुपचारित अपशिष्टों ने पर्यावरणीय मुद्दों को और बढ़ा दिया।

पुरानी पनबिजली इकाइयों की पहचान हालांकि नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए की गई थी, लेकिन उन्हें शुरू नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में नुकसान हुआ। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, वैधानिक मंजूरी और कार्यों के आवंटन में देरी के कारण सौर और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में प्रगति धीमी रही। नतीजतन, निगम अक्षय ऊर्जा उत्पादन से वर्ष 2016-25 के दौरान किसी भी वर्ष में अपने अक्षय खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा और उसे ₹1,305.48 करोड़ के अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों पर निष्फल खर्च का सहारा लेना पड़ा, फिर भी वह अपने दायित्वों से कम रहा।

यह कमियां कमजोर योजना और समन्वय, अपर्याप्त निगरानी और निगम द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की कमी की ओर इशारा करती हैं। जब तक इन प्रणालीगत कमियों को दूर नहीं किया जाता है, तब तक निगम के संचालन पर्यावरणीय जोखिम पैदा करते रहेंगे और राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों में योगदान करने में इसकी भूमिका को कमजोर करते रहेंगे।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.2 कामेंग जलविद्युत परियोजना का निर्माण और संचालन

3.2.1 परिचय

कामेंग पनबिजली परियोजना (परियोजना) की विस्तृत जांच रिपोर्ट को भारत सरकार द्वारा 1968 में मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 1982 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की, जिसके आधार पर भारत सरकार ने परियोजना का निष्पादन (1985) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) को सौंपा, जिसे 2 अप्रैल 1976 को देश में बिजली स्टेशनों की योजना, जांच, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, संचालन और रखरखाव के लिए बनाया गया था। कंपनी ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और सीडब्ल्यूसी के विचारों को सम्मिलित करते हुए सभी परियोजना मानकों और अनुमानों को अंतिम रूप दिया और सितंबर 1989 में अनुमोदन के लिए

सीईए को प्रस्तुत किया। अक्टूबर 1992 में अरुणाचल प्रदेश सरकार (राज्य सरकार) ने इस परियोजना को¹⁹ एक निजी कंपनी को सौंप दिया। हालांकि, परियोजना में कोई प्रगति नहीं होने के कारण मार्च 1999 में राज्य सरकार द्वारा इसे फिर से कंपनी को सौंप दिया गया।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ₹2,496.90 करोड़ के लागत अनुमान और 60 महीने के निर्धारित समापन समय यानी दिसंबर 2009 तक के साथ परियोजना को मंजूरी (2 दिसंबर 2004) दी। परियोजना की चार इकाइयाँ जून 2020 से फरवरी 2021 के बीच चालू हुईं, जिनकी अंतिम परियोजना लागत ₹8,404.47 करोड़ थी। लेखापरीक्षा विश्लेषण से परियोजना नियोजन और निष्पादन में कमियों का पता चलता है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

3.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.2.1 परियोजना के पूरा होने में विलंब

परियोजना की प्रमुख गतिविधियों को सात पैकेजों में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत पैकेज I से III सिविल कार्यों से संबंधित थे और पैकेज IV से VII हाइड्रो/इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों, स्विच यार्ड और जनरेटर/पावर ट्रांसफार्मर कार्यों से संबंधित थे। दिसंबर 2009 तक परियोजना के पूरा होने की समय सीमा का पालन करने के लिए, पांच पैकेजों, I से V, के लिए कार्य आदेश दिसंबर 2004 में जारी किया गया था, अर्थात् सीसीईए द्वारा निवेश प्रस्ताव की मंजूरी के तुरंत बाद।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूरी परियोजना फरवरी 2021 में शुरू की जा सकती है यानी मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से 11 साल से अधिक के विलंब के बाद:

- परियोजना के निष्पादन के दौरान और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, कंपनी ने परियोजना डिजाइन में बदलाव किए, जिसमें मुख्य रूप से परियोजना बांधों²⁰ के लिए प्रस्तावित स्थल को स्थानांतरित करना, नदी व्यपवर्तन योजनाओं में परिवर्तन, पेनस्टॉक प्रोफाइल में परिवर्तन और पावरहाउस का स्थानांतरण सम्मिलित था। इस तरह के परिवर्तनों के लिए सक्षम प्राधिकारी

¹⁹ पानी राज्य का विषय है।

²⁰ इस परियोजना के तहत दो डैम, बिचोम और टेंगा बनाए जाने थे।

अर्थात् विद्युत मंत्रालय (मंत्रालय), सीईए और सीडब्ल्यूसी से संशोधित अनुमोदन की आवश्यकता थी। उचित विचार-विमर्श और डिजाइन में आगे के संशोधनों के साथ साइट की स्थिति और अप्रत्याशित भूविज्ञान को श्रेय देते हुए अगस्त 2012 तक आवश्यक अनुमोदन प्रदान किए जा सके। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, ठेकेदारों के काम के दायरे में वृद्धि हुई, जिसके लिए न केवल अतिरिक्त श्रमशक्ति और मशीनरी की आवश्यकता थी, बल्कि उच्च क्षमता वाली मशीनरी और काम के निष्पादन की पद्धति में संशोधन की भी आवश्यकता थी।

- परियोजना स्थल तक आसान पहुंच और लोगों और मशीनरी की मुक्त आवाजाही के लिए आवश्यक संपर्क सड़कों के लिए काम, हालांकि जुलाई 2003 में दिया गया था, लेकिन भूगर्भ विज्ञान और आसपास के पर्यावरण के अपर्याप्त अध्ययन के कारण अक्टूबर 2004 तक पूरा होने की अपनी अनुसूची के मुकाबले अगस्त 2013 से पहले पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि कंपनी ने समय की कमी और कठिन पहाड़ी इलाके का हवाला देते हुए; नए सिरे से कोई अध्ययन करने के बजाय सीमा सड़क कार्य बल के मौजूदा सर्वेक्षणों पर भरोसा किया।
- पेनस्टॉक्स²¹ में रिसाव (मार्च 2018) के कारण परियोजना के चालू होने में लगभग तीन साल का विलंब हुआ (पैरा 3.2.2.3 में विस्तार से चर्चा की गई)

उपरोक्त के संचयी प्रभाव से न सिर्फ समय में बढ़ोतरी हुई, बल्कि लागत भी बढ़ी, क्योंकि परियोजना की लागत सीसीईए की मंजूरी के ₹2,496.90 करोड़ से बढ़कर परियोजना पूरा होने पर ₹8,404.47 करोड़ हो गई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि परियोजना डिजाइन में विस्तृत परिवर्तन, सीसीईए द्वारा अनुमोदन के बाद, और कोई नया सर्वेक्षण किए बिना अप्रोच रोड का निर्माण कार्य करना, साइट की भूगर्भीय स्थितियों और उसके आसपास के वातावरण के मूल्यांकन में अंतर को उजागर करता है, जिससे असटीक परियोजना अनुमानों और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार किया गया। अप्रत्याशित भूविज्ञान और पर्यावरणीय कारकों के लिए

²¹ पेनस्टॉक एक पाइप या चैनल होता है जो किसी तालाब या बांध से पानी को हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के टर्बाइन तक ले जाता है। पेनस्टॉक पानी के बहाव को कंट्रोल करता है और पानी में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। पेनस्टॉक आमतौर पर बहते पानी के ज्यादा दबाव और ताकत को झेलने के लिए स्टील या मज़बूत कंक्रीट का बना होता है।

संभावित कठिन पहाड़ी इलाके को देखते हुए, कंपनी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी मापदंडों और डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले साइट मूल्यांकन और सर्वेक्षणों में अधिक समय और प्रयासों का निवेश करना चाहिए था ताकि अनुमोदन के बाद परिवर्तन और देरी से बचा जा सके। पेनस्टॉक्स में रिसाव से संबंधित मुद्दे ने परियोजना निष्पादन के पर्यवेक्षण में कमजोरियों को उजागर किया।

प्रबंधन ने परियोजना के डिजाइन में बदलाव के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (मार्च 2024) को स्वीकार कर लिया, जबकि इसने संपर्क सड़कों के निर्माण में देरी के लिए मिट्टी के वर्गीकरण में बदलाव, नाजुक और अप्रत्याशित भूविज्ञान, पहाड़ी ढलानों के तीव्र ढाल, भूस्खलन और वर्षा आदि को जिम्मेदार ठहराया। प्रबंधन ने अपने आगे के जवाब (जनवरी 2025) में कहा कि वह परियोजना में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बाद बदलाव की संभावना को कम करने के लिए परियोजना डिजाइन और ड्राइंग के अनुमोदन के लिए कठोर प्रक्रिया स्थापित करेगा।

मंत्रालय ने संपर्क सड़क के निर्माण में विलंब के लिए (जनवरी 2025) नाजुक भूविज्ञान, खड़ी ढलान, लगातार भूस्खलन, भारी वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं को भी जिम्मेदार ठहराया। जबकि परियोजना डिजाइन में परिवर्तन के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन के बाद, यह कहा गया है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अनुबंध प्रबंधन में किए गए परिवर्तनों के साथ, यह परियोजना में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में बदलाव की न्यूनतम संभावना की उम्मीद करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बेहतर योजना और स्थल मूल्यांकन, कठिन पहाड़ी इलाकों और अप्रत्याशित भूविज्ञान को उचित महत्त्व देने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और परियोजना निष्पादन के प्रभावी पर्यवेक्षण के साथ परियोजना के डिजाइन में विस्तृत परिवर्तन, संपर्क सड़कों के निर्माण में देरी और पेनस्टॉक में रिसाव से बचा जा सकता था।

3.2.2.2 पत्थर की खदान की आवश्यकता

1982 में सीडब्लूसी की तैयार की गई डीपीआर में परियोजना स्थल के पास अच्छी गुणवत्ता वाले बारीक और मोटे एग्रीगेट्स की काफी उपलब्धता का अनुमान लगाया गया था। इसके आधार पर, कंपनी ने अपने वन निकासी आवेदन (अगस्त 2000) में एक

निर्दिष्ट पत्थर की खदान की आवश्यकता को सम्मिलित नहीं किया। सिविल कार्य (तीन पैकेज I से III में विभाजित) निर्दिष्ट खदान प्रावधानों के बिना दिए गए (दिसंबर 2004)। परियोजना स्थल पर एग्रीगेट्स की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए, करार में स्थल के 3 किमी के अंदर या 3 किमी से आगे जियोलॉजिकल ओवरब्रेक की लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन और अनलोडिंग का इंतज़ाम सम्मिलित था, जिसकी लागत सिर्फ़ ₹1.19 करोड़ थी।

हालाँकि, सुरंग की खुदाई के दौरान, निकाली गई चट्टानों की गुणवत्ता और मात्रा परियोजना की सिविल निर्माण आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त पाई गई। नतीजतन, कंपनी ने खदान के लिए 42 हेक्टेयर अतिरिक्त जंगल की ज़मीन की पहचान की। राज्य सरकार ने सितंबर 2010 में अतिरिक्त वन भूमि को अधिसूचित किया; हालाँकि, राज्य सरकार ने (जून 2011) अतिरिक्त वन भूमि में खदान संचालन को रोक दिया क्योंकि खदान संचालन अनुमोदित भूमि उपयोग पैटर्न के अनुसार नहीं था। कंपनी ने (अगस्त 2012) ठेकेदारों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य अनुमोदित खदानों से सामग्री प्राप्त करने का निर्देश दिया, जिसके लिए परिवहन लागत कंपनी द्वारा वहन की जानी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹426.01 करोड़ का अतिरिक्त प्रमुख व्यय करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने परियोजना स्थल के पास आवश्यक एग्रीगेट की अनुपलब्धता का आकलन नहीं किया, यानी 3 किलोमीटर के भीतर, जिसके कारण मूल वन निकासी प्रस्ताव में एक निर्दिष्ट पत्थर की खदान की आवश्यकता को सम्मिलित नहीं किया गया और मूल रूप से सीसीईए की मंजूरी के लिए रखे गए प्रस्ताव में दूर की खदानों से भूवैज्ञानिक ओवरब्रेक की लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग पर खर्च का अनुमान नहीं लगाया गया।

प्रबंधन ने (मार्च 2024) कहा कि परियोजना स्थल के पास एग्रीगेट की अनुपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित वन मंजूरी न दिए जाने के कारण, एग्रीगेट की परिवहन लागत कंपनी द्वारा वहन की जानी थी। प्रबंधन ने अपने आगे के उत्तर (जनवरी 2025) में कहा कि यह अपने अनुबंध प्रबंधन और पर्यवेक्षण तंत्र को मजबूत करेगा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के लिए विशिष्ट जवाब (जनवरी 2025) नहीं दिया; हालाँकि, इसमें कहा गया है कि प्रबंधन की प्रभावी निगरानी और जवाबदेही की अनुपस्थिति के कारण लागत अधिक हो गई।

मंत्रालय/प्रबंधन की प्रतिक्रिया को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि एग्रीगेट की उपलब्धता के अनुचित मूल्यांकन और परिणामस्वरूप मूल वन मंजूरी प्रस्ताव में पत्थर की खदान को सम्मिलित न करने के कारण, ₹426.01 करोड़ का अतिरिक्त लीड व्यय हुआ।

3.2.2.3 पेनस्टॉक्स का निर्माण और चालू करना

हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों (परियोजना के पैकेज IV) में पेनस्टॉक्स के लिए स्टील लाइनरों के डिजाइन, गठन, निर्माण और चालू करने के काम सम्मिलित थे। यह काम फरवरी 2018 में पूरा किया गया था और मार्च 2018 में इसका परीक्षण किया गया था। परीक्षण के दौरान, पेनस्टॉक्स में रिसाव देखा गया, जिससे आवश्यक मरम्मत/बहाली कार्य किए गए, जिसके कारण परियोजना को फरवरी 2021 में पूरी तरह से चालू किया गया, यानी तीन साल के विलंब के साथ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- पैकेज IV ठेकेदार द्वारा काम पर रखी गई एजेंसी (मार्च 2018) ने दृश्य निरीक्षण के आधार पर दोनों पेनस्टॉक्स में 1,260 वेल्ड जोड़ों में से 631 में दोषों की पहचान की। हालांकि, कंपनी फरवरी 2018 में पूरा किए गए पेनस्टॉक निर्माण के पर्यवेक्षण के दौरान वेल्ड जोड़ों में किसी भी दोष की सूचना नहीं दे सकी।
- पेनस्टॉक्स में रिसाव के बाद, कंपनी ने (जून 2018) निष्पादन एजेंसी द्वारा किए गए सभी गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की जांच, सलाह और प्रमाणित करने के लिए एक तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसी नियुक्त की और कंपनी द्वारा स्वीकृति के लिए प्रत्येक काम को प्रमाणित भी करती, एक ऐसा कदम जो पेनस्टॉक्स के निर्माण के दौरान उठाया जाना चाहिए था। इसने फिर से कंपनी द्वारा कमजोर पर्यवेक्षण को उजागर किया।
- पेनस्टॉक्स की मरम्मत पर खर्च किए गए ₹40.32 करोड़ की कुल लागत में से ₹20.16 करोड़ की राशि कंपनी द्वारा वहन की गई थी।

- सभी चार इकाइयों (मार्च 2018 के लिए नियोजित) के चालू होने में देरी के परिणामस्वरूप 8,658 मिलियन इकाइयों का उत्पादन करने का अवसर खो गया, जिसका मूल्य ₹3,463.03 करोड़²² था।
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मार्च 2018 में इसके तय कमीशनिंग के बाद, परियोजना से बिजली निकालने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई। हालांकि, परियोजना के पूर्ण रूप से चालू होने में तीन साल के विलंब के कारण, कंपनी को ₹124.43 करोड़ का निष्फल ट्रांसमिशन शुल्क वहन करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2024) कि पेनस्टॉक्स का रिसाव अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक कारणों और अवक्रमण के कारण था जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। प्रबंधन ने अपने आगे के जवाब (जनवरी 2025) में कहा कि वह अनुबंध प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदारों को उन्हें दिए गए काम के समय पर और लागत प्रभावी निष्पादन के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के लिए विशिष्ट उत्तर (जनवरी 2025) नहीं दिया; हालांकि, इसने अनुबंध प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मंत्रालय/प्रबंधन की प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कंपनी द्वारा पेनस्टॉक्स के निर्माण के अप्रभावी पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप 8,658 मिलियन यूनिट बिजली बनाने का मौका गंवाना पड़ा, जिसकी कीमत ₹3,463.03 करोड़ थी। इसके अलावा, मरम्मत कार्य पर ₹20.16 करोड़ का का टालने योग्य खर्च और ₹124.43 करोड़ का बेकार ट्रांसमिशन शुल्क भी हुआ।

3.2.2.4 प्लंज पूल

हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना में फ्री-फॉलिंग पानी की ऊर्जा को खत्म करने और डैम को बचाने के लिए प्लंज पूल की ज़रूरत होती है। सीडब्लूसी ने, इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईआरआई), रुड़की के अध्ययन के आधार पर, बिचोम डैम पर एक प्लंज पूल बनाने की अनुशंसा की (अक्टूबर 2008)। हालांकि, कंपनी ने परियोजना के अंतिम डिजाइन में प्लंज पूल के निर्माण पर विचार नहीं किया।

²² अप्रैल 2018 से जनवरी 2021 तक की अवधि के लिए, चार इकाइयों (यूनिट I मई 2020 तक, यूनिट II जून 2020 तक, यूनिट III दिसंबर 2020 तक और यूनिट IV जनवरी 2021 तक) की गैर-संचालन अवधि के अनुसार परियोजना की प्रस्तावित बिजली उत्पादन पर गणना की गई है, @ ₹4 प्रति यूनिट जो कंपनी और लाभार्थियों द्वारा परस्पर सहमत अनंतिम टैरिफ है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीडब्ल्यूसी और आईआरआई, रुड़की की अनुशंसा के बावजूद प्लंज पूल का निर्माण न करने का कंपनी का निर्णय गलत साबित हुआ क्योंकि जून 2020 में परियोजना की इकाई 1 के चालू होने के तुरंत बाद बांध के तटों पर ढलानों ने तनाव के संकेत दिखाए। दाहिने किनारे पर 80 मीटर से अधिक लंबी ढलान वाली सड़क का एक हिस्सा ढह गया। इसके अलावा, बाएं किनारे की ढलानें समय-समय पर अलग-अलग हद तक ढह गईं, जिससे बाएं किनारे के रास्ते की लगभग 50 प्रतिशत लंबाई में बनावट को नुकसान हुआ। सभी ढलानों पर, डैम के टो एरिया से लगभग 100 मी की दूरी तक, दोनों किनारों पर अलग-अलग हद तक तनाव के संकेत दिखे। नदी के तल में काफी कटाव देखा गया, जो मूल स्तर से 4 से 12 मीटर नीचे था (जून 2022)। इसके बाद, कंपनी ने (अगस्त 2022) ₹28.03 करोड़ की लागत से एक प्लंज पूल बनाने का काम दिया और इसे सितंबर 2025 में पूरा किया जाना था।

चित्र 3.2: बिचोम डैम पर प्लंज पूल न बनने से हुआ नुकसान



प्रबंधन ने कहा (मार्च 2024) कि डिजाइन सलाहकार की सलाह के आधार पर प्लंज पूल प्रावधान को हटा दिया गया था। प्रबंधन ने अपने आगे के जवाब (जनवरी 2025) में कहा कि वह परियोजना के डिजाइन और चित्रों के अनुमोदन के लिए एक कठोर प्रक्रिया स्थापित करेगा ताकि सभी संशोधनों को उचित और प्रलेखित किया जा सके।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2025) में कहा कि प्लंज पूल के निर्माण के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय में विलंब के परिणामस्वरूप अनावश्यक समय और लागत में वृद्धि हुई।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीडब्लूसी की अनुशंसा को खारिज करने वाले डिजाइन परामर्शदाता की सलाह में वैधता का अभाव था और कंपनी द्वारा इसकी समीक्षा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए थी, क्योंकि कंपनी को प्लंज पूल के निर्माण का निर्णय विलंब से लेना पड़ा, जबकि बांध के पास नदी के दोनों किनारों पर ढलानों को पहले ही नुकसान पहुंच चुका था और नदी तल का कटाव हो चुका था।

3.2.3 निष्कर्ष

जिस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 1982 में तैयार की गई थी, वह लगभग चालीस साल बाद फरवरी 2021 में चालू हो सकी। इस विलंब के प्रमुख कारण राज्य सरकार द्वारा कंपनी को परियोजना सौंपने में विलंब, सीसीईए के अनुमोदन के बाद परियोजना डिजाइन में परिवर्तन, पहुंच मार्गों के निर्माण में विलंब पेनस्टॉक्स में रिसाव थे। उपरोक्त में कार्यस्थल का मूल्यांकन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में कमियों तथा परियोजना निष्पादन पर्यवेक्षण में कमजोरी को उजागर किया गया है। उपरोक्त के कारण, परियोजना की लागत दिसंबर 2004 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित होने पर ₹2,496.90 करोड़ से बढ़कर इसके पूरा होने पर ₹8,404.47 करोड़ हो गई।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमानों पर भरोसा करते हुए, कंपनी ने सिविल अनुबंधों में दूरस्थ अधिसूचित खदानों से बजरी की लदान, परिवहन और उतराई का प्रावधान सम्मिलित नहीं किया, तथापि, परियोजना स्थल की खुदाई के दौरान बजरी के ढेर अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा के नहीं पाए गए। इसलिए, कंपनी को दूरस्थ खदानों से सामग्री प्राप्त करने के लिए ₹426.01 करोड़ की अतिरिक्त भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ी, जबकि सिविल अनुबंधों में ₹1.19 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

पेनस्टॉक्स निर्माण का पर्यवेक्षण कमजोर था, जिसके कारण मार्च 2018 में जैसे ही इसका परीक्षण किया गया, वेल्ड जोड़ों में खराबी के कारण रिसाव देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के परिचालन में लगभग तीन साल का विलंब हुआ। इसके अलावा, कंपनी को पेनस्टॉक्स की मरम्मत पर ₹20.16 करोड़ की परिहार्य लागत वहन करने के कारण अप्रैल 2018 से जनवरी 2021 के दौरान ₹3,463.03 करोड़ मूल्य की 8,658 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अवसर खोना पड़ा। इसके अलावा, कंपनी को

तीन वर्ष की विलंब अवधि के लिए ₹124.43 करोड़ का निष्फल ट्रांसमिशन शुल्क भी वहन करना पड़ा।

कंपनी ने परियोजना के डिजाइन परामर्शदाता की सलाह पर सीडब्ल्यूसी की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया और बिचोम बांध पर प्लंज पूल का निर्माण न करने का निर्णय लिया (अगस्त 2009), जो गलत साबित हुआ क्योंकि परियोजना के परिचालित होते ही बांध के पास नदी के दोनों किनारों पर ढलानों को नुकसान और नदी तल का कटाव देखा गया (जून 2020 से जून 2022 तक)।

अध्याय IV: भारी उद्योग मंत्रालय

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड

4.1 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पूर्व अग्रिम राशि की वसूली न होने के कारण ₹6.58 करोड़ की अपूरणीय हानि

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ (आईएलपी) ने अपने 363 कर्मचारियों को वेतन संशोधन लाभों के एवज में वसूली हेतु अग्रिम राशि के रूप में ₹7.58 करोड़ दिए थे। आईएलपी इन कर्मचारियों से उनकी सेवानिवृत्ति पर ₹7.58 करोड़ में से केवल ₹1.00 करोड़ ही वसूल सका। इन कर्मचारियों से अग्रिम राशि की वसूली में आईएलपी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.58 करोड़ की अपूरणीय हानि हुई।

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना 1964 में कोर औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बिजली, इस्पात, तेल रिफाइनरी आदि की नियंत्रण वाल्व और इंस्ट्रुमेंटेशन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। कंपनी का निगमित कार्यालय कोटा¹, राजस्थान में स्थित है और इसकी विनिर्माण इकाइयां कोटा और पलक्कड़, केरल में हैं। पलक्कड़ इकाई (आईएलपी) प्रक्रिया उद्योगों के लिए नियंत्रण वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, पावर सिलेंडर, एक्चुएटर आदि का निर्माण कर रही है।

कंपनी की पलक्कड़ इकाई के कर्मचारियों के वेतन और लाभों को 1 जनवरी 1992 से संशोधित करने के लिए एक निपटान समझौते (एमओएस)² पर जून 1999 में कंपनी और कर्मचारी/श्रमिक संघ के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसी प्रकार, 1997 से देय वेतन संशोधन के लिए एमओएस पर अगस्त 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे भविष्यलक्षी रूप से लागू किया गया, इसलिए कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान

¹ आईएल कोटा एक रुग्ण इकाई थी और इसे 1994 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेज दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोटा इकाई को बंद करने की मंजूरी दी (नवंबर 2016) और बाद में, कोटा इकाई को 18 अप्रैल 2017 को बंद कर दिया गया।

² वेतन संशोधन लाभों के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी संघ की मांग के आधार पर, संघ और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ और उस पर हस्ताक्षर किए गए।

नहीं किया गया। इसके अलावा, 2007 के लिए वेतन संशोधन अक्टूबर 2022 में लागू किया गया जिसे अप्रैल 2021 से प्रभावी होना था।

इस बीच, कंपनी ने अपने 363 कर्मचारियों को (1992 से 2015 तक) ₹7.58 करोड़ अग्रिम के रूप में भुगतान किया, जिसे वेतन संशोधन, बोनस/प्रोत्साहन या भविष्य में कर्मचारियों को देय किसी एकमुश्त राशि के बकाया से वसूल किया जाना था। अग्रिम देने के लिए जारी आदेशों में भविष्य में देय एकमुश्त राशि शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। भुगतान किए गए ₹7.58 करोड़ अग्रिमों में से, ₹1.00 करोड़³ की राशि 1 अप्रैल 2021 के बाद 40 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान किए गए बकाये से वसूल की गई जो अप्रैल 2021 से वेतन संशोधन 2007 के कार्यान्वयन के कारण है, जिससे 337 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वसूली के लिए ₹6.58 करोड़ (अनुलग्नक X) की राशि लंबित रह गई।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यह ज्ञात होने के बाद भी कि कंपनी को प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो (बीआईएफआर) द्वारा एक रूग्ण कंपनी घोषित किया गया था (जनवरी 1994), कंपनी ने वेतन बकाया या किसी भी भविष्य की एकमुश्त राशि की वसूली के लिए अग्रिम देना जारी रखा। कंपनी ने भविष्य में देय राशि/वेतन संशोधन के बकाया के संचय से वसूली न होने के जोखिम को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि 1997 का वेतन संशोधन भविष्यलक्षी रूप से 2009 में लागू किया गया था और कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होते रहने के कारण बकाया अग्रिम राशि की वसूली नहीं की जा सकी। इसके अलावा, कंपनी ने यह शर्त सम्मिलित नहीं की कि वह कर्मचारियों के वेतन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से अग्रिम राशि वसूल करेगी। इसके परिणामस्वरूप अग्रिम राशि की वसूली न होने के कारण ₹6.58 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि कोई वसूली संभव नहीं है क्योंकि 31.03.2021 तक सेवानिवृत्त होने वालों से सेवानिवृत्ति से पहले कोई अग्रिम देय राशि अर्जित नहीं हुई है और 01.04.2021 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए,

³ 1 अप्रैल 2021 के बाद सेवानिवृत्त हुए 40 कर्मचारियों में से 26 कर्मचारियों से ₹0.70 करोड़ की सम्पूर्ण अग्रिम राशि की वसूली की गई तथा 14 कर्मचारियों से ₹0.30 करोड़ की आंशिक वसूली की गई।

बकाया अग्रिम राशि 2007 के वेतन संशोधन बकाया से वसूली की गई थी। इसके अलावा, कंपनी ने बताया कि अग्रिम राशि की वसूली के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को बरकरार रखने के कारण, 79 कर्मचारी माननीय केरल उच्च न्यायालय गए और निर्णय उनके पक्ष में प्राप्त हुए। कंपनी ने फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ में अपील दायर की, जिस पर फैसला (फरवरी 2020) कर्मचारियों के पक्ष में आया। इसलिए उन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों से अग्रिम राशि की वसूली नहीं की गई, जिन्हें वेतन संशोधन बकाया का भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें अग्रिम राशि दी गई थी।

मंत्रालय ने प्रबंधन के इस दृष्टिकोण (जुलाई 2024) का समर्थन करते हुए कहा कि प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण कर्मचारियों को वेतन संशोधन 1992 का कोई बकाया नहीं दिया गया क्योंकि कंपनी को पहले ही औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रूग्ण कंपनी घोषित किया जा चुका था और इस बात पर भी सहमति व्यक्त की थी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से ₹6.58 करोड़ के अग्रिम की वसूली की कोई संभावना नहीं थी।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कंपनी को 1994 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित किए जाने और बकाया भुगतान न किए जाने के ऐतिहासिक साक्ष्य के बावजूद, भविष्य में देय वेतन संशोधन/बोनस/एकमुश्त राशि के बकाया से वसूली की शर्त के साथ अग्रिम भुगतान किया गया था। यह इस ओर संकेत करता है कि कंपनी ने अपनी वसूली न हो पाने के जोखिम को नजरअंदाज करते हुए अग्रिम भुगतान किया। प्रबंधन के उत्तर से यह भी पुष्टि हुई कि जिन कर्मचारियों को वेतन संशोधन बकाया का भुगतान नहीं किया गया था, उनसे अग्रिम राशि की कोई वसूली नहीं की गई।

इस प्रकार, अग्रिम राशि की वसूली के लिए अनुकूल परिस्थितियों को सम्मिलित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.58 करोड़ की अपूरणीय हानि हुई।

अध्याय V: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

5.1 कच्चा माल सहायता योजना

5.1.1 परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक मिनी रत्न उद्यम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड की स्थापना 4 फरवरी 1955 को भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितों की सहायता, परामर्श, सहायता, वित्तपोषण, संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से की गई थी। एनएसआईसी की प्रमुख गतिविधियों में से एक एमएसएमई को लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा आदि कच्चे माल की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाना है। वर्ष 2003-04 के दौरान, एनएसआईसी ने कच्चे माल की खरीद के लिए एमएसएमई को ऋण सुविधा शुरू की। 31 मार्च 2022 तक, पंजीकृत एमएसएमई (उद्यम पोर्टल पर) की कुल संख्या 80.08 लाख थी।

5.1.2 कच्चा माल सहायता योजना

आवश्यक कच्चे माल एवं अन्य आगतों की खरीद में एमएसएमई की सहायता के लिए, एनएसआईसी कच्चा माल सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(क) कच्चे माल का वितरण

इस व्यवस्था के अंतर्गत, एनएसआईसी विभिन्न औद्योगिक कच्चे माल के निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है। एनएसआईसी एमएसएमई को अग्रिम भुगतान के साथ-साथ क्रेडिट आधार पर निर्माताओं की कीमत पर कच्चे माल की आपूर्ति करता है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एमएसएमई को विभिन्न कच्चे माल की आपूर्ति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 5.1: एनएसआईसी द्वारा एमएसएमई को आपूर्ति की गई कच्ची सामग्री

(₹ करोड़)

सामग्री	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
लोहा और इस्पात	988.40	843.64	629.61	647.89	1,081.14
एल्युमीनियम	743.49	839.14	530.48	847.37	981.14
अन्य सामग्री	102.21	107.79	75.40	47.91	45.85
योग	1,834.10	1,790.57	1,235.49	1,543.17	2,108.13

(ख) कच्चे माल की सहायता

इस घटक के अंतर्गत, एनएसआईसी एमएसएमई को बैंक गारंटी की सुरक्षा के अंतर्गत अल्पावधि¹ ऋण पर कच्चा माल और अन्य इनपुट खरीदने के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। एनएसआईसी कर चालान/प्रोफार्मा चालान और सामग्री रसीद नोट की प्राप्ति के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान करता है। यह सुविधा उन थोक निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं, जिनके साथ एनएसआईसी का समझौता ज्ञापन है, तथा गैर-थोक निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं, जिनके साथ एनएसआईसी का कोई समझौता ज्ञापन नहीं है, दोनों को आच्छादित करती है। एनएसआईसी ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान एमएसएमई को ₹27,344.22 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: 2017-18 से 2021-22 के दौरान एमएसएमई को प्रदान की गई सहायता

(₹ करोड़)

वर्ष	आरएमए (थोक आपूर्ति) के अंतर्गत ऋण सहायता	आरएमए (गैर-थोक आपूर्ति) के अंतर्गत ऋण सहायता	वर्ष के दौरान प्रदान किया गया कुल ऋण	वर्ष के दौरान सेवा प्रदान की गई एमएसएमई की संख्या
2017-18	612.45	5,157.24	5,769.69	2,878
2018-19	637.84	5,757.87	6,395.71	3,232
2019-20	382.63	4,678.65	5,061.28	2,843
2020-21	479.67	3,803.12	4,282.79	2,700
2021-22	835.50	4,999.27	5,834.77	2,597
योग	2,948.09	24,396.15	27,344.24	

¹ सामान्य क्रेडिट अवधि 14 जून 2019 तक 90 दिन और 15 जून 2019 से 180 दिन थी।

(ग) गोदाम परिचालन

इस घटक के अंतर्गत, एनएसआईसी कच्चे माल के थोक निर्माताओं के लिए सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है तथा उनके गोदाम परिचालन का प्रबंधन करता है। इस सेवा के लिए, एनएसआईसी को थोक निर्माताओं से संभाली गई सामग्री की मात्रा के लिए सेवा/हैंडलिंग शुल्क मिलता है। एनएसआईसी ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान 24,61,109 मीट्रिक टन विभिन्न सामग्रियों का परिचालन किया और गोदाम परिचालन से ₹76.83 करोड़ की राशि अर्जित की।

5.1.3 एनएसआईसी का परिचालन प्रदर्शन और योजना से अर्जित राजस्व

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एनएसआईसी का परिचालन प्रदर्शन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3: एनएसआईसी का परिचालन प्रदर्शन

(₹ करोड़)

सामग्री	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
परिचालन ² से निवल राजस्व	488.42	483.06	467.18	427.18	420.45
अन्य आय	56.68	57.94	105.17	80.11	68.51
कुल व्यय	394.22	477.58	440.03	367.61	343.54
असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ	150.88	63.42	132.32	139.68	145.42
कर के बाद लाभ	99.41	20.62	99.19	101.59	108.23

कच्चा माल सहायता योजना एनएसआईसी की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधि है और यह कंपनी के राजस्व में 90 प्रतिशत तक का योगदान दे रही है। इस योजना के अंतर्गत, एनएसआईसी चार तरीकों से राजस्व अर्जित करता है (क) ऋण सहायता से ब्याज, (ख) ऋण सुविधा और थोक आपूर्ति के प्रति प्रसंस्करण शुल्क, (ग) प्रतिधारित

² परिचालन से शुद्ध राजस्व = परिचालन से कुल राजस्व (उत्पादों और सेवाओं की बिक्री, क्रेडिट सहायता से ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, कमीशन और अन्य परिचालन आय सहित) से उत्पादों की खरीद और इन्वेंट्री में परिवर्तन पर व्यय का अंतर ।

छूट, और (घ) गोदाम परिचालन से सेवा शुल्क। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान योजना के अंतर्गत अर्जित राजस्व वर्षवार नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.4: कच्चा माल सहायता योजना से एनएसआईसी द्वारा अर्जित राजस्व

(₹ करोड़)

सामग्री	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वित्तपोषण से ब्याज	357.88	335.57	266.51	271.46	260.35
प्रसंस्करण शुल्क	32.84	34.39	29.59	27.53	29.05
प्रतिधारित छूट	11.56	14.54	6.54	10.75	9.60
गोदाम परिचालन	15.71	14.37	15.96	15.25	15.54
योग	417.99	398.87	318.60	324.99	314.54

5.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

है यह आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा की गई कि क्या एमएसएमई को किफायती ऋण सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त हुआ तथा क्या योजना के अंतर्गत पात्र अधिकतम एमएसएमई का आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए एनएसआईसी द्वारा पर्याप्त प्रयास किए गए हैं।

5.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए एनएसआईसी की कच्चा माल सहायता योजना की लेखापरीक्षा जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की गई। लेखापरीक्षा में एनएसआईसी के निगमित कार्यालय और चयनित शाखाओं को सम्मिलित किया गया। शाखाओं का चयन योजना के अंतर्गत सेवा प्रदान की गई एमएसएमई और प्रदान की गई सहायता के संबंध में स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर किया गया था। 4,316 एमएसएमई को सेवा प्रदान करने वाली कुल 52 शाखाओं³ में से, 1,404 एमएसएमई को

³ 31.03.2022 तक

सेवा प्रदान करने वाली 14 शाखाओं⁴ (32 प्रतिशत) को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। 96 लाभार्थी एमएसएमई से फीडबैक भी प्राप्त किया गया।

5.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.6.1 आरएमए योजना का निष्पादन

एनएसआईसी एमएसएमई को बैंक गारंटी की सुरक्षा के अंतर्गत अल्पावधि⁵ ऋण पर कच्चा माल और अन्य इनपुट खरीदने के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। किसी भी समय एनएसआईसी द्वारा प्राप्त ऐसी बैंक गारंटियों की कुल राशि को बैंक गारंटी पोर्टफोलियो कहा जाता है।

मई 2017 में आयोजित एनएसआईसी के निदेशक मंडल की 512वीं बैठक के दौरान, कच्चा माल सहायता योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया और योजना के अंतर्गत ऋण सहायता के लिए एक व्यवसाय योजना को मंजूरी दी गई। व्यवसाय योजना में, 2017-18 से 2021-22 तक योजना के अंतर्गत बैंक गारंटी (बीजी) पोर्टफोलियो को प्रत्येक वर्ष ₹300 करोड़ तक बढ़ाने और ऋण सहायता को प्रत्येक वर्ष ₹500 करोड़ तक बढ़ाने का अनुमान लगाया गया था।


अभिलेखों की जाँच से पता चला कि बीजी पोर्टफोलियो में निवल वृद्धि के बजाय शुद्ध गिरावट आई थी। इसके अलावा, एनएसआईसी द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता में भी गिरावट का रुझान देखा गया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा परिकल्पित लक्ष्य और उसके सापेक्ष उपलब्धियां नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई हैं:

⁴ बालानगर, बेंगलोर, बेलगाम, कटक/भुवनेश्वर, देहरादून, फ़रीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, लुधियाना, नोएडा, नैनी, पटना, पुणे और तकनीकी केंद्र, ओखला

⁵ सामान्य क्रेडिट अवधि 14 जून 2019 तक 90 दिन और 15 जून 2019 से 180 दिन थी।

चार्ट 5.1: ऋण सहायता और बैंक गारंटी (बीजी) का लक्ष्य और उपलब्धि

(₹ करोड़)



(स्रोत: बोर्ड द्वारा दिए गए लक्ष्य, वित्तीय विवरण और आरएमए पैकेज की प्रतिवेदन)

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि एनएसआईसी 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। प्रत्याशित वृद्धि के बजाय, बीजी पोर्टफोलियो उपलब्धि और योजना के अंतर्गत प्रदान की गई ऋण सहायता दोनों में गिरावट की प्रवृत्ति थी।

बीजी पोर्टफोलियो में गिरावट के कारणों के विश्लेषण से पता चला कि योजना के अंतर्गत ब्याज दरें एमएसएमई के लिए हतोत्साहित करने वाली थीं। एनएसआईसी अपनी निजी निधि के अलावा उधार के माध्यम से इस योजना का वित्तपोषण कर रहा था और एनएसआईसी की उधारी की औसत लागत अप्रैल 2018 में 7.97 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटकर मार्च 2022 में 4.00 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई थी। हालाँकि, इसी अवधि के दौरान, एमएसएमई को एनएसआईसी की ऋण दरें केवल 11 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष (लघु और मध्यम उद्यमों के लिए) रह गईं। परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान ब्याज दर में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जिसके कारण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या अप्रैल 2018 में 2,878 से घटकर मार्च 2022 में 2,221 हो गई।

इसके अलावा, योजना के लाभार्थियों के बीच किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि कई एमएसएमई ने योजना के अंतर्गत ब्याज दरों में कमी का सुझाव दिया था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2023/मार्च 2024) में कहा कि:

- यह योजना एमएसएमई इकाइयों को सस्ती धनराशि और सस्ती दरों पर कच्चे माल की समय पर उपलब्धता प्रदान करके उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है। हालाँकि, जोड़े गए एमएसएमई और बैंक गारंटी की संख्या कई कारकों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष भिन्न हो सकती है। एनएसआईसी के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने में बैंकों की अनिच्छा ने भी लाभार्थियों की संख्या में कमी और बैंक गारंटी में निवल वृद्धि में भूमिका निभाई है।
- परिचालन लागत और अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए ब्याज दरों में कमी के बाद भी ब्याज दर का प्रसार उच्च बना रहा।
- जिन एमएसएमई इकाइयों को बाहर से सस्ती दर पर कोई निधि नहीं मिल रही है, वे वित्तपोषण के लिए एनएसआईसी से संपर्क कर रही हैं। इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत उच्च ब्याज दरों ने एमएसएमई को हतोत्साहित नहीं किया है, बल्कि उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद की है।
- आरएमए योजना के अंतर्गत उच्च ब्याज दरों की समीक्षा की गई है एवं वाणिज्यिक पत्रों, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इक्विटी निवेश और एमएसएमई मंत्रालय से ब्याज सहायता/अनुदान जैसे विकल्पों की खोज की गई है।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या घट रही थी। इसके अलावा, एनएसआईसी द्वारा सस्ती निधि की पेशकश का दावा परिचालन लागत के कारण उच्च ब्याज दरों के अपने ही तर्क से विरोधाभासी है। यह असंगतता एमएसएमई ऋण सुविधा में एनएसआईसी की इच्छित भूमिका पर स्पष्ट नीतिगत रुख और योजना के अंतर्गत ब्याज दरों के पुनर्मूल्यांकन और युक्तिकरण की आवश्यकता को उजागर करती है।

अनुशंसा संख्या 27: एनएसआईसी एमएसएमई की सामर्थ्य बढ़ाने और योजना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए योजना के अंतर्गत ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार करे।

5.6.2 योजना के अंतर्गत एमएसएमई का आच्छादन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत एमएसएमई का आच्छादन उद्यम पोर्टल पर कुल पंजीकृत एमएसएमई (31 मार्च

2022 तक 80.08 लाख) का मात्र 0.05 प्रतिशत (4,316 एमएसएमई⁶) था। इसके अलावा, जिन राज्यों में एमएसएमई केंद्रित हैं, वहां चयनित 14 शाखाओं में योजना का आच्छादन 0.006 प्रतिशत (महाराष्ट्र) और 0.097 प्रतिशत (तेलंगाना) के मध्य था (अनुलग्नक XI)।

उद्यम पोर्टल के आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चला कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई में से 95 प्रतिशत सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं। हालाँकि, आरएमए योजना के अंतर्गत सेवा प्रदान करने वाले 4,316 एमएसएमई में से केवल 20 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम थे और शेष 80 प्रतिशत लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यम थे। यह इस ओर संकेत करता है कि सूक्ष्म उद्यमों का एक महत्वपूर्ण बाजार अभी भी मौजूद है, जिसका एनएसआईसी द्वारा दोहन नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आरएमए के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की कोई प्रणाली नहीं थी। ऑनलाइन आवेदन मंच के अभाव में, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित एमएसएमई, जहां एनएसआईसी की कोई शाखा नहीं है, को योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों में स्थित शाखाओं से संपर्क करना पड़ता था। इससे दूर स्थित एमएसएमई के लिए आवेदन प्रक्रिया कठिन हो गई। फीडबैक में भी 96 लाभार्थियों में से 5 ने बेहतर संचार के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सुझाव दिया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (जून 2023/मार्च 2024) कि:

- यह योजना आवश्यकता-आधारित है एवं एमएसएमई की बीजी सीमा की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
- सूक्ष्म उद्यमों के पास अक्सर बैंकों से बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए वित्तीय विश्वसनीयता का अभाव होता है, जिसके कारण वे इस योजना में भाग लेने में असमर्थ हो जाते हैं।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि इस योजना ने कंपनी के राजस्व में 90 प्रतिशत तक का योगदान दिया है और अभी भी बहुत कम संख्या में एमएसएमई को आच्छादित किया गया है क्योंकि एनएसआईसी केवल उन एमएसएमई को समर्थन देता है जो बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। इस प्रकार, योजना के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए, इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता के संबंध में गंभीर चिंताएं उभरती हैं।

⁶ योजना के अंतर्गत सेवा प्रदान करने वाले एमएसएमई की कुल संख्या की गणना 01.04.2018 तक एमएसएमई की संख्या को जोड़कर तथा बाद के वर्षों में एमएसएमई की वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखकर की गई।

अनुशंसा संख्या 28: एनएसआईसी को कम आच्छादन के कारणों की पहचान करने और योजना का आच्छादन बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता है। एनएसआईसी एमएसएमई की ज़रूरतों का आकलन करने के लिए उनके बीच एक सर्वेक्षण कराने पर भी विचार करे।

5.6.3 बैंकों की ओर से ब्याज की वसूली में विलंब

एनएसआईसी की वित्तीय सेवा नियमावली के खंड 4.3 में यह प्रावधान है कि यदि कोई एमएसएमई जानबूझकर चूककर्ता पाया जाता है, तो उसकी बैंक गारंटी लागू की जानी चाहिए। बैंक को आह्वान दावा प्रस्तुत करने पर, एमएसएमई के कच्चा माल सहायता (आरएमए) खाते⁷ को फ्रीज किया जाना चाहिए। आरएमए खाते को फ्रीज करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फ्रीजिंग की तिथि के बाद बकाया राशि पर कोई और ब्याज न लिया जाए तथा बकाया राशि को बीजी मूल्य से अधिक होने से रोका जा सके। इसके अलावा, यदि बैंक, बीजी के प्रति भुगतान जारी करने में तीन कार्य दिवसों से अधिक विलंब करता है, तो विलंबित अवधि के लिए ब्याज का दावा बीजी जारीकर्ता बैंक से किया जाना चाहिए। जारीकर्ता बैंक में आह्वान पत्र की प्राप्ति की तिथि को बैंक की ओर से विलंबित अवधि के लिए बैंक से ब्याज का दावा करने के उद्देश्य से आह्वान की तिथि के रूप में आरएमए सॉफ्टवेयर में दर्शाई जानी चाहिए। वित्तीय सेवा नियमावली में प्रावधान है कि विलंब की स्थिति में शाखाओं को बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से ब्याज का दावा करना होगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएसएमई/बैंकों के लिए एनएसआईसी द्वारा निर्धारित बैंक गारंटी प्रारूप में ऐसा कोई खंड नहीं है जो बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक को विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य करता हो। इसलिए, एनएसआईसी यह सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि बैंक, बीजी समझौते में किसी बाध्यकारी खंड के अभाव में, एनएसआईसी को बीजी आय जारी करने में किसी भी विलंब के लिए ब्याज का भुगतान करेंगे।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान 812 एमएसएमई की बैंक गारंटी लागू की गई। हालाँकि, इनमें से केवल 306 एमएसएमई के आरएमए खाते बैंक गारंटी लागू होने से पहले फ्रीज किए गए थे, शेष 506 एमएसएमई को छोड़ दिया गया था, जो वित्तीय सेवा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अलावा, 306 एमएसएमई मामलों में, जहाँ आरएमए खाते बैंक गारंटी

⁷ यह योजना के अंतर्गत एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एनएसआईसी द्वारा स्वयं के साथ खोला गया क्रेडिट खाता है।

लागू होने की तिथि से पहले फ्रीज कर दिए गए थे, यह देखा गया कि 169 मामलों⁸ में फ्रीजिंग तिथि (ब्याज लेना बंद करने की तिथि) और बैंक गारंटी लागू होने की तिथि (जारीकर्ता बैंक में लागू होने वाले पत्र की प्राप्ति/स्वीकृति की तिथि) के बीच का अंतर 4 दिनों से लेकर 860 दिनों तक था, जिसमें औसतन 57 दिनों का विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, इन मामलों में, बैंकों ने विलम्ब से आह्वान की राशि जारी की, जिसके परिणामस्वरूप विलंबित अवधि के लिए ₹6.36 करोड़ के अनुमानित ब्याज की वसूली नहीं हो सकी। चूंकि एनएसआईसी और बीजी जारीकर्ता बैंकों के बीच बैंक गारंटी समझौते में इस आशय का कोई बाध्यकारी खंड नहीं था, इसलिए एनएसआईसी बैंकों से ब्याज वसूलने में असमर्थ था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (जून 2023/मार्च 2024) कि:

- बैंकों से बीजी आमंत्रण राशि प्राप्त करने में विलंब के कई कारण हैं, जिनमें प्रक्रियागत विलंब, इकाइयों द्वारा आंशिक भुगतान, तथा विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने में बैंकों की अनिच्छा सम्मिलित है। एनएसआईसी के पास लोकपाल के पास जाने का विकल्प है, लेकिन इसमें समय लगता है और परिणाम अक्सर अनुकूल नहीं होते।
- बीजी समझौते में बाध्यकारी धारा, जो बैंक को बीजी समझौते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य करती है, को सम्मिलित करने से एनएसआईसी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बैंक एमएसएमई को बीजी जारी करने से इनकार कर सकते हैं।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि बैंक गारंटी की राशि जारी करने में विलंब के लिए बैंकों से ब्याज की वसूली के लिए तंत्र का अभाव कंपनी के वित्तीय हितों के प्रतिकूल है।

⁸ शेष 137 मामलों में फ्रीजिंग तिथि और इनवोकेशन तिथि के बीच का अंतर 3 दिन से कम या उसके बराबर था।

अनुशंसा संख्या 29: एनएसआईसी एक ऐसी प्रणाली विकसित करे जिससे बीजी के आह्वान की तारीख से लेकर इसकी वसूली की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज वसूला जा सके।

5.7 निष्कर्ष

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) अपनी कच्चा माल सहायता (आरएमए) योजना के माध्यम से एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करता है। आरएमए योजना एनएसआईसी की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधि है, जो 2021-22 के दौरान इसके राजस्व में 90 प्रतिशत का योगदान देती है। एनएसआईसी इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई को केवल बैंक गारंटी (बीजी) के आधार पर ऋण सहायता प्रदान करता है। मई 2017 में, एनएसआईसी के निदेशक मंडल ने बीजी और बीजी पोर्टफोलियो के प्रति ऋण सहायता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। हालांकि, निवल वृद्धि के बजाय शुद्ध गिरावट दर्ज की गई। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले एमएसएमई की संख्या में भी कमी देखी गई जो 2018-19 की शुरुआत में 2,878 से घटकर 2021-22 के अंत तक 2,221 हो गई। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि बैंकों ने एनएसआईसी के पक्ष में नए या नवीनीकृत बैंक गारंटी देने से इनकार करना शुरू कर दिया है।

एनएसआईसी के लिए कम उधारी लागत (ब्याज) का लाभ एमएसएमई को प्रभावी रूप से नहीं दिया गया। एनएसआईसी की उधारी लागत 7.97 प्रतिशत प्रति वर्ष (अप्रैल 2018) से घटकर 4.00 प्रतिशत प्रति वर्ष (मार्च 2022) हो गई, जबकि योजना के अंतर्गत एनएसआईसी की उधार दरें केवल 11 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत रह गईं, जिसके कारण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या में कमी आई।

इस प्रकार, योजना की वर्तमान संरचना और क्रियान्वयन एमएसएमई की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करता है। एनएसआईसी को एमएसएमई की आवश्यकताओं के मद्देनजर योजना की समीक्षा और पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। एनएसआईसी को इस योजना को आकर्षक, सुगम और एमएसएमई के लिए प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

अध्याय VI: इस्पात मंत्रालय

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

6.1 सेल के चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र का प्रदर्शन

6.1.1 परिचय

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक इकाई, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र¹, सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों को सिलिको मैंगनीज और फेरो मैंगनीज के उत्पादन और आपूर्ति में लगी हुई है। फेरो- अलॉय का उपयोग इस्पात को वांछित गुण प्रदान करने के लिए डी-ऑक्सीडाइजर और मिश्र धातु तत्व के रूप में किया जाता है।

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र की उत्पादन क्षमता 1.9 लाख टन प्रतिवर्ष फेरो मैंगनीज या 1.3 लाख टन प्रतिवर्ष सिलिको मैंगनीज² उत्पादन करने की थी, जिसमें तीन सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस, एक मेगा वोल्ट एम्पीयर क्षमता की एक विद्युत आर्क फर्नेस और दो मैंगनीज अयस्क सिंटर संयंत्र सम्मिलित थे। इस इकाई का नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक करते हैं जो सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक को रिपोर्ट करते हैं।

चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र के कामकाज से संबंधित अभिलेखों की 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए जांच की गई और अभ्युक्तियों को 2023-24 तक अद्यतन किया गया।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि (i) क्या संयंत्र वार्षिक उत्पादन योजना, निर्धारित क्षमता और सेल इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता के अनुसार मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित किया गया था और संयंत्र की मरम्मत और

¹ पूर्व नाम महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड की स्थापना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1974 में की गई थी। इसे 1986 में सेल की सहायक कंपनी बनाया गया और बाद में जुलाई 2011 में यह सेल की इकाई बन गई।

² चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट में स्थापित दो 33 मेगा वोल्ट एम्पीयर सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस (एसएएफ-I और II) की निर्धारित क्षमता एक लाख टन प्रतिवर्ष फेरो मैंगनीज या 0.7 लाख टन प्रतिवर्ष सिलिको मैंगनीज उत्पादन है। अगस्त 2017 में एक 45 मेगा वोल्ट एम्पीयर एसएएफ-III चालू किया गया, जिसकी क्षमता 0.9 लाख टन प्रतिवर्ष फेरो मैंगनीज या 0.6 लाख टन प्रतिवर्ष सिलिको मैंगनीज उत्पादन है।

रखरखाव समय पर किया गया था, (ii) ईंधन और कच्चा माल वांछित मात्रा में उपलब्ध था, और (iii) संयंत्र द्वारा सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया था।

6.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.1.2.1 उत्पादन प्रदर्शन

क वार्षिक व्यावसायिक योजना (एबीपी) और स्थापित क्षमता से कम उत्पादन

चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र ने सेल इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता के अनुसार सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए वार्षिक व्यापार योजना तैयार की है। सेल संयंत्रों के लिए सिलिको मैंगनीज की वार्षिक आवश्यकता, चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र की स्थापित क्षमता और 2017-18 से 2023-24 के दौरान एबीपी के अनुसार उत्पादन का लक्ष्य नीचे तालिका 6.1 में दिया गया है:

तालिका 6.1: 2017-24 के दौरान चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र का उत्पादन प्रदर्शन

वर्ष	सेल संयंत्रों की कुल आवश्यकता (टन)	संयंत्र की स्थापित क्षमता (टन)	सेल संयंत्रों की कुल आवश्यकता के लिए स्थापित क्षमता (प्रतिशत में)	वार्षिक व्यवसाय योजना मात्रा (टन)	संयंत्र की स्थापित क्षमता के लिए एबीपी (प्रतिशत में)	वास्तविक उत्पादन (टन)	एबीपी के संबंध में उत्पादन का प्रतिशत
1	2	3	$4=(3/2*100)$	5	$6=(5/3*100)$	7	$8=(7/5*100)$
2017-18	206664	110000	53	88700	81	56970	64
2018-19	237320	130000	55	100800	78	74743	74
2019-20	256206	130000	51	114400	88	60829	53
2020-21	232692	130000	56	98000	75	79378	81
2021-22	268123	130000	48	105000	81	85518	81
2022-23	275000	130000	47	105000	81	71458	68
2023-24	258000	130000	50	110000	85	91180	83

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सेल को सिलिको मैंगनीज की आवश्यकता थी, लेकिन वार्षिक व्यवसाय योजना में इसके उत्पादन का लक्ष्य प्रबंधन द्वारा चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र की उत्पादन क्षमता से कम रखा गया था, जो 2020-21 में 75

प्रतिशत और 2019-20 में 88 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, सिलिको मैंगनीज का उत्पादन वार्षिक व्यापार योजना में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से कम था। 2019-20 की तुलना में 2020-24 के दौरान लक्ष्य कम था और यहां तक कि चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र द्वारा कम किए गए लक्ष्य भी हासिल नहीं किए गए।

2019-20 और 2022-23 के दौरान उत्पादन में गिरावट जून 2019 से दिसंबर 2020 तक सबमजर्ड आर्क फर्नेस-II के बंद होने और 2022-23 के दौरान कोक की कम आपूर्ति के कारण थी। सबमजर्ड आर्क फर्नेस -II की पूंजीगत मरम्मत 50 दिनों (अप्रैल 2018 से मई 2018) में किए जाने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन यह 18 महीने (जून 2019 से दिसंबर 2020) तक बंद रही। कोक की कमी के कारण जून 2019 से मई 2020 के दौरान, पूर्वनिर्मित कार्य के लिए जून 2020 और जुलाई 2020 के दौरान तथा पूंजीगत मरम्मत कार्य के लिए अगस्त 2020 से नवंबर 2020 के दौरान फर्नेस को बंद कर दिया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, उत्पादन में कमी के अन्य कारण थे, सबमजर्ड आर्क फर्नेस -III का निर्धारित क्षमता से कम पर चलना, मैंगनीज अयस्क की खराब गुणवत्ता तथा परिचालन के लिए सबमजर्ड आर्क फर्नेस की अपर्याप्त उपलब्धता। उत्पादन में कमी के कारण, योगदान में संभावित हानि हुई, जिसकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि 2017-22 के दौरान कम उत्पादन गैस सफाई संयंत्र परिचालन और टैपिंग क्षेत्र में अड़चन, सबमजर्ड आर्क फर्नेस -II की पूंजीगत मरम्मत, सहयोगी कंपनी से कोक की कम आपूर्ति आदि के कारण सबमजर्ड आर्क फर्नेस -III के चालू होने में देरी के कारण हुआ। 2019-20 में गिरावट को छोड़कर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति है।


प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है सबमजर्ड आर्क फर्नेस -III को अगस्त 2017 में चालू किया गया था, लेकिन डिजाइन की कमियों के कारण यह अपने इष्टतम स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर सका। सबमजर्ड आर्क फर्नेस -II की पूंजीगत मरम्मत 50 दिनों में पूरी करने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन यह 18 महीने तक बंद रही। कोक की कमी के कारण फर्नेस को 12 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, जो कि परिहार्य था। कोक की खरीद के लिए कोई विकल्प नहीं खोजा जा सका (2020-21 को छोड़कर, जिसमें कोक आरआईएनएल से खरीदा गया था)। इसके अलावा, उत्पादन हमेशा स्थापित क्षमता के साथ-साथ वार्षिक व्यापार योजना मात्रा से भी कम था।

अनुशंसा संख्या 30: कंपनी सिलिको मैंगनीज के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारणों को दूर करने के लिए प्रयास करे, जैसे कि सबमजर्ड आर्क फर्नेस -III की डिजाइन संबंधी कमियां, पूंजीगत मरम्मत का समय पर पूरा होना और भविष्य में सिलिको मैंगनीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोक की खरीद के विकल्प तलाशना।

ख डिजाइन की त्रुटियों के कारण सबमजर्ड आर्क फर्नेस -III से कम उत्पादन

चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र ने 45 मेगा वोल्ट एम्पीयर सबमजर्ड आर्क फर्नेस -III को चालू करने का कार्य एक संविदाकार को सौंपा गया (दिसम्बर 2011), जिसके पूरा होने की तिथि अक्टूबर 2013 निर्धारित की गई। हालाँकि, फर्नेस को अगस्त 2017 में चालू किया गया था। डिजाइन, अभियंत्रिकी और सिविल कार्यों और संयंत्र और उपकरणों के निर्माण में विलंब जैसे विभिन्न कारणों से परियोजना के चालू होने में 46.5 महीने का विलंब हुआ। प्रबंधन की विलंब विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, 31 महीने का विलंब सेल के कारण तथा 15.5 महीने का विलंब संविदाकार के कारण हुआ।

सबमजर्ड आर्क फर्नेस के परिचालन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसी जहरीली गैसों उत्पन्न होती हैं और ऐसी गैसों की सफाई (धूल) गैस सफाई संयंत्र में की जाती है, ताकि उनका उपयोग सिंटर संयंत्रों, चूना भट्टियों आदि में ईंधन के रूप में किया जा सके।



आकृति 6.1: सबमजर्ड आर्क फर्नेस III

जब सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस -III को परिचालित किया गया (अगस्त 2017), तो गैस सफाई संयंत्र³ में प्रबंधन द्वारा कई समस्याओं को नोट किया गया (दिसंबर 2017) जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- गैस सफाई संयंत्र में शुरू से ही डिजाइन संबंधी कमियों के कारण फर्नेस का भार नहीं बढ़ाया जा सका, जिसके कारण इसका परिचालन बहुत कम भार पर तथा निर्धारित क्षमता से कम पर किया गया।
- यद्यपि विक्रेता द्वारा समस्याओं का समाधान कर दिया गया (जनवरी 2018), टैंकों में घोल के संचय, प्रेरित ड्राफ्ट फैन इम्पेलर⁴ की सफाई और गैस सफाई संयंत्र के प्रेरित ड्राफ्ट फैन ग्रंथियों⁵ में रिसाव के रूप में प्रमुख मुद्दे देखे गए (फरवरी 2018) जिससे फर्नेस के परिचालन में बाधा उत्पन्न हुई।
- बाद में, सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III (अगस्त 2018) में दबाव बन गया, जिससे फर्नेस का परिचालन बाधित हो गया।
- सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III के 33 किलोवोल्ट इनडोर स्विचयार्ड में आग लगने की घटना (नवंबर)2018) घटित हुई, जिसके कारण फर्नेस का परिचालन बंद हो गया।

अभियांत्रिकी एवं तकनीकी केंद्र/सेल ने (मई 2019) कुछ उपाय सुझाए, जैसे किसी भी असुरक्षित स्थिति से बचने के लिए कंपन और तापमान मापदंडों की भौतिक रूप से निगरानी करना, आपातकालीन स्टैंक मूल्य से अधिक धूल जमाव से निपटने के लिए आपातकालीन स्टैंक वाल्व की आवधिक सफाई को सम्मिलित करना, स्लरी टैंक में गाद के जमाव से बचने के लिए स्लरी पंप को रीसर्कुलेशन लाइन के साथ चलाना, बाईपास का उपयोग करके या जीसीपी के बंद होने के दौरान जल प्रवाह मीटर की खराबी को ठीक करना और नीचे के थर्मोकपल में तापमान को कम करने के लिए चौतरफा स्प्रे शुरू करना।

³ गैस क्लीनिंग प्लांट में जलमग्न आर्क फर्नेस से निकलने वाली गैसों से धूल और पानी को अलग किया जाता है।

⁴ प्रेरित ड्राफ्ट पंखा प्रेरितक फर्नेसों की गैसों के लिए चूषण पैदा करता है।

⁵ ब्लोअर आवरण में रिसाव से बचने के लिए प्रेरित ड्राफ्ट फैन ग्रंथियों का उपयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदाकार द्वारा डिजाइन किया गया गैस सफाई संयंत्र सिस्टम, जिसे अभियांत्रिकी एवं तकनीकी केन्द्र द्वारा भी अनुमोदित किया गया था, शुरु से ही दोषपूर्ण था। डिजाइन की कमियों से अवगत होने के कारण प्रबंधन ने उपकरण में सुधार का प्रयास किया। हालाँकि, विक्रेताओं ने कुछ खामियों को दूर कर दिया था, लेकिन सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस -III चालू होने के सात साल बाद भी अपनी निर्धारित क्षमता पर काम नहीं कर पाया। अंततः, संविदाकार ने गैस सफाई संयंत्र को बदलने का प्रस्ताव रखा (अगस्त 2023)।

इस प्रकार, सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III से कम उत्पादन के कारण अगस्त 2017 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान निर्धारित क्षमता (सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III की) की तुलना में 2.33 लाख टन और वार्षिक व्यापार योजना लक्ष्य (सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III की) की तुलना में 1.79 लाख टन उत्पादन में कमी की संभावना थी। वार्षिक व्यवसाय योजना मात्रा की तुलना में कम उत्पादन के परिणामस्वरूप अगस्त 2017 से मार्च 2024 के दौरान ₹100.97 करोड़⁶ का संभावित योगदान छोड़ दिया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि उत्पादन में संपूर्ण हानि गैस सफाई संयंत्र के अ-निष्पादन के कारण नहीं थी। मामले के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा था और सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस -III के प्रदर्शन में सुधार हुआ। इसके अलावा, संविदाकार गैस सफाई संयंत्र की एक नई इकाई स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाएगा।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण दिसंबर 2017 से गैस सफाई संयंत्र के परिचालन में आई समस्याएं थीं, जिसके कारण फर्नेस का परिचालन कम क्षमता पर हुआ। संविदाकार द्वारा एक नया गैस सफाई संयंत्र स्थापित करना अभी भी प्रस्ताव चरण में था।

अनुशंसा संख्या 31: कंपनी यह सुनिश्चित करे कि गैस सफाई संयंत्र सहित सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस के परिचालन में आने वाली समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जाए ताकि परिकल्पित उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

⁶ लागत पत्रक के अनुसार वार्षिक अंशदान को वर्ष के दौरान एबीपी मात्रा से कम उत्पादन से गुणा किया जाता है।

ग सबमजर्ड आर्क फर्नेस की पूंजीगत मरम्मत के लिए मानदंड का अभाव

सबमजर्ड आर्क फर्नेस I, II और III में उत्पादन गतिविधियाँ क्रमशः फरवरी 1977, अगस्त 1981 और अगस्त 2017 में शुरू हुईं। स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन प्राप्त करने के लिए फर्नेसों की स्थिति बनाए रखने के लिए पूंजीगत मरम्मत की आवश्यकता थी। पूंजीगत मरम्मत में सबमजर्ड आर्क फर्नेस के विभिन्न रिफ्रेक्टरी, यांत्रिक रखरखाव, उपयोगिताओं, विद्युत, उपकरण और सिविल कार्यों का प्रतिस्थापन सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र द्वारा सबमजर्ड आर्क फर्नेस की पूंजीगत मरम्मत के लिए मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। मार्च 2024 तक, सबमजर्ड आर्क फर्नेस I और II के लिए उनके चालू होने के बाद से चार-चार पूंजी मरम्मत अभियान चलाए गए। सबमजर्ड आर्क फर्नेस -I का पूंजीगत मरम्मत कार्य इसके परिचालन के 76 महीने से 147 महीने के अंतराल पर किया गया, जबकि सबमजर्ड आर्क फर्नेस -II का पूंजीगत मरम्मत कार्य फर्नेस के 56 महीने से 181 महीने के बीच निरंतर परिचालन के बाद किया गया। रखरखाव कार्यों के लिए निर्धारित मानदंडों/अंतरालों के अभाव में, पूंजीगत मरम्मत समय-समय पर नहीं की जाती थी, बल्कि भट्टियों के उपकरणों/भागों की स्थिति के आधार पर विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आवश्यकतानुसार रखरखाव कार्य निष्पादित किए जाते थे। इससे भट्टियों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और परिणामस्वरूप उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि सबमजर्ड आर्क फर्नेस III को चालू करने की सुविधा के लिए सबमजर्ड आर्क फर्नेस -II को बंद कर दिया गया (जून 2017)। फर्नेसों की खराब स्थिति के कारण सबमजर्ड आर्क फर्नेस -II को कम लोड पर परिचालित किया गया तथा अंततः जून 2019 में बंद कर दिया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर सबमजर्ड आर्क फर्नेस की पूंजीगत मरम्मत के लिए किसी निश्चित मानदंड/अंतराल के अभाव से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन पर मौन है।

अनुशंसा संख्या 32: कंपनी सबमजर्ड आर्क फर्नेस की पूंजीगत मरम्मत के लिए मानदंड तय करे ताकि जबरन ब्रेकडाउन और परिणामी उत्पादन हानि को रोका/कम किया जा सके।

घ सेल इस्पात संयंत्रों द्वारा कोक की कम आपूर्ति

फर्नेस में कोक का वांछित आकार 6-20 मिमी था। यह कोक आकार फेरो अलॉय धातुओं की उत्पादन प्रक्रिया में आवेश की पारगम्यता और आवेश प्रतिरोधकता को बनाए रखने में मदद करता है। चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र के लिए कोक की आवश्यकता का आकलन सेल⁷ के इस्पात संयंत्रों से प्राप्त वार्षिक व्यापार योजना में किया गया था। इस्पात संयंत्रों से कोक की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कमी से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे राजस्व सृजन प्रभावित होगा। वर्ष 2017-24 के दौरान चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र द्वारा कोक की आवश्यक मात्रा और प्राप्ति, साथ ही कोक की कम प्राप्ति के कारण छोड़े गए अंशदान का विवरण नीचे तालिका 6.2 में दिया गया है:

तालिका 6.2: 2017-24 के दौरान सिलिको मैंगनीज के कम उत्पादन के कारण कम योगदान

वर्ष	एबीपी के अनुसार कोक की आवश्यकता (टन-में)	प्राप्त कोक की मात्रा (टन)	कोक की आवश्यक मात्रा में प्राप्त मात्रा का प्रतिशत	सिलिको मैंगनीज के उत्पादन में कमी (टन-में)
2017-18	47,585	28,403	60	4,072
2018-19	66,480	44,726	67	4,667
2019-20	74,640	41,631	56	24,060
2020-21	62,407	60,815	97	152
2021-22	66,024	50,441	76	1,420
2022-23	64,049	49,139	77	3,185
2023-24	74,646	64,481	86	1,411
योग	4,55,831	3,39,636		38,967

*स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी।

यह देखा गया कि 2017-18 से 2023-24 के दौरान इस्पात संयंत्रों से कोक की आवश्यक मात्रा का केवल 56 प्रतिशत से 97 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका। वर्ष 2020-21 में, जहां सबमजर्ड आर्क फर्नेस -II में पूंजीगत मरम्मत के कारण सिलिको मैंगनीज का उत्पादन लक्ष्य कम कर दिया गया था, जिससे कोक की आवश्यकता कम हो गई थी, वहीं चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र को अपनी आवश्यक मात्रा का अधिकतम 97 प्रतिशत प्राप्त हुआ। कुल प्राप्ति में से, 4,551 टन कोक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (2020-

⁷ भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी), बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल), राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी), आईआईएससीओ स्टील प्लांट, बर्नपुर (आईएसपी) और दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)।

21) से खरीदा गया। इसके अलावा, चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र ने 2023-24 के दौरान एनएमडीसी, नगरनार से 21,232 टन और मेटालाइटकोक एनर्जी, पुरुलिया से 3,796 टन कोक खरीदा।

इस प्रकार, 2017-24 के दौरान चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र में कोक की कमी के कारण 0.39 लाख टन सिलिको मैंगनीज का उत्पादन कम हुआ, जिससे ₹13.54 करोड़ का संभावित योगदान समाप्त हो गया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेल संयंत्रों से कोक की खरीद के लिए अधिकतम संभव प्रयास किए गए हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए कोक का स्टॉक बनाए रखने के लिए सेल के अलावा अन्य स्रोतों से कोक की उपलब्धता की जांच करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि 2023-24 के दौरान, चंद्रपुर फेरो अलॉय धातु संयंत्र ने एनएमडीसी स्टील लिमिटेड से कोक की खरीद शुरू कर दी है और खुली निविदा के माध्यम से निजी पार्टियों से परीक्षण के आधार पर कोक खरीदने की प्रक्रिया भी चल रही है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने सेल संयंत्रों से कोक की उपलब्धता की गंभीर स्थिति से अवगत होने के बावजूद, केवल 2020-21 और 2023-24 में ही सेल के अलावा अन्य स्रोतों से कोक खरीदने का प्रयास किया था। यदि अन्य स्रोतों से कोक की खरीद के लिए पहले ही कार्रवाई की गई होती तो कोक की तीव्र कमी से बचा जा सकता था।

अनुशंसा संख्या 33: कंपनी निर्बाध आपूर्ति और उत्पादन के लिए कोक की खरीद के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करे।

ड सिंटर का उत्पादन

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में दो सिंटर संयंत्र⁸ थे, जो सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में उपयोग के लिए मैंगनीज अयस्क चूर्ण और कोक चूर्ण का उपयोग करके सिंटर का उत्पादन करते थे। सिंटर प्लांट का परिचालन सिलिको मैंगनीज के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंगनीज अयस्क से उत्पन्न चूर्ण के उपयोग के अलावा, यह मैंगनीज अयस्क

⁸ सिंटर प्लांट I की पूंजीकरण तिथि 01.12.1991 थी और इसका उपयोगी जीवन (25 वर्ष) 30.11.2016 को समाप्त हो गया था, जबकि सिंटर प्लांट II के लिए पूंजीकरण तिथि 01.01.1997 थी और इसका उपयोगी जीवन 31.12.2022 को समाप्त हो गया था।

की खपत को भी कम करता है। प्रत्येक सिंटर संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 50 टन सिंटर उत्पादन की थी।

वार्षिक व्यवसाय योजना में सिंटर का उत्पादन लक्ष्य, सिंटर का उत्पादन, मैंगनीज अयस्क की खपत और 2017-24 के दौरान सिंटर संयंत्रों में ब्रेकडाउन/शटडाउन घंटे नीचे तालिका 6.3 में दिए गए हैं:

तालिका 6.3 2017-24 के दौरान सिंटर संयंत्र-I और II का प्रदर्शन

वर्ष	वार्षिक व्यवसाय योजना लक्ष्य (टन)	कुल उत्पादन (सिंटर प्लांट-I और II) (टन)	सिंटर संयंत्र -I				सिंटर संयंत्र -II			
			उत्पादन (टन)	मैंगनीज अयस्क चूर्ण की खपत (टन)	ब्रेकडाउन/शटडाउन घंटे	उपलब्ध घंटों के सापेक्ष ब्रेकडाउन/शटडाउन घंटों का प्रतिशत	उत्पादन (टन)	मैंगनीज अयस्क चूर्ण की खपत (टन में)	ब्रेकडाउन/शटडाउन घंटे	उपलब्ध घंटों के सापेक्ष ब्रेकडाउन/शटडाउन घंटों का प्रतिशत
2017-18	19500	14922	7731	7158	2422	28	7191	8401	2381	27
2018-19	25600	14845	9642	10966	1403	16	5204	5393	4836	55
2019-20	24000	7446	6713	7787	2263	26	732	936	6265	72
2020-21	16170	8529	5985	7302	2823	32	2544	2874	5822	66
2021-22	16420	6279	4532	5121	3098	35	1747	1974	6691	76
2022-23	8210@	3238	3238	8049	*	*	0	0	*	*
2023-24	8210@	297	297	420	*	*	0	0	*	*
योग	118110	55556	38138	46803	12009	27	17418	19578	25995	59

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी।

* 2021-22 के बाद प्रबंधन ने अल्प उत्पादन को देखते हुए ब्रेकडाउन/शटडाउन घंटे का डेटा नहीं रखा।

@ 2022-24 के दौरान सिंटर संयंत्र II में कोई नियोजित उत्पादन के साथ-साथ वास्तविक उत्पादन भी नहीं हुआ।

वार्षिक व्यापार योजना सिंटर संयंत्रों की निर्धारित उत्पादन क्षमता अर्थात् 0.36 लाख टन प्रति वर्ष से कम निर्धारित की गई थी और दोनों सिंटर संयंत्रों से सिंटर का उत्पादन 2017-24 के दौरान वार्षिक व्यापार योजना लक्ष्य के केवल 4 प्रतिशत और 76 प्रतिशत के बीच था। सिंटर संयंत्र-I में ब्रेकडाउन/शटडाउन घंटे उपलब्ध घंटों (2017-18) के 28 प्रतिशत से बढ़कर उपलब्ध घंटों (2021-22) के 35 प्रतिशत हो गए और सिंटर संयंत्र II में यह 27 प्रतिशत (2017-18) से बढ़कर उपलब्ध घंटों (2021-22) के 76 प्रतिशत हो गए। सिंटर के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से सिंटर संयंत्र-I की पुरानी स्थिति और उससे संबंधित उच्च रखरखाव लागत के कारण थी। इसके अलावा, सिंटर संयंत्र-II

का उपयोग, सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में उपयोग के लिए सहयोगी संयंत्रों से प्राप्त बड़े आकार के कोक को कुचलने के लिए किया गया। सिंटर के उत्पादन में कमी के कारण मैंगनीज अयस्क चूर्ण का उपयोग नहीं हो सका तथा ₹22.17 करोड़ मूल्य का 0.86 लाख टन मैंगनीज अयस्क चूर्ण जमा हो गया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने पुराने संयंत्र और उपकरण और खराब स्वास्थ्य, सीमित संसाधन, सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-I/II के बंद होने/टूटने की स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कम उपलब्धता तथा पुरानी तकनीक को सिंटर संयंत्र -I से कम उत्पादन के लिए (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) जिम्मेदार ठहराया, जो -1 मिमी फाइन्स को सिंटर नहीं कर सकती थी, चूंकि, कोक क्रशर सिंटर संयंत्र -II में प्रक्रिया प्रवाह का अभिन्न अंग है, इसलिए कोक के क्रशिंग के साथ-साथ मैंगनीज अयस्क चूर्णों की सिंटरिंग नहीं हो सकी। कोक क्रशिंग को प्राथमिकता दी गई क्योंकि फर्नेसों का परिचालन सबसे महत्वपूर्ण था। राँ मैटेरियल यार्ड में एक कोक क्रशर की स्थापना की जा रही है, जिसके बाद सिंटर संयंत्र -II को निरंतर आधार पर संचालित करना संभव हो सकेगा। विकल्प के रूप में ब्रिकेटिंग संयंत्र लगाने की संभावना भी तलाशी जा रही है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिंटर संयंत्र-I के आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो पहले ही 42 वर्षों से कार्यरत था। फर्नेसों में उपयोग के लिए बड़े आकार के कोक को कुचलने के लिए कोक क्रशर की स्थापना न होने के कारण, सिंटर संयंत्र-II के कोक क्रशर का उपयोग कोक को कुचलने के लिए किया गया, जिससे सिंटर के उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। मार्च 2024 में राँ मैटेरियल यार्ड में कोक क्रशर संयंत्र स्थापित किया गया था। ब्रिकेटिंग संयंत्र के निर्माण की परियोजना निविदा चरण में थी।

अनुशंसा संख्या 34: कंपनी नियमित अंतराल पर अपने सिंटर संयंत्रों का आधुनिकीकरण करे और भविष्य में सिंटर की अपेक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करे जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था।

च छोटे आकार के सिलिको मैंगनीज का उत्पादन

10-50 मिमी आकार का सिलिको मैंगनीज सेल इकाइयों को बिक्री/प्रेषण के लिए प्रमुख उत्पाद है। हालांकि, उत्पादन के दौरान, छोटे आकार (0-10 मिमी) सिलिको मैंगनीज भी

उत्पन्न होता है, जिसे 0-3 मिमी आकार में वर्गीकृत किया जाता है और शेष छोटे आकार (3-10 मिमी और 0-10 मिमी) को सिंटर उत्पादन में बिक्री और आंतरिक उपयोग के उद्देश्य से वर्गीकृत किया जाता है। 0-3 मिमी के अंडरसाइज़ पदार्थ के उत्पादन का मानक सिलिको मँगनीज के कुल उत्पादन का चार प्रतिशत था तथा शेष अंडरसाइज़ छः प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 0-3 मिमी छोटे आकार की सामग्री का उत्पादन सिलिको मँगनीज के कुल उत्पादन का 13 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच था तथा शेष छोटे आकार की सामग्री सिलिको मँगनीज के कुल उत्पादन का 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच थी। छोटे आकार के सिलिको मँगनीज की कीमत प्राइम साइज उत्पाद की तुलना में कम थी। इस प्रकार, प्राइम साइज और अंडर साइज उत्पादों की दरों में अंतर और 2017-24 के दौरान मानदंडों से 0.75 लाख टन अधिक अंडर साइज उत्पाद के उत्पादन के कारण, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने ₹198.88 करोड़⁹ की संभावित राजस्व राशि अर्जित करने का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि कार्यप्रणाली के अनुसार, उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली (0-3) मिमी छोटी सामग्री पर विचार किए बिना सिलिको मँगनीज का उत्पादन (एबीपी) घोषित किया गया था वर्ष 2017-18 और 2019-20 के दौरान, कम उत्पादन में वृद्धि देखी गई और सुधारात्मक उपाय के रूप में, कम उत्पादन को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार क्रशर जबड़ों को बदला गया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि इस अवधि के दौरान, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने श्रमबल मुद्दों, सुरक्षा पहलुओं, पर्यावरणीय पहलुओं आदि के कारण धातु ढलाई (2015-16) के साथ-साथ धातु क्रशिंग (2010-11) की कार्यप्रणाली को बदल दिया था, जिसके परिणामस्वरूप क्रशड धातु में अंडरसाइज अंश में वृद्धि हुई थी। बारीकी से निगरानी, जबड़े की प्लेटों में परिवर्तन, कुचल में अंतराल को बनाए रखने, कास्ट मेटल केक के आकार में सुधार आदि के माध्यम से कुचल धातु में अंडरसाइज अंश को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे।

⁹ प्रमुख उत्पाद और छोटे आकार के उत्पादों के अंतर मूल्य को छोटे आकार के उत्पाद की उत्पादन मात्रा से गुणा करके राजस्व की संभावित हानि की गणना की जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सिंटर उत्पादन प्रक्रिया में 0-3 मिमी आकार के सिलिको मैंगनीज का उपयोग किया गया था, लेकिन प्रबंधन ने इस पर विचार नहीं किया, हालांकि इसका उत्पादन मानक से अधिक था। इसके अलावा, धातु ढलाई प्रक्रिया (2015-16) और धातु पेराई प्रक्रिया (2010-11) में बदलाव के बाद से काफी समय बीत जाने के बाद भी, कम आकार की सामग्री का उत्पादन मानकों से कहीं अधिक था और प्रबंधन द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपाय मानकों से अधिक कम आकार की सामग्री के अत्यधिक उत्पादन को नियंत्रित करने में प्रभावी नहीं रहे।

अनुशंसा संख्या 35: कंपनी मानदंडों से अधिक छोटे आकार के सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के कारणों का विश्लेषण करे और भविष्य में इसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

6.1.2.2 कच्चे माल और ईंधन से संबंधित मुद्दे

मैंगनीज अयस्क और बिजली, फेरो अलॉय के उत्पादन के लिए प्रमुख इनपुट हैं, जो उत्पादन लागत में 60-70 प्रतिशत का योगदान करते हैं। चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से बिजली और मैंगनीज अयस्क मॉयल लिमिटेड से खरीदा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित उल्लेख किया:

क अयस्क में मैंगनीज की कम मात्रा

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने 2017-24 के दौरान 10.15 लाख टन मैंगनीज अयस्क की खरीद की, जिसमें से एमओआईएल के खरीद आदेश के अनुसार 3.56 लाख टन मैंगनीज सामग्री की परिकल्पना की गई थी, जबकि केवल 3.45 लाख टन मैंगनीज प्राप्त हुआ। मॉयल (25 प्रतिशत से 48 प्रतिशत) द्वारा घोषित अयस्क की मैंगनीज सामग्री और चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र प्रयोगशाला की परीक्षण प्रतिवेदनों (22.9 प्रतिशत से 50.86 प्रतिशत) में प्राप्त मैंगनीज सामग्री में भिन्नता थी। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान खरीद आदेश के खंड 11.1 के अनुसार, विक्रेता द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष द्वारा रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट अंतिम और विक्रेता और खरीदार दोनों के लिए बाध्यकारी थी। इस पक्ष द्वारा जारी की गई प्रतिवेदन के आधार पर रासायनिक विनिर्देश के लिए भुगतान समायोजित किया गया था।

वर्ष 2020 से, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 6(बी) के अनुसार, मॉयल द्वारा किसी तीसरे पक्ष की नियुक्ति नहीं की गई और रासायनिक विनिर्देशन हेतु भुगतान समायोजन हेतु मॉयल में किए गए रासायनिक विश्लेषण का उपयोग किया गया। कम मैंगनीज सामग्री का मुद्दा मॉयल के समक्ष उठाए जाने के बावजूद, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र द्वारा 2017-24 के दौरान मैंगनीज सामग्री में अंतर के कारण अतिरिक्त व्यय जारी रहा। मॉयल से खरीदे गए मैंगनीज अयस्क में 0.11 लाख टन कम मैंगनीज सामग्री के कारण 2017-24 (2019-20 को छोड़कर)¹⁰ की अवधि के दौरान विभेदक मैंगनीज सामग्री के कारण ₹36.10 करोड़ का लागत प्रभाव पड़ा।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र नियमित रूप से मॉयल लिमिटेड के साथ उन मामलों को उठा रहा था जहां संविदात्मक और वितरण आदेश विनिर्देशों के संबंध में प्राप्त कच्चे मैंगनीज सामग्री के रासायनिक विश्लेषण में विसंगति थी।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि जिस अयस्क के आधार पर भुगतान किया गया था, उसमें मैंगनीज की मात्रा और चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में किए गए रासायनिक विश्लेषण के अनुसार मैंगनीज की मात्रा में अंतर था। इस मामले को मॉयल लिमिटेड के साथ उठाए जाने के बावजूद, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को 2017-24 के दौरान मैंगनीज की मात्रा में अंतर के कारण ₹36.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

अनुशंसा संख्या 36: कंपनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान अयस्क में मैंगनीज सामग्री के आधार पर किया जाए जो वास्तव में उसके पास प्राप्त हुई है और जो उसकी अपनी प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण में प्रमाणित है।

ख मैंगनीज अयस्क की कम प्राप्ति

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर से तिमाही आधार पर दर अनुबंध पर मैंगनीज अयस्क खरीदता है। संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड से भी कुछ मात्रा में मैंगनीज अयस्क खरीदा गया था। मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के

¹⁰ वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त अयस्क में मैंगनीज की मात्रा अनुबंध विनिर्देशों के अनुसार थी।

साथ अनुबंध के अनुसार, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड की ओर से रेलवे तौलकांटे पर वैगनों के वास्तविक वजन से निर्धारित और रेलवे रसीदों में दर्शाया गया शुद्ध वजन क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए बाध्यकारी था। संदूर के साथ, विक्रेता के तौलकांटे में दर्ज वजन ही अंतिम माना जाता था। मैंगनीज अयस्क के परिवहन के दौरान पारगमन हानि के मानदंड तय नहीं किए गए थे।

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को 2017-24 के दौरान मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड से 10.24 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बीजक मात्रा में से 10.14 लाख टन मैंगनीज अयस्क प्राप्त हुआ। इस प्रकार, ₹12.39 करोड़ मूल्य के 0.10 लाख टन मैंगनीज अयस्क की कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को संदूर से 1.52 लाख टन चालान मात्रा में से 1.51 लाख टन मैंगनीज अयस्क प्राप्त हुआ। इस प्रकार, ₹1.49 करोड़ मूल्य के 0.01 लाख टन मैंगनीज अयस्क की कम प्राप्ति हुई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र द्वारा मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति में अंतर आपूर्तिकर्ता की ओर से किए गए वजन और चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में की गई सामग्री के वजन में अंतर के कारण था। हालांकि, जब भी रेक लोड में वजन में महत्वपूर्ण अंतर देखा गया, तो प्रबंधन द्वारा डिलीवरी ऑर्डर के अनुसार मैंगनीज अयस्क की उचित लोडिंग सुनिश्चित करने के लिए मामले को उठाया गया।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि मैंगनीज अयस्क की पारगमन हानि के लिए किसी मानदंड के अभाव में, किसी भी वर्ष में किसी भी असामान्य हानि की पहचान नहीं की जा सकी। इसके अलावा, तौल शर्तों के अनुसार, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र द्वारा कोई प्रतिदावा नहीं किया जा सका और प्रबंधन ने केवल सामग्री की उचित लोडिंग सुनिश्चित करने के लिए संविदाकारों के साथ मामला उठाया।

अनुशंसा संख्या 37: कंपनी पारगमन हानियों के मानदंड तय करके आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौतों को संशोधित करके उनमें दंडात्मक प्रावधानों को सम्मिलित करके अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए।

ग सिलिको मैंगनीज के उत्पादन में कोक की अत्यधिक खपत

सबमजर्ड आर्क फर्नेस की व्यवहार्यता प्रतिवेदन में परिकल्पित कोक के उपयोग के मानदंड के अनुसार, एक टन सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए 0.38 टन कोक की आवश्यकता थी। हालांकि, सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए प्रति टन कोक की खपत 0.51 टन (2019-20) और 0.64 टन (2021-22) के बीच रही, जिसके परिणामस्वरूप 2017-24 के दौरान ₹230.24 करोड़ मूल्य के 1.03 लाख टन कोक की अधिक खपत हुई। पिछले सात वर्षों के दौरान कोक की खपत में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है (2019-20 और 2022-23 को छोड़कर, जब इसमें थोड़ी कमी आई)।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि मिश्रित कोक में से 6 से 20 मिमी के वांछित आकार को छानकर सिलिको मैंगनीज उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। मिश्रित कोक में बचे हुए बड़े और छोटे आकार के अंश कोक की खपत को बढ़ाते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि कोक की खपत को कम करने के लिए फर्नेसों के निरंतर परिचालन के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि इस्पात संयंत्रों से प्राप्त बड़े आकार के कोक को सिंटर संयंत्र-II में सबमजर्ड आर्क फर्नेस में उपयोग हेतु आवश्यक आकार (6-20 मिमी) प्राप्त करने के लिए कुचला जाता है, जबकि छोटे आकार के कोक को लाभकारी उपयोग के लिए इस्पात संयंत्रों को वापस कर दिया जाता है। 2017-24 के दौरान, 0.50 लाख टन छोटे आकार का कोक सेल संयंत्रों को वापस कर दिया गया। इसलिए, प्रबंधन का यह तर्क कि मिश्रित कोक में बड़े और छोटे आकार के कोक को सम्मिलित करने से कोक की खपत बढ़ जाती है, सही नहीं है। इसके अलावा, मंत्रालय ने कोक की खपत को कम करने के लिए फर्नेसों के निरंतर परिचालन के लिए सभी प्रयास करने का आश्वासन दिया है।

अनुशंसा संख्या 38: कंपनी कोक की अत्यधिक खपत के कारणों की पहचान करके उनका समाधान करके कोक की अत्यधिक खपत को नियंत्रित करने के प्रयास करे।

घ छोटे आकार के कोक के परिवहन पर माल ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र की फर्नेसों के लिए कोक की आवश्यकता 6-20 मिमी आकार की थी। सेल इस्पात संयंत्रों से प्राप्त कोक के आकार अलग-अलग थे और चंद्रपुर फेरो

अलॉय संयंत्र को उन्हें अपने संयंत्र में बड़े/छोटे आकार के अंशों में अलग करने के लिए छांटना पड़ता था। बड़े आकार (+20 मिमी) वाले कोक को सिंटर संयंत्र-11 में स्थापित क्रशर में कुचला जाता था। छोटे आकार (-6 मिमी) वाले अंश चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में उपयोग योग्य नहीं थे, इसलिए अलग किए गए छोटे आकार (-6 मिमी) कोक को, छोटे आकार के अनुपयोगी प्राप्त मात्रा के साथ, इस्पात संयंत्रों को वापस कर दिया गया। इस प्रकार, 2017-24 के दौरान प्राप्त 3.40 लाख टन कोक में से 0.50 लाख टन (15 प्रतिशत) अनुपयोगी कोक सेल इस्पात संयंत्रों को वापस लौटा दिया गया।

इस प्रकार, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को इस्पात संयंत्रों द्वारा छोटे आकार के कोक की आपूर्ति और इस्पात संयंत्रों को सामग्री की वापसी के परिणामस्वरूप सामग्री के परिवहन पर ₹24 करोड़¹¹ का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, कम आकार की सामग्री प्राप्त करने के लिए कोई मानदंड नहीं था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि कोक की आवश्यकता को भिलाई इस्पात संयंत्र से खरीद कर पूरा किया जाता है और भिलाई से आपूर्ति पूरी न होने की स्थिति में अन्य सहयोगी इस्पात संयंत्रों से भी इसकी खरीद की जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र के अलावा अन्य इस्पात संयंत्रों से भेजे गए रेक माल का पूर्ण भार कभी-कभी बनाए नहीं रखा जा सकता था और निष्फल भार की संभावना थी, इसलिए निष्फल माल भाड़ा लिया जाता था। वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेल संयंत्रों से कम आकार के कोक की खरीद के लिए चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र द्वारा अधिकतम संभव प्रयास किया जा रहा था। बोकारो इस्पात संयंत्र ने प्रेषण से पहले कोक की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है और इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मंत्रालय ने आगे बताया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोक का स्टॉक बनाए रखने के लिए सेल के अलावा अन्य स्रोतों से कोक की उपलब्धता की जांच करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने केवल भिलाई में कोक स्क्रीनिंग और क्रशिंग के लिए कार्य अनुबंध दिया था (मार्च 2022)। वापस लौटाए जा रहे छोटे आकार के कोक की मात्रा में कोई उल्लेखनीय सुधार

¹¹ इस्पात संयंत्रों से चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को भेजे गए छोटे आकार के कोक के परिवहन की लागत और चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र से सेल के इस्पात संयंत्रों को छोटे आकार की सामग्री की वापसी को ध्यान में रखते हुए गणना की गई है।

नहीं देखा गया। इसलिए, कम आकार के कोक की प्राप्ति के कारण चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र/सेल को माल ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

अनुशंसा संख्या 39: कंपनी छोटे आकार के कोक प्राप्त करने के लिए मानदंड तय करे और ऐसे छोटे आकार के कोक के परिवहन पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सहयोगी संयंत्रों के साथ मामला उठाए।

इ निष्फल माल ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को सेल के इस्पात संयंत्रों से रेल के माध्यम से कोक प्राप्त होता है। रेलवे वैगनों/रेक्स में सामग्री (यहां कोक) की लोडिंग के लिए एक घोषित वहन क्षमता होती है, जिसके आधार पर माल ढुलाई की गणना की जाती है। प्राप्तकर्ता पक्ष को वैगनों/ रेक्स की वहन क्षमता के आधार पर रेलवे को मालभाड़ा का भुगतान करना होता है। इस प्रकार, प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा कम लोड की गई मात्रा पर भी भाड़ा का भुगतान किया जाता है, यदि कोई हो, जिसे निष्फल भाड़ा कहा जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात वर्षों (2017-18 से 2023-24) के दौरान, सेल इकाइयों, आरआईएनएल और एनएमडीसी से रेलों के माध्यम से प्राप्त होने वाले 2.53 लाख टन कोक के प्रभार्य भार के मुकाबले, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को 0.87 लाख टन रेलों की कम लोडिंग के कारण 1.66 लाख टन कोक प्राप्त हुआ। चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने 2017-24 के दौरान रेलों की कम लोडिंग के लिए ₹28.15 करोड़ का निष्फल मालभाड़ा प्रभार चुकाया, जो देय मात्रा के 14 प्रतिशत से 46 प्रतिशत के बीच था। बर्नपुर स्थित आईएसपी के मामले में, यह प्रतिशत 31 प्रतिशत से 46 प्रतिशत के बीच था।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि कभी-कभी रेल सामग्री का पूरा भार बनाए नहीं रखा जा सकता है और निष्फल भार की संभावना होती है और इसलिए निष्फल मालभाड़ा प्रभार चुकाया गया था। इसके अलावा, कोक का आयतन/भार अनुपात अधिक था, इसलिए एक निश्चित स्तर तक भरने के बाद भी, निष्फल मालभाड़ा होना अपरिहार्य था। निष्फल मालभाड़ा की घटना की सूचना संबंधित सहयोगी संयंत्र को दी गई ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सामग्री के परिवहन के लिए मात्रा/भार अनुपात को रेलवे द्वारा प्रत्येक श्रेणी की सामग्री के लिए रेल/वैगन की वहन

क्षमता/प्रभार्य भार निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार, निष्फल भार कोक के उच्च आयतन/भार अनुपात के कारण नहीं था। रेकों के कम लदान के कारण, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को 2017-24 के दौरान निष्फल मालभाड़े पर ₹28.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

अनुशंसा संख्या 40: कंपनी अपने सहयोगी संयंत्रों के साथ इस मामले को उठाए ताकि निष्फल माल को नियंत्रित करने के लिए उनकी वहन क्षमता/प्रभार्य भार के अनुसार रेकों की उचित लोडिंग सुनिश्चित की जा सके।

च विद्युत पर सब्सिडी का लाभ न उठाना

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली की बड़ी मात्रा प्राप्त करता है। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछड़े जिलों में ईंधन लागत समायोजन से संबंधित विभिन्न रियायतें/सब्सिडी (मार्च 2017) अधिसूचित कीं, जो अप्रैल 2016 से प्रभावी थीं। तथापि, उन उपभोक्ताओं के मामले में सब्सिडी/रियायतें ₹0.50 करोड़ प्रति माह तक सीमित थीं, जो अपने स्वयं के आबद्ध ऊर्जा संयंत्र से बिजली का उत्पादन और उपयोग करते हैं या खुली पहुंच के माध्यम से तीसरे पक्ष से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यदि उपभोक्ता सब्सिडी की पूरी राशि का लाभ उठाना चाहता था तो उसे आबद्ध ऊर्जा उत्पादन या खुली पहुंच के माध्यम से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं थी।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी/रियायतों का लाभ उठाने और अंतर्निहित प्रतिबंधों का पालन करने के उद्देश्य से, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में मौजूदा 4.2 मेगावाट बिजली संयंत्र से बिजली उत्पादन जून 2017 में बंद कर दिया गया था और पूरी बिजली महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से खरीदी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2017 से मार्च 2022 के दौरान, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को प्रति माह औसतन ₹2.48 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई। चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने आबद्ध ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादन और उपयोग करने की शर्त पूरी की, लेकिन अप्रैल 2016 से मई 2017 तक की अवधि के लिए ₹7 करोड़ (प्रति माह ₹0.50 करोड़) की सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सका, क्योंकि प्रबंधन सब्सिडी की पात्र राशि का दावा करने के लिए राज्य सरकार को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि महाराष्ट्र सरकार के परिपत्र के अनुसार, मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद सब्सिडी लागू थी। नागपुर स्थित विद्युत निरीक्षक कार्यालय ने मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लिखा था (अगस्त 2017), जो अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद भी जारी नहीं किया गया और इसलिए सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया जा सका।

इन उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई को एक आवेदन प्रस्तुत किया (जुलाई 2017), लेकिन सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के कारण आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार, आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाने के कारण, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र छः वर्ष से अधिक (मार्च 2024) बीत जाने के बाद भी अप्रैल 2016 से मई 2017 की अवधि के लिए सब्सिडी प्राप्त करने में असमर्थ रहा। प्रबंधन ₹7.00 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मामले को उचित स्तर पर आगे बढ़ाए।

अनुशंसा संख्या 41: कंपनी यथाशीघ्र सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अप्रैल 2016 से मई 2017 की अवधि के लिए सब्सिडी के मुद्दे को उचित स्तर पर गंभीरता से ले।

6.1.2.3 पर्यावरण से संबंधित मुद्दे

क गैस सफाई संयंत्र के कीचड़ का संचय

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में फेरो अलॉय के उत्पादन के दौरान, मैंगनीज ऑक्साइड स्लैग/हाई मैंगनीज ऑक्साइड स्लैग, सिलिको मैंगनीज स्लैग और गैस सफाई संयंत्र स्लज के रूप में हर साल लगभग 0.40 लाख टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। 1 अप्रैल 2022 तक, 1.80 लाख टन ठोस अपशिष्ट स्टॉक में था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 2.52 लाख



चित्र 2: जीसीपी स्लज

टन हो गया। औसतन, गैस सफाई संयंत्र के कीचड़ में 24 प्रतिशत मैंगनीज, 4.5 प्रतिशत लोहा और 35 प्रतिशत सिलिका होता है। सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में प्रगलन प्रक्रिया के दौरान, सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस के अंदर चार्ज की सतह पर कच्चे माल से कुछ धूल सामग्री फर्नेस गैसों के साथ बह जाती है। गैस सफाई संयंत्र से गुजरते समय ये धूल सामग्री पानी के साथ अलग हो जाती है क्योंकि गैस सफाई संयंत्र की गाद और अयस्क से अन्य ठोस अशुद्धियाँ लावा के रूप में एकत्र हो जाती हैं। गैस सफाई संयंत्र के कीचड़ को चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र के अपशिष्ट तालाब में एकत्र और निपटाया जाता है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने (जून 2011) गैस सफाई संयंत्र के अपशिष्ट को खतरनाक श्रेणी में रखा तथा इसके सुरक्षित पुनर्चक्रण की अनुशंसा की। इसके अलावा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी (अप्रैल 2015) 'परिचालन की सहमति' में संशोधन में समूहन की प्रक्रिया को अपनाकर गैस सफाई संयंत्र कीचड़ के 100 प्रतिशत सुरक्षित पुनर्चक्रण की शर्त थी।

चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 0.08 लाख टन गैस सफाई संयंत्र मलबा उत्पन्न करता है और जून 2022 तक 0.10 लाख टन जमा हो चुका है। परिचालन की सहमति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, प्रबंधन ने एक ईट बनाने की मशीन और ब्रिकेटिंग संयंत्र की स्थापना का कार्य शुरू किया। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित उल्लेख किया:

क) चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में, एक ईट बनाने की मशीन चालू की गई (फरवरी 2022), जिसमें गैस सफाई संयंत्र मलबे का इस्तेमाल किया जा सकता था। हालाँकि, साँचे में खराबी के कारण, मशीन का ईट बनाने का काम एक महीने के भीतर ही बंद हो गया और मलबा जमा हो गया। अप्रैल 2024 में ही ईट बनाने की मशीन फिर से चालू हो सकी।

ख) फेरो अलॉय के उत्पादन के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट पदार्थ और मैंगनीज अयस्क चूर्ण का उपयोग ब्रिकेट बनाने हेतु इनपुट सामग्री के रूप में किया जा सकता है, जिसका उपयोग फेरो अलॉय के उत्पादन हेतु सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में लाभकारी रूप से किया जा सकता है। चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने ब्रिकेटिंग प्रक्रिया के संबंध में सुझाव/अनुशंसाओं के लिए सेल/लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (फरवरी 2019) से और ब्रिकेटिंग संयंत्र की स्थापना हेतु निविदा दस्तावेज

तैयार करने हेतु केंद्रीय विद्युत् एवं ऊर्जा (सीईटी) से (अप्रैल 2019) संपर्क किया। केंद्रीय विद्युत् एवं ऊर्जा (सीईटी) ने बिल्ड स्वयं संचालित हस्तांतरण आधार पर मसौदा निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए (मई 2019) जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, सेल द्वारा पूंजी निवेश के साथ ब्रिक्वेटिंग संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाशने का निर्णय लिया गया (फरवरी 2021), जिसकी अनुमानित पूंजी लागत ₹23.42 करोड़ है और चरण-II अनुमोदन की तिथि से 13 महीने की पूर्णता अवधि है। चरण-I अनुमोदन प्रदान किया गया (जुलाई 2022) और चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में ब्रिक्वेटिंग संयंत्र की स्थापना के लिए निविदा आमंत्रित की गई (अक्टूबर 2022)। पांच वर्ष पहले परिकल्पित ब्रिकेटिंग संयंत्र की परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई (मार्च 2024) और इसके कारण ठोस अपशिष्ट पदार्थों का संचय हुआ, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि सरकारी दिशानिर्देशों के मद्देनजर गैस सफाई संयंत्र के गाद के उपयोग हेतु ईट बनाने की एक मशीन चालू कर दी गई है। ब्रिकेटिंग संयंत्र की स्थापना के बाद, गैस सफाई संयंत्र के गाद का उपयोग ब्रिकेट के उत्पादन में किया जाता। इसमें आगे कहा गया है कि चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में ब्रिकेटिंग संयंत्र की स्थापना के लिए निविदा रद्द कर दी गई, क्योंकि उद्धृत मूल्य अनुमान से बहुत अधिक था। चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र ने फेरो अलॉय उद्योग में गैस सफाई संयंत्र कीचड़ के पुनर्चक्रण/उपयोग की दिशा में अग्रणी प्रयास किया है। चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में प्रस्तावित ब्रिक्वेटिंग संयंत्र में उपयोग के लिए 0.66 लाख टन दानेदार उच्च मैंगनीज ऑक्साइड धातुमल रखा गया था और अगस्त 2023 तक 0.50 लाख टन धातुमल बेचा गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ईट बनाने की मशीन स्थापना के बाद से मार्च 2024 तक काम नहीं कर रही थी और ब्रिकेटिंग संयंत्र की संकल्पना हालांकि फरवरी 2019 में की गई थी, लेकिन पांच साल (मार्च 2024) से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह अभी भी निविदा चरण में है। ईट बनाने वाली मशीन के ठीक से काम न करने तथा ब्रिकेटिंग संयंत्र की स्थापना में विलंब के कारण धातुमल का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग इष्टतम स्तर पर नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप धातुमल का भारी संचय हो गया। इसके अलावा, प्रबंधन पिछले

सात वर्षों के दौरान बिक्री के लिए पहचाने गए धातुमल का निपटान करने में भी असमर्थ रहा।

ख गैस फ्लेयरिंग प्रणाली का परिचालन न होना

सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस के परिचालन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसी जहरीली गैसों उत्पन्न होती हैं। इन गैसों का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, सिंटर संयंत्र और चूना फर्नेसों में किया जाना था और शेष गैसों को फ्लेयरिंग सिस्टम द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिचालन¹² की सहमति के अनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी (फरवरी 2019) अनुबंध, जो मार्च 2021 तक वैध था, के अनुसार 19000 एनएम³/एचआर फर्नेस गैस उत्पन्न होने की उम्मीद थी, जिसमें से 400 एनएम³/एचआर प्रत्येक का उपयोग दो सिंटर संयंत्र और दो लाइम भट्टों में किया जाना था। इसके अलावा, 4.2 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र द्वारा 8000 एनएम³/एचआर फर्नेस गैस का उपयोग किया जाना था। दिसंबर 2023 तक वैध, बाद में जारी परिचालन सहमति में, निर्धारित शर्तें पहले की परिचालन सहमति के समान ही थीं, सिवाय इसके कि लाइम भट्टों में किसी भी फर्नेस गैस का उपयोग नहीं किया जाना था। पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अंतर्गत गैसीय उत्सर्जन के निर्वहन के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, गैसों के ठंडे निकास का कभी भी सहारा नहीं लिया जाएगा और सभी गैसीय उत्सर्जन को जला दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 8000 एनएम³/एचआर गैस उपयोग करने की क्षमता वाला 4.2 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र जून 2017 से बंद था तथा 4 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का अनुबंध समाप्त कर दिया गया (मई 2019)। सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III में स्थापित गैस फ्लेयरिंग सिस्टम, रखरखाव संबंधी विभिन्न समस्याओं के कारण 2018 से बंद था। दो अन्य सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में फ्लेयरिंग सिस्टम स्थापित नहीं किया गया था, जो पर्यावरणीय मानदंडों और परिचालन सहमति का भी उल्लंघन था। तीनों सबमर्ज्ड आर्क

¹² जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 26, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 तथा खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के नियम 6 के अंतर्गत प्राधिकरण प्रदान किया गया।

फर्नेस में से किसी में भी गैस फ्लेयरिंग प्रणाली चालू न होने से, वातावरण में हानिकारक गैसों के निकलने का खतरा बना रहता है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-I और II आज महाराष्ट्र राज्य में मौजूद विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों से बहुत पहले स्थापित किए गए थे। सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III को गैस फ्लेयरिंग सिस्टम से सुसज्जित किया गया था, लेकिन कुछ जटिल तकनीकी समस्याओं के कारण, यह वर्तमान में कार्यात्मक नहीं है। सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III के दक्षिण की ओर स्थित गैस सफाई संयंत्र में परीक्षण के आधार पर फ्लेयरिंग गैस के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

अनुशंसा संख्या 42: कंपनी यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में वायु की गुणवत्ता में गिरावट या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उसके सभी सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस से निकलने वाली गैसों को जलाने के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

ग पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन

सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-I और II को क्रमशः 1977 और 1981 में चालू किया गया था, तथा उस अवधि के दौरान इन्हें पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के लागू होने के बाद, चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को विस्तार परियोजना (सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III) के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और बाद में नवीकरण के साथ संयंत्र के परिचालन के लिए सहमति प्राप्त करना आवश्यक था।

परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी (मार्च 2014) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई थी, जिसमें चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को नीचे उल्लिखित विभिन्न विशिष्ट और सामान्य शर्तों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था:

- i. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी (नवंबर 2009) राष्ट्रीय परिवेशी



चित्र 6.3 कच्चा माल यार्ड

वायु गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाना चाहिए, प्रक्रिया स्टैक के लिए निरंतर निगरानी सुविधाएं और 50 मिलीग्राम/एनएम³ से नीचे उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।

ii. कचरे माल का भंडारण आच्छादित किया जाएगा।

इसके अलावा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने (मार्च 2020) चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र को निर्देश दिया कि वे गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख योगदानकर्ता थे और इसलिए, कुल कण पदार्थ के लिए अनुमेय सीमा को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता थी, जिसे घटाकर 50 पीपीएम किया जाना चाहिए और आंतरिक परिवहन सड़क का निर्माण/मरम्मत की जानी चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र द्वारा मार्च 2024 तक न तो पर्यावरण मंजूरी से संबंधित शर्तों और न ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों को पूरा किया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023/अक्टूबर 2023) कि

- (i) वित्त वर्ष 2023-24 में सतत परिवेशी वायु निगरानी स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से मासिक निगरानी की जा रही थी।
- (ii) सभी फर्नेसों के कचरे माल के भंडारण के स्थान को आच्छादित कर दिया गया था। कच्चा माल खुले में कचरे माल के यार्ड में रखा गया था।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में देखा जा सकता है:

- (i) प्रबंधन ने निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना के लिए निविदा (जुलाई 2024) जारी की है।
- (ii) कचरे माल को चार्जिंग के लिए फर्नेसों तक ले जाने से पहले खुले भंडारण यार्ड में रखा जाता है।

पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के संबंध में शर्तों को पूरा करने में कंपनी की ओर से निरंतर चूक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन करने में असमर्थता के

मद्देनजर, भविष्य में प्रतिकूल परिणामों की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अनुशंसा संख्या 43: कंपनी आवश्यक उपकरण स्थापित करे और कुशल एवं निर्बाध संयंत्र परिचालन के लिए पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित निर्धारित शर्तों को पूरा करे।

6.1.3 निष्कर्ष

सेल का चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र, सेल के इस्पात संयंत्रों को सिलिको मैंगनीज और फेरो मैंगनीज के उत्पादन और आपूर्ति में लगा हुआ है। सेल द्वारा सिलिको मैंगनीज की आवश्यकता के बावजूद, उत्पादन लक्ष्य के साथ-साथ उत्पादन क्षमता से कम रखा गया। संयंत्र को मैंगनीज अयस्क में मैंगनीज की कम मात्रा, मैंगनीज अयस्क की कम प्राप्ति, कोक की अधिक खपत और मृत मालभाड़े के कारण अनावश्यक व्यय करना पड़ा। पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन भी पाया गया।

वार्षिक व्यापार योजना मात्रा की तुलना में सिलिको मैंगनीज के उत्पादन में 1.79 लाख टन की संभावित कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2017 से मार्च 2024 के दौरान सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-III से ₹100.97 करोड़ का संभावित योगदान खो गया। चंद्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र में कोक की कमी के कारण 0.39 लाख टन सिलिको मैंगनीज का उत्पादन कम हुआ तथा ₹13.54 करोड़ का संभावित योगदान समाप्त हो गया। मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड से प्राप्त मैंगनीज अयस्क में मैंगनीज की मात्रा कम होने के कारण ₹36.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। गैस सफाई संयंत्र के गाद के जमा होने तथा सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस-I एवं II में गैस फ्लेयरिंग प्रणाली की स्थापना न किए जाने के कारण पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न हुए हैं तथा पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के निरंतर उल्लंघन के कारण भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

6.2 कोक ओवन बैटरी की शीत मरम्मत पर निष्फल व्यय

इस्को इस्पात संयंत्र/सेल ने कोक ओवन बैटरी #8 की शीत मरम्मत पर ₹18.58 करोड़ का निष्फल व्यय किया, जिसे चालू नहीं किया जा सका और मरम्मत के बाद अंततः इसे बंद कर दिया गया।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) में चार कोक ओवन बैटरियां¹³ (सीओबी) थीं। सीओबी#10 और 11 परिचालित थे, और सीओबी#9 को मार्च 2014 में बंद कर दिया गया था। सीओबी#8 बिना किसी बड़ी मरम्मत के निरंतर परिचालन में था। सितंबर 2009 में सीओबी#8 में गिरावट के संकेत देखे गए। इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी केंद्र/सेल (सीईटी) और आईएसपी ने संयुक्त रूप से मई 2010 में सीओबी#8 की स्थिति का अध्ययन किया और बैटरी की हॉट रिपेयर¹⁴ की अनुशंसा की। कोक निर्माण विशेषज्ञ समिति ने (जनवरी 2012) लाभों को ध्यान में रखते हुए हॉट रिपेयर के स्थान पर कोल्ड रिपेयर¹⁵ की अनुशंसा की। प्रबंधन ने बैटरी की कोल्ड रिपेयर के लिए (फरवरी 2012) यह निर्णय लिया कि आधी बैटरी के साथ कोक को ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ)#2 और बीएफ#5 को आपूर्ति किया जाए, साथ ही सीओबी#10 और 11 से उत्पादित कोक भी दिया जाए। बैटरी के शेष आधे हिस्से के अतिरिक्त कोक को सहयोगी संयंत्रों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपूर्ति किया जाना था।

आईएसपी ने सीओबी#8 की शीत मरम्मत पर (दिसंबर 2011 से सितंबर 2012 तक) ₹28.95 करोड़¹⁶ खर्च किए। सीओबी#8 की मरम्मत और प्रीहीटिंग अक्टूबर 2013 में पूरी हो गई थी, लेकिन बीएफ#2 (जो अप्रैल 2015 में बंद हो गया था) में कोक के सीमित उपयोग और सेल के अन्य संयंत्रों से मांग में कमी के कारण बैटरी का स्टार्ट-अप रोक दिया गया था। कोक ओवन बैटरी के चालू होने में विलंब के कारण, उप-उत्पाद संयंत्र की स्थिति खराब हो गई। परिणाम स्वरूप, यह पाया गया कि सीओबी#8 को केवल इसके उप-उत्पाद संयंत्र के उचित परिचालन के साथ ही परिचालित किया जा सकता था, जबकि उप-उत्पाद संयंत्र स्वयं अत्यंत असंतोषजनक स्थिति में था और उसे बड़े पैमाने पर मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी।

¹³ सीओबी#8, सीओबी#9, सीओबी#10 और सीओबी#11 क्रमशः 1987, 1991, 2010 और 2013 में चालू किए गए

¹⁴ इस्पात संयंत्र में कोक ओवन की हॉट रिपेयर से तात्पर्य कोक ओवन को पूरी तरह से बंद किए बिना और ठंडा किए बिना, उनके अभी भी गर्म होने पर उनकी मरम्मत करने की प्रक्रिया से है।

¹⁵ कोक ओवन की शीत मरम्मत एक प्रमुख मरम्मत प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसमें प्रमुख मरम्मत से पहले संपूर्ण कोक ओवन बैटरी को वायुमंडलीय तापमान तक ठंडा किया जाता है।

¹⁶ मई 2012 में सीओबी#8 की मरम्मत के लिए ₹10.79 करोड़ की लागत से 27 संविदा दिए गए तथा ₹18.16 करोड़ मूल्य के सामान खरीदे गए।

शीत मरम्मत के बाद बैटरी को चालू नहीं किया जा सका और बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से (अगस्त 2019 में) बंद कर दिया गया और फरवरी 2021 में इसका निपटान कर दिया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित उल्लेख किया:

- मरम्मत और प्रीहीटिंग कार्य किए जाने के बावजूद (अक्टूबर 2013) सीओबी#8 को चालू नहीं किया गया। प्रबंधन को पता था कि समर्पित उप-उत्पाद संयंत्र¹⁷ (बीपीपी) के बिना सीओबी#8 का चालू होना तकनीकी रूप से संभव नहीं था। संयंत्र की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक थी और वह सेवा से बाहर था। हालाँकि, सुरक्षित परिचालन के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत या पुनर्निर्माण करने के बजाय, बीपीपी में केवल आंशिक मरम्मत ही की गई।
- बीएफ#5 की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीओबी#8 को उसकी मरम्मत के बाद 54 महीने से ज़्यादा समय (9 फ़रवरी 2015 से 6 सितंबर 2019 तक) तप्त अवस्था में रखा गया था। हालाँकि, 2017-18 तक बीएफ#5 की ज़रूरतें सीओबी#10 और 11 से पूरी की गईं।

इस प्रकार, सीओबी#8 की मरम्मत उपयोगी नहीं थी, क्योंकि इसकी मरम्मत के बाद बैटरी को एक दिन भी चालू या परिचालित नहीं किया गया। उप-उत्पाद संयंत्र के साथ सीओबी#8 की मरम्मत की आवश्यकता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए अपर्याप्त योजना के कारण बैटरी की शीत मरम्मत पर ₹18.58 करोड़¹⁸ का निष्फल व्यय हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी/नवंबर 2024) कि:

- सीओबी#8 की शीत मरम्मत के दौरान, बैटरी और उप-उत्पाद संयंत्र में, प्रचलित स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्य किए गए। निष्क्रिय वातावरण के कारण 2012-2018 के दौरान उप-उत्पाद संयंत्र की भवन संरचना और महत्वपूर्ण उपकरण खराब हो गए, जो नियोजन चरण के दौरान अप्रत्याशित था।
- सभी गैर-आर्थिक और अप्रचलित इकाइयों को बंद करने के प्रबंधन के निर्णय (मार्च 2015) के अनुरूप, आईएसपी के बीएफ#2 को अप्रैल 2015 में चरणबद्ध तरीके से

¹⁷ उप-उत्पाद संयंत्र का मुख्य कार्य कच्चे कोक ओवन गैस को साफ करना है, जिसमें से कच्चा कोयला टार, अमोनिया और नेफ़थलीन को हटाकर उसे कोक ओवन और संयंत्र की अन्य इकाइयों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग योग्य बनाना है।

¹⁸ ₹28.95 करोड़- ₹10.37 करोड़ (सीओबी#8 की बिक्री से प्राप्त राशि) = ₹18.58 करोड़

बंद कर दिया गया, जिसे सीओबी#8 की शीत मरम्मत की योजना के दौरान पूर्वानुमानित नहीं किया जा सका। बीएफ#5 के लिए कोक की कमी को पूरा करने के लिए सीओबी#8 का प्रज्वलन शुरू किया गया। लेकिन विभिन्न प्रारंभिक समस्याओं के कारण बीएफ#5 का उत्पादन 2018-19 तक अपनी निर्धारित क्षमता तक नहीं बढ़ाया जा सका। चूंकि तप्त धातु का उत्पादन अनुमानित मात्रा से कम था, इसलिए कुल कोक की आवश्यकता कम थी और इसकी पूर्ति सीओबी#10 और सीओबी#11 से की गई।

iii. आईएसपी, सीओबी#8 के चालू हुए बिना भी अतिरिक्त कोक उपलब्धता को देखते हुए, वर्ष 2018-19 तक लगभग हर वर्ष सहयोगी इकाइयों को बीएफ कोक की आपूर्ति कर रहा था।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि:

- i. सेल द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ ने पाया कि 2012-2015 के दौरान उपकरणों की आंशिक मरम्मत और प्रतिस्थापन से उप-उत्पाद संयंत्र की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उपकरण अत्यधिक खराब हो चुके थे और उपयोग के लायक नहीं थे।
- ii. हालांकि, सेल बोर्ड ने अप्रैल 2015 में बीएफ#2 को बंद करने का फैसला किया, लेकिन बीएफ# 2 के परिचालन की स्थिति अर्थात् उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति में अंतर प्रबंधन को पहले से ज्ञात था। 2010-11 से 2014-15 के दौरान इस्को इस्पात संयंत्र में अधिकांश इस्पात उत्पादों की शुद्ध बिक्री प्राप्ति उनकी उत्पादन लागत से कम थी।
- iii. प्रबंधन सीओबी#10 और 11 से कोक की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम था और यहां तक कि अपने सहयोगी संयंत्रों को भी कोक की आपूर्ति कर सका, जिसका अर्थ था कि संयंत्र को चलाने के लिए सीओबी#8 से कोक की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार, अपर्याप्त योजना और उप-उत्पाद संयंत्र के साथ सीओबी#8 की मरम्मत की आवश्यकता और व्यवहार्यता का आकलन करने में असमर्थता के कारण बैटरी की शीत मरम्मत पर ₹18.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिसे बाद में चालू किए बिना ही निपटा दिया गया।

अध्याय VII: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

7.1 गुजरात और महाराष्ट्र में टोल परिचालन

7.1.1 परिचय

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का गठन भारत सरकार (जीओआई) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच/मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत किया गया तथा इसका परिचालन फरवरी 1995 में हुआ। सार्वजनिक निधि, निजी निधि या दोनों के मिश्रण से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोग पर उपयोगकर्ताओं से टोल (उपयोग शुल्क) उद्ग्रहीत करने हेतु भारत सरकार को सशक्त बनाने के लिए 1997 में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया।

7.1.2 एनएचएआई का संगठनात्मक ढांचा

एनएचएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। यह देश भर में फैले अपने क्षेत्रीय कार्यालयों¹ (आरओ) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व क्षेत्रीय अधिकारी करते हैं जो उनसे संबद्ध परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) का पर्यवेक्षण करते हैं। पीआईयू (पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत 28 पीआईयू) का नेतृत्व परियोजना निदेशक (पीडी) करते हैं, जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं परिचालन तथा पूर्ण हो चुके मार्गों के रखरखाव की निगरानी करते हैं।

7.1.3 एनएचएआई में टोल संग्रह

निर्माण पूरा होने पर परियोजनाएं सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दी जाती हैं। लागत वसूलने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं से टोल संग्रह किया जाता है। टोल नियमों में

¹ देश भर में 24 आरओ हैं, जिनमें पश्चिमी भारत में गांधीनगर, मुंबई और नागपुर में तीन आरओ शामिल हैं।

उल्लिखित दरों के अनुसार टोल तय किए जाते हैं। टोल-संग्रह को दो मॉडलों में विभाजित किया जा सकता है:

- i. एनएचएआई विभिन्न मॉडलों² में पूरी की गई परियोजनाओं से टोल संग्रह करता है। टोल संग्रह के लिए एनएचएआई टोल संग्रह एजेंसियों (टीसीए) को नियुक्त करता है। ये परियोजनाएं, जिनसे एनएचएआई टोल एकत्र करता है, सामान्यतः सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।
- ii. रियायतग्राही (निजी वित्तपोषण साझेदार) टोल संग्रह करते हैं। इनमें निर्माण करो, संचालन करो एवं टोल को अंतरित करो³ (बीओटी टोल) और टोल संचालन करो, अंतरित करो⁴ (टीओटी) मोड की परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

7.1.4 लेखापरीक्षा का दायरा और नमूनाकरण

गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में 74 टोल प्लाजा में से 24 में लेखापरीक्षा की गई, जो 28 पीआईयू में से 13 का हिस्सा थे (तालिका 1) जो आरओ गांधीनगर, आरओ मुंबई और आरओ नागपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में थे। पश्चिमी भारत में एनएचएआई के टोल परिचालनों की लेखापरीक्षा टोल संग्रहण तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में किया गया।

तालिका 7.1: विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित 24 टोल प्लाज़ाओं की सूची

क्षेत्रीय कार्यालय	टोल प्लाजा के नाम	सम्मिलित पीआईयू
गांधीनगर	नाडियाड	अहमदाबाद
	मंडावा, भगवाड़ा और मंडल (व्यारा) (3)	सूरत
	लिमडी और भटवाड़ा (2)	गोधरा

² अभियंत्रण, क्रय तथा निर्माण मॉडल तथा मद-वार दर अनुबंध मॉडलों की तरह, इसमें बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर (वार्षिकी) और मिश्रित वार्षिकी पद्धति (एचएएम) की परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिसमें एनएचएआई परिचालन अवधि के दौरान रियायतग्राही को निश्चित वार्षिकी का भुगतान करता है।

³ बीओटी टोल में, रियायतग्राही परिचालन अवधि के दौरान टोल वसूलता है। एनएचएआई उस बोलीदाता का चयन करता है जो एनएचएआई को सबसे अधिक प्रीमियम देने की पेशकश करता है या जो एनएचएआई से सबसे कम अनुदान (वीजीएफ) लेने की पेशकश करता है।

⁴ टीओटी एक ऐसा मॉडल है जिसमें एनएचएआई निर्मित सड़क का मुद्राकरण करता है। यह उस बोलीदाता का चयन करता है जो एनएचएआई को रियायत अवधि के लिए टोल-संग्रह अधिकार सौंपने के बदले में सबसे अधिक अग्रिम राशि का भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसके दौरान टीओटी रियायतग्राही सड़क का रखरखाव और संचालन करता है।

क्षेत्रीय कार्यालय	टोल प्लाजा के नाम	सम्मिलित पीआईयू
	उंदावरिया/सिरोही, मखेल एवं खेमाना (3)	पालनपुर
	ओखामाडी और वनाना (2)	राजकोट
मुंबई	किनी	कोल्हापुर
	हिवरगांव पवासा, पटास और खेड़ शिवपुर (3)	पुणे
	चरोटी	थाणे
	पिंपलगांव	नासिक
नागपुर	नंदगांव और करंजा घाट (2)	अमरावती
	पारगांव और करोडी (2)	औरंगाबाद
	शिरपुर	धुले
	हूसनापुर और केलापुर (2)	यवतमाल

अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 24 टोल प्लाजा से कुल टोल संग्रह ₹5,290.78 करोड़⁵ था।

7.1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की पूंजीगत लागत और परिचालन तथा रखरखाव का व्यय एनएचएआई और रियायतग्राहियों द्वारा टोल लगाकर सड़क उपयोगकर्ताओं से उद्ग्रहीत किया जाता है। टोल का निर्धारण, उद्ग्रहण, संशोधन और विनियमन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

⁵ किनी ₹271.93 करोड़, चरोटी ₹475.05 करोड़, पिंपलगांव ₹356.68 करोड़, हिवरगांव पवासा ₹113.24 करोड़, पटास ₹206.54 करोड़, खेड़ शिवपुर ₹393.06 करोड़ नंदगांव ₹205.61 करोड़, करंजा घाट ₹104.17 करोड़, शिरपुर ₹298.95 करोड़, करोडी ₹26.50 करोड़, परगांव ₹106.97 करोड़, हुस्नापुर ₹55.17 करोड़, और केलापुर ₹160.57 करोड़, लिमडी ₹40.96 करोड़, मंडावा ₹312 करोड़, भगवड़ा ₹547.30 करोड़, उंदावरिया/सिरोही ₹163.69 करोड़, मखेल ₹380.71 करोड़, ओखामाडी-कुचाडी ₹53.03 करोड़, खेमना ₹241.30 करोड़, भटवाड़ा ₹366.63 करोड़, मंडल ₹350.98 करोड़, वनाना ₹27.59 करोड़, नाडियाड ₹32.15 करोड़

7.1.5.1 लागू नियमों एवं निर्देशों के अनुसार टोल उद्ग्रहण

क. टोल संग्रह शुरू होने में विलंब के कारण ₹9.60 करोड़ की राजस्व हानि

एनएच शुल्क नियम 2008 के नियम 3(2) के अनुसार, टोल संग्रह परियोजना पूरी होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर शुरू हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 (संशोधित 2014) में प्रावधान है कि एकल संरचनाओं (जैसे पुल, फ्लाईओवर आदि) के साथ-साथ 60 मीटर से अधिक लंबाई वाले रैखिक राजमार्ग/एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनने वाली संरचनाओं के उपयोग के लिए टोल की दर की गणना राजमार्ग/एक्सप्रेसवे की समतुल्य लंबाई में उसकी लंबाई को 10 से गुणा करके की जाएगी। एनएचएआई (सितम्बर 2009) ने परियोजना के अनुमानित समापन से कम से कम छः माह पहले एनएचएआई के तकनीकी प्रभाग को प्रस्ताव भेजकर टोल संग्रहण शुरू करने के लिए अग्रिम योजना बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। टोल अधिसूचना के प्रसंस्करण पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (जुलाई 2020) के दिशानिर्देशों में भी यही प्रावधान दोहराया गया।

क) एनएचएआई ने (अगस्त 2017) गुजरात राज्य में एनएच-8 ई के पोरबंदर से द्वारका खंड को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर चार लेन का बनाने के लिए पोरबंदर-द्वारका एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ एक रियायत करार (सीए) किया। स्वतंत्र अभियंता (आईई)⁶ ने मार्च 2020 तक परियोजना के पर्याप्त रूप से पूरा हो जाने की जानकारी दी। एनएचएआई ने 18 अप्रैल 2020 को परियोजना की अंतिम वाणिज्यिक परिचालन तिथि (पीसीओडी⁷) घोषित की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2020 को परियोजना के लिए टोल अधिसूचना प्रकाशित की और एनएचएआई ने 29 सितंबर 2020 से टोल संग्रह शुरू किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 अप्रैल 2020 को पीसीओडी से 45 दिनों के भीतर टोल संग्रहण प्रारंभ करने में पीआईयू राजकोट की ओर से विलंब हुआ। यद्यपि टोल-संग्रह 2 जून 2020 तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन एनएचएआई ने इसे 118 दिनों के

⁶ आईई परियोजना की निगरानी के लिए एनएचएआई द्वारा नियुक्त परामर्शदाता फर्म है।

⁷ जब परियोजना की एक महत्वपूर्ण अवधि (जैसा कि करार में निर्दिष्ट है) पूरी हो जाती है, तो आईई पीसीओडी जारी कर सकता है। टोल-संग्रह से संबंधित मामलों के लिए, पीसीओडी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीसीओडी से टोल-संग्रह शुरू किया जा सकता है।

विलंब से 29 सितंबर 2020 को ही शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.95 करोड़⁸ का संभावित राजस्व प्रभाव पड़ा।

एनएचएआई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि पीआईयू ने पीसीओडी से काफी पहले टोल अधिसूचना प्रक्रिया शुरू कर दी थी (फरवरी 2020)। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन जून 2020 में टोल संग्रह शुरू न करने के प्रमुख कारण थे। एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड संबंधी यातायात प्रतिबंधों के कारण अप्रत्याशित घटना के दावों का भुगतान किया था। विलंब के कारण कोई बड़ी हानि नहीं हुई और टोल अधिसूचना (26 अगस्त 2020) के बाद एनएचएआई ने 3 सितंबर 2020 को टोल-संग्रह शुरू कर दिया।

एनएचएआई ने 26 मार्च से 19 अप्रैल 2020 तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हटाए जाने के बाद संविदाकारों को विभिन्न राहत प्रदान करने के लिए नीति परिपत्र जारी किया (मई 2020)। इस नीति परिपत्र में 20 अप्रैल 2020 से टोल संग्रहण पुनः आरंभ होने पर टीसीए को राहत देने के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, 20 अप्रैल 2020 से यातायात की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए, एनएचएआई को 2 जून 2020 से टोल संग्रह शुरू करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, पीआईयू ने टोल अधिसूचना प्रक्रिया फरवरी 2020 में ही शुरू की, जबकि एनएचएआई के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, पीआईयू को इसे कम से कम 21 अक्टूबर 2019 तक, अर्थात् 18 अप्रैल 2020 को परियोजना के पूरा होने से छः माह पहले शुरू कर देना चाहिए था।

ख) आरओ मुंबई के अंतर्गत एनएच-3 का पिंपलगांव-नासिक-गोंडे खंड एक सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना⁹ है। इस परियोजना में, एनएचएआई ने 15 अगस्त 2021 तक 3.456 किलोमीटर¹⁰ फ्लाईओवर का निर्माण पूरा कर लिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 09 सितंबर 2021 को नए खुले फ्लाईओवर की लंबाई सहित संशोधित टोल

⁸ 118 दिन को ₹249,888 से गुणा करने पर = ₹2,94,86,784 (टीसीए द्वारा टोल के दैनिक प्रेषण पर आधारित)

⁹ सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएँ वे होती हैं जिनसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल वसूलता है। ये परियोजनाएँ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुबंधों जैसे ईपीसी, एचएएम तथा बीओटी के अंतर्गत निर्मित की जाती हैं।”

¹⁰ 3.456 किमी लंबे फ्लाईओवर में चिंचखेड फ्लाईओवर के लिए 0.2772 किमी, गडक कॉर्नर फ्लाईओवर के लिए 0.2016 किमी, साईखेड़ा जंक्शन फ्लाईओवर के लिए 0.2016 किमी और मुख्य उच्च स्तरीय मार्ग (एमईसी) के लिए 2.776 किमी शामिल हैं। टोल दरों की गणना के लिए, इसकी समतुल्य लंबाई 34.56 किमी (3.456 किमी x 10 गुना) है।

अधिसूचना प्रकाशित की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संशोधित टोल अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी पीआईयू नासिक तथा क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई ने आवश्यक औपचारिकताओं में विलम्ब किया और बढ़ी हुई टोल दरों का संग्रह 1 नवम्बर 2021 से ही प्रारम्भ किया। एनएचएआई को 15 अगस्त 2021 को फ्लाइओवरों का कार्य पूर्ण होने के 45वें दिन, अर्थात् 01 अक्टूबर 2021 से बढ़ी हुई टोल दरों का संग्रह प्रारम्भ कर देना चाहिए था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बढ़ी हुई टोल दरों का संग्रह शुरू करने में 1 से 31 अक्टूबर 2021 तक 31 दिनों के विलंब के परिणामस्वरूप एनएचएआई को ₹2.89 करोड़¹¹ का संभावित राजस्व प्रभाव पड़ा।

एनएचएआई ने उत्तर दिया (मई 2024) कि एनएच शुल्क नियम 2008 वार्षिक टोल संशोधन के छः माह के भीतर टोल संशोधन की अनुमति नहीं देता है, जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को किया जाता है। 1 से 31 अक्टूबर 2021 की अवधि का उपयोग हितधारकों को संशोधित टोल दरें स्वीकार कराने के लिए किया गया और इसके बाद एनएचएआई ने टोल संग्रह प्रारम्भ कर दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस विषय में कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की।

एनएचएआई के उत्तर से यह पुष्टि होती है कि टोल दरों के संशोधन में 31 दिनों का विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पिंपलगांव टोल प्लाज़ा पर एनएचएआई को टोल राजस्व की हानि हुई।

(ग) एनएचएआई ने एनएच-44 के बोरखेड़ी-वेडनर-देवधारी-केलापुर खंड की टोल दरों की गणना के लिए, मई 2016¹² से 20 फरवरी 2023 तक दो संरचनाओं¹³ की 10 गुना समतुल्य लंबाई को सम्मिलित नहीं किया। इन संरचनाओं की 10 गुना समतुल्य लंबाई को टोल गणना में तभी जोड़ा गया जब टीओटी रियायतग्राही ने फरवरी 2023 में टोल-संग्रह का कार्यभार संभाला। एनएचएआई ने इन संरचनाओं की समतुल्य लंबाई का 10

¹¹ ₹2.89 करोड़ = 31 दिन x ₹931343 प्रति दिन (₹931343 टोल गणना में फ्लाइओवर को जोड़ने के कारण टीसीए द्वारा प्रेषण में वृद्धि है)।

¹² पीआईयू यवतमाल द्वारा उपलब्ध कराया गया आँकड़ा केवल मई 2016 से दिया गया है, जबकि तुल्य लंबाई को 10 गुना मानने का नियम जनवरी 2014 से लागू हो चुका था।

¹³ किमी 132.670 पर दोनों ओर 63.04 मीटर लंबाई के फ्लाइओवर तथा किमी 139.465 पर केवल दाईं ओर।

गुना टोल दरों में लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप केलापुर टोल प्लाजा पर ₹3.76 करोड़¹⁴ के टोल राजस्व की हानि हुई।

एनएचएआई/मंत्रालय ने (मई 2024/जनवरी 2025) में स्वीकार किया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई संरचनाओं को प्रारम्भ में टोल दरों की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया था। भविष्य में ऐसी कमियों से बचने के लिए एनएचएआई ने मई 2024 में निर्देश जारी किए।

इन उत्तरों से टोल-संशोधन में हुई विलंब की पुष्टि होती है, जिसके कारण केलापुर टोल प्लाजा पर एनएचएआई को राजस्व की हानि हुई।

इसलिए, टोल संग्रहण शुरू होने में विलंब के परिणामस्वरूप तीन परियोजनाओं में एनएचएआई को ₹9.60 करोड़¹⁵ के राजस्व की हानि हुई।

अनुशंसा संख्या 44: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/एनएचएआई यह सुनिश्चित करे कि किसी परियोजना के पूर्ण होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर टोल संग्रह प्रारम्भ हो जाए।

ख. टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में छूट और अनियमित रियायतें

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 11 में कुछ श्रेणियों के वाहनों और उपयोगकर्ताओं को टोल भुगतान से छूट प्रदान की गई है, जिनमें सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन भी सम्मिलित हैं। नियम 11 के अनुसार छूट की पूरी सूची **अनुलग्नक XII** में दी गई है। अन्य सभी वाहनों को टोल प्लाजा पार करते समय टोल देना होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 का नियम 9(3) टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को रियायती टोल भुगतान पर मासिक पास के

¹⁴ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर 2016 से 20 फ़रवरी 2023 तक वास्तविक टोल वसूली ₹120.35 करोड़ रही। संरचना की उस तुल्य लंबाई के अनुपात में ₹3.76 करोड़ का टोल राजस्व हानि निकाला गया, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल दरों की गणना में शामिल करने में विफल रहा।

¹⁵ लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, राजस्व हानि के आकलन हेतु वार्षिक टोल संशोधन की प्रभावी तिथियाँ-1 अप्रैल या 1 अक्टूबर-को ध्यान में रखते हुए, सतर्क आधार पर गणना की है।

माध्यम से रियायती टोल दरों की अनुमति देता है। प्रत्येक टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों के लिए लागू रियायती दरें एनएचएआई द्वारा प्रकाशित संबंधित टोल दरों में निर्दिष्ट की जाएँगी। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के प्रावधानों से इतर किसी भी प्रकार की छूट या रियायत देना अनियमित है। टोल संग्रह के केवल फ़ास्टटैग¹⁶ और नकद ही स्वीकार्य हैं, अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से टोल संग्रह करना भी अनियमित माना जाएगा।

(i) टोल प्लाजा में छूट की अधिकतम संख्या

एनएचएआई सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा से टीसीए का उपयोग करके टोल वसूलता है। आरओ गांधीनगर¹⁷ में सात सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा के टोल आंकड़ों की समीक्षा (तालिका 2) से पता चला है कि छूट 6.88 से 46.82 प्रतिशत के बीच थी। यद्यपि एनएचएआई शुल्क नियमों के अनुसार टोल-मुक्त वाहनों की अनुमत श्रेणियाँ बहुत सीमित हैं, फिर भी छूट की उच्च दर से यह स्पष्ट होता है कि एनएचएआई इसका प्रभावी रूप से निगरानी नहीं कर रहा था।

तालिका 7.2: आरओ गांधीनगर के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा में छूट

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का नाम	आंकड़े की अवधि	वाहनों की संख्या (क)	छूट प्राप्त वाहनों की संख्या (ख)	छूट का प्रतिशत (ग=ख/क*100)
1	लिमडी	अप्रैल 2020 से मार्च 2023	53,64,393	25,11,566	46.82
2	मखेल	अगस्त 2022 से मार्च 2023	23,96,110	1,64,947	6.88
3	खेमाना	सितंबर 2020 से मार्च 2023	1,46,88,343	29,47,281	20.07
4	उंदवारिया	अप्रैल 2020 से मार्च 2023	1,45,17,185	11,88,958	8.19
5	ओखामाधी		26,11,701	2,07,630	7.95
6	मांडवा	अप्रैल 2020 से मार्च 2023	5,31,56,640	55,72,149	10.48
7	भगवाड़ा	अप्रैल 2020 से मार्च 2023	आंकड़े प्रस्तुत 18 नहीं किए गए		

स्रोत: टोल प्रबंधन प्रणाली आंकड़े

¹⁶ फरवरी 2021 से, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल-संग्रह के लिए फास्टटैग को डिफ़ॉल्ट तरीका बना दिया है। फरवरी 2021 से टोल-संग्रह का एकमात्र अन्य स्वीकार्य तरीका नकद है, जिसकी टोल दर सामान्य टोल दर से दोगुनी है।

¹⁷ मुंबई और नागपुर के अंतर्गत टोल प्लाजा की समीक्षा के लिए प्रासंगिक डेटा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

¹⁸ यह मई 2022 तक बीओटी मोड के अंतर्गत था और मई 2022 से सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा बन गया। पीआईयू-सूरत ने टोल डेटा प्रस्तुत नहीं किया।

अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक टोल डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि फास्टैग का उपयोग करके दी गई छूट दो प्रतिशत से भी कम थी और शेष 98 प्रतिशत भौतिक रूप से दी गई थी। इन 98 प्रतिशत में से, स्थानीय वाहनों को दी गई छूट 31 से 83 प्रतिशत के बीच थी, हालांकि एनएच शुल्क नियमों के अनुसार उन्हें रियायती दरों पर मासिक पास प्राप्त करना आवश्यक है (अनुलग्नक XIII)। खेमाना टोल प्लाजा में फायर ब्रिगेड के नाम पर छूट औसतन प्रति माह 30,495 वाहन (सितंबर 2020 से सितंबर 2021) थी, जबकि नवंबर 2020 के माह में यह संख्या 96,670 थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि एनएचएआई ने सभी आरओ/पीआईयू को मासिक आधार पर टोल प्लाजा पर छूट/उल्लंघन की निगरानी करने के लिए एक सलाह जारी की (मई 2024) ताकि छूट प्राप्त वाहनों की अधिक संख्या से संबंधित मुद्दों की निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सके।

असामान्य रूप से उच्च छूट से भविष्य में एनएचएआई के टोल राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सार्वजनिक वित्तपोषित टोल प्लाजा के टोल संग्रह समझौतों के लिए एनएचएआई द्वारा आमंत्रित निविदाओं में उद्धृत राशि में कमी आएगी और निगरानी तंत्र का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

(ii) टोल प्लाजा में अनियमित रियायतें और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके अनियमित टोल-संग्रह

लेखापरीक्षा में मुंबई और नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत दो टोल प्लाजा में निम्नलिखित मुद्दे पाए गए:

- एनएच 3 परियोजना के पिंपलगांव-नासिक-गाँडे खंड के छः लेन में, बीओटी टोल रियायतग्राही ने पिंपलगांव टोल प्लाजा से अक्टूबर 2012 में टोल-संग्रह शुरू किया था। निफाड़ इलाके के स्थानीय लोगों ने टोल वसूली का विरोध किया, और रियायतग्राही ने अक्टूबर 2012 से स्थानीय लोगों को रियायती टोल दरों की अनुमति दे दी। मार्च 2014 में कुछ संरचनाओं का निर्माण पूरा होने पर, टोल की

दरें बढ़ा¹⁹ दी गई। स्थानीय लोगों ने टोल की दरें बहुत अधिक होने का आरोप लगाते हुए संशोधित टोल दरों का फिर से विरोध किया। नासिक के जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित एक बैठक (23 मई 2014) में स्थानीय लोगों को दी जाने वाली मौजूदा (अक्टूबर 2012 से) रियायती टोल दरों को जारी रखने का निर्देश दिया गया। एनएचआई ने बीओटी टोल रियायत करार को समाप्त कर दिया और अप्रैल 2016 से टोल संग्रहण का कार्यभार अपने अधीन ले लिया, जो अभी भी जारी है (अगस्त 2025 तक)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दी गई रियायती दरें एनएच शुल्क नियम 2008 में प्रदत्त रियायती दरों से अधिक थीं। मार्च 2023 के माह के लिए पिंपलगांव टोल प्लाजा के टोल संग्रह की नमूना जांच से पता चला कि ये रियायतें ₹1.17 करोड़ के बराबर थीं।

एनएचआई/ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि स्थानीय विरोध के कारण पिंपलगांव टोल प्लाजा में एनएचआई को रियायतें देने के लिए बाध्य होना पड़ा और एनएचआई ने बताया कि एनएच शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार सामान्य टोल दरें वसूलने के किसी भी प्रयास से कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला साथ ही, महाराष्ट्र राज्य के साथ राज्य सहयोग करार होने के बावजूद एनएचआई के महाराष्ट्र सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के प्रयास भी सफल नहीं हुए।

- एनएच-6 का तालेगांव-अमरावती खंड एक बीओटी टोल परियोजना है, जिससे आईआरबी तालेगांव अमरावती टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (रियायतग्राही) टोल²⁰ वसूल रहा है। स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने (जनवरी 2021) एनएचआई को वरुड और मोर्शी क्षेत्र के निवासियों को नंदगांव टोल प्लाजा पार करने के लिए टोल दरों में 25 प्रतिशत की रियायती

¹⁹ एनएचआई द्वारा पीसीओडी-1 जारी करने पर रियायतग्राही ने अक्टूबर 2012 में पिंपलगांव टोल प्लाजा से परियोजना के लिए टोल संग्रह शुरू किया। मार्च 2014 में ₹450 करोड़ की लागत वाले 5.7 किलोमीटर लंबे मुख्य एलिवेटेड कॉरिडोर (एमईसी) के पूरा होने पर पीसीओडी-1 जारी होने पर पिंपलगांव टोल प्लाजा पर टोल दरें बढ़ गईं।

²⁰ नवंबर 2009 में रियायत समझौता हुआ तथा अप्रैल 2013 में पीसीओडी संपन्न हुआ।

छूट देने के निर्देश जारी किए। रियायतग्राही ने एनएचएआई के निर्देशों (जनवरी 2021) के आधार पर इसकी अनुमति दी और एनएचएआई से शेष 75 प्रतिशत टोल दरों का दावा किया। जनवरी 2021 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए कुल प्रतिपूर्ति दावे ₹2.55 करोड़ थे। यह भी पाया गया कि रियायतग्राही ने वरुड-मोर्शी क्षेत्र के निवासियों को रियायती टोल दरों का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएचएआई ने एनएच शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों से अधिक अनियमित रियायतें दीं। साथ ही, फ़रवरी 2021 से टोल संग्रह हेतु फास्टैग के अनिवार्य उपयोग संबंधी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्मार्ट कार्ड का उपयोग किया गया। उपर्युक्त दो टोल प्लाज़ा को छोड़कर अन्य मामलों में अनियमित रियायत या टोल संग्रह से संबंधित मामले नहीं पाए गए।

एनएचएआई (मई 2024) ने उत्तर दिया कि कि रियायतग्राही को नंदगांव टोल प्लाजा के संबंध में स्मार्ट कार्ड को फास्टैग में एकीकृत करने का निर्देश दिया गया था, जिसे रियायतग्राही ने पूरा कर लिया, और दिसंबर 2022 से कोई नया स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किया गया। मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

नंदगांव टोल प्लाजा के आसपास के निवासियों को दी गई रियायतें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने ही राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध निर्देश देने के समान हैं। यद्यपि उत्तर में बताई गई स्थिति पर लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिया गया, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में इन स्थितियों से निपटने हेतु एक रूपरेखा तैयार करना महत्वपूर्ण है।

अनुशंसा संख्या 45: एनएचएआई/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ऐसी परिस्थितियों के समाधान हेतु एक रूपरेखा स्थापित करे, ताकि प्रदान की जाने वाली रियायतें एनएच शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हों।

ग. रियायत अवधि समाप्त होने के बाद टोल दरों को 40 प्रतिशत तक न घटाना

एनएच शुल्क नियम, 2008 के नियम 6(6) में यह प्रावधान था कि नियम में निर्धारित दरों पर टोल अनिश्चितकाल तक वसूला जाएगा। जनवरी 2011 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रावधान में संशोधन किया। इसके अनुसार, जिन परियोजनाओं में रियायतग्राही टोल वसूल रहा था (जैसे बीओटी टोल और टीओटी परियोजनाएँ), उनकी रियायत अवधि समाप्त होने के बाद परियोजना को कार्यान्वयन प्राधिकरण (जैसे एनएचएआई) अपने अधीन ले लेता और हस्तांतरण की तिथि पर लागू टोल दर के 40 प्रतिशत की दर से टोल वसूली प्रारम्भ करता। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में, संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि परियोजना की लागत वसूल होने के बाद टोल दरें 40 प्रतिशत तक कम कर दी जाएँगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने (6 अक्टूबर 2023) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 6(6) में पुनः संशोधन किया और स्थायी रूप से निर्धारित दरों पर टोल वसूलने के मूल प्रावधान को पुनः लागू कर दिया।

40 प्रतिशत की दर से टोल संग्रह की आवश्यकता वाला नियम जनवरी 2011 से अक्टूबर 2023 तक प्रभावी था। लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसके अनुपालन की समीक्षा की और पाया कि एनएचएआई द्वारा रियायत अवधि की समाप्ति पर टोल संग्रह का कार्यभार संभालने के बाद टोल दरों को 40 प्रतिशत तक कम नहीं किया गया था। इससे सड़क उपयोगकर्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा तथा एनएच शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

(i) टोल दरों को 40 प्रतिशत तक न घटाए जाने से सड़क उपयोगकर्ताओं पर ₹180.44 करोड़ का अनुचित बोझ पड़ा।

एनएचएआई ने गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में एनएच-8 के सूरत-दहिसर खंड को बीओटी टोल मॉडल पर छः लेन का बनाने के लिए आईआरबी सूरत दहिसर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ एक रियायत अनुबंध (सीए) पर हस्ताक्षर किए (30 अप्रैल 2008)। रियायत अवधि 25 मई 2022 को समाप्त हो गई और एनएचएआई ने टोल संग्रह अपने अधीन ले लिया। एनएचएआई ने (14 मार्च 2022) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से 100 प्रतिशत दरों पर टोल संग्रह की अनुमति मांगी। हालाँकि, सड़क

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2022) कि केवल 40 प्रतिशत टोल दर ही लगाई जानी चाहिए। परियोजना में भगवाड़ा और चरोटी टोल प्लाजा में एनएचएआई के टोल संग्रह की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि एनएचएआई को 25 मई 2022 को रियायत अवधि समाप्त होने के बाद टोल दरों को 40 प्रतिशत तक कम करना चाहिए था, एनएचएआई ने 26 मई 2022 से पूरी दरों पर टोल संग्रह शुरू कर दिया। दरों को 40 प्रतिशत तक न घटाने के परिणामस्वरूप 26 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए भगवाड़ा और चरोटी टोल प्लाजा में क्रमशः²¹ ₹91.93 करोड़ और ₹88.50 करोड़ (अनुलग्नक XIV) का अतिरिक्त टोल संग्रह हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि सतत टोल संग्रह का प्रावधान अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया था और इसलिए सड़क उपयोगकर्ता पर कोई अनुचित बोझ नहीं था।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मई 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि से संबंधित था, जिसके दौरान एनएचएआई को 40 प्रतिशत की दर से टोल वसूलना चाहिए था। मंत्रालय के उत्तर में उल्लिखित संशोधित प्रावधान केवल 06 अक्टूबर 2023 से लागू था।

अनुशंसा संख्या 46: एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि टोल केवल एनएचएआई नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार लागू दरों के अनुसार ही एकत्र किया जाए।

(ii) **सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं की पूंजीगत लागत की वसूली की निगरानी हेतु परियोजनावार लेखांकन का अभाव**

जनवरी 2011 से अक्टूबर 2023 तक लागू राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 6(6) के अनुसार, सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं की टोल दरें परियोजना की पूंजीगत लागत की वसूली के बाद टोल दरों का 40 प्रतिशत होंगी। पूंजीगत लागत की वसूली की निगरानी लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एएफएमएस - एनएचएआई की लेखांकन प्रणाली) के माध्यम से की जानी चाहिए। तथापि, एनएचएआई में परियोजनावार

²¹ यह उल्लेख करना उचित है कि इस खंड पर दो अन्य टोल प्लाजा हैं, जिनके नाम हैं बोरियाच (किमी 297.300) और खानीवाड़े (किमी 467.220)।

लेखांकन न होने के कारण, सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना की पूंजीगत लागत की वसूली की निगरानी नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने (जनवरी 2025) में उत्तर दिया कि एनएचएआई में परियोजना-वार लेखांकन अभी लागू किया जाना शेष है एवं इस विषय की भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है।

तथ्य यह है कि एनएचएआई में परियोजना-वार लेखांकन उपलब्ध नहीं था। इसी कारण एनएचएआई सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं की पूंजीगत लागत की वसूली की निगरानी नहीं हो सकी, जिससे टोल दरों को 40 प्रतिशत तक कम करने में बाधा उत्पन्न हुई। हालाँकि अक्टूबर 2023 से टोल दरों को 40 प्रतिशत तक कम करने का प्रावधान लागू नहीं है, फिर भी परियोजना-वार लेखांकन के अभाव के कारण एनएचएआई परियोजना लेखांकन से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से वंचित थी। इनमें परियोजनाओं में निवेशित पूंजीगत लागत की वसूली और परियोजनाओं की योजना बनाने में सक्षमता के संबंध में बेहतर निर्णय लेना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, टोल राजस्व के जीएल कोड (एएफएमएस में खाता कोड) के साथ परियोजना का मिलान करके एनएचएआई की लेखा प्रणाली में बदलाव लागू करने के लिए आईसीएआई द्वारा जाँच की आवश्यकता समझ से परे है।

मंत्रालय द्वारा 'भारतमाला परियोजना के चरण-I के कार्यान्वयन' (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 19, वर्ष 2023) पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित एक समान पैराग्राफ (सं. 4.3.3) पर परियोजना-वार लेखांकन को सुव्यवस्थित करने का आश्वासन (अप्रैल 2022) दिए जाने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।

घ. अधिभार (ओवरलोडिंग) और दोगुने टोल से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

एनएच शुल्क नियम, 2008 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि अनुमेय भार से अधिक भार वाले वाहन को अगले उच्च श्रेणी के वाहन पर लागू दर पर टोल का भुगतान करना होगा। इस नियम में संशोधन किया गया (दिसंबर 2013) और इसके अंतर्गत, अधिभारित वाहन के चालक/मालिक को लागू टोल के 10 गुना के बराबर टोल देना अनिवार्य कर

दिया गया। यदि वाहन अधिभारित है, तो उसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ने से पहले अनुमत सीमा तक अतिरिक्त सामान उतारना होगा।

एनएचएआई ने निर्देश दिया (मई 2014) कि संशोधित नियम सभी सीए (रियायत समझौतों) पर लागू होगा, चाहे उनकी कार्यान्वयन तिथि कुछ भी हो। एनएचएआई की नीति परिपत्रों (2015/2017) में यह उल्लेख था कि अधिभारित वाहनों से वसूली जाने वाली शास्ति को संबंधित सीए के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जा सकता है; यदि सीए में किसी अधिभारित वाहन के लिए अगली उच्चतर श्रेणी की दर वसूलने का प्रावधान है, तो टोल का अंतर (वाहन श्रेणी के लागू टोल का 10 गुना घटा अगली उच्चतर वाहन श्रेणी की दर) एनएचएआई को जमा किया जाएगा और जहां संशोधित टोल नियम सीए का हिस्सा था, ऐसी राशि रियायतग्राहियों द्वारा रखी जा सकती है। इस नियम में पुनः संशोधन किया गया (सितंबर 2018) जिसमें अधिभार²² के प्रतिशत के अनुसार अधिभारित वाहनों के लिए टोल निर्धारित किया गया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए फास्टैग के माध्यम से टोल का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया (फरवरी 2021)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि जिन वाहन चालकों के पास वैध/कार्यात्मक फास्टैग नहीं हैं, वे सामान्य दर से दोगुना नकद टोल का भुगतान करें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि वह एकत्रित टोल का 50 प्रतिशत नकद भारत की संचित निधि (भारत की संचित निधि) में जमा कराए। टीसीए या रियायतग्राही केवल सामान्य टोल दर का अपना हिस्सा ही रख सकते थे तथा एकत्रित शास्ति प्रभार (दोगुना टोल) एनएचएआई के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाना था।

²² यदि लोडिंग अधिकतम स्वीकार्य सकल वाहन भार से क्रमशः 0-20 प्रतिशत, 20-40 प्रतिशत, 40-60 प्रतिशत, 60-80 प्रतिशत, 80 प्रतिशत से अधिक हो तो दंडात्मक दरें सामान्य टोल दर से 2, 4, 6, 8 और 10 गुना अधिक थीं।

(i) **अधिभारित वाहनों के लिए लागू उच्च टोल का संग्रहण न करना तथा वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले अतिरिक्त भार को उतारने में विफलता।**

अधिभार से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रत्येक यातायात दिशा में टोल प्लाज़ा के बाद एक स्टेटिक वेब्रिज (एसडब्ल्यूबी) की आवश्यकता होती है, जहाँ अधिभार वाले वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग क्षेत्र भी हो। टोल लेन से गुजरते समय यदि गति में तोलने वाली प्रणाली (डब्ल्यूआईएम) किसी वाहन को अधिभार वाला पाती है, तो उसे निर्धारित क्षेत्र में भेजा जाता है। इसके बाद वाहन को एसडब्ल्यूबी पर दोबारा तोला जाता है ताकि अधिक भार की पुष्टि की जा सके।

लेखापरीक्षा ने ओवरलोडिंग से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की और पाया कि:

- एनएच शुल्क नियमों में निर्धारित यह प्रावधान कि वाहनों को आगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने देने से पहले उनका अतिरिक्त भार उतारना अनिवार्य है, लेखापरीक्षा के लिए चयनित किसी भी टोल प्लाज़ा में अनुपालन नहीं पाया गया।
- सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) किसी वाहन का वह कुल भार होता है जब वह पूरी तरह लदा हुआ होता है। यह वाहन को ले जाने की अनुमत अधिकतम भार सीमा है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस, जिसका उपयोग टोल वसूली में किया जाता है) में वाहनों के निर्माण-मॉडल के अनुसार उनके जीवीडब्ल्यू का डाटा उपलब्ध नहीं था।
- टोल पर उपलब्ध टीएमएस से डब्ल्यूआईएम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि डब्ल्यूआईएम/एसडब्ल्यूबी का डेटा टीएमएस के साथ एकीकृत नहीं था।
- भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) द्वारा सूचीबद्ध सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ किए गए समझौतों में टीएमएस के साथ वेब्रिज की स्थापना में विलंब और अ-एकीकरण के लिए किसी शास्ति प्रावधान का उल्लेख नहीं था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि लगभग सभी टोल प्लाजा²³ में वजन मापने की प्रणाली स्थापित होने के बावजूद, नौ बीओटी टोल प्लाजा में से दो में यह प्रणाली चालू नहीं थी।

समीक्षा की गई नौ बीओटी टोल परियोजनाओं में से दो में, रियायतग्राहियों द्वारा वसूला गया अधिभार शुल्क लागू दरों के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राहियों ने रियायत समझौते के अंतर्गत देय अधिभार शुल्क का हिस्सा एनएचएआई को नहीं भेजा। लेखापरीक्षा इस चूक के वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं कर सकी, क्योंकि सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) डेटा को टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। जिन नौ बीओटी टोल प्लाजा की जाँच की गई, उनमें से चार आरओ-गांधीनगर से संबंधित थे। इनमें से दो प्लाजा में अधिभार शुल्क नहीं वसूला गया, जबकि शेष दो में शुल्क सीए के प्रावधानों के अनुरूप वसूला गया, लेकिन 2013 के लागू नियमों के अनुसार नहीं, जो सीए पर हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हुए (2009 और 2011)।

एनएचएआई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि आईएचएमसीएल ने वजन मशीनों को टीएमएस के साथ एकीकृत करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के दायरे में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वाहनों को राज्य मोटर वाहन बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) में ले जाकर उनका वजन कराने के बजाय, फास्टैग के माध्यम से टोल लेन से अधिभार शुल्क वसूला जा सकेगा। वर्तमान में, वाहनों में अधिभार के लिए जुर्माने की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 10 के अनुसार की जाती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले अतिरिक्त भार उतारने से संबंधित नियम का पालन न करने का उल्लेख नहीं किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा में तौल मशीनों के चालू न होने के बारे में भी कोई उत्तर नहीं दिया।

²³ पीआईयू पालनपुर में खेमना, उंदवरिया और मखेल और पीआईयू खोलापुर में किनी टोल प्लाजा को छोड़कर।

अनुशंसा संख्या 47: एनएचएआई अधिभारित वाहनों से टोल वसूली और वाहन को एनएच पर आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले अतिरिक्त भार को उतारने से संबंधित एनएच शुल्क नियम 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करे।

(ii) रियायतग्राही से दोगुना टोल न वसूलना और भारत की समेकित निधि में न भेजना - ₹39.04 करोड़

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों को लागू करने के उद्देश्य से, एनएचएआई ने पीआईयू/आरओ को विभिन्न निर्देश जारी किए (फरवरी-जुलाई/सितंबर 2021) ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोगुना टोल एकत्र किया जाए और तुरंत भारत की संचित निधि को प्रेषित²⁴ कर दिया जाए। इन निर्देशों का पालन न करना वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। एनएचएआई ने पाया (जुलाई 2021) कि सभी पीडी और आरओ को दोगुना टोल वसूलने, भेजने और चूककर्ताओं का विवरण साझा करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। एनएचएआई ने रियायतग्राहियों द्वारा विलंबित भुगतान के लिए बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक ब्याज वसूलने का भी निर्देश दिया (सितंबर 2021)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पश्चिमी भारत के नौ टोल प्लाज़ा को कवर करने वाले सात पीआईयू में बीओटी टोल रियायतग्राहियों से दोगुना टोल वसूलने में विलंब हुआ, जिसका कुल बकाया मार्च 2023 तक ₹39.04 करोड़ था (अनुलग्नक XV)। शेष 15 चयनित टोल प्लाज़ा में कोई अभ्युक्ति नहीं किया गया।

मंत्रालय (जनवरी 2025) ने बताया कि हालाँकि कुछ रियायतग्राही इस धारणा पर दोगुना टोल देने से असंतुष्ट थे कि यह टोल-संग्रह का हिस्सा है, जिसे वे अपने पास रखने के हकदार हैं, एनएचएआई ने रियायतग्राहियों को दोगुना टोल देने के लिए स्पष्ट रूप से सूचित किया था, अन्यथा सीए के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित थी। कुछ बीओटी रियायतग्राही²⁵ पहले ही मध्यस्थता न्यायाधिकरण (एटी) से संपर्क कर चुके हैं, और एनएचएआई एटी के साथ इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रहा है।

²⁴ एकत्रित किए गए दोहरे टोल को भारत की समेकित निधि में आगे भेजने के लिए साप्ताहिक आधार पर एनएचएआई मुख्यालय को प्रेषित किया जाना था; अल्पकालिक टोल संग्रह अनुबंधों (तीन महीने तक) के मामले में, दोहरे टोल को दैनिक आधार पर एनएचएआई मुख्यालय को प्रेषित किया जाना था।

²⁵ आरओ मुंबई के अंतर्गत खेड़ शिवपुर टोल प्लाज़ा और पाटस टोल प्लाज़ा

एनएचएआई द्वारा 2021 में पीडी और आरओ को सख्त निर्देश दिए जाने और चूक करने वाले रियायतग्राहियों के विरुद्ध एनएचएआई द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बावजूद, तथ्य यह है कि एनएचएआई भारत की संचित निधि में दोगुना टोल भेजने पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों को लागू करने में असमर्थ है। रियायतग्राहियों से दोगुना टोल बकाया वसूलने में विलंब से एनएचएआई के लिए जोखिम बढ़ जाता है, यदि रियायत अवधि बकाया वसूलने से पहले ही समाप्त हो जाती है, तो वसूली न होने की संभावना बढ़ जाती है।

अनुशंसा सं. 48: एनएचएआई को चाहिए कि वह दोहरे टोल बकाए की वसूली हेतु रियायत अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता रियायतग्राहियों के विरुद्ध कार्रवाई कर करे ताकि दोगुना टोल बकाया वसूला जा सके और उसे तुरंत भारत की संचित निधि को भेजा जा सके।

7.1.5.2 टोल-संबंधी प्रावधानों का कार्यान्वयन

क. यातायात सर्वेक्षण न कराना या इसमें विलंब करना, जिसके परिणामस्वरूप रियायत अवधि के विस्तार के माध्यम से बीओटी रियायतग्राही को अनुचित लाभ पहुंचाना।

बीओटी टोल सीए, यातायात वृद्धि में परिवर्तन या उतार-चढ़ाव के आधार पर रियायत अवधि में संशोधन का प्रावधान करता है। सीए का खंड 29 एक लक्षित तिथि (भविष्य की कोई तिथि, मान लीजिए सीए की तिथि से 10 वर्ष) और उस तिथि पर अनुमानित यातायात (लक्षित यातायात) निर्दिष्ट करता है। लक्षित तिथि पर वास्तविक ट्रैफिक का निर्धारण किया जाएगा और फिर उसकी तुलना लक्षित ट्रैफिक से की जाएगी। रियायत अवधि में परिवर्तन की विधि, जो लक्षित यातायात और वास्तविक यातायात के बीच परिवर्तन के प्रतिशत पर आधारित है, वह भी सीए के खंड 29 में निर्दिष्ट है।

लक्षित तिथि पर वास्तविक यातायात का निर्धारण, लक्षित तिथि से एक वर्ष पहले, लक्षित तिथि पर और लक्षित तिथि के एक वर्ष बाद, लगातार सात दिनों की अवधि के लिए यातायात नमूनाकरण के माध्यम से प्राप्त औसत वाहन संख्या के आधार पर किया जाता है। यातायात नमूनाकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सीए में किया गया है। एनएचएआई यातायात नमूने की सटीकता की जांच के लिए रियायतग्राही के अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने नौ बीओटी टोल परियोजनाओं में से पांच की समीक्षा की और पाया कि:

- एनएच-8 परियोजना के सूरत-दहिसर खंड में, सीए (अप्रैल 2008) के अनुसार लक्ष्य तिथि 1 जनवरी 2017 थी और लक्षित यातायात 82,043 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) था। यातायात सर्वेक्षण सीए के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, रियायत अवधि, जो 19 फरवरी 2021 को समाप्त होने वाली थी, को निपटान अनुबंध के माध्यम से 25 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया।

एनएचएआई/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि विस्तृत यातायात सर्वेक्षण नियमित रूप से आईई (स्वतंत्र अभियंता) के माध्यम से तब-तब किया गया जब पीआईयू/प्राधिकरण ने इसे उपयुक्त और आवश्यक समझा। परियोजना से जुड़े विभिन्न विवादों का समाधान स्वतंत्र विशेषज्ञों की समाधान समिति (सीसीआईई)²⁶ तंत्र के माध्यम से किया गया तथा इसके लिए पूरक समझौते भी किए गए।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि यातायात नमूना के परिचालन के चयन से संबंधित निर्णय करने का अधिकार एनएचएआई के पास नहीं था, क्योंकि इसे सीए²⁷ की शर्तों और नियमों के अनुसार ही संचालित किया जाना था।

एनएच-6 परियोजना के तालेगांव-अमरावती खंड में, सीए (नवंबर 2009) के अनुसार लक्षित तिथि 01 अप्रैल 2020 थी और लक्षित ट्रेफिक 41,052 पीसीयू था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2019, अप्रैल 2020 और अप्रैल 2021 में किए जाने वाले यातायात नमूने के विपरीत, एनएचएआई ने अगस्त 2019, सितंबर/नवंबर 2020 और जून 2021 में यातायात नमूनाकरण किया। अप्रैल 2019 में यातायात नमूनाकरण न किए जाने का कारण यह बताया गया था कि स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति केवल जून 2019 में ही हुई थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चूंकि एनएचएआई ने जून 2019 में नए आईई की नियुक्ति होने तक तत्कालीन मौजूदा आईई को विस्तार प्रदान किया था, इसलिए

²⁶ अनुबंध संबंधी विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एनएचएआई ने (सितंबर 2019 में) सीसीआईई की स्थापना की। सुलह प्रक्रिया के बाद, पक्षकार एक समझौते पर पहुंचेंगे। सीसीआईई के माध्यम से हल न होने वाले विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

²⁷ यातायात सर्वेक्षण, सीए की अनुसूची-ओ के साथ धारा 22.3 के अनुसार किया जाना था, जो एनएचएआई द्वारा आईई के माध्यम से नहीं किया गया।

आईई की अनुपस्थिति यातायात सर्वेक्षण में विलंब का वैध कारण नहीं थी। हालांकि कोविड महामारी के कारण अप्रैल 2020 में सर्वेक्षण संभव नहीं था, लेकिन अप्रैल 2021 की तुलना में जून 2021 में यातायात नमूनाकरण करने के कारण स्पष्ट नहीं थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि रियायत अवधि में संशोधन से संबंधित निर्णय अप्रैल 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन एनएचएआई इसे अंतिम रूप नहीं दे सका (जून 2024)।

- एनएच-9 परियोजना के पुणे-सोलापुर खंड में, मई 2009 के सीए के अनुसार लक्षित तिथि 1 जनवरी 2019 थी और लक्षित यातायात 32,000 पीसीयू था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीए में उल्लिखित तिथियों पर यातायात नमूनाकरण नहीं किया गया था। रियायतग्राही ने एनएचएआई को सूचित किया कि उसने 20 से 26 जनवरी 2017, 15 से 21 जून 2018 तथा 3 से 9 जुलाई 2019 तक आईई की देखरेख में यातायात नमूनाकरण किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यातायात नमूनाकरण अपेक्षित तिथियों पर नहीं किया गया था तथा तृतीय पक्ष वीडियो आधारित नमूनाकरण पद्धति²⁸, सीए के अनुसार अपेक्षित पद्धति से भिन्न थी। इस परियोजना में, रियायतग्राही ने रियायत अवधि में 832 दिनों के विस्तार का दावा किया था। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही ने विवाद भी उठाया और मामला मध्यस्थता न्यायाधिकरण (एटी) के समक्ष है।

मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत दावों को अपूर्ण और गलत आँकड़ों का हवाला देते हुए स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण रियायतग्राही ने मध्यस्थता का सहारा लिया, और एनएचएआई मध्यस्थता में प्रतिवादी के रूप में अपना पक्ष रख रहा था।

- **मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा-धुले खंड परियोजना में**, जून 2009 के सीए के अनुसार लक्षित तिथि 1 अक्टूबर 2020 थी और लक्षित ट्रेफिक 37,000 पीसीयू था। इस मामले में, आईई द्वारा यातायात सर्वेक्षण कराए जाने के बजाय,

²⁸ टोल प्लाजा स्थल पर वीडियो रिकॉर्डिंग तथा कंसल्टेंट कार्यालय में वीडियो से वाहनों की गणना।

एनएचएआई ने रियायतग्राही को किसी एजेंसी के माध्यम से केवल वीडियोग्राफिक विधि का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी, जो कि सीए में बताए गए यातायात नमूनाकरण के तरीकों से अलग था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूनाकरण के तरीकों में बदलाव और आईई के अतिरिक्त दूसरी एजेंसी को सम्मिलित करने से नमूनाकरण के नतीजे पर असर पड़ता है। रियायतग्राही ने 1,315 दिनों के विस्तार का अनुरोध किया। आईई ने जून 2023 में यातायात सर्वेक्षण²⁹ किया और कोविड-19 में हुई रियायतों को ध्यान में रखते हुए 2020 और 2021 के लिए यथार्थवादी यातायात आँकड़ों की गणना करने हेतु एनएचएआई के दिशा-निर्देश (20 जनवरी 2023) के आधार पर 340 दिनों के विस्तार का प्रस्ताव दिया। एनएचएआई ने रियायत अवधि में संशोधन को (मई 2024 तक) अंतिम रूप नहीं दिया।

- **एनएच-4 परियोजना के पुणे- सतारा खंड में,** सीए के अनुसार लक्षित तिथि मार्च 2010 थी, जो 31 मार्च 2019 निर्धारित की गई थी, और लक्षित यातायात 60,848 पीसीयू था। मार्च 2018 में यातायात नमूनाकरण न किए जाने के कारण केवल आंशिक यातायात सर्वेक्षण (मार्च 2019) ही किया गया। सीए में निर्धारित यातायात नमूनाकरण प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप एनएचएआई रियायत अवधि में संशोधन करने में असमर्थ रहा और अनावश्यक मुकदमों का सामना करना पड़ा। शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया में रियायतग्राही ने अपनी स्वयं की गणनाओं के आधार पर रियायत अवधि बढ़ाने की मांग की। यदि एनएचएआई ने समयबद्ध तरीके से संविदात्मक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया होता, तो यह मध्यस्थता टाली जा सकती थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी पांच बीओटी टोल परियोजनाओं में यातायात नमूनाकरण सीए के प्रावधानों के अनुसार था। इसके अतिरिक्त, रियायत अवधि को समय पर संशोधित नहीं किया जा सका। एनएचएआई द्वारा यातायात के नमूने लेने के प्रावधानों का पालन न करने के कारणों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। इस तरह के विचलन एनएचएआई के वित्तीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित

²⁹ टैफ्रिक सैंपलिंग एक तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से आयोजित की गई थी

करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर रियायत अवधि अवधि में वृद्धि और रियायतग्राही को अनुचित लाभ मिलता है।

यद्यपि मंत्रालय (जनवरी 2025) ने पाँच में से दो बीओटी टोल परियोजनाओं के संबंध में यह उत्तर दिया कि यातायात सर्वे नियमित रूप से किया जा रहा है और एनएचएआई एटी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा है, तथापि तथ्य यह है कि पाँचों बीओटी टोल परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना में रियायत अवधि के संशोधन हेतु यातायात नमूनाकरण से संबंधित सीए प्रावधानों का पालन एनएचएआई नहीं कर सका।

अनुशंसा संख्या 49: एनएचएआई यह सुनिश्चित करे कि यातायात सर्वेक्षण रियायत करार में उल्लिखित यातायात सर्वे विधियों का पालन करते हुए, निर्दिष्ट तिथियों पर ही किए जाएँ।

ख. खेड-सिन्नर परियोजना में एनएचएआई को टोल राजस्व का ₹9.68 करोड़ का नुकसान

एनएचएआई ने खेड-सिन्नर खंड (एनएच-50) के चार-लेनिंग कार्य हेतु (मई 2013) में खेड सिन्नर एक्सप्रेसवे लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ बीओटी टोल मॉडल पर रियायत करार (सीए) किया। एनएचएआई ने (अप्रैल 2022) निपटान करार (एसए) करके परियोजना को समाप्त कर दिया। एसए के प्रावधान 2.1 के अनुसार, एनएचएआई को प्रभावी तिथि (06 अप्रैल 2022) से 30 दिनों के भीतर निपटान राशि की प्रथम किस्त जारी करनी थी। निपटान भुगतान करने पर एनएचएआई को रियायतग्राही से टोल संग्रह का कार्य अपने अधीन लेने का अधिकार था। एनएचएआई ने निपटान भुगतान में 32 दिनों³⁰ का विलंब हुआ, जिसके कारण एनएचएआई द्वारा टोल संग्रह प्रारंभ करने में भी विलंब हुआ। इस अवधि में रियायतग्राही ने 8 जून 2022 तक टोल संग्रह जारी रखा। इस प्रकार, निपटान भुगतान में विलंब के परिणामस्वरूप एनएचएआई को ₹9.68 करोड़³¹ के टोल राजस्व की हानि हुई।

³⁰ एनएचएआई ने एसए के लागू खंड के अनुसार 7 मई 2022 को भुगतान करने के बजाय 6 जून 2022 को बकाया राशि का भुगतान किया।

³¹ ₹30,25,080 प्रतिदिन गुणा 32 दिन की देरी

एनएचएआई ने 09 जून 2022 से टोल संग्रह अपने अधीन ले लिया और एक टीसीए³² को नियुक्त किया। हालाँकि, एजेंसी को 30 जून 2022 को टोल प्रेषण में चूक के लिए प्रतिबंधित³³ कर दिया गया। टीसीए की मूल कंपनी, एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध के पर आरओ मुंबई ने (अक्टूबर 2022) लंबित देयों की समायोजन हेतु निष्पादित बैंक गारंटियों (बीजी) से राशि समायोजित की, जिससे ₹2.69 करोड़ की कम-वसूली हुई। संयोगवश, इसी टीसीए को ₹3.69 करोड़ की राशि (जुलाई 2022) आरओ गांधीनगर में बीजी की वापसी के रूप में लौटा दी गई, जो एनएचएआई के बकाया वसूली पर नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है।

एनएचएआई/मंत्रालय (मई 2024/जनवरी 2025) ने बताया कि एनएचएआई (सीओ-डिवीजन) ने विभिन्न स्थानों पर टीसीए के उपलब्ध बीजी से बकाया देयों की वसूली के लिए निर्देश जारी किए हैं। टीसीए ने इस पर आपत्ति जताई और मामला सुलह के माध्यम से निपटान हेतु भेजा गया है, जो अभी चल रहा है।

उत्तर में, मंत्रालय ने इस मामले में हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। तथापि, तथ्य यह है कि एनएचएआई ने टीसीए से वसूले जाने वाले बकाये को उपलब्ध प्रतिभूतियों से अधिक जमा करने की अनुमति दी थी और अभी तक इन बकाया राशि की वसूली नहीं कर सका है। उत्तर में निपटान भुगतान में विलंब के कारण हुई हानि का कोई उल्लेख नहीं था।

ग. आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों के संकलन न होने के कारण परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी

सीए/टीसीए के साथ किए गए अनुबंध में एनएचएआई के हितों की सुरक्षा हेतु प्रावधान सम्मिलित हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रियायतग्राही / टीसीए द्वारा एनएचएआई को मासिक टोल विवरण, वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, त्रैमासिक अ-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, एस्करो बैंक विवरण आदि जमा करने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीआईयू आवश्यकता के अनुसार इन सभी दस्तावेजों को एकत्र करने और रियायतग्राही/टीसीए (अनुलग्नक XVI) के परिचालन की निगरानी करने में सक्षम नहीं थे।

³² भालाजी टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (बीटीआरपीएल)

³³ सहमत धनराशि का भुगतान न करने के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित किया गया।

मंत्रालय (जनवरी 2025) ने बताया कि रियायतग्राही सीए के प्रावधानों के अनुसार आवधिक रिपोर्टें/विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया और प्रत्येक पीआईयू में समकालिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया गया, ताकि रियायतग्राहियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक विवरणियों की नियमित निगरानी की जा सके।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि रियायतग्राहियों और टीसीए की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी पीआईयू पर ही होती है, और समकालिक लेखापरीक्षकों का कार्य भी आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों के अभाव की स्थिति में सीमित रह जाएगा।

7.1.5.3 टोल परिचालन में आंतरिक नियंत्रण में कमी

एनएचएआई द्वारा टोल संग्रह को सुगम बनाने और टोल डेटा को संकलित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सिस्टम टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) कहलाता है। टीएमएस के प्रबंधन हेतु आईएचएमसीएल (एनएचएआई की सहायक इकाई) द्वारा सिस्टम इंटीग्रेटर्स को नामांकित किया गया है। प्रत्येक टोल संग्रह लेन-देन, चाहे वह फास्टैग के माध्यम से हो या नकद माध्यम से, टीएमएस में दर्ज होता है।

एनएचएआई, परियोजनाओं और टोल संग्रह की रीयल-टाइम निगरानी के लिए 'एनएचएआई डेटा लेक' नामक क्लाउड-आधारित परियोजना प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करता है। टोल संग्रह की आसान निगरानी के लिए, एनएचएआई ने (अप्रैल 2021) क्लाउड-आधारित डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड शुरू किया जिसे टोल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर (टीएमसीसी) कहा जाता है। टोल परिचालन की निगरानी में एनएचएआई को सक्षम बनाने वाले विभिन्न संविदात्मक प्रावधान उपलब्ध हैं (जैसा कि ऊपर पैरा 7.1.5.2 में विस्तृत है)।

लेखापरीक्षा ने टोल परिचालन की निगरानी में आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों को देखा, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तृत रूप से बताया गया है।

क. टीएमसीसी के माध्यम से टोल परिचालन की अप्रभावी निगरानी

टीएमसीसी डैशबोर्ड टोल परिचालन को सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले टीएमएस के साथ एकीकृत है। टीएमसीसी बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) उपकरणों का

उपयोग करके टोल संग्रह की वास्तविक समय निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। लेखापरीक्षा के दौरान, तीन क्षेत्रीय कार्यालयों से टीएमसीसी पर डेटा मांगा गया। आरओ-गांधीनगर³⁴ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा रियायतग्राहियों और टीसीए द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक टोल-संबंधी रिपोर्टों की समीक्षा से लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायतग्राहियों और टीसीए ने टीएमसीसी में दर्ज वास्तविक आंकड़ों की तुलना में कम (अनुलग्नक XVII) वाहन गणना और टोल राजस्व की सूचना दी।

एनएचएआई को रियायतग्राहियों और टीसीए द्वारा भेजी गई टोल-संबंधी सूचनाओं की तुलना टीएमसीसी डैशबोर्ड में उपलब्ध जानकारी से करनी चाहिए थी। ऐसा न करने के कारण टोल परिचालन की निगरानी में कमी आई।

मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि आरओ द्वारा सभी पीडी को भविष्य में टीएमसीसी के माध्यम से टोल परिचालन की प्रभावी निगरानी के लिए परामर्श (एडवाइजरी) जारी किया गया है।

उत्तर से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि तीनों आरओ में से किसने पीडी को निर्देश जारी किए थे, विशेषकर तब जब आरओ मुंबई और आरओ नागपुर द्वारा टीएमसीसी संबंधी जानकारी उपलब्ध ही नहीं कराई गई थी।

ख मासिक रिपोर्टों में उपलब्ध टोल संबंधी जानकारी की टीएमएस आंकड़ों के साथ विसंगति

विभिन्न आईएचएमसीएल पैनल में सम्मिलित सिस्टम इंटीग्रेटर्स (एसआई) हैं जो एनएचएआई में टोल परिचालन के लिए सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न टीएमएस की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे टोल प्लाज़ा से गुजरने वाले वाहनों का विवरण दर्ज करते हैं। विभिन्न एसआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले टीएमएस में टोल संग्रह की रिकॉर्डिंग के संबंध में अलग-अलग विशेषताएं थीं। जहाँ कुछ टीएमएस केवल नकद में एकत्रित राशि का अभिलेख प्रदान करते थे और फास्टैग से प्राप्त राशि का नहीं, वहीं अन्य टीएमएस में नकद और फास्टैग दोनों के संग्रह का अभिलेख उपलब्ध था। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड द्वारा टीएमएस के कार्यान्वयन हेतु एसआई के साथ

³⁴ आरओ- नागपुर और आरओ- मुंबई का डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया

किए गए करार में डेटा बैकअप सुनिश्चित करने तथा डेटा हानि से बचने के लिए डेटा बैकअप और पुनर्स्थापन का प्रावधान किया गया था।

यदि टीएमएस केवल नकद संग्रह की जानकारी प्रदान करता है, तो फास्टैग के माध्यम से प्राप्त कुल टोल संग्रह उस अधिग्रहण बैंक विवरण से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें फास्टैग टोल राशि जमा होती है। रियायतग्राही या टीसीए, एनएचएआई को मासिक टोल विवरण और वाहनों की संख्या प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा ने मासिक टोल विवरण की तुलना टीएमएस (नकद लेनदेन) और अधिग्रहण बैंक डेटा (फास्टैग लेनदेन) के साथ की और पाया कि 24 टोल प्लाजा में से एनएचएआई अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक की पूरी अवधि के लिए केवल आठ टोल प्लाजा का डेटा (टीएमएस, अधिग्रहण बैंक और मासिक शुल्क विवरण) प्रदान कर सका और अन्य टोल प्लाजा में समीक्षा की अवधि के लिए केवल आंशिक आंकड़े प्राप्त हुए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 16 टोल प्लाजा³⁵ पर 0.14 से 68.93 प्रतिशत तक कम यातायात दर्ज किया गया था। पाँच टोल प्लाजा³⁶ में राजस्व के 1.27 से 4.58 प्रतिशत की सीमा में बहुत कम रिपोर्टिंग देखी गई। कम रिपोर्ट के संभावित निहितार्थ/जोखिम इस प्रकार हैं:

- पीपीपी परियोजनाओं के मामले में, यह रियायतग्राहियों को अनुमान से कम यातायात होने के आधार पर रियायत अवधि के विस्तार के लिए अनुचित दावे करने में सक्षम बना सकता है।
- सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में, कम रिपोर्ट किए गए टोल संग्रह के परिणामस्वरूप राजस्व अनुमान कम हो सकते हैं, जिससे भविष्य की बोलियों में प्रस्तावों का मूल्य घट सकता है।

³⁵ बीओटी मॉडल टोल प्लाजा -भटवाड़ा, नडियाद, मंडल, नंदगांव, करंजा चा, पारगांव, शिरपुर, खेड़ शिवपुर टीओटी मॉडल टोल प्लाजा-खेमना, उंदावरिया, वनाना, सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा- मांडवा, माखेल, लिमडी, ओखामाडी, किनी

³⁶ आरओ-गांधीनगर के अंतर्गत मांडवा, वनाना और खेमना। आरओ मुंबई में शिरपुर। आरओ नागपुर में करंजा चा

मंत्रालय (जनवरी 2025) ने भविष्य में अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संज्ञान में लिया।

ग. टीएमएस का अ-मानकीकरण टोल परिचालन में एनएचएआई के लिए चुनौतियाँ

एनएचएआई टोल परिचालन के समर्थन के लिए आईएचएमसीएल द्वारा सूचीबद्ध कई सिस्टम इंटीग्रेटर्स (एसआई) को नियुक्त करता है। विभिन्न एसआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले टीएमएस में अलग-अलग प्रकार की सुविधाएँ थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि टीएमएस के अ-मानकीकरण के कारण एनएचएआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें एक एसआई से दूसरे एसआई में डेटा के स्थानांतरण के लिए तंत्र की कमी भी सम्मिलित है। एसआई द्वारा डेटा स्थानांतरण न किए जाने का निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए टोल से संबंधित डेटा का उपयोग करने की एनएचएआई की क्षमता को बाधित करती है।

इसके अतिरिक्त, एसआई के साथ किए गए करार में टोल डेटा के से संबंधित कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं था, जबकि टोल डेटा एनएचएआई का ही था। अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद भी डेटा एसआई के पास ही रहा और एनएचएआई को स्थानांतरित नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, मांडल टोल प्लाज़ा में जून 2021 में एसआई को बदला गया था और दोनों एसआई के डेटा प्रारूप एक-दूसरे से भिन्न थे। एसआई में परिवर्तन के मामले में पुराने आँकड़ों को नए एसआई में स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एसआई अपने तरीके से अलग-अलग प्रणालियाँ और संस्करण उपयोग कर रहा था तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाज़ा में उपयोग होने वाले सॉफ़्टवेयर में किसी प्रकार का एकीकरण दिखाई नहीं दिया।

मंत्रालय (जनवरी 2025) ने कहा कि एनएचएआई ने टोल डेटा की अखंडता, सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डेटा स्वामित्व, स्थानांतरण, मानकीकरण के लिए एक मजबूत ढांचे को लागू करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं।

उत्तर एक सामान्य कथन था और अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाइयों के बारे में कुछ भी विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, जो टीएमएस के अ-मानकीकरण और डेटा स्थानांतरण के अभाव के संबंध में था।

अनुशंसा सं. 50: एनएचएआई, अपनी सहयोगी संस्था आईएचएमसीएल के साथ, विभिन्न सिस्टम इंटीग्रेटर्स में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए टोल प्रबंधन प्रणाली का मानकीकरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, टोल डेटा की अभिरक्षा और नियंत्रण एनएचएआई के पास होना चाहिए ताकि वह अपने वित्तीय हितों की रक्षा कर सके और डेटा की अखंडता को बनाए रख सके।

घ. सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा सुविधाओं और सुख-सुविधाओं पर प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय राजमार्गों को विभिन्न आईआरसी दिशानिर्देशों में उल्लिखित गुणवत्ता मानकों को पूरा करना चाहिए। सड़क-उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से, स्पष्ट गुणवत्ता पहलू सुगम यात्रा तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ हैं। सभी टोल सड़कों पर शौचालय, पानी के एटीएम, डिब्बाबंद भोजन तथा गर्म व ठंडे पेय जैसी मूलभूत सुविधाएँ टोल प्लाजा भवनों³⁷ से जुड़ी होनी चाहिए।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने (अगस्त 2016) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी टोल प्लाजा पर शौचालय उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। इन शौचालयों का सही प्रकार से रख-रखाव होना चाहिए तथा ये चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने चाहिए। एनएचएआई ने (नवंबर 2017 में) निर्णय लिया कि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सभी टोल प्लाजा के दोनों ओर 'हाईवे नेस्ट मिनी' स्थापित किए जाएँ, जिसमें शौचालय, पानी एटीएम, डिब्बाबंद भोजन और गर्म और ठंडे पेय पदार्थ जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हों। 'हाईवे नेस्ट मिनी' को मार्च 2018 तक सभी टोल प्लाजा पर परिचालित किया जाना था।

राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं के आकलन की जानकारी प्राप्त करने हेतु चुनी गई परियोजनाओं³⁸ में 556 सड़क उपयोगकर्ताओं का संयुक्त सर्वेक्षण³⁹ किया

³⁷ आईआरसी एसपी 84 (वर्ष 2009/2014/2019), आईआरसी एसपी 87:2019, और आईआरसी 82 (वर्ष 2010/2013/2015) (जो क्रमशः चार लेन और छः लेन पर आधारित आईआरसी हैं), सुगम यातायात सुनिश्चित करने, टोल प्लाजा भवनों पर शौचालय और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने, राजमार्ग पर वृक्षारोपण करने के लिए रखरखाव आवश्यकताओं का विस्तार से उल्लेख करते हैं, जिनका रखरखाव आईआरसी एसपी 21:2009 के अनुसार किया जाना है। आईआरसी 35 (वर्ष 2015) सड़क चिहनों का प्रावधान करता है।

³⁸ आरओ-गांधीनगर में प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए 25 सड़क उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (कुल 275 सर्वेक्षण)। आरओ-मुंबई में क्रमशः 141 सर्वेक्षण और आरओ-नागपुर में 140 सर्वेक्षण किए गए।

³⁹ लेखापरीक्षा दल ने एनएचएआई अधिकारियों, संविदकरों या राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव करने वाले रियायतग्राही, परियोजना के आईई या प्राधिकरण अभियंता के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सड़क

गया। सड़क उपयोगकर्ताओं से प्रश्नावली के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया। सड़क उपयोगकर्ताओं ने सड़क की गुणवत्ता, राजमार्गों के रख-रखाव, टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय, ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था, तथा शौचालय जैसी सुविधाओं की स्वच्छता आदि मानकों पर अपने अनुभव साझा किए।

प्रतिक्रियाओं से पता चला कि कुल मिलाकर 'उत्कृष्ट' रेटिंग 43.71 प्रतिशत थी, 'अच्छा' 32.25 प्रतिशत था, 'खराब' 5.49 प्रतिशत था, 'संतोषजनक' 14.63 प्रतिशत था, और 'बहुत खराब' 3.92 प्रतिशत था। मानक-वार प्रतिक्रिया **अनुलग्नक-XVIII** में दी गई है

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गुजरात में नमूने लिए गए चार टोल प्लाजा सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि वहाँ शौचालय सुविधा⁴⁰ तक पहुँच की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।



यह भी देखा गया कि सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा के अंतर्गत शौचालयों के रखरखाव और देखभाल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आरओ-गांधीनगर के अंतर्गत, नौ टोल प्लाजा में हाइवे नेस्ट मिनी (अनुलग्नक -XVIII) उपलब्ध/चालू नहीं था।

उपयोगकर्ताओं का संयुक्त सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में भाग लेने के इच्छुक सड़क उपयोगकर्ताओं को प्रश्नावली दी गई। भरे हुए सर्वेक्षण प्रपत्रों पर सर्वेक्षण देखने वाले अधिकारियों/प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। सर्वेक्षण के परिणामों को सारणीबद्ध किया गया और निष्कर्ष निकालने के लिए उनका उपयोग किया गया।

⁴⁰ पालनपुर में ओखामाडी (बाएँ हाथ की ओर) और वनाना (दाएँ हाथ की ओर)। गुजरात राज्य के खेमाना टोल प्लाजा में खेमाना और उन्दावरिया टोल प्लाजा पर शौचालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाया गया और जो शौचालय बना था, वह छह महीने से अधिक समय से रखरखाव के अधीन था।

<p>उन्दावरिया-बाँयी ओर</p>	<p>उन्दावरिया - दायीं ओर</p>
	
<p>भटवाड़ा - दाहिनी ओर</p>	<p>वनाना - दाहिनी ओर</p>
	

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि एनएचएआई ने आरओ नागपुर के अंतर्गत बोरखेड़ी-वेडनार-देवधारी-केलापुर परियोजना में केलापुर में एक अस्थायी टोल प्लाजा से 2011 से टोल संग्रह करने की शुरुआत की। 2022 में, एनएचएआई ने टोल परिचालन टीओटी रियायतग्राही को सौंप दिया और अक्टूबर 2022 में नियुक्त तिथि घोषित की। रियायत करार की अनुसूची बी के खंड 11 में निर्धारित तिथि से 12 माह के भीतर टोल प्लाजा और संबंधित सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान किया गया था, जो रियायतग्राही द्वारा पूरा नहीं किया गया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने (जनवरी 2025) उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संज्ञान में लिया गया है और चूँकि परियोजना टी. ओ. टी. रियायतग्राही को सौंप दी गई थी, इसलिए आगे की तथ्यात्मक स्थिति शीघ्र ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई जाएगी।

उत्तर अंतरिम प्रकृति का है और अक्टूबर 2023 (अक्टूबर 2022 में नियुक्त तिथि से एक वर्ष) तक टीओटी रियायतग्राही के संविदात्मक दायित्व पर कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने यह भी कहा (जनवरी 2025) कि एनएचएआई सड़क उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्रवाई करेगा।

अनुशंसा सं. 51: मंत्रालय/एनएचएआई को चाहिए कि सड़क उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक संरचित तंत्र स्थापित करे, व्यवस्थित रूप से प्राप्त इनपुट का आकलन करे और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए उचित सुधारात्मक कदम उठाए।

7.1.6 निष्कर्ष

एनएचएआई समय पर टोल संग्रह शुरू करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों और एनएचएआई के नीति परिपत्रों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप एनएचएआई को ₹9.60 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। एनएचएआई शुल्क नियम, 2008 के प्रासंगिक प्रावधानों में टोल को 40 प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता थी, जबकि एनएचएआई ने रियायत अवधि समाप्त होने के बाद टोल संग्रह को अपने अधीन नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क उपयोगकर्ताओं पर ₹180.44 करोड़ का अनुचित वित्तीय बोझ पड़ा। कुछ सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा में बहुत ज़्यादा मानवीय रियायतें दी गई थीं। एनएचएआई ने लेखापरीक्षित दो टोल प्लाजाओं में स्थानीय लोगों को अनियमित रियायतें देना जारी रखा। सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा में अधिभारित वाहनों से शुल्क वसूलने से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले अतिरिक्त भार को उतारने के प्रावधान का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। रियायतग्राही से दोगुना टोल एकत्र करने और इसे केंद्र सरकार को प्रेषित करने में विलंब पाया गया।

रियायतग्राही को निपटान भुगतान में विलंब के परिणामस्वरूप एनएचएआई को ₹9.68 करोड़ के टोल राजस्व की हानि हुई। रियायत अवधि के संशोधन के निर्धारण के लिए

यातायात सर्वेक्षण पर बीओटी समझौतों के प्रावधानों का पालन लेखापरीक्षित सभी पांच बीओटी परियोजनाओं में नहीं किया गया।

एनएचएआई को टोल परिचालन में अपने आंतरिक नियंत्रण मज़बूत करने की आवश्यकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि टीएमसीसी डैशबोर्ड का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए तथा रियायतग्राही और टीसीए द्वारा भेजी गई टोल वसूली रिपोर्टों का टीएमएस और अधिग्रहण बैंक में उपलब्ध संबंधित जानकारी से मिलान किया जाए। एनएचएआई को अलग-अलग सिस्टम इंटीग्रेटर्स द्वारा उपयोग किए जा रहे टीएमएस को मानकीकृत किए जाने की भी आवश्यकता है ताकि डेटा स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं आदि से बचा जा सके। सड़क उपयोगकर्ताओं ने टोल प्लाज़ा पर प्रतीक्षा समय तथा एनएच पर सुविधाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की है।

7.2 सड़क इस्तेमाल करने वालों पर ज़्यादा बोझ और टोल संचालकों को अनुचित लाभ

एनएचएआई ने सड़क उपयोगकर्ताओं से वसूले जाने वाले उपयोग शुल्क की गणना के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित 1.561 के संशोधित लिंकिंग फ़ैक्टर के बजाय 1.641 के उच्च लिंकिंग फ़ैक्टर का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप सड़क उपयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और टोल संचालकों को ₹19.66 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड, जिसमें स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग सम्मिलित है, के उपयोग पर सड़क उपयोगकर्ताओं से शुल्क वसूलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का नियम 5 एनएचएआई को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में वार्षिक वृद्धि को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल से दर को संशोधित करने की अनुमति देता है। एनएचएआई आम तौर पर निर्दिष्ट टोल प्लाज़ा पर उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के लिए निविदा के माध्यम से संविदाकारों को सूचीबद्ध करता है।

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (ओईए), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग⁴¹, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डब्ल्यूपीआई प्रकाशित करता है। सूचकांक का आधार

⁴¹ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग पूर्व में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के नाम से जाना जाता था जिसका नाम जनवरी 2019 में बदला गया।

समय-समय पर बदला जाता है, और नवीनतम श्रृंखला ओईए द्वारा 12 मई 2017 को (अप्रैल 2017 से प्रभावी) 2011-12 के आधार वर्ष पर जारी की गई। इस डब्ल्यूपीआई के प्रकाशन के पूर्व 2004-05 आधार वर्ष लागू था। एनएचएआई ने मार्च 2017 तक उपयोगकर्ता शुल्क संशोधन और मूल्य परिवर्तन सूत्र के लिए 2004-05 श्रृंखला के डब्ल्यूपीआई -सभी वस्तुओं का उपयोग कर रहा था। 2004-05 से 2011-12 श्रृंखला में परिवर्तन के दौरान टाइम सीरीज डेटा की निरंतरता बनाए रखने के लिए, ओईए ने (मई 2017) डब्ल्यूपीआई -सभी वस्तुओं के लिए 1.561 का लिंकिंग फैक्टर⁴² जारी किया।

एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू), हजारीबाग ने (दिसंबर 2021) में निम्नलिखित स्थानों पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह के लिए संविदाकारों (टोल संग्रह एजेंसियों) को नियुक्त किया है (i) रसोइया धमना उपयोगकर्ता शुल्क/टोल प्लाजा जो एनएच-2 के किलोमीटर 240.000 से किलोमीटर 320.000 तक बाराचट्टी-गोरहर खंड के किलोमीटर 279.425 पर स्थित है और (ii) नगवां टोल (हजारीबाग) जो झारखंड राज्य में एनएच -33 के किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 40.500 तक बरही-हजारीबाग खंड के लिए किलोमीटर 30.400 पर स्थित है।

एनएचएआई को उपयोगकर्ता शुल्क में स्थिरता बनाए रखने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की गणना में नया लिंकिंग फैक्टर भी सम्मिलित करना आवश्यक था। तदनुसार, एनएचएआई ने डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 में परिवर्तन के कारण संशोधित लिंकिंग फैक्टर के उपयोग हेतु नीति संख्या 18.30 जारी की (20 मार्च 2018)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मौर्थ) ने डब्ल्यूपीआई-सभी वस्तुओं के लिए 1.641 का लिंकिंग फैक्टर प्रसारित किया (04 जून 2018)। इसके बाद (03 अगस्त 2018), को मौर्थ ने इसे घटाकर 1.561 कर दिया और इस संशोधन में निर्दिष्ट किया गया कि डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में परिवर्तन के लिए ओईए (मई 2017) द्वारा प्रकाशित लिंकिंग फैक्टर सभी समझौतों के लिए लागू होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीआईयू, हजारीबाग ने अपने दो टोल-प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क संशोधित करते समय 3 अगस्त 2018 के मौर्थ के कार्यालय ज्ञापन की अनदेखी की और ओईए द्वारा प्रकाशित 1.561 के बजाय एनएचएआई द्वारा प्राप्त

⁴² थोक मूल्य सूचकांक पर टाइम सीरीज डेटा में निरंतरता बनाए रखने के लिए, लिंकिंग फैक्टर प्रदान किए गए हैं ताकि नई श्रृंखला की तुलना पहले वाली श्रृंखला से की जा सके।

1.641 का उच्च लिंकिंग फैक्टर लागू किया। इसके परिणामस्वरूप, प्रति वाहन प्रति यात्रा ₹5 से ₹25 तक अतिरिक्त टोल दर की गणना हुई, जैसा कि **अनुलग्नक XIX** में उल्लिखित है।

उच्च लिंकिंग फैक्टर को अपनाने से सड़क उपयोगकर्ताओं पर ₹19.66 करोड़⁴³ का अतिरिक्त बोझ पड़ा और 2021-22 से 2024-25 की अवधि के दौरान टोल संचालकों को अनुचित लाभ हुआ (**अनुलग्नक XIX**)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि

- i) ओईए ने सभी वस्तुओं के लिए लिंकिंग फैक्टर 1.561 निर्धारित किया था तथा उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई भी विधि चुनने की अनुमति दी थी।
- ii) एनएचएआई द्वारा थोक मूल्य सूचकांक की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई थी, जिसने पाया कि ओईए ने केवल सभी वस्तुओं के स्तरों और प्रमुख समूह स्तरों पर ही लिंकिंग फैक्टर प्रदान किया था, न कि अन्य अलग-अलग स्तरों पर। इसलिए, समिति ने वर्ष 2016-17 के लिए 2004-05 के आधार मूल्य बनाम 2011-12 के आधार मूल्य पर डब्ल्यूपीआई को 1.641 के लिंकिंग फैक्टर के रूप में निर्धारित किया।
- iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का 3 अगस्त 2018 का कार्यालय ज्ञापन मूलतः समझौतों के लिए थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला में परिवर्तन हेतु लिंकिंग फैक्टर से संबंधित है। उपयोगकर्ता शुल्क संशोधन के लिए, 20 मार्च 2018 का एनएचएआई नीति परिपत्र लागू है, जिसे एनएचएआई द्वारा 4 जून 2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अनुमोदित किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2025) कि एनएचएआई ने पूरे मुद्दे की समीक्षा की है और वह 1.561 के लिंकिंग फैक्टर पर विचार कर रहा है, जैसा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ओईए की वेबसाइट पर प्रकाशित है, जिसे एनएचएआई में उपयोगकर्ता शुल्क संशोधन के साथ-साथ एनएचएआई के सभी समझौतों के लिए भी अपनाया जाना है।

⁴³ रसोईया धमना फ्री प्लाजा से ₹14.52 करोड़ + हज़ारीबाग फ्री प्लाजा से ₹5.14 करोड़

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि:

- (i) ओईए ने 2011-12 के डब्ल्यूपीआई की गणना पहले प्रयुक्त अंकगणितीय माध्य विधि के स्थान पर ज्यामितीय माध्य पद्धति से की। ओईए ने उपयोगकर्ता को दो में से किसी भी पद्धति का उपयोग करने की अनुमति दी। यदि उपयोगकर्ता पुरानी अंकगणितीय रूपांतरण पद्धति का उपयोग करना चाहता था, तो निरंतरता बनाए रखने हेतु पाँच वर्षों के आँकड़ों के आधार पर 1.561 का लिकिंग फैक्टर घोषित किया गया। हालाँकि, एनएचएआई ने अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक एक ही वर्ष के मासिक डब्ल्यूपीआई आँकड़ों का साधारण औसत लेकर एक उच्च लिकिंग फैक्टर 1.641 निर्धारित किया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि अतीत में एनएचएआई उपयोगकर्ता शुल्क संशोधन के लिए ओईए द्वारा सूचित 'लिकिंग फैक्टर' को बिना किसी विवेकाधिकार के लागू करता रहा है।
- (ii) समिति ने स्वयं लिकिंग फैक्टर की गणना केवल समस्त वस्तु स्तर पर की थी, न कि अन्य पृथक स्तर पर।
- (iii) 3 अगस्त 2018 के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि वृद्धि और उपयोगकर्ता शुल्क संशोधन की गणना ओईए द्वारा जारी डब्ल्यूपीआई के आधार पर की जा रही है। इसलिए, डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में परिवर्तन, अर्थात् आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12, के लिए समान लिकिंग फैक्टर सभी समझौतों पर लागू होगा।

इस प्रकार, उपयोगकर्ता शुल्क की गणना के लिए उच्च लिकिंग फैक्टर के आवेदन के परिणामस्वरूप उच्च टोल दरों का निर्धारण हुआ, जिसके कारण सड़क उपयोगकर्ताओं पर ₹19.66 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा और टोल संचालकों को अनुचित लाभ हुआ।

7.3 समय से पूर्व कार्य पूर्ण करने पर बोनस का अनियमित भुगतान

एनएचएआई ने खंड के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र (पीसीसी) जारी किया और इसे वाणिज्यिक परिचालन के लिए उपयुक्त घोषित किया तथा सुरक्षा परामर्शदाता द्वारा अपनी सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उजागर की गई अभ्युक्तियों के अनुपालन में कार्यों के पूर्ण होने की पुष्टि किए बिना ही टोल लगाना शुरू कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही को ₹8.13 करोड़ के बोनस का अनियमित भुगतान हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने (मई 2018 में) आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर से मल्लावरम तक 61.128 किलोमीटर (किमी) लंबाई में एनएच 140 को छः लेन का बनाने के लिए हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर ₹1,730.07 करोड़ की परियोजना लागत से एक रियायतकर्ता के साथ रियायत समझौता (सीए) किया। निर्माण अवधि नियत तिथि (4 जनवरी 2019) से 910 दिन थी और निर्धारित पूर्णता तिथि (सीओडी⁴⁴) 1 जुलाई 2021 थी, जिसे कोविड-19 के कारण 29 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था (जुलाई 2020)। सीए के खंड 23.5 के अनुसार, यदि रियायतग्राही अनुसूचित सीओडी से 30 दिन पहले या उससे अधिक दिन पर सीओडी प्राप्त करता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को बोनस⁴⁵ का भुगतान करेगा। सीए के अनुसार, एनएचएआई ने कार्य के पर्यवेक्षण के लिए परामर्श सेवाओं के लिए 'स्वतंत्र अभियंता (आईई)' (फरवरी 2019) और परियोजना की सुरक्षा लेखापरीक्षा करने के लिए एक 'सुरक्षा परामर्शदाता' (नवंबर 2020) को नियुक्त किया।

रियायतग्राही ने आईई को सूचित (मार्च 2021) किया कि निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र (पीसीसी) जारी करने का अनुरोध किया। सुरक्षा परामर्शदाता ने सुरक्षा लेखापरीक्षा की (31 मार्च 2021/1 अप्रैल 2021) और एनएचएआई को प्री-ओपनिंग स्टेज ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की (15 अप्रैल 2021)। आईई ने 49.864 किलोमीटर⁴⁶ लंबाई के लिए पीसीसी जारी किया (जून 2021) और 10 मई 2021 से इस मार्ग को वाणिज्यिक परिचालन के लिए उपयुक्त घोषित किया और 26 जून 2021 से टोल संचालन शुरू हुआ। यह देखते हुए कि पीसीसी निर्धारित सीओडी (1 जुलाई 2021) से 52 दिन पहले जारी किया गया था (10 मई 2021), रियायतग्राही को

⁴⁴ सीए के खंड 15.1.1 के अनुसार, परियोजना तब पूर्ण मानी जाएगी जब अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णता प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जारी किया जाएगा और तदनुसार, परियोजना का सीओडी वह तिथि होगी जिस दिन ऐसा पूर्णता प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

⁴⁵ पहले 30 दिनों के लिए बीपीसी के 60 प्रतिशत के 0.5 प्रतिशत के बराबर बोनस, जिसके द्वारा सीओडी अनुसूचित सीओडी से पहले होगा और उसके बाद, उक्त 30 दिनों की अवधि से पहले प्रत्येक दिन के लिए प्रो-राटा आधार पर बोनस की गणना की जाएगी।

⁴⁶ नियत तिथि (4 जनवरी 2019) से 182 दिनों (यानी, 5 जुलाई 2019 तक) तक रियायतकर्ता को उपलब्ध कराई गई भूमि 52.987 किमी थी और 31 मई 2021 तक 58.143 किमी थी। 58.143 किमी में से, 56.304 किमी की लंबाई को रियायतकर्ता द्वारा पूरा किया गया था। हालांकि, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं के कारण, कासिपेंटला बाईपास के अंतर्गत आने वाले 7.00 किमी खंड में से केवल 5.46 किमी और पी कोठाकोटा रीअलाइनमेंट के अंतर्गत आने वाले 1.30 किमी में से 0.98 किमी का ही काम पूरा हो सका। चूंकि कासिपेंटला बाईपास और पी कोठाकोटा रीअलाइनमेंट की पूरी लंबाई यातायात उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, इसलिए टोल और वाणिज्यिक संचालन के लिए लंबाई 49.864 किमी (56.304 किमी माइनस (5.46 किमी प्लस 0.98 किमी)) तक सीमित थी।

पीसीसी तिथि तक पूर्ण किए गए मार्ग (55.238 किलोमीटर⁴⁷) के समय से पहले पूरा करने के लिए ₹8.13 करोड़ के बोनस का भुगतान किया गया (सितंबर 2022)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि -

- (i) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा/अनुपूरक सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा' पर जारी दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) के अनुसार, सुरक्षा लेखापरीक्षक द्वारा सड़क प्राधिकरणों को एक मसौदा सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके बाद, सुरक्षा लेखापरीक्षक एक अनुपूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के रूप में 'ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ' प्रस्तुत करेगा। सड़क प्राधिकरण को चाहिए कि सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में चिन्हित की गई सभी कमियों का उचित रूप से समाधान सुनिश्चित करने के बाद ही संचालन प्रारम्भ होने की औपचारिक घोषणा करे। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के खंड 4.4 के अनुसार, सुरक्षा परामर्शदाता एनएचएआई /रियायतग्राही द्वारा मसौदा सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की स्वीकृति/अनुपालन हेतु दर्ज किए गए कार्यवृत्त के साथ एक लेखापरीक्षा समापन बैठक आयोजित करेगा और उसके बाद, अंतिम सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

हालाँकि, एनएचएआई/आईई ने पीसीसी जारी करने (जून 2021) से पहले उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया। साथ ही, मसौदा प्री-ओपनिंग स्टेज लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी/अभ्युक्ति प्राप्त नहीं होने के कारण, सुरक्षा परामर्शदाता ने अंतिम प्री-ओपनिंग स्टेज लेखापरीक्षा रिपोर्ट (20 मई 2021) प्रस्तुत की, जिसे आईई द्वारा अनुपालन के लिए रियायतग्राही को 1 सितंबर 2021 को, अर्थात् पीसीसी जारी होने (जून 2021) के तीन (3) माह बाद, अग्रेषित किया गया। इसके बाद भी, सुरक्षा परामर्शदाता की मंजूरी नहीं ली गई।

- (ii) सीए की अनुसूची एल के खंड 4.5 के अनुसार, रियायतग्राही और आईई सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां भेजेंगे, और ऐसी टिप्पणियां प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण उनकी समीक्षा

⁴⁷ पीसीसी तिथि पर पूर्ण किया गया खंड = 61.128 किमी x 90.365 प्रतिशत भौतिक प्रगति = 55.238 किमी.

करेगा और रियायतग्राही को सुरक्षा रिपोर्ट में निहित किसी एक या सभी अनुशंसाओं को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट संशोधनों के साथ लागू करने का निर्देश देगा।

इस संबंध में, मसौदा सुरक्षा रिपोर्ट में (15 अप्रैल 2021) 21 मुद्दों (अर्थात्, 6 अत्यधिक आवश्यक, 14 आवश्यक और 1 अत्यधिक वांछनीय) को जैसे कि यातायात संकेत, खतरे के निशान, सड़क के निशान और स्टड का न होना, अधूरे ढांचे, अपूर्ण/लंबित सर्विस रोड, पैदल पारपथ और ब्लिंकर, तेज रोशनी कम करने के लिए मध्य वृक्षारोपण, स्ट्रीट लाइटिंग, आदि मुद्दों को रेखांकित किया गया। हालांकि, रियायतग्राही ने 9 मुद्दों के संबंध में विशिष्ट अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया (24 अप्रैल 2021), जिसमें 3 अत्यधिक आवश्यक और 6 आवश्यक मुद्दे सम्मिलित थे।

इसके अतिरिक्त, आईई द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट (जून/जुलाई/अगस्त 2021) के अनुसार, प्रमुख और छोटे जंक्शनों पर निर्माण कार्य, एक तरफ के परिवहनमार्ग का परिचालन, बाधा मुक्त भूमि पर सर्विस रोड का अभाव, क्रैश बैरियर का प्रावधान, स्ट्रीट लाइट, चकाचौंध की समस्या, बस खंड का प्रावधान आदि जैसे कुछ कार्य अधूरे थे और जून 2021 में पीसीसी जारी होने की तिथि के बाद भी इन पर कार्य जारी था।

जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, एनएचएआई ने रियायतग्राही और आईई द्वारा सूचित किए गए अनुपालन की सत्यता की पुष्टि नहीं की, तथा पीसीसी जारी करने को मंजूरी दे दी।

इस प्रकार, एनएचएआई ने मंत्रालय के दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) और सीए प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना ही पीसीसी जारी करने की स्वीकृति दे दी। इसके परिणामस्वरूप, समय से पहले परियोजना पूरी करने के लिए ₹8.13 करोड़ का बोनस देकर रियायतग्राही को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

प्रबंधन (फरवरी 2024) और मंत्रालय (मई 2024) ने उत्तर दिया कि, मसौदा सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों के संबंध में, आईई ने कार्यस्थल का

निरीक्षण किया और पाया कि रियायतग्राही का अनुपालन (24 अप्रैल 2021) व्यापक था और लगभग सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया था, केवल कुछ मुद्दे ऐसे थे जो भूमि उपलब्ध न होने के कारण सीए और रियायतग्राही के कार्यक्षेत्र से बाहर थे। इसके अतिरिक्त, आईई ने पीसीसी तिथि (10 मई 2021) की अनुशंसा करते हुए उल्लेख किया था कि सुरक्षा परामर्शदाता द्वारा की गई अनुशंसाओं पर रियायतग्राही ने कार्यवाही कर दी थी और आईई द्वारा उचित जांच-पड़ताल के बाद ही, इस खंड को वाणिज्यिक परिचालन के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तरों को निम्न बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए:

(क) 24 अप्रैल 2021 को सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए रियायतग्राही द्वारा घोषित अनुपालन सही नहीं था, क्योंकि आईई को प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा मई/जून/जुलाई 2021 के दौरान भी कुछ कार्य किए गए थे। साथ ही, सीए का अनुच्छेद 42 (परिभाषाएँ) विशिष्ट मद्दों को इंगित करता है, जिन्हें पीसीसी में संलग्न किए जाने वाले लंबित कार्यों की पंच सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। तथापि, आईई ने सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में चिन्हित लंबित कार्यों/कमियों को 'पंच सूची' के अंतर्गत सम्मिलित करके पीसीसी जारी करने का प्रस्ताव (21 मई 2021) रखा, जबकि सीए के अनुसार इन मद्दों को पंच सूची में सम्मिलित नहीं किया जाना था।

(ख) इसके अतिरिक्त, मसौदा रिपोर्ट अग्रेषित करते समय, आईई ने रियायतग्राही से अनुरोध किया था (20 अप्रैल 2021) कि वह प्री-ओपनिंग स्टेज में सुरक्षा लेखापरीक्षा में बताई गई अभ्युक्तियों और सुझावों को लागू करे और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि परियोजना को व्यावसायिक परिचालन के लिए प्रस्तुत करने से पहले सुरक्षा परामर्शदाता द्वारा अंतिम सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। तथापि, आईई ने, रियायतग्राही द्वारा सुरक्षा परामर्शदाता को प्रदान किए गए अनुपालन (24 अप्रैल 2021) की सूचना दिए बिना और सुरक्षा परामर्शदाता से मंजूरी सुनिश्चित किए बिना, पीसीसी जारी कर दिया (जून 2021) और उक्त मार्ग को व्यावसायिक परिचालन के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया।

हालाँकि, मंत्रालय और एनएचएआई ने इस मार्ग को वाणिज्यिक परिचालन के लिए उपयुक्त घोषित करने से पहले, मंत्रालय के दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) में निर्धारित

प्रक्रिया के साथ-साथ सुरक्षा लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए टीओआर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा लेखापरीक्षक से अंतिम सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त न करने के लिए कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी।

इस प्रकार, कार्यों के पूरा होने और सुरक्षा परामर्शदाता की अभ्युक्तियों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ही अनियमित रूप से पीसीसी जारी कर दी गई, जो सीए और इस संबंध में जारी मंत्रालय के दिशानिर्देशों (जनवरी 2016) के अनुरूप भी नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, समय से पहले पूरा होने पर बोनस के रूप में ₹8.13 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ और रियायतग्राही को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

अध्याय VIII: लेखापरीक्षा के बताए जाने पर सीपीएसईज द्वारा वसूली और सुधार/संशोधन

8.1 लेखापरीक्षा के बताए जाने पर वसूली

सात सीपीएसई से संबंधित 13 मामलों में, प्रबंधन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के दौरान लेखापरीक्षा के बताए जाने पर ₹205.49 करोड़ की राशि वसूल की थी, जैसा कि अनुलग्नक XX में विस्तृत रूप से बताया गया है।

8.2 लेखापरीक्षा के बताए जाने पर सुधार/संशोधन

नमूना जाँच के दौरान, नियमों/विनियमों के उल्लंघन और प्रणाली में कमियों से संबंधित मामले पाए गए और प्रबंधन के संज्ञान में लाए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा के आग्रह पर प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई या परिवर्तन किए गए नौ मामलों का विवरण अनुलग्नक XXI में दिया गया है।

अध्याय IX

9.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे गए खातों और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया का अंतिम परिणाम दर्शाती हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यपालिका द्वारा उपयुक्त एवं समयबद्ध प्रतिक्रिया प्रदान की जाए।

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया (जुलाई 1985) कि वे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई सुधारात्मक/संशोधात्मक कार्रवाई को दर्शाने वाले नोट (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् परीक्षित) प्रस्तुत करें। ऐसे नोट उन पैराग्राफों /मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत किए जाने आवश्यक थे जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (सीओपीयू) द्वारा विस्तृत परीक्षण के लिए चयनित नहीं किया गया था। सीओपीयू ने अपनी दूसरी रिपोर्ट (1998-99-बारहवीं लोक सभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए यह अनुशंसा की:

- प्रत्येक मंत्रालय में हर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई नोट्स प्रस्तुत करने की निगरानी के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित पैराग्राफों वाली रिपोर्टों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई नोट प्रस्तुत करने की निगरानी के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना; एवं

- प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की तारीख से छः माह के भीतर, संसद में प्रस्तुत सीएजी की सभी प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करना।

उपरोक्त अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए, सीओपीयू ने अपनी पहली रिपोर्ट (1999-2000-तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पिछली अनुशंसाओं को दोहराया कि डीपीई को डीपीई में ही एक अलग निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए, ताकि हर उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) में निहित अभ्युक्तियों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी की जा सके। तदनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई नोट प्रस्तुत करने पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए डीपीई में अगस्त 2000 से एक निगरानी प्रकोष्ठ कार्यरत है। सीएजी की विभिन्न रिपोर्टों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई नोट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों में भी निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा में समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद, पिछले पांच वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में सम्मिलित विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित पांच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों और दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सुधारात्मक/ संशोधात्मक प्रथम अनुवर्ती कार्रवाई नोट, जैसा कि **अनुलग्नक XXII** में विस्तृत है, लेखापरीक्षा को पुनरीक्षण के लिए प्राप्त नहीं हुए।

अनुशंसा संख्या 52: लोक उद्यम विभाग को समय पर अनुवर्ती कार्रवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट/पैराग्राफ (वाणिज्यिक), तथा लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित अनुवर्ती कार्रवाई नोट, संबंधित सीएजी प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के सदन में प्रस्तुत होने की तिथि से छः माह की निर्धारित अवधि के भीतर सार्वजनिक उपक्रम समिति को भेजे जा सकें।

नई दिल्ली
दिनांक: 22 जनवरी 2026


(आनंद मोहन बजाज)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक और रिपोर्ट केन्द्रीय) एवं
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 27 जनवरी 2026


(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1
(आमुख में संदर्भित)

वाणिज्यिक स्क्ंध के अंतर्गत आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय/विभाग

क्रम सं.	मंत्रालय का नाम
1	नागर विमानन
2	कोयला
3	वाणिज्य एवं उद्योग
4	कॉर्पोरेट कार्य
5	भारी उद्योग
6	आवासन एवं शहरी कार्य
7	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
8	खान
9	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
10	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग
11	विद्युत
12	सड़क परिवहन और राजमार्ग
13	इस्पात
14	वस्त्र
15	पर्यटन
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत विभाग
1	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
	वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग
2	वित्तीय सेवाएं विभाग
3	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
4	सार्वजनिक उद्यम विभाग

अनुलग्नक- II

[पैरा 1.3.6.1 (सी) में संदर्भित]

परियोजना कार्य के लिए प्रारंभिक अनुबंधों (पैकेजों) में संशोधन

पुराने नियोजित पैकेज -24

नई प्रविष्टि -14 विभाजन/विलय/हटाने के बाद =11 कोई परिवर्तन नहीं =11 प्रदान किए गए = 36

क्रम सं.	अनुबंध	परिवर्तन	संशोधित अनुबंध
1.	टीए 1 स्टीम जनरेटर और सहायक उपकरण, उपकरणों का संतुलन	चूंकि बीएचईएल टीए 1-एसजी और टीए 1-टीजी दोनों के लिए सफल बोलीदाता था, इसलिए दोनों पैकेजों को मिला दिया गया और उन्हें पैकेज टीए 1-एसजी और टीजी कहा गया।	1) टीए 1 स्टीम जनरेटर और टर्बाइन जनरेटर
2.	टीए 1-टीजी टर्बाइन जनरेटर और सहायक उपकरण, उपकरणों का संतुलन	टीबी 2-डीजी स्टेशन को भी टीए 1-टीजी के साथ विलय कर दिया गया।	
3.	टीए 2 कोयला हैंडलिंग प्रणाली	शोर अनलोडर्स को टीए 2 में आपूर्ति के दायरे से हटा दिया गया था और बाद में एक अलग अनुबंध के रूप में दिया गया था	1) टीए 2 कोयला हैंडलिंग प्रणाली. 2) तट अनलोडर
4.	टीए 10 - सघन राख घोल पैकेज	पैकेज को स्थगित रखा गया और बाद में हटा दिया गया।	हटाए गए
5.	टीबी 1 - मैकेनिकल वर्कशॉप	टीबी 1ए, टीबी 1बी, टीबी 1सी में विभाजित करें। टीबी 1बी और टीबी 1सी के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।	बाद में टीबी 1 को हटा दिया गया। हालाँकि, कॉमन वर्कशॉप के निर्माण के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था।
6.	टीबी 2- डीजी स्टेशन	पैकेज को पैकेज टीए1-टीजी के साथ विलय कर दिया गया (अप्रैल 2008)	टीए 1 - एसजीटीजी के साथ विलय

क्रम सं.	अनुबंध	परिवर्तन	संशोधित अनुबंध
7.	टीबी 3 - निर्माण सुविधाएं (बिजली और पानी)	पैकेज को (मार्च 2008) दो पैकेजों में विभाजित किया गया (टीबी 3ए - निर्माण जल सुविधाएं और टीबी 3बी - निर्माण विद्युत सुविधाएं)	1) टीबी 3ए- निर्माण जल सुविधाएं। 2) टीबी 3बी- निर्माण विद्युत सुविधाएं
8.	टीबी 4 - विद्युत मरम्मतशाला	पैकेज को दो पैकेजों में विभाजित किया गया (मई 2009) (टीबी 4ए - कार्यशालाओं के लिए स्विच गियर और केबल और टीबी 4बी - विद्युत परीक्षण, प्रयोगशाला उपकरण)	बाद में टीबी 4 को हटा दिया गया। हालाँकि, कॉमन वर्कशॉप के निर्माण के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था।
9.	टीसी 1 - ऐश डाइक	पैकेज को स्थगित रखा गया तथा बाद में हटा दिया गया।	हटाए गए
10.	टीसी 2 - परिसंचारी जल (इनलेट/आउटलेट चैनल)	पैकेज को दो पैकेजों में विभाजित किया गया (मई 2010) (टीसी2ए - शीतलन जल मेक अप सिस्टम और आउटफॉल सिस्टम और टीसी2बी - समुद्री जल आरसीसी सेवन चैनल)	1) टीसी 2ए- परिसंचारी जल मेक अप प्रणाली और आउटफॉल प्रणाली 2) टीसी 2बी-समुद्री जल आरसीसी सेवन चैनल और आउटफॉल पंप लाइन
11.	टीसी 3 - सामान्य सिविल कार्य	पैकेज को (मार्च 2010) टीसी3ए सामान्य सिविल कार्य-चरण 1 टीसी3ए (डब्ल्यूबीएम सड़कें और आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट्स) और टीसी3बी (तूफान जल पम्पिंग प्रणाली) में विभाजित किया गया।	1) टीसी 3ए- सामान्य सिविल कार्य- चरण (डब्ल्यूबीएम सड़कें, आरसीसी बॉक्स पुलियाएँ) 2) टीसी 3बी - स्टोर्म जल पंपिंग

क्रम सं.	अनुबंध	परिवर्तन	संशोधित अनुबंध
			व्यवस्था
12.	टीसी 4 - सामान्य सिविल कार्य - चरण ॥ (आरसीसी/बिटुमिनस सड़कें, नालियों की लाइनिंग, संयंत्र सीवेज प्रणाली)	पैकेज को विभाजित किया गया (जुलाई 2011) टीसी4ए1 - सामान्य सिविल कार्य चरण ॥ (सड़कें और नालियां) और टीसी4बी - बागवानी और वनरोपण	1) टीसी 4ए1- सामान्य सिविल कार्य- चरण ॥ (सड़कें और नालियां) 2) टीसी 4बी- बागवानी और वनरोपण
13.	टीडी 2 - इंटरप्लांट पाइपिंग और केबल रैक	पैकेज को स्थगित रखा गया तथा बाद में हटा दिया गया।	हटाए गए

अनुलग्नक III

[1.3.6.1(सी) में संदर्भित]

संकल्पना टिप्पणियों को अंतिम रूप देने और तकनीकी विनिर्देशों, ईओआई/एनआईटी जारी करने और तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन जैसी विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने में लगने वाला समय

क्रम सं.	अनुबंध का नाम	अंतिम संकल्पना टिप्पणी	संकल्पना टिप्पणी को अंतिम रूप देने में लगा समय (महीनों में)	टीएस/ईओआई/एनआईटी/टेकनो वाणिज्यिक अनुशंसा	टीएस/ईओआई/एनआईटी/टेकनो वाणिज्यिक अनुशंसा में लिया गया समय (महीनों में)
1	टीए 1-स्टीम जनरेटर और टर्बाइन जनरेटर	11/09/2007	4	01/10/2008	13
2	टीए 2- कोयला हैंडलिंग संयंत्र	06/12/2007	7	26/05/2009	18
3	टीए 3- राख प्रबंधन प्रणाली	21/02/2008	10	19/02/2010	24
4	टीए 4-परिसंचारी जल प्रणाली	28/09/2007	5	24/07/2009	22
5	टीए 5-जल उपचार संयंत्र, समुद्री जल आरओ विलवणीकरण, डीएम जल संयंत्र, अपशिष्ट उपचार संयंत्र	17/12/2007	8	06/01/2010	25
6	टीए 6- द्वि-फ्लू आरसीसी चिमनी	11/09/2007	4	23/10/2009	26
7	टीए 7- प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर	28/09/2007	5	09/12/2009	27
8	टीए 8- स्विच गियर सिस्टम (220/400 केवी सबस्टेशन और स्विचयार्ड)	10/08/2007	3	11/11/2009	27
9	टीए 9-पावर ट्रांसफॉर्मर	10/08/2007	3	26/06/2009	23
10	टीबी 3ए - निर्माण जल सुविधाएं	05/11/2007	5	18/03/2009	17
11	टीबी 3बी- निर्माण विद्युत सुविधाएं	05/11/2007	5	08/07/2009	20
12	टीबी 5- इंटर-प्लांट संचार और पादप निगरानी	18/10/2007	5	04/08/2011	46
13	टीबी 6- हाइड्रोजन	18/10/2007	5	21/02/2011	41

क्रम सं.	अनुबंध का नाम	अंतिम संकल्पना तिप्पणी	संकल्पना तिप्पणी को अंतिम रूप देने में लगा समय (महीनों में)	टीएस/ईओआई/एनआईटी/टेक्नो वाणिज्यिक अनुशंसा	टीएस/ईओआई/एनआईटी/टेक्नो वाणिज्यिक अनुशंसा में लिया गया समय (महीनों में)
	उत्पादन संयंत्र				
14	टीसी 2ए-परिसंचारी जल मेक अप प्रणाली और आउटफॉल प्रणाली	16/08/2008	15	17/10/2011	39
15	टीसी 2बी- समुद्री जल आरसीसी इनटेक चैनल और आउटफॉल पंप लाइन	16/08/2008	15	07/11/2011	39
16	टीसी 3 ए- सामान्य सिविल कार्य- चरण I (डब्ल्यूबीएम सड़कें, आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट्स)	18/09/2007	4	10/05/2011	44
17	टीसी 3बी- स्टोर्म जल पंपिंग व्यवस्था	18/09/2007	4	29/09/2011	49
18	टीसी 4ए1- सामान्य सिविल कार्य- चरण II (सड़कें और नालियां)	18/08/2012	64	23/10/2015	39
19	टीसी 4बी- बागवानी और वनरोपण	21/10/2011	53	01/05/2015	43
20	टीडी 1- अग्नि सुरक्षा प्रणाली	06/05/2008	11	17/08/2011	40
21	टीडी 3- सामान्य प्रदीप्ति	18/10/2007	5	22/02/2010	29

अनुलग्नक IV

[पैरा 1.3.6.1 (सी) में संदर्भित]

लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने में विलंब

क्रम सं.	अनुबंध का नाम	लेटर ऑफ अवार्ड		
		नियत तिथि जारी करने की तिथि ¹	जारी करने की वास्तविक तिथि	जारी करने में विलंब (महीनों में)
1.	टीए 1 - स्टीम जनरेटर और टर्बाइन जनरेटर	31 मार्च 2008	28 जनवरी 2009	9
2.	टीए 2 - कोयला हैंडलिंग संयंत्र	30 सितंबर 2008	31 जुलाई 2009	9
3.	टीए 3 - राख प्रबंधन प्रणाली		8 अप्रैल 2010	18
4.	टीए 4 - परिसंचारी जल प्रणाली		31 अक्टूबर 2009	12
5.	टीए 5 - जल उपचार संयंत्र, समुद्री जल आरओ विलवणीकरण, डी-खनिजीकरण जल संयंत्र, और अपशिष्ट उपचार संयंत्र		23 जुलाई 2010	21
6.	टीए 6 - द्वि-फ्लू आरसीसी चिमनी		29 जनवरी 2010	15
7.	टीए 7 - प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स		12 मार्च 2010	17
8.	टीए 8 - स्विच गियर सिस्टम (220/400 केवी सबस्टेशन और स्विचयार्ड)		29 जनवरी 2010	15
9.	टीए 9 - पावर ट्रांसफॉर्मर		26 सितंबर 2009	11
10.	टीबी 3ए - निर्माण जल सुविधाएं		27 मई 2010	19
11.	टीबी 3बी - निर्माण विद्युत सुविधाएं		10 सितंबर 2009	11
12.	टीबी 5 - इंटर-प्लांट संचार और संयंत्र निगरानी		27 सितंबर 2011	35
13.	टीबी 6 - हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र		11 अगस्त 2011	34
14.	टीसी 2ए - परिसंचारी जल मेक अप प्रणाली और आउटफॉल प्रणाली		17 मार्च 2012	41
15.	टीसी 2बी - समुद्री जल आरसीसी इनटेक चैनल और आउटफॉल पंप लाइन		17 मार्च 2012	41
16.	टीसी 3ए - सामान्य सिविल कार्य - चरण I (डब्ल्यूबीएम सड़कें, आरसीसी		6 जून 2011	32

¹ टीए 1 के लिए 12 महीने और अन्य सभी के लिए 18 महीने। मेकॉन के साथ एलओए - 31 मार्च 2007

क्रम सं.	अनुबंध का नाम	लेटर ऑफ अवॉर्ड		
		नियत तिथि जारी करने की तिथि ¹	जारी करने की वास्तविक तिथि	जारी करने में विलंब (महीनों में)
	बॉक्स कल्वर्ट्स)			
17.	टीसी 3बी - स्टोर्म जल पंपिंग व्यवस्था		7 दिसंबर 2011	38
18.	टीसी 4ए 1 - सामान्य सिविल कार्य - चरण II (सड़कें और नालियां)		17 मार्च 2016	89
19.	टीसी 4बी - बागवानी और वनरोपण		22 सितंबर 2015	83
20.	टीडी 1 - अग्नि सुरक्षा प्रणाली		19 मार्च 2012	41
21.	टीडी 3 - सामान्य प्रदीप्ति		23 अप्रैल 2010	19

नोट: इकाई-1 (यू-1) और इकाई-2 (यू -2)

अनुलग्नक - V

[पैरा 1.3.6.2 (सी)(बी) में संदर्भित]

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयले की मासिक नियत मात्रा और वास्तविक प्राप्ति

माह	मासिक नियत मात्रा (एमटी)	मासिक नियत मात्रा के प्रति आवंटन		एनटीपीएल द्वारा वास्तविक आवंटन के प्रति कोयला उठाया गया		मासिक आधार पर कोयला खनन में कमी नियत मात्रा (प्रतिशत में)
		(एमटी में)	(प्रतिशत में)	(एमटी में)	(प्रतिशत में)	
ए	बी	सी	डी (सी/बी*100)	ई	एफ (ई/सी*100)	जी (बी-ई)/बी
अप्रैल-17	213793.7	170982	79.98	144151	84.31	32.57
मई-17	213793.7	193284	90.41	133176	68.90	37.71
जून 17	213793.7	126378	59.11	59376	46.98	72.23
जुलाई-17	188138.4	137529	73.10	113855	82.79	39.48
अगस्त-17	188138.4	178726	95.00	151709	84.88	19.36
सितम्बर 17	188138.4	230386	122.46	167795.6	72.83	10.81
अक्टूबर-17	213793.7	236988	110.85	228418.7	96.38	-
नवंबर-17	213793.7	304893	142.61	275050.7	90.21	-
दिसंबर-17	213793.7	303459	141.94	277419.2	91.42	-
जनवरी-18	239448.9	338986	141.57	331548.3	97.81	-
फरवरी-18	239448.9	327830	136.91	310519.3	94.72	-
मार्च-18	239448.9	327829	136.91	347370.3	105.96	-
अप्रैल-18	213793.7	203099	95.00	215981.3	106.34	-
मई-18	213793.7	306288	143.26	228965.7	74.76	-
जून 18	213793.7	278010	130.04	290490.2	104.49	-
जुलाई-18	188138.4	279086	148.34	246664.6	88.38	-
अगस्त-18	188138.4	279086	148.34	266808.9	95.60	-
सितम्बर 18	188138.4	202667	107.72	222701.9	109.89	-
अक्टूबर-18	213793.7	303458	141.94	238559	78.61	-
नवंबर-18	213793.7	303970	142.18	234963.4	77.30	-
दिसंबर-18	213793.7	201420	94.21	245437.8	121.85	-
जनवरी-19	239448.9	227790	95.13	170954.1	75.05	28.61
फरवरी-19	239448.9	59472	24.84	69203.23	116.36	71.10
मार्च-19	239448.9	0	-	0	0	आवंटन नहीं

माह	मासिक नियत मात्रा (एमटी)	मासिक नियत मात्रा के प्रति आवंटन		एनटीपीएल द्वारा वास्तविक आवंटन के प्रति कोयला उठाया गया		मासिक आधार पर कोयला खनन में कमी नियत मात्रा
		(एमटी में)	(प्रतिशत में)	(एमटी में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)
अप्रैल-19	213793.7	167265	78.24	151297.8	90.45	29.23
मई-19	213793.7	193284	90.41	171982.1	88.98	19.56
जून 19	213793.7	193284	90.41	188977.8	97.77	11.61
जुलाई-19	188138.4	170982	90.88	143493.5	83.92	23.73
अगस्त-19	188138.4	170982	90.88	153068	89.52	18.64
19 सितंबर	188138.4	170982	90.88	116360.8	68.05	38.15
अक्टूबर 19	213793.7	193284	90.41	114322.2	59.15	46.53
नवंबर-19	213793.7	159831	74.76	117998.1	73.83	44.81
दिसंबर-19	213793.7	159831	74.76	170862.8	106.90	20.08
जनवरी-20	239448.9	215586	90.03	190591.4	88.41	20.40
फरवरी-20	239448.9	215586	90.03	180616.9	83.78	24.57
मार्च-20	239448.9	215586	90.03	154907.3	71.85	35.31
अप्रैल-20	213793.7	193284	90.41	315855.5	163.42	-
मई-20	213793.7	81774	38.25	87078.4	106.49	59.27
जून 20	213793.7	208152	97.36	142010.1	68.22	33.58
जुलाई-20	188138.4	189567	100.76	236514.7	124.77	-
अगस्त-20	188138.4	189567	100.76	197762.5	104.32	-
सितम्बर-20	188138.4	189567	100.76	188352.9	99.36	-
अक्टूबर-20	213793.7	215586	100.84	210355.8	97.57	1.61
नवंबर-20	213793.7	211869	99.10	206531.5	97.48	3.40
दिसम्बर-20	213793.7	0	-	0	0	आवंटन नहीं
जनवरी-21	239448.9	237888	99.35	235331.8	98.93	1.72
फरवरी-21	239448.9	330813	138.16	201856.6	61.02	15.70
मार्च-21	239448.9	330813	138.16	247161.2	74.71	-
अप्रैल-21	213793.7	301077	140.83	271803.3	90.28	-
मई-21	213793.7	237888	111.27	180780.7	75.99	15.44
जून-21	213793.7	215586	100.84	174929.9	81.14	18.18
जुलाई-21	188138.4	178416	94.83	195950.2	109.83	-
अगस्त-21	188138.4	178416	94.83	159015.3	89.13	15.48
सितम्बर-21	188138.4	178416	94.83	0	0	100.00
योग	11467893	11416778	99.55	10076888	88.26	12.13

अनुलग्नक-VI

(पैरा 2.1 में संदर्भित)

पॉलीओल परियोजना (कोच्चि रिफ़ाइनरी) में लगी लागत का विस्तृत विवरण

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
220 केवी ओएच से भूमिगत केबल निर्माण कार्य	69.20
एडब्ल्यूएसएस के लिए भूमि	2.46
अनुज्ञापी	163.67
अन्य व्यय	1.04
अन्य उपरिव्यय	8.77
पीएमसी (सलाहकार की नियुक्ति, डीपीआर और अध्ययन सहित)	120.41
एडब्ल्यूएसएस के लिए पीएमसी	3.36
साइट अनुबंध	86.38
31.05.2024 तक कुल अनंतिम व्यय	455.29
भविष्य में उपयोग किए जा सकने वाले व्यय को घटाएँ	(155.14)
कुल निष्फल व्यय	300.15

अनुलग्नक VII
(पैरा 2.4.1 में संदर्भित)

क्र. सं.	वस्तु विवरण
1.	सभी आकारों और ग्रेडों के ड्रिल पाइप
2.	सभी आकारों और ग्रेडों के भारी वजन वाले ड्रिल पाइप
3.	सभी ग्रेडों और आकारों के केसिंग पाइप
4.	सभी आकारों के ड्रिल कॉलर
5.	सभी आकारों की उत्पादन ट्यूबिंग
6.	सभी दाब रेटिंग और आकारों के वेल हेड (एच2एस सहित)
7.	सभी दाब रेटिंग और आकारों का एक्स-मेस ट्री (एच2एस सहित)
8.	सभी आकारों के लाइन पाइप
9.	क्रोम मुक्त डिफ्लोक्यूलेट
10.	केसीएल
11.	सीएमसी
12.	तेल कूप सीमेंट
13.	बैंटोनाइट
14.	बैराइट्स
15.	ग्रीस और लुब्रीकेंट्स
16.	एक्ससी पॉलिमर
17.	पीएसी (एलवी और आरजी)
18.	पीएचपीए
19.	एनआईएफ
20.	गैस लिफ्ट वाल्व और मेंड्रेल
21.	किट और गणवेश
22.	अग्नि संबंधी वस्तुएँ
23.	तेल भंडार क्षेत्र सेवाओं से संबंधित वस्तुएँ
24.	अखिल भारतीय सामग्री परिवहन अनुबंध
25.	ईपीसीजी परामर्श अनुबंध
26.	वायु समेकन सेवाएँ
27.	- हटा दिया गया - (एमएम/28/2017 दिनांक 13.11.2017)
(एमएम/14/2016 दिनांक 14.06.2016)	
28	लाइनर हैंगर

क्र. सं.	वस्तु विवरण
29	पारंपरिक ड्रिल बिट्स
30	सभी रेटिंग और आकारों की ड्रिलिंग होज़
31	फ्लोटिंग उपकरण
32	सभी प्रकार के केली
33	रेसिनेटेड लिग्नाइट
34	सीएलएस
35	क्रोम लिग्नाइट
36	स्पॉटिंग फ्लुइड
37	ईपी ल्यूब
38	सल्फोनेटेड डामर
39	ड्रिलिंग डिटर्जेंट
40	प्री जिलेटिनाइज्ड स्टार्च (पीजीएस)
41	माइक्रोनाइज्ड कैल्शियम कार्बोनेट (एमसीसी)
42	चूना पत्थर पाउडर
43	क्ले हाइड्रेशन सप्रेसेंट/पॉलीएमाइन (एमएम/16/2016 - 4.8.2016 के अनुसार जोड़ा गया)

अनुलग्नक VIII
[2.4.2.3 (बी) में संदर्भित]
द्वितीय चरण के अंतर्गत आवरण पाइप के विनिर्देश

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	कार्य केंद्र	मूल आवश्यकता (मीटर में)	संशोधित आवश्यकता (मीटर में)
1	आवरण 13-3/8",	एन एंड एच एसेट	32,000	32,000
2	जे-55, 68 पीपीएफ़	जोरहाट एसेट	2,244	2,244
3	13-3/8", एल-80,68 पीपीएफ़	बी एंड एस एसेट	27,300	22,850
4	13-3/8", पी-110,68 पीपीएफ़	डब्ल्यूओबी मुंबई	35,873	29,478
5		डीएस त्रिपुरा एसेट	2,993	2,993
6		कावेरी बेसिन	5,900	5,900
7		केजी बेसिन	25,000	8,000
8	13-3/8", क्यू-125,72 पीपीएफ़	केजी बेसिन	14,000	9,500
9	9-5/8", जे-55,40 पीपीएफ़	मेहसाणा एसेट	26,500	26,500
10		कैम्बे एसेट	7,110	7,110
11		सीबीएम एसेट	3,600	3,600
12	9-5/8", एल-80,47 पीपीएफ़	अंकलेश्वर एसेट	12,600	12,600
13		एन एंड एच एसेट	53,000	53,000
14		ए एंड एए बेसिन	7,109	7,109
15		जोरहाट एसेट	8,891	8,891
16	9-5/8", पी-110,47 पीपीएफ़	कावेरी बेसिन	10,400	10,400
17	7", एल-80,29 पीपीएफ़	मेहसाणा एसेट	32,700	32,700
18		कैम्बे एसेट	4,992	4,992
19		अंकलेश्वर एसेट	18,000	18,000
20		महाराष्ट्र एसेट	20,025	2,450
21		एन एंड एच एसेट	12,500	12,500
22	7", पी-110,29 पीपीएफ़	असम एसेट	2,487	2,487
23		कावेरी बेसिन	10,073	10,073
24	5-1/2", एल-80,20 पीपीएफ़	एफबी, अहमदाबाद	4,000	4,000
25		कैम्बे एसेट	28,463	28,463
26		ए एंड एए बेसिन	14,769	12,234
	योग		4,22,529	3,70,074

अनुलग्नक IX

[पैरा 2.4.2.3(बी) में संदर्भित]

आवश्यकता में कमी के कारण उच्च दरों पर केसिंग पाइपों की खरीद को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कार्य केंद्र	विशिष्टता	2022-23 में भेजी गई आवश्यकता (क)	2022-23 में निर्धारित आवश्यकता (ख)	2022-23 में दरें (ग)	शेष आवश्यकता (घ) = क-ख	2023-24 में दरें (ङ)	राशि (च) = (ङ - ग) * घ
1	डब्ल्यूओबी, मुंबई	13-3/8", 68पीपीएफ, पी-110	35,873	16,017	16,800	19,856	18,781	3,93,34,736
2		9-5/8", 47पीपीएफ, पी-110	59,007	33,179	8,921	25,828	11,560	68,160,092
3	कैम्बे एसेट	7", 29पीपीएफ, एल-80	13,453	4,500	5,134	8,953	6,918	1,59,72,152
							योग	12,34,66,980

अनुलग्नक X
(पैरा 4.1 में संदर्भित)

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ यूनिट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए कुल अग्रिम, अग्रिमों की वसूली और बकाया अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

सं.	ब्योरा	कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल बकाया अग्रिम राशि	वसूल की गई राशि	आज की तिथि तक वसूल की जाने वाली राशि (मार्च 2024)
क	1 अप्रैल 2021 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी	323	6,43,34,486.86	शून्य	6,43,34,486.86
ख	1 अप्रैल 2021 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी (जिनसे आंशिक वसूली की गई)	14	45,26,952.37	30,32,204.41	14,94,747.96
ग	कुल (क+ख)	337	6,88,61,439.23	30,32,204.41	6,58,29,234.82
घ	1 अप्रैल 2021 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी (जिनसे पूर्ण वसूली की गई)	26	70,22,634.66	70,22,634.66	शून्य
ङ	कुल योग (ग+घ)	363	7,58,84,073.89	1,00,54,839.07	6,58,29,234.82

अनुलग्नक XI
(पैरा 5.6.2 में संदर्भित)

चयनित एनएसआईसी शाखाओं में योजना के अंतर्गत एमएसएमई का राज्य-वार समावेश

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	31.03.2022 तक राज्य में कुल उद्यम पंजीकरण	लेखापरीक्षा के लिए चयनित एनएसआईसी की शाखा	31.03.2022 तक शाखा द्वारा एमएसएमई की सेवा प्रदान की गयी	प्रतिशत आच्छादन (%)
महाराष्ट्र	16,26,161	पुणे	92	0.006
उत्तर प्रदेश	6,32,048	नोएडा एवं नैनी	168	0.027
दिल्ली	2,24,643	तकनीकी केंद्र, ओखला	31	0.014
पश्चिम बंगाल	2,34,204	कोलकाता	159	0.068
तेलंगाना	2,59,853	हैदराबाद एवं बालानगर	251	0.097
पंजाब	2,83,352	लुधियाना	169	0.060
उड़ीसा	1,55,514	भुवनेश्वर	76	0.049
हरियाणा	2,82,829	फरीदाबाद	64	0.023
उत्तराखंड	72,371	देहरादून	31	0.043
बिहार	3,11,388	पटना	39	0.013
कर्नाटक	4,67,701	बेंगलूरु और बेलगाम	324	0.069

अनुलग्नक XII

[पैरा 7.1.5.1(ख)में संदर्भित]

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के नियम 11 के अनुसार टोल भुगतान से छूट प्राप्त वाहनों की सूची

यांत्रिक वाहनों से कोई टोल नहीं लगाया जाएगा और न ही वसूला जाएगा: -

क. परिवहन एवं साथ ले जाने वाले

- (i) भारत के राष्ट्रपति,
- (ii) भारत के उप- राष्ट्रपति,
- (iii) भारत के प्रधानमंत्री,
- (iv) राज्य के राज्यपाल,
- (v) भारत के मुख्य न्यायाधीश,
- (vi) लोकसभा के अध्यक्ष,
- (vii) संघ के कैबिनेट मंत्री,
- (viii) राज्य के मुख्यमंत्री,
- (ix) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
- (x) केंद्रीय राज्य मंत्री,
- (xi) केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल,
- (xii) पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाला चीफ ऑफ स्टाफ
- (xiii) किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति,
- (xiv) किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष,
- (xv) किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
- (xvi) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
- (xvii) संसद सदस्य,
- (xviii) सेना कमांडर या उप-सेना प्रमुख एवं अन्य सेवाओं में समकक्ष,
- (xix) संबंधित राज्य के अंतर्गत किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव,
- (xx) भारत सरकार के सचिव,
- (xxi) राज्य परिषद के सचिव,

- (xxii) लोक सभा के सचिव,
- (xxiii) राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य व्यक्ति,
- (xxiv) किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद के सदस्य, अपने संबन्धित राज्य के भीतर, यदि राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं

ख. आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है

- (i) रक्षा मंत्रालय जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जो भारतीय टोल (सेना और वायु सेना), 1901 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं, जैसा कि नौसेना के लिए भी किया गया है।
- (ii) अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल।
- (iii) एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट,
- (iv) अग्निशमन विभाग या संगठन,
- (v) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या प्रचालन और उसके रखरखाव के लिए ऐसे वाहन का उपयोग करने वाला कोई अन्य सरकारी संगठन

ग. एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया जाता है

घ. अंतिम संस्कार वैन के रूप में उपयोग किया जाता है।

ङ किसी शारीरिक दोष या विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन और निर्मित।

अनुलग्नक XIII

[पैरा 7.1.5.1(ख)(i)में संदर्भित]

आरओ गांधीनगर के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त पोषित टोल प्लाजा में छूट

टोल प्लाजा	माह-वर्ष	वाहनों की संख्या	छूट की संख्या			छूटों की प्रतिशतता		स्थानीय छूट	
			भौतिक रूप से	ईटीसी	कुल	भौतिक रूप से	ईटीसी	संख्या	योग का प्रतिशत
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
					(घ+ङ)	(घ/च)*100	(ङ/च)*100		(झ/च)*100
लिमडी	अक्टूबर-22	164262	84500	68	84568	99.92	0.08	विनिर्दिष्ट नहीं	आंकड़ों के अभाव में इसका पता लगाना संभव नहीं है
	नवंबर-22	169872	86476	52	86528	99.94	0.06		
	दिसंबर-22	167710	81401	42	81443	99.95	0.05		
	जनवरी-23	173914	85808	58	85866	99.93	0.07		
	फरवरी-23	162051	79919	60	79979	99.92	0.08		
	मार्च-23	185204	97582	85	97667	99.91	0.09		
मखेल	अक्टूबर-22	296016	22817	119	22936	99.48	0.52	15430	67.27
	नवंबर-22	315711	19573	145	19718	99.26	0.74	11714	59.41
	दिसंबर-22	320783	19755	145	19900	99.27	0.73	12898	64.81
	जनवरी-23	330199	24952	134	25086	99.47	0.53	18792	74.91
	फरवरी-23	306042	20925	80	21005	99.62	0.38	14474	68.91
	मार्च-23	321126	24009	99	24108	99.59	0.41	16312	67.66
खेमाणा	अक्टूबर-22	485788	79738	265	80003	99.67	0.33	64181	80.22
	नवंबर-22	470916	75904	210	76114	99.72	0.28	61879	81.30
	दिसंबर-22	486607	77025	272	77297	99.65	0.35	62883	81.35
	जनवरी-23	475611	74587	291	74878	99.61	0.39	61850	82.60
	फरवरी-23	465060	64988	280	65268	99.57	0.43	52548	80.51
	मार्च-23	479508	70049	320	70369	99.55	0.45	55262	78.53
उंडवारिया	अक्टूबर-22	477632	25972	454	26426	98.28	1.72	8236	31.17
	नवंबर-22	464273	21714	355	22069	98.39	1.61	14946	67.72
	दिसंबर-22	489201	24500	372	24872	98.50	1.50	16541	66.50
	जनवरी-23	468888	25647	440	26087	98.31	1.69	17612	67.51
	फरवरी-23	463447	26824	305	27129	98.88	1.12	18814	69.35
	मार्च-23	468707	23076	322	23398	98.62	1.38	15340	65.56
ओखामाधी	अक्टूबर-22	150248	16309	55	16364	99.66	0.34	विनिर्दिष्ट नहीं है	आंकड़ों के अभाव में इसका पता लगाना संभव नहीं है।
	नवंबर-22	130845	13774	72	13846	99.48	0.52		
	दिसंबर-22	135981	14289	70	14359	99.51	0.49		
	जनवरी-23	132541	12131	77	12208	99.37	0.63		
	फरवरी-23	114114	11691	105	11796	99.11	0.89		

टोल प्लाजा	माह-वर्ष	वाहनों की संख्या	छूट की संख्या			छूटों की प्रतिशतता		स्थानीय छूट	
			15910	52	15962	99.67	0.33		
	मार्च-23	146640	15910	52	15962	99.67	0.33		
मांडवा	अक्टूबर-22	1575326	128610	337	128947	99.74	0.26	निर्दिष्ट नहीं है	आंकड़ों के अभाव में इसका पता लगाना संभव नहीं है।
	नवंबर-22	1668286	152583	233	152816	99.85	0.15		
	दिसंबर-22	1764161	182156	259	182415	99.86	0.14		
	जनवरी-23	1780754	188815	392	189207	99.79	0.21		
	फरवरी-23	1660660	191395	347	191742	99.82	0.18		
	मार्च-23	1646407	178654	353	179007	99.80	0.20		

अनुलग्नक XIV

[पैरा 7.1.5.1(ग)(i) में संदर्भित]

भगवाड़ा और चरोटी टोल प्लाज़ा में टोल का अधिक संग्रह

क्र. सं.	टीसीए का नाम	अवधि		दिनों की संख्या	26 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक एनएचएआई को टीसीए धन प्रेषण (₹)	टोल दरों में आनुपातिक कमी प्रभावी नहीं की गई* (प्रतिशत)	सड़क उपयोगकर्ता पर टोल भार (₹)
		से	तक				
भगवाड़ा टोल प्लाज़ा							
1	मेसर्स बालाजी टोल रोड प्रा. लिमिटेड	26/05/2022	20/07/2022	55	310,254,000	-52.42	-162,634,204.87
2	मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड	20/07/2022	20/10/2022	92	488,808,000	-52.42	-256,231,669.59
3	मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड	21/10/2022	28/12/2022	68	383,179,932	-52.42	-200,861,757.03
4	मेसर्स रिद्धी सिद्धी एसोसिएट्स	28/12/2022	28/03/2023	90	552,329,910	-52.42	-289,529,661.96
5	मेसर्स रिद्धी सिद्धी एसोसिएट्स	28/03/2023	31/03/2023	3	19,121,997	-52.42	-10,023,692.77
	कुल			308	1,753,693,839		-919,280,986.22
चरोटी टोल प्लाज़ा							
1	मेसर्स बालाजी टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड	26/05/2022	16/07/2022	51	255,204,000	-56.44	-144,037,137.60
2	मेसर्स कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर	16/07/2022	19/10/2022	95	448,780,000	-56.44	-253,291,432.00

क्र. सं.	टीसीए का नाम	अवधि		दिनों की संख्या	26 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक एनएचएआई को टीसीए धन प्रेषण (₹)	टोल दरों में आनुपातिक कमी प्रभावी नहीं की गई* (प्रतिशत)	सड़क उपयोगकर्ता पर टोल भार (₹)
		से	तक				
	लिमिटेड						
3	मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड	19/10/2022	05/01/2023	78	395,928,000	-56.44	-223,461,763.20
4	मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड	05/01/2023	31/03/2023	85	468,264,915	-56.44	-264,288,718.03
	कुल			309	1,568,176,915		-885,079,050.83
					कुल योग		-1,804,360,037

* 1997 के टोल नियमों में उल्लिखित दरों के अनुसार रियायतग्राही टोल एकत्र कर रहा था। एनएचएआई द्वारा 2022 में टोल-कलेक्शन संभालने के बाद, दरों को 2008 के टोल नियमों के अनुसार परिशोधित किया जाना चाहिए था और उस दर पर, 60 प्रतिशत की कमी का प्रावधान किया जाना चाहिए था। 2008 के टोल नियमों के अनुसार वास्तविक टोल संग्रह पर 60 प्रतिशत की आनुपातिक कमी तय की जाती है।

अनुलग्नक XV
[पैरा 7.1.5.1(डी)(ii) में संदर्भित]
दोगुना टोल शुल्क

क्र. सं.	टोल प्लाजा का नाम (पीआईयू)	परियोजना का नाम	रियायतग्राही का नाम	अवधि		दोगुना टोल बकाया (₹ करोड़)	टिप्पणी
				से	तक		
1	हिवरगांव पावासा (पुणे)	एनएच-50 के खेड़ सिन्नर खंड को चार लेन का बनाना	मेसर्स खेड़ सिन्नर एक्सप्रेसवेज़ लिमिटेड	16/02/2021	08/06/2022	0.00	पीआईयू विलंबित धन प्रेषण के लिए ब्याज लगाने और वसूलने में विफल रहा; टोल प्लाजा 09 जून 2022 से सार्वजनिक वित्त पोषित हो गया।
2	पाटस (पुणे)	एनएच-65 के पुणे-सोलापुर खंड का चार लेन का निर्माण	मेसर्स पुणे सोलापुर एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	16/02/2021	31/03/2023	8.90	दोगुना टोल और ब्याज लंबित
3	खेड़शिवपुर (पुणे)	एनएच-4 के पुणे-सतारा खंड का छह लेन	मेसर्स पीएस टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड।	16/02/2021	31/03/2023	11.77	दोगुना टोल और लंबित ब्याज
4	नंदगांव पेठ (अमरावती)	एनएच-6 के तालेगांव-अमरावती खंड (अमरावती बाईपास सहित) की 4/6 लेन	मेसर्स आईआरबी तालेगांव - अमरावती टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	16/02/2021	31/03/2023	3.93	दोगुना टोल और लंबित ब्याज
5	करंजा घ. (अमरावती)	एनएच-6 के कोंढाली-तलेगांव खंड (अमरावती बाईपास सहित) की 4/6 लेन	मेसर्स ओरिएंटल पाथवेज (नागपुर) प्राइवेट लिमिटेड	16/02/2021	31/03/2023	0.00	पीआईयू ने विलंबित धन प्रेषण पर ब्याज नहीं लगाया और न ही वसूला
6	परगांव (औरंगाबाद)	एनएच-52 (पुराना एनएच-211) के येदशी खंड का 4 लेन	मेसर्स आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड,	16/02/2021	31/03/2023	0.92	दोगुना टोल और लंबित ब्याज

क्र. सं.	टोल प्लाजा का नाम (पीआईयू)	परियोजना का नाम	रियायतग्राही का नाम	अवधि		दोगुना टोल बकाया (₹ करोड़)	टिप्पणी
				से	तक		
7	भटवाड़ा (गोधरा)	गुजरात राज्य में एनएच-47 के गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड को किमी.129+300 से चार लेन का बनाना	मेसर्स गोधरा एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड/बीएस सीपीएल।	16/02/2021	31/03/2023	0	पीआईयू ने फरवरी 2021 से जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए, अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विलंबित धन प्रेषण पर ब्याज नहीं लगाया और न ही वसूला
8	मंडल (सूरत)	एनएचडीपी चरण III के अंतर्गत गुजरात राज्य में एनएच-53 के गुजरात/महाराष्ट्र सीमा - सूरत - हजीरा बंदरगाह खंड को चार लेन का बनाना	मेसर्स सूरत हजीरा एनएच-6 टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स सोमा आइसोलक्स सूरत हजीरा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	16/02/2021	31/03/2023	0	पीआईयू ने फरवरी 2021 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विलंबित धन प्रेषण पर ब्याज नहीं लगाया और न ही वसूला
9	नाडियाड (अहमदाबाद)	एनएच 8 का अहमदाबाद से वडोदरा खंड (श्रृंखला किमी 6.400 से 108.700, लंबाई 102.300 किमी)	आईआरबी अहमदाबाद वडोदरा सुपर एक्सप्रेस टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	16/02/2021	31/03/2023	13.52	पीआईयू ने फरवरी 2021 से अगस्त 2023 तक की अवधि के लिए विलंबित धन प्रेषण पर ब्याज नहीं लगाया और न ही वसूला।
लघु प्रेषण का कुल योग						39.04	

अनुलग्नक XVI

[पैरा 7.1.5.2(सी) में संदर्भित]

आवधिक रिपोर्ट/विवरण एकत्र न करने के कारण परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी

क्रम सं.	टोल प्लाजा, पीआईयू (टोल का प्रकार)	मांगी गई जानकारी	टिप्पणी
1	चारोटी, ठाणे (बीओटी/सार्वजनिक वित्त पोषित)	सभी जानकारी- अनुसूची एम, अनुसूची वी (चूंकि यह अक्टूबर 2022 में सार्वजनिक वित्त पोषित हो गया है), टीएमएस डेटा, अधिग्रहणकर्ता बैंक स्टेटमेंट, एस्करो बैंक स्टेटमेंट, वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, अलेखापरीक्षित त्रैमासिक वित्तीय विवरण।	केवल अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक की अनुसूची V प्रदान की गई है।
2	हिवरगांव पावासा, पुणे (सार्वजनिक वित्त पोषित)	एस्करो बैंक स्टेटमेंट	जून 2021 से मार्च 2023 तक के एस्करो बैंक स्टेटमेंट की प्रतीक्षा है
3	खेड़ शिवपुर, पुणे (बीओटी)	एस्करो बैंक स्टेटमेंट, और रियायतग्राही के अलेखापरीक्षित त्रैमासिक विवरण	सभी प्रतीक्षित
4	पाटस, पुणे (बीओटी)	सभी जानकारी- अनुसूची V (चूंकि यह अक्टूबर 2022 में सार्वजनिक वित्त पोषित हो गया है), एस्करो बैंक स्टेटमेंट,	अनुसूची V (चूंकि यह अक्टूबर 2022 में सार्वजनिक वित्त पोषित हो जाएगा), एस्करो बैंक स्टेटमेंट अभी भी प्रतीक्षित है
5	करोडी औरंगाबाद, (सार्वजनिक वित्त पोषित)	अनुसूची V (दिसंबर 2021 से मार्च 2023) और असामान्य घटनाओं पर रिपोर्ट	दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 और अक्टूबर 2022 महीनों के लिए अनुसूची V पूरी नहीं हुई है, और मार्च 2022 से जून 2022 महीनों के लिए अनुसूची V और असामान्य घटनाओं पर रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।
6	हुस्नपुर, यवतमाल (एचएएम)	असामान्य घटनाओं पर रिपोर्ट	प्रतीक्षित
7	केलापुर, यवतमाल (इन्वाइट)	वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, अलेखापरीक्षित त्रैमासिक वित्तीय विवरण, एस्करो बैंक विवरण और असामान्य घटनाओं पर रिपोर्ट	प्रतीक्षित

अनुलग्नक XVII

[पैरा 7.1.5.3(ए) में संदर्भित]

मासिक टोल विवरणों के साथ टीएमसीसी के आंकड़ों की तुलना

स्रोत		टीएमसीसी		अनुसूची एम/वी/जी/एमपीआर					
टोल प्लाजा (ए)	महीना/ वर्ष (बी)	कुल वाहन संख्या (नकद+ ईटीसी) (सी)	कुल उपयोगकर्ता शुल्क राजस्व (D)	कुल वाहन संख्या (नकद+ ईटीसी) (ई)	कुल उपयोगकर्ता शुल्क राजस्व (एफ)	वाहनों की संख्या में अंतर (जी= सी-ई)	वाहन संख्या में % अंतर (एच= जी/ई* 100)	उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह में अंतर (आई=डी- एफ)	उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह में % अंतर (जे=आई/ एफ* 100)
भटवाड़ा	नवंबर -22	336944	122779760	335203	122947595	1741	0.52	-167835	-0.14
	दिसम्बर -22	349393	126683925	349144	127455785	249	0.07	-771860	-0.61
	जनवरी -23	348616	126573360	346944	126788070	1672	0.48	-214710	-0.17
	फ़रवरी -23	325228	121746880	323742	121949105	1486	0.46	-202225	-0.17
	मार्च -23	360610	132476030	358144	132300940	2466	0.69	175090	0.13
लिमडी	नवंबर -22	84379	14898490	95026	14882875	-10647	- 11.20	15615	0.10
	दिसम्बर -22	86335	15672400	85459	15723185	876	1.03	-50785	-0.32
	जनवरी -23	89063	16076125	87762	16075615	1301	1.48	510	0.00
	फ़रवरी -23	84195	15469520	83220	15451400	975	1.17	18120	0.12
	मार्च -23	91472	16263920	90312	16212545	1160	1.28	51375	0.32
मंडल	नवंबर -22	334993	125289230	329785	125229300	5208	1.58	59930	0.05
	दिसम्बर -22	357236	137109710	353672	137715165	3564	1.01	-605455	-0.44
	जनवरी -23	351237	132697615	346321	132722670	4916	1.42	-25055	-0.02
	फ़रवरी -23	328073	122146650	323556	122087360	4517	1.40	59290	0.05
	मार्च -23	345897	129649605	340598	129500640	5299	1.56	148965	0.12
मांडवा	नवंबर -22	1447341	107125485	1222263	107081530	225078	18.41	43955	0.04
	दिसम्बर -22	1508086	113566905	1276038	114090900	232048	18.19	-523995	-0.46
	जनवरी -23	1522329	112373975	1281794	112574285	240535	18.77	-200310	-0.18
	फ़रवरी -23	1406916	105238535	1177463	105466595	229453	19.49	-228060	-0.22
	मार्च -23	1404736	108257750	1172015	108271135	232721	19.86	-13385	-0.01
ओखामा	नवंबर -22	116005	13425095	115756	14031340	249	0.22	-606245	-4.32

स्रोत		टीएमसीसी		अनुसूची एम/वी/जी/एमपीआर					
टोल प्लाजा (ए)	महीना/ वर्ष (बी)	कुल वाहन संख्या (नकद+ ईटीसी) (सी)	कुल उपयोगकर्ता शुल्क राजस्व (D)	कुल वाहन संख्या (नकद+ ईटीसी) (ई)	कुल उपयोगकर्ता शुल्क राजस्व (एफ)	वाहनों की संख्या में अंतर (जी= सी-ई)	वाहन संख्या में % अंतर (एच= जी/ई* 100)	उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह में अंतर (आई=डी- एफ)	उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह में % अंतर (जे=आई/ एफ* 100)
डी	दिसम्बर -22	120074	14251495	120284	14802950	-210	-0.17	-551455	-3.73
	जनवरी -23	119204	14998355	117648	15500010	1556	1.32	-501655	-3.24
	फ़रवरी -23	101164	12301905	100883	12700705	281	0.28	-398800	-3.14
	मार्च -23	128851	15296910	128772	16119095	79	0.06	-822185	-5.10
वनाना	नवंबर -22	143480	13297495	87730	12889000	55750	63.55	408495	3.17
	दिसम्बर -22	155248	14783330	94710	14428000	60538	63.92	355330	2.46
	जनवरी -23	151269	13576850	91186	13180000	60083	65.89	396850	3.01
	फ़रवरी -23	134011	11231875	78519	10860000	55492	70.67	371875	3.42
	मार्च -23	138357	11565980	80307	11135000	58050	72.29	430980	3.87
मखेल	नवंबर -22	275266	152260050	275041	152516725	225	0.08	-256675	-0.17
	दिसम्बर -22	283748	158120565	284738	159050650	-990	-0.35	-930085	-0.58
	जनवरी -23	285263	156961875	284983	157246350	280	0.10	-284475	-0.18
	फ़रवरी -23	271736	150738260	271551	151127405	185	0.07	-389145	-0.26
	मार्च -23	286576	157067515	285732	156905165	844	0.30	162350	0.10
खेमाना	नवंबर -22	389711	80573315	377006	80543225	12705	3.37	30090	0.04
	दिसम्बर -22	403857	83549125	391881	83925840	11976	3.06	-376715	-0.45
	जनवरी -23	396012	82700275	382195	82721070	13817	3.62	-20795	-0.03
	फ़रवरी -23	395122	80800480	374866	80847445	20256	5.40	-46965	-0.06
	मार्च -23	405621	84086265	383926	83838650	21695	5.65	247615	0.30
उंदावरी या	नवंबर -22	432174	55577940	423644	55559730	8530	2.01	18210	0.03
	दिसम्बर -22	450236	57695300	443635	57946775	6601	1.49	-251475	-0.43
	जनवरी -23	434161	56713000	425301	56734160	8860	2.08	-21160	-0.04
	फ़रवरी -23	423867	55261810	415347	55280635	8520	2.05	-18825	-0.03
	मार्च -23	432645	57450930	422711	57308890	9934	2.35	142040	0.25
नाडियाड	नवंबर -22	104143	11496925	103862	11532000	281	0.27	-35075	-0.30

स्रोत		टीएमसीसी		अनुसूची एम/वी/जी/एमपीआर					
टोल प्लाजा (ए)	महीना/ वर्ष (बी)	कुल वाहन संख्या (नकद+ ईटीसी) (सी)	कुल उपयोगकर्ता शुल्क राजस्व (D)	कुल वाहन संख्या (नकद+ ईटीसी) (ई)	कुल उपयोगकर्ता शुल्क राजस्व (एफ)	वाहनों की संख्या में अंतर (जी= सी-ई)	वाहन संख्या में % अंतर (एच= जी/ई* 100)	उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह में अंतर (आई=डी- एफ)	उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह में % अंतर (जे=आई/ एफ* 100)
	दिसम्बर -22	116444	12367505	116859	12522000	-415	-0.36	-154495	-1.23
	जनवरी -23	129342	12741080	129220	13019000	122	0.09	-277920	-2.13
	फ़रवरी -23	112642	11470055	112536	11663000	106	0.09	-192945	-1.65
	मार्च -23	107271	11416245	106934	11555000	337	0.32	-138755	-1.20

नोट 1: गैर-टोल योग्य वाहनों को वाहन गणना में शामिल नहीं किया गया

नोट 2: छूट प्राप्त और उल्लंघन किए गए वाहनों को वाहन गणना में शामिल नहीं किया गया

क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई और नागपुर से डेटा प्राप्त नहीं हुआ

अनुलग्नक XVIII

[पैरा 7.1.5.3(डी) में संदर्भित]

सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा सुविधाओं और सुख-सुविधाओं पर व्यक्त असंतोष
हाईवे नेस्ट मिनी (आरओ- गांधीनगर) के निर्माण और संचालन की स्थिति

क्रम सं.	टोल प्लाजा का नाम	पीआईयू का नाम	क्या हाईवे नेस्ट मिनी का निर्माण टोल प्लाजा के दोनों ओर किया गया था	
1	नाडियाड	अहमदाबाद	हाईवे नेस्ट मिनी राजमार्ग के एलएचएस/आरएचएस हिस्से में उपलब्ध नहीं था।	
2	ओखामडी	राजकोट		
3	लिमडी	गोधरा		
4	मांडवा	सूरत		
5	उंदावरिया	पालनपुर	हाईवे नेस्ट मिनी हाईवे के दोनों ओर उपलब्ध थी, लेकिन चालू नहीं थी	
6	खेमाना			
7	वनाना			राजकोट
8	भटवाड़ा			गोधरा
9	मखेल	पालनपुर	हाईवे नेस्ट मिनी हाईवे के एक तरफ उपलब्ध था और चालू था	
10	मंडल	सूरत	हाईवे नेस्ट मिनी हाईवे के दोनों ओर उपलब्ध था और चालू था	
11	भगवाड़ा			

अनुलग्नक XIX

(अनुच्छेद 7.2 में संदर्भित)

वाहन श्रेणीवार प्रति फेरी अधिक टोल दर

(सभी आंकड़े ₹ में)

वाहन श्रेणी	रसोईया धमना शुल्क प्लाजा					नगवां (हजारीबाग) शुल्क प्लाजा				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
कार	0	0	5	5		0	0	5	0	
हल्के वाणिज्यिक वाहन	5	5	5	5		0	0	0	5	
बस/ट्रक (2 धुरी)	10	10	10	10		5	5	10	5	
ट्रक (3 धुरी)	10	10	15	15		5	10	5	5	
बहु-धुरी वाहन (एमएवी)	15	15	20	20		5	10	10	10	
बड़े आकार का वाहन (ओएसवी)	15	20	25	25		10	10	10	15	

शुल्क प्लाजा का नाम :- रसोईया धमना शुल्क प्लाजा

वाहन श्रेणी	वर्ष 2021-22 में टोल प्लाजा से गुजरे वाहनों की संख्या	वर्ष 2021-22 के दौरेन प्रति वसूला गया अतिरिक्त टोल	वर्ष 2021-22 के दौरेन वसूला गया अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2022-23 के दौरेन टोल प्लाजा से गुजरे वाहनों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरेन प्रति वसूला गया अतिरिक्त टोल	वर्ष 2022-23 के दौरेन अतिरिक्त टोल (₹)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (3)	(5)	(6)	(7) = (5) x (6)
कार	378474	0	0	1057337	0	0
एलसीवी	34683	5	1,73,415	107306	5	5,36,530
बस/ट्रक (2 धुरी)	157597	10	15,75,970	501024	10	50,10,240
ट्रक (3 धुरी)	130277	10	13,02,770	371453	10	37,14,530
एमएवी	553387	15	83,00,805	1593745	15	2,39,06,175
ओएसवी	272	15	4,080	1092	20	21,840
वर्ष 2023-24 के दौरेन टोल प्लाजा से गुजरे वाहनों की संख्या	वर्ष 2023-24 के दौरेन प्रति वसूला गया अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरेन अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2024-25 के दौरेन टोल प्लाजा से गुजरे वाहनों की संख्या	वर्ष 2024-25 के दौरेन प्रति वसूला गया अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2024-25 के दौरेन अतिरिक्त टोल (₹)	कुल अतिरिक्त संग्रह
(8)	(9)	(10)=(8)x(9)	(11)	(12)	(13)=(11)x(12)	(14)=(4)+(7)+(10)+(13)
970321	5	48,51,605	12,23,982	5	61,19,910	10971515
110194	5	5,50,970	1,28,867	5	6,44,335	1905250
512319	10	51,23,190	5,59,420	10	55,94,200	17303600
372381	15	55,85,715	3,46,822	15	52,02,330	15805345
1619841	20	3,23,96,820	17,27,537	20	3,45,50,740	99154540
1382	25	34,550	876	25	21,900	82370
रसोईया धमना शुल्क प्लाजा में वसूला गया अधिका टोल (I)						14,52,22,620

शुल्क प्लाजा का नाम:- हजारीबाग शुल्क प्लाजा

वाहन श्रेणी	वर्ष 2021-22 में टोल प्लाजा से गुजरे वाहनों की संख्या	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति वाहन वसूला गया अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2021-22 के दौरान वसूला गया अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2022-23 के दौरान टोल प्लाजा से गुजरे वाहनों की संख्या	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति वाहन वसूला गया अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त टोल (₹)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (3)	(5)	(6)	(7) = (5) x (6)	(8)
कार	687642	0	0	9,24,028	0	0	0
एलसीवी	44971	0	0	79,753	0	0	0
बस/ट्रक (2 धुरी)	169211	5	8,46,055	2,71,219	5	13,56,095	13,56,095
ट्रक (3 धुरी)	108196	5	5,40,980	1,22,746	10	12,27,460	12,27,460
एमएवी	648135	5	32,40,675	7,72,267	10	77,22,670	77,22,670
ओएसवी	360	10	3,600	546	10	5,460	5,460
वर्ष 2023-24 के दौरान टोल प्लाजा से गुजरे वाहनों की संख्या	वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति वाहन एकत्रित अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2023-24 के दौरान एकत्रित अतिरिक्त टोल (₹)	वर्ष 2024-25 के दौरान टोल प्लाजा से गुजरे वाहनों की संख्या	वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति वाहन एकत्रित अतिरिक्त टोल	वर्ष 2024-25 के दौरान एकत्रित अतिरिक्त टोल (₹)	कुल अतिरिक्त संग्रह (₹)	(14)=(4) + (7)+(10)+(13)
(8)	(9)	(10)=(8)x(9)	(11)	(12)	(13)=(11)x(12)	(₹)	(14)=(4) + (7)+(10)+(13)
1919755	5	95,98,775	1399791	0	0	95,98,775	95,98,775
135808	0	0	117837	5	5,89,185	5,89,185	5,89,185
361003	10	36,10,030	338020	5	16,90,100	75,02,280	75,02,280
149128	5	745640	144718	5	7,23,590	32,37,670	32,37,670
933007	10	93,30,070	1017610	10	1,01,76,100	3,04,69,515	3,04,69,515
774	10	7,740	590	15	8,850	25650	25650
			हजारीबाग शुल्क प्लाजा में वसूला गया अधिक टोल (II)			5,14,23,075	5,14,23,075
			कुल योग (I +II)			19,66,45,695	19,66,45,695

नोट: लेखापरीक्षा द्वारा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, हजारीबाग से प्राप्त वाहन संबंधी विवरणों के आधार पर अधिक वसूली का पता लगाया गया। उपर्युक्त गणना में मात्र एकल यात्रा को ही सम्मिलित किया गया है, जबकि अनेक यात्राओं /मासिक पास आदि से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं था।

अनुलग्नक - XX
(पैरा 8.1 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां

मंत्रालय का नाम/ विभाग	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	वित्त वर्ष 2022-23 में प्रबंधन द्वारा वसूल की गई रकम
कोयला	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	निष्पादन प्रत्याभूति अविधि के दौरान कम निष्पादन किए गए इंपरों के प्रति जुर्माना वसूलने में विफलता	85.80
वित्त	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	योग्य मूल राशि से अधिक दावे के निस्तारण के परिणामस्वरूप ₹42.98 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय व्यय हुआ।	2047.00
भारी उद्योग	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड पलक्कड़	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ (आईएलपी) ने अपने 363 कर्मचारियों को, जो बाद में सेवानिवृत्त हो गए, वेतन पुनरीक्षण लाभों की अपेक्षा में ₹7.58 करोड़ की राशि वसूलने योग्य अग्रिम (रिकवेरेबल एडवांस) के रूप में प्रदान की थी। इस ₹7.58 करोड़ में से आईएलपी अब तक इन कर्मचारियों को देय एरियर से केवल ₹0.96 करोड़ ही वसूल कर सकी है। अतः सेवा अवधि के दौरान इन कर्मचारियों से उक्त अग्रिम की वसूली न कर पाने के कारण ₹6.58 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। (वर्ष 1992 से 2015)	96.00
ऊर्जा	टीएचडीसी	संविदाकार से बीमा शुल्क की वसूली न होने के कारण ₹53.51 लाख का अनुचित लाभ	34.00
सड़क परिवहन राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 15 मई 2020 की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों से वसूली गई फास्ट-टैग	1,299.00

मंत्रालय का नाम/ विभाग	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	वित्त वर्ष 2022-23 में प्रबंधन द्वारा वसूल की गई रकम
सड़क परिवहन राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	दंड राशि को उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने वाली एजेंसियों से वसूलने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप यह फास्ट-टैग दंड राशि भारत के संचित निधि में जमा नहीं हो सकी। (फरवरी 2021 से मार्च 2024)	2,792.00
सड़क परिवहन राजमार्ग	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, संगारेड्डी द्वारा गोदावरीखानी/मचोरियल के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को त्रुटिपूर्ण रूप से अपनाया गया था। ये स्थान मंगलूर से तेलंगाना/महाराष्ट्र सीमा तक के परियोजना खंड से क्रमशः 264/274 किलोमीटर दूर स्थित थे, जबकि हैदराबाद का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपनाया जाना चाहिए था, जो संबंधित स्ट्रेच से मात्र 167 किलोमीटर दूर तथा निकटतम उपयुक्त केंद्र था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के इस त्रुटिपूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप बोली परियोजना लागत का निर्धारण त्रुटिपूर्ण हुआ, जिससे माइलस्टोन भुगतान/वार्षिकी हेतु अधिक भुगतान किया गया। भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 के अनुसार नियोजता द्वारा किए गए निर्माण व्यय पर दो प्रतिशत से अधिक नहीं तथा एक प्रतिशत से कम नहीं की दर से उपकर (सेस) लगाना और उसकी वसूली करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उपकर की वसूली तथा उसे संबंधित प्राधिकरणों के पास जमा कराने का उत्तरदायित्व परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के परियोजना निदेशकों को सौंपी गई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पीआईयू विजनगरम में उपकर की वसूली कम की गई थी, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वस्तु एवं सेवा कर वाले अंश को छोड़कर मात्र माइलस्टोन भुगतान पर ही उपकर की कटौती की थी।	36.00

मंत्रालय का नाम/ विभाग	सीपीएसई का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	वित्त वर्ष 2022-23 में प्रबंधन द्वारा वसूल की गई रकम
सड़क परिवहन राजमार्ग	पीआईयू-दरभंगा, एनएचएआई	एसएमएस एबीएस इंडिया टोलवेज द्वारा फ़ास्टैग न लगे अथवा कार्यहीन फ़ास्टैग वाले वाहनों से वसूल किए गए ₹783 करोड़ की वसूली में अनुचित छूट प्रदान की गई।	782.87
सड़क परिवहन राजमार्ग	पीआईयू-मुंगेर, एनएचएआई	भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर नियम, 1996 के प्रावधानों के प्रति रियायतधारकों को ₹57.48 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।	61.00
सड़क परिवहन राजमार्ग	पीआईयू-मुंगेर, एनएचएआई	सुरक्षा परामर्शदाता के पारिश्रमिक से संबंधित ₹39.07 लाख की राशि रियायतग्राही से वसूल नहीं की जा सकी।	47.42
इस्पात	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	स्वीकृत मूल्य से कम मूल्य लेकर अनुचित लाभ उठाना	10.44
इस्पात	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु सामग्री पर क्रेडिट नोट जारी करना	7.10
वस्त्र	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड	सामरिक भागीदार की समूह कंपनियों को वस्त्र व्यापार व्यवसाय में अनुचित लाभ पहुँचाए जाने के परिणामस्वरूप हानि हुई।	13,249.95
		कुल	20,548.58
		अथवा	₹205.49 करोड़

अनुलग्नक - XXI
(पैरा 8.2 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा के कहने पर सुधार/ संशोधन

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
1	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	अनुच्छेद 15.1.1 के अनुसार, जारी अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र (पीसीसी) (10 मई 2021) को वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) माना जाता है और अनुच्छेद 23.6.1 के अनुसार, बोली परियोजना लागत के अंतिम 10 प्रतिशत को पीसीसी की तिथि (10 मई 2021) से पहले की संदर्भ तिथि पर लागू मूल्य सूचकांक गुणक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। हालांकि, चित्तूर से मल्लावरम तक के खंड को छह लेन का बनाने के मामले में क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा ने अंतिम 10 प्रतिशत बोली परियोजना लागत के लिए मूल्य सूचकांक गुणक को अप्रैल 2023 के सूचकांक को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दे दी, जो की पीसीसी जारी होने और वार्षिक भुगतान शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद था। यह रियायत समझौते की शर्तों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण होने की लागत का निर्धारण ₹30.96 करोड़ रुपये अधिक हुआ तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।	पीसीसी की तिथि (10 मई 2021) को आगे बढ़ने वाली संदर्भ तिथि पर लागू मूल्य सूचकांक एकाधिक के लिए समायोजित बोली परियोजना लागत के अंतिम 10 प्रतिशत के ध्यानार्थ शेष पूर्णता लागत की गणना की गई है और पूर्णता लागत ₹1,823.92 करोड़ आंकी गई है, जबकि पिछली गणना ₹1,852.65 करोड़ थी। परियोजना पूर्णता लागत की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अब तक किए गए अतिरिक्त भुगतान को किए जा रहे पांचवें वार्षिकी भुगतान में समायोजित करने के लिए कहा गया था।

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
2	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	20 मार्च 2018 को जारी एनएचएआई के नीति परिपत्र में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार वर्ष में 2004-05 से 2011-12 में परिवर्तन के कारण लिंकिंग फैक्टर का प्रावधान किया गया था और यह भी निर्धारित किया गया था कि भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी 2004-05 श्रृंखला के डब्ल्यूपीआई का उपयोग मार्च 2017 तक लिंकिंग फैक्टर लागू किए बिना किया जाएगा। डब्ल्यूपीआई सूचकांकों को नई श्रृंखला (2011-12) से पुरानी श्रृंखला (2004-05) में परिवर्तित करने के लिए लिंकिंग फैक्टर का उपयोग अप्रैल 2017 से किया जाएगा। इसके विपरीत, ऑडिट में पाया गया कि विजयवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत एक परियोजना, अर्थात् रानास्थलम से आनंदपुरम खंड के छह लेन के निर्माण के मामले में, फरवरी 2017 के डब्ल्यूपीआई को 2004-05 श्रृंखला के सूचकांकों को अपनाने के बजाय 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण होने की लागत की गणना गलत हुई।	रियायतग्राही को सातवें वार्षिकी भुगतान के दौरान, समापन लागत को पहले की ₹1,256.89 करोड़ की समापन लागत के मुकाबले घटाकर ₹1,252.20 करोड़ करके भुगतानों का मिलान किया गया और किए गए अतिरिक्त भुगतानों को समायोजित किया गया।
3	वित्तीय सेवा विभाग	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पोर्टल के साथ इनपुट सेवा चालानों का मिलान नहीं किया।	कंपनी ने अधिकतम इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने हेतु आवश्यक विवरण दर्ज करने के लिए अपनी प्रणाली को अद्यतन/संशोधित किया।

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
4	वित्तीय सेवा विभाग	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड ने आशापुरा इंटीमेंट्स फैशन लिमिटेड (₹10 करोड़) और आर्काटेक लिमिटेड (₹15 करोड़) को क्रमशः अगस्त 2018 और मई 2016 में दो ऋण स्वीकृत किए। कंपनी ने दोनों ऋणों को स्वीकृत/वितरित करते समय अपनी ऋण नीति और ऋण करार की शर्तों का उल्लंघन किया और बकाया राशि वसूलने के लिए उधारकर्ताओं के गिरवी रखे गए शेषों की बिक्री के लिए शेष गिरवी करार के अनुपालन में समय पर कार्रवाई करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप दोनों उधारकर्ताओं से ₹27.34 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं हो सकी।	हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के माध्यम से देखी जाएगी। कंपनी की सामान्य ऋण नीति को अद्यतन किया गया है और "शेषों के बदले ऋण" को वित्तीय उत्पादों की सूची से हटा दिया गया है।
5	वित्तीय सेवा विभाग	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लागू आरआई कार्यक्रम के उल्लंघन में हुए आरआई प्लेसमेंट के परिणामस्वरूप ₹5.55 करोड़ (मेसर्स वन-97 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ₹2.50 करोड़ और मेसर्स आईपीसीए लैब्स लिमिटेड ₹3.05 करोड़) की हानि हुई और साथ ही आईआरडीएआई विनियमों का भी उल्लंघन हुआ।	मंत्रालय के दिनांक 20.10.2023 के निर्देशानुसार, ओआईसीएल (विविध विभाग) के महाप्रबंधक ने दिनांक 26.10.2023 के नोट के माध्यम से क्रिकेट इवेंट बीमा में पीएमएल निर्धारित करने हेतु विचार किए जाने वाले कारकों पर आंतरिक दिशानिर्देश जारी किए। नोट में यह भी शामिल है कि यदि कोई

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन द्वारा की गई कार्यवाही
6	वित्तीय सेवा विभाग	आईएफसीआई फैक्टर	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड द्वारा फैक्टरिंग और ऋण सेवाएं।	<p>विचलन होता है, तो उसे कंपनी के बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।</p> <p>2019-20 की ऋण नीति के पैरा 17.1 में जॉच को शामिल करके ऋण नीति को और सुदृढ़ बनाया गया है। जॉच में पहले संवितरण, नए देनदार को जोड़ने और देनदार के हस्ताक्षरकर्ता में परिवर्तन की स्थिति में एस्करो प्रबंधन पत्र/एनओए का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है, और देनदार से मेल द्वारा सत्यापन होने पर डोमेन आईडी जॉच भी अनिवार्य है। कंपनी ने लेखापरीक्षा बिंदु को स्वीकार कर लिया और वित्तपोषण के उपरांत बाद के चरण में भौतिक रसीद लेने की प्रथा बंद कर दी। कंपनी ने साइलेंट बेसिस फैक्टरिंग की पेशकश बंद कर दी और अब बिल फैक्टरिंग सुविधा केवल तभी क्रय करती है जब वह बैंक गारंटी या किसी स्वीकार्य जमानत द्वारा सुरक्षित हो। कंपनी ने लेखापरीक्षा बिंदु को स्वीकार कर लिया और अब सभी डिफॉल्ट खातों (एसएमए या एनपीए) की रिपोर्ट आवश्यकतानुसार सिबिल, सीआरआईएलसी और आरबीआई को दे रही</p>

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
7	वित्तीय सेवा विभाग	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<p>मोटर बीमा पॉलिसी जारी करने/ जोखिम अंकन के समय 'माल ढोने वाले वाहनों' को 'विविध वाहनों' के रूप में अनुचित तरीके से वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप कम दरों पर मोटर बीमा प्रीमियम का संग्रह हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मोटर बीमा प्रीमियम में ₹14.05 करोड़ की कम वसूली हुई (द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ₹5.03 करोड़ और द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ₹9.02 करोड़)।</p>	<p>है। कंपनी ने मूर्त जमानत को माफ करने के लेखापरीक्षा बिंदु को स्वीकार कर लिया और इस मामले से सीख लेते हुए, आईएफएल ने असुरक्षित ऋण देना बंद कर दिया है।</p> <p>कंपनी ने अपने दिनांक 07.06.2022 के परिपत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालय/मंडल कार्यालय और शाखा कार्यालय आदि को निर्देश दिया कि वाहन/उपकरण के 'प्राथमिक उपयोग' और 'बॉडी टाइप' को विविध और विशेष प्रकार के वाहनों (श्रेणी-डी) के लिए टैरिफ के अंतर्गत रेटिंग के उद्देश्य से सर्वोपरि माना जाए, चाहे उसकी पंजीकरण स्थिति एलएमवी हो या जीसीसीवी। कंपनी ने अपने दिनांक 29.11.2021 के परिपत्र के माध्यम से सभी परिचालन कार्यालयों को एडवाइजरी जारी की है जिसमें विविध डी श्रेणी के वाहन के वाणिज्यिक वाहन की जोखिम अंकन करते समय राजस्व की हानि पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा, श्रेणी-डी वाहन के लिए टैरिफ के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहन की जोखिम अंकन के दिशानिर्देश भी परिचालन</p>

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
8	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों और वितरकों को एलपीजी के संचालन हेतु लाइसेंस जारी करता है। बॉटलिंग संयंत्र और वितरक लाइसेंस के अनुसार उन्हें अधिकृत की गई मात्रा से अधिक एलपीजी नहीं रख सकते। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीपीसीएल के 10 चयनित बॉटलिंग संयंत्र और उनके वितरक अधिकृत मात्रा से अधिक एलपीजी रख रहे थे।	कार्यालयों को दिनांक 07.06.2022 के परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए थे। बीपीसीएल ने 11 सितंबर 2023 से बॉटलिंग संयंत्रों में प्रणाली जांच शुरू की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भरा हुआ स्टॉक किसी भी समय लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक न हो और 23 दिसंबर 2023 से वितरकों के गोदामों में बीपीसीएल की एलपीजीनेक्स्ट प्रणाली में माल प्राप्त पीईएसओ लाइसेंस प्राप्त भंडारण क्षमता के अधीन होगी।
9	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शहर के भीतर भूमिगत बिछाई गई सीजीडी व्यवसाय की पाइपलाइनों के अवशिष्ट मूल्य तथा खुदाई/स्थल पुनर्स्थापन व्यय से संबंधित मुद्दे पर उद्योग स्तर पर चर्चा की जाए और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लेखाबही में उचित व्यवस्था की जाए।	यह मुद्दा पहली बार सरकारी लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए एचपीसीएल के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान उठाया गया था। 2021-22 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा एक अन्य सीपीएसई में उठाए गए इसी तरह के मुद्दे पर, जिसे आईसीएआई के विचारार्थ भेजा गया था। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा इसकी समीक्षा की गई और यह राय दी गई कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना 5% का मानक अवशिष्ट मूल्य रखने की लेखांकन

क्रम संख्या	मंत्रालय का नाम	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
				<p>नीति उचित नहीं है। कंपनी को अपनी विभिन्न पाइपलाइनों के अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण उनके उपयोगी जीवन के आरंभ में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, जिसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जानी चाहिए। इसके अलावा, निपटान की अनुमानित लागत को भी भारतीय लेखा मानक 16 में दी गई अवशिष्ट मूल्य की परिभाषा के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। यदि पाइपलाइन को निकाला नहीं जाएगा और उसे वहीं छोड़कर परित्यक्त कर दिया जाएगा, तो उसका अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाएगा क्योंकि स्क्रेप या किसी अन्य रूप में कुछ भी बेचा नहीं जा सकता है। इसलिए, इस वर्ष एचपीसीएल ने उद्योग जगत की सहमति और अन्य सीपीएसईज के साथ मिलकर सीजीडी व्यवस्था की पाइपलाइनों सहित कुछ पाइपलाइनों के अवशिष्ट मूल्य को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है।</p>

अनुलग्नक XXII

(संदर्भित पैरा 9.1)

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र, जिनके प्रथम अनुवर्ती कार्रवाई नोट लंबित थे।

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	प्रतिवेदन का नाम	पैरा संख्या
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
1	2022 की प्रतिवेदन संख्या 13	निष्पादन लेखापरीक्षा	संपूर्ण प्रतिवेदन
2	2024 की प्रतिवेदन संख्या 2	अनुपालन लेखापरीक्षा	अध्याय I
3	2024 की प्रतिवेदन की संख्या 12	अनुपालन लेखापरीक्षा	2.1
भारी उद्योग मंत्रालय			
4	2023 की प्रतिवेदन संख्या 15	अनुपालन लेखापरीक्षा	अध्याय II
5	2024 की प्रतिवेदन संख्या 12	अनुपालन लेखापरीक्षा	5.1
वित्त मंत्रालय/निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग			
6	2024 की प्रतिवेदन संख्या 12	अनुपालन लेखापरीक्षा	4.7
इस्पात मंत्रालय			
7	2025 की प्रतिवेदन संख्या 10	निष्पादन लेखापरीक्षा	संपूर्ण प्रतिवेदन

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/hi/page-39-of-25>

